बुधवार, 8 अप्रैल 1981

18 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 38, बुधवार, 8 अप्रैल, 1981/18 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—28
*तारांकित प्रश्न संख्या : 722 से 724, 727, 728 और 730	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	29—217
तारांकित प्रश्न संख्या : 725, 726, 729, 731 से 742, 621 और 618	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6771 से 6798, 6800 से 6804, 6806 से 6909, 6911 से 6925 और 6927 से 6973	
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	218—219
सभा पटल पर रखे गये पत्र	219—223
सदस्य की रिहाई	223
श्री ए० के० सेन	223
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	224
21वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	224
8वां और 13वां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	224
7वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	224—225
15वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 225—246

महाराष्ट्र और कर्नाटक में तम्बाकू के लिए लाभप्रद मूल्य की मांग करने वाले तम्बाकू उत्पादकों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति

प्रो० मधु दंडवते 225

श्री खुर्शीद आलम खान 225

श्री बापू साहिब परुलेकर 236

श्री आनन्द पाठक 241

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर 242

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी 245

आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से धनराशि के निकाले जाने के बारे में वक्तव्य 247

श्री योगेन्द्र मकवाना 247

नियम 377 के अधीन मामले 248—252

(एक) शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद 248

(दो) ओलावृष्टि, भीषण वर्षा और तूफान आदि के कारण देश के विभिन्न भागों, विशेषकर हरियाणा में फसलों को हुई हानि के समाचार

श्री मनीराम बागड़ी 248

(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास आजमगढ़ और गोरखपुर तक राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा किये जाने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद 249

(चार) अन्य उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की सहमति प्राप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों को भेजा गया कथित परिपत्र

प्रो० मधु दंडवते 249

(पांच) पश्चिम बंगाल में कपड़ा उद्योग को अपर्याप्त मात्रा में सूत की सप्लाई किए जाने का समाचार

श्री मुकुन्द मण्डल 250

(छः) दिल्ली और देश के अन्य भागों में पोलियो के टीके की कमी

श्री राम विलास पासवान 251

(सात) श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ और बंगभाषी कालेज समूह सम्बन्धी पश्चिम बंगाल का विधान

श्री चित बसु 251

अनुदानों की मांगें, 1981-82 252—313

रक्षा मन्त्रालय

श्री अजय बिश्वास 253

श्री आर० एस० स्पैरो 264

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 276

श्री मोहनलाल सुखाड़िया 283

श्री के० पी० सिंह देव 288

श्री रतनसिंह राजदा 296

श्री शिवराज वी० पाटिल 301

कार्य-मंत्रणा समिति 313

15वां प्रतिवेदन

आधे घंटे की चर्चा 313—322

बम्बई में परित्यक्त पड़ा विदेशी विमान

डा० वसन्त कुमार पंडित 313

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा 315

श्री चित्त बसु 317

श्री राम विलास पासवान 318

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 319

लोक सभा

बुधवार, 8 अप्रैल, 1981/18 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अध्यक्ष महोदय : प्रारम्भ अच्छा हुआ है। सभा में गणपूर्ति है। श्री संतोष मोहन देव।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं का द्रुत कार्यान्वयन

* 722. श्री संतोष मोहन देव
श्री चिंगवांग कोनयक } : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि।

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन-कौन सी विभिन्न परियोजनाएं चल रही है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन परियोजनाओं की प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) उनके द्रुत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्रीय क्षेत्रक में और उत्तर-पूर्वी परिषद् योजना में परियोजनाओं की सूची सभा पटल पर प्रस्तुत हैं।

(ख) से (घ) इन परियोजनाओं का प्रबोधन सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है। स्कीमों की प्रगति के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना/वार्षिक योजना के विचार-विमर्शों के समय भी विस्तार से विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां सुधारात्मक उपायों को संक्षेप में तय किया जाता है। हाल ही में स्थापित की गई मंत्रियों की समिति भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्रक और उत्तर-पूर्वी परिषद् की योजना में चल रही परियोजनाओं के नाम :—

क. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप

1. बीज फार्म

प्रमुख फसलों के लिए आधार बीज फार्म ।

(1) असम ।

(2) मणिपुर ।

(3) त्रिपुरा ।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण ।

3. जल-संभर प्रबन्ध परियोजना ।

4. झूम नियंत्रण स्कीमें—भूमि उद्धार-परवर्ती सहायता ।

(1) सियांग अपवाह क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश ।

(2) रंगा अपवाह क्षेत्र, असम ।

(3) इरिल अपवाह क्षेत्र, मणिपुर ।

(4) डिडरूम ऊपरी अपवाह क्षेत्र, मेघालय ।

(5) धलेश्वरी अपवाह, मिजोरम ।

(6) हावड़ा मानु अपवाह क्षेत्र, त्रिपुरा ।

(7) रंगलेउ अपवाह क्षेत्र, नागालैंड ।

(8) पलोक चामदार, मिजोरम ।

5. भौम जल सर्वेक्षण और विकास ।

6. परियोजना निर्माण एकक ।

ख. बागवानी

1. क्षेत्रीय आधार बीज आलू फार्म—

(क) तवांग, अरूणाचल प्रदेश ।

(ख) स्यालसुक, मिजोरम ।

(ग) हेलियांग, नागालैंड ।

(घ) लाइटकोर, मेघालय ।

2. क्षेत्रीय बीज फार्म, थिंगावल, मिजोरम ।

3. कंद फसल के लिए क्षेत्रीय बीज फार्म, सांद्रक, मेघालय ।

4. प्रायोगिक अदरक निर्जलीकरण संयंत्र, सैरंग, मिजोरम ।

5. निम्नलिखित क्षेत्रीय फलोद्यान और रोपणी ।

(क) सेब, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश ।

(ख) नाशपाती और गुठलीदारफल, माराम, मणिपुर ।

(ग) सिट्रस, चीले, मिजोरम ।

(घ) सिट्रस, लोंगोक, नागालैंड ।

(ङ) उप उष्णाकटिबंधीय फल, नलकाटा, त्रिपुरा ।

(च) सिट्रस और गुठलीदार फल, बारापानी, मेघालय ।

(छ) केला, खेरोनी, असम ।

6. क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

ग. पशुपालन

1. क्षेत्रीय पहाड़ी पशु प्रजनन और प्रदर्शन फार्म, कनको, अरुणाचल प्रदेश ।
2. क्षेत्रीय धारा बीज उत्पादन और प्रदर्शन फार्म, कमकी, अरुणाचल प्रदेश ।
3. क्षेत्रीय पशु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, गौहाटी, असम ।
4. क्षेत्रीय विदेशी सूअर प्रजनन फार्म, लौदलांग, अरुणाचल प्रदेश ।
5. क्षेत्रीय चारा बीज उत्पादन और प्रदर्शन फार्म, त्रिपुरा ।
6. क्षेत्रीय बकरी प्रजनन फार्म, त्रिपुरा ।

घ. बागान

कॉफी

5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में काफी रोपणियां ।

रबड़

दो कलिकायुक्त टहनी रोपणियां, असम और त्रिपुरा ।

ङ. मछली पालन

1. क्षेत्रीय मछली बीज फार्म, तेंजोमा नागालैंड ।
2. क्षेत्रीय मछली पोषण ग्रंथि बैंक, त्रिपुरा ।

च. अन्य

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् परिसर, शिलांग ।
2. असम कृषि विश्वविद्यालय ।
3. सूत के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ।
4. मिथुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ।

2. उद्योग

(क) कागज

1. तुली में नागालैंड लुगदी और कागज परियोजना ।
2. नौगांव लुगदी और कागज परियोजना (असम) ।
3. कछार लुगदी और कागज परियोजना (असम) ।

(ख) सीमेंट

1. लघु सीमेंट संयंत्र, तेजू (अरूणाचल प्रदेश)

(ग) ग्राम और लघु उद्योग

1. उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना

2. रेशम उत्पादन

(1) रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार (असम)

(2) असम वस्त्र संस्था में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को फिर से चलाना

(3) एक क्षेत्रीय बांज टसर बीज केन्द्र (मणिपुर और मेघालय) और साथ में 2 उप केन्द्र

(4) एक क्षेत्रीय विदेशी प्रजाति बीज केन्द्र, मलवेरी (मेघालय)

(5) बांज टसर का सर्वेक्षण और परीक्षण पालन (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड)

(6) उच्च अक्षांश पर एक क्षेत्रीय पी-3 मूंगा बीच केन्द्र (असम)

(7) उत्पादनोन्मुख एकीकृत स्कीमें—सभी संघटक इकाइयों में प्रायोगिक विस्तार केन्द्र ।

(8) मूंगा खाद्य संयंत्र, बांज संयंत्र, रोपणी की स्थापना (असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा)

(9) बांज टसर के विकास के लिए 14 तंतु भंडार और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (अरणाचल प्रदेश, मिजोरम, और नागालैंड)

(10) बांज टसर बीज कोये का परिरक्षण (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड)

(11) शहतूत रोपणी और चौकी पालन केन्द्र (असम और त्रिपुरा)

(12) एरी बीज तंतु भंडार का विस्तार (मेघालय)

(13) रेशम उत्पादन का कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

(14) एक शीत भंडारण संयंत्र (असम)

(15) रेशम पालन इकाई (त्रिपुरा)

(घ) पेट्रोलियम

1. बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल्स लि०
2. एल० पी० जी० संयंत्र, डुलियाजान
3. सिलीगुडी-गौहाटी पाइपलाइन विस्तार
4. जोराजान तेल क्षेत्र का विकास
5. नाम रूप 3 उर्वरक परियोजना

3. खनिज अन्वेषण

1. सिजूकोयला और चूना पत्थर (मेघालय)
2. नामचिक—नामफुक कोयला (अरुणाचल प्रदेश)
3. वीरजान कोयला (नागालैंड)

4. विद्युत

1. लोकटक जल-विद्युत परियोजना
2. कोपीली जल-विद्युत परियोजना
3. गारो पहाड़ी तक्षीम परियोजना

5. परिवहन और संचार

(क) सड़कें

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर पर उन्नत की जा रही सड़कें :—

1. इम्फाल—सिलचर—वेदरपुर
2. सिलचर—ऐजावल लुंगलेह
3. इटानगर तक संपर्क सड़क
4. उत्तरी मुख्य सड़क
   (गौहाटी-पास्सीघाट-तेजू-सैकोहाघाट)
5. फैकन-तुरा-डालू
6. पार्श्व सड़क (उत्तरी बंगाल और असम में भाग)

(2) उत्तर-पूर्वी परिषद् की सड़कें

(क) नवीन निर्माण —1785 कि० मी०
(ख) सुधार —1140 कि० मी०

(ख) पुल

तेजपुर के नजदीक भौमारगुडी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा पुल।

(ग) रेलवे

1. नए बोगाईगांव——गौहाटी खंड के बीच लाइन परिवर्तन (157 कि० मी०)

नई लाइनें

2. गौहाटी—बर्नीहाट (असम/मेघालय)
3. आमगुडी—तुली (असम/नागालैंड)
4. बालीपुरा—भालुकपोंग खंड (असम/अरुणाचल प्रदेश)
5. लाला बाजार/लालाघाट—भैरवी (असम/मिजोरम)
6. सिलचर—जिरीबाम (असम/मणिपुर)
7. धरमनगर—कुमारघाट (त्रिपुरा)

(घ) अन्तर्देशीय जल परिवहन

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (बेड़े का विस्तार)

(ङ) दूर संचार

(1) लंबी दूरी के संचारण

(क) सूक्ष्म तरंग स्कीमें

(1) गौहाटी—जोरहाट—डिब्रूगढ़—तिनसुखिया स्कीम
(2) गौहाटी—गोलपाड़ा—बोंगाईगांव नेरोबैंड स्कीम
(3) जोरहाट—उत्तरी लखीमपुर—इटानगर नेरोबैंड/अति उच्च आवृत्ति स्कीम

(ख) अति उच्च आवृत्ति स्कीमें

1. कोहिमा—जखामा
2. तिनसुखिया—नामरूप
3. सिलचर—एजावल
4. बोमडिला—तेजपुर
5. शिलांग—जोवाई
6. तिनसुखिया—खोनसा
7. दीमापुर—दिउ-फू
8. सिलचर—करीमगंज
9. सिलचर—हाफलांग
10. चंपाकोवा—पास्सीघाट
11. इम्फाल—उखरूल
12. वोखा—जैनूभोट्टे

(2) उपग्रह संचार

1. शिलांग भू-केन्द्र
2. इटानगर ,,
3. कोहिमा ,,
4. इम्फाल ,,
5. अगरतला ,,

(3) लम्बी दूरी स्विचन

(क) मुख्य स्वचालित केन्द्र—

शिलांग टी० ए० एक्स० विस्तार (800-1500 लाइनें)

(ख) टेलेक्स केन्द्र

1. कोहिमा मुख्य—20 लाइनें
2. गौहाटी विस्तार—60 लाइनें
3. सिलचर मुख्य—20 लाइनें
4. तिनसुखिया विस्तार—20-20 लाइनें

(4) स्वीचन

स्थानीय टेलीफोन—एम० ए० एक्स 0-1

1. गौहाटी (6000-7500 लाइनें)
2. अगरतला मुख्य (2100 लाइनें)
3. इम्फाल मुख्य (2100 लाइनें)
4. शिलांग (3000-4000 लाइनें)

6. स्वास्थ्य

1. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, मणिपुर
2. क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थान त्रिपुरा
3. पास्चर संस्थान का विकास, मेघालय
4. ग्रेजूएट नर्सिंग कालेज, असम

7. शिक्षा

1. क्षेत्रीय छात्रावास, शिलांग

2. त्रिपुरा इंजीनियरी कालेज का विस्तार, अगरतला
3. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ में बी० फार्मा पाठ्यक्रम
4. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिलचर
5. क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, त्रिपुरा
6. क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज, मेघालय

8. **आवास और शहरी विकास**
   1. बागान कामगारों के लिए राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम
   2. छोटे और मझौले कस्बों/शहरों का एकीकृत विकास

9. **जल पूर्ति**

   एकीकृत ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम (इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस क्षेत्र के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण पेय जल पूर्ति की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं) ।

श्री संतोष मोहन देव : योजना मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर भली प्रकार दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह योजना मंत्री है ।

श्री सन्तोषमोहन देव : अपने प्रश्न के (ग) भाग में मैंने विशेष रूप से पूछा था ।

(ग) उनके द्रुत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? अपने प्रश्न द्वारा मैं जानना चाहता था मंत्री महोदय का उत्तर इस प्रकार है :

"हाल ही में स्थापित की गई मंत्रियों की समिति भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है ।

श्रीमान, इसके पूर्व भी इस सभा में उत्तर-पूर्व-क्षेत्र में वर्तमान अशांति पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों ने (बिना दलीय सम्बन्धों पर विचार किये) उल्लेख किया था कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र की मुख्य समस्या उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन हैं ।

यदि आप विभिन्न मंत्रालयों के अधीन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार उन विभिन्न योजनाओं के बारे में गम्भीरता-पूर्वक प्रयत्न कर रही है परन्तु इस बारे में मुख्य समस्या क्रियान्विति की है । मुख्य बात यही है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सभा को सूचित करें ।

(क) मकवाना समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) समिति किन निष्कर्षों पर पहुंचती है ?

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

दूसरे मैं एक अन्य महत्त्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के पृष्ठ 7 में एक मद है, जोकि भाग 'सात' शिक्षा के अंतर्गत आती है। मद 4 में "रिजनल इंजीनियरिंग कालेज सिल्चर" की स्थापना के बारे में है। अब यदि आप पृष्ठ 4 के विवरण विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान देंगें तो उसमें तीन परियोजनाएं सम्मिलित हैं। जोकि इस प्रकार हैं :

1 लोकटक जल-विद्युत परियोजना

2 कोपिली जल-विद्युत परियोजना

3. गारो पहाड़ी तापीय परियोजना

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह परियोजनाएं कब शुरु की गई थी तथा इनके कब तक पूरा होने की संभावना है। जहां तक गारो पहाड़ी तापीय परियोजना का प्रश्न है, इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है। यदि वह इसकी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं तब वह इसकी शीघ्र क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? यही मेरे प्रश्न हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वित किये जाने के मामले में सभा को बताना चाहता हूं कि उनकी क्रियान्विति में हमारी पूरी रुचि है। क्रियान्विति का दायित्व तीन भागों में बंटा है। सबसे पहले उनका संबन्ध राज्य सरकार से है। कुछ परियोजनाओं के लिए वे उत्तरदायी हैं। राज्य क्षेत्र की योजनाओं की क्रियान्विति का दायित्व उन्हें लेना होता है। यह पहली बात है दूसरे केन्द्रीय क्षेत्र है जिससे केन्द्रीय सरकार की एजेंसियां, निगम आदि सीधे सम्बद्ध हैं। वे केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरे हमारा जहां उत्तर-पूर्वी परिषद् की परियोजनाएं हैं जिन्हें उत्तर-पूर्वी परिषद उत्तर पूर्वी राज्यों की सिफारिशों पर हाथ में लेती है।

राज्य सरकारों द्वारा तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा इन परियोजनाओं की नियमित रूप में देख भाल की जाती है। फिर आसाम, मणिपुर इत्यादि में कानून और व्यवस्था का प्रश्न महत्त्वपूर्ण मामला है जिनके कारण इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित माल वहां पर समय पर नहीं पहुंच सका। जहां तक मंत्रियों को समिति का सम्बन्ध है उसकी कई औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकें हो चुकी हैं तथा यह निर्णय लिया गया कि बहुत सी चालू परियोजनाओं को तथा उनके निर्माण कार्यक्रम को शीघ्र पूरा किया जाये। उदाहरण के रूप में प्रस्तावित बहुत सी रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 1983-84 के अंत तक पूरा किये जाने की संभावना है। उसी प्रकार कृषि तथा बागवानी संबन्धी बहुत सी योजनाओं को इस वर्ष में प्रारम्भ किया जाएगा जहां तक लोकटक तथा कपोली परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मुझे हाल ही में लोकटक

जाने का अवसर मिला। कुछ इंजीनियरिंग की समस्या के कारण उसे समय पर चालू नहीं किया जा सका। कुछ वर्ष पूर्व सुरंग का ढांचा ढह गया था तथा इससे बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। परन्तु अब उन्होंने सुरंग बनाने की नयी मशीन प्राप्त की है। मुझे विश्वास है कि लोकटक परियोजना को वर्ष 1982-83 में समय पर प्रारम्भ किया जा सकेगा।

कपोली परियोजना के लगभग आधे धन का उपयोग किया जा चुका है। सिलचर के बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हू कि इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण समय पर किया जा रहा है तथा हम उसके लिए समय पर धन देने की चेष्टा करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : इन परियोजनाओं के पूरा करने के संबंध में मंत्री महोदय के आश्वासन के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मकवाना समिति इन मामलों का और अध्ययन करके इन परियोजनाओं पर एक और रिपोर्ट देगी। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इन परियोजनाओं को समय पर शुरु करके निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए योजना मंत्री किन नयी परियोजनाओं पर विचार कर रहे है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे विश्वास है कि जब भी आवश्यकता होगी मकवाना समिति की बैठक होगी। नयी परियोजनाओं के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। मैंने अपने विवरण में नयी परियोजनाओं को सम्मिलित किया है।

सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद में सरल हिन्दी का प्रयोग

*723. **श्री रेण पद दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगें कि :

(क) सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करते समय सरल तथा स्वाभाविक हिन्दी भाषा का प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) ऐसे अनुवाद को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दी अनुवाद के सरल तथा सुबोध भाषा में न होने के कुछ कारण निम्न-लिखित हैं :—

(1) सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करते समय अनुवाद के सही होने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और भाषा को सरल और स्वाभाविक रखने पर इतना ध्यान नहीं रहता।

(2) अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्द बहुत समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और इस कारण आसानी से समझ में आ जाते हैं जबकि हिन्दी की शब्दावली अभी प्रशासन में नई है और इसलिए हिन्दी के शब्द कभी-कभी अस्वभाविक से लगते हैं।

(3) मंत्रालयों आदि में काम करने वाले अनुवादकों का स्तर अच्छा नहीं है।

(ख) हिन्दी अनुवाद के स्तर में सुधार लाने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) विभिन्न विभागों में काम करने वाले अनुवादकों को ट्रेनिंग का प्रबंध किया गया है। यह ट्रेनिंग केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में दी जाएगी और सभी अनुवादकों के लिए यह ट्रेनिंग लाजिमी कर दी गई है।

(2) सरकार ने यह फैसला किया है कि विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी कर्मचारियों और अनुवादकों की एक अलग सेवा बनायी जाए। इस सेवा के बन जाने पर इन कर्मचारियों को योग्यता, चुनाव तथा सेवा की शर्तों में एकरूपता लायी जा सकेगी, जिससे कि अनुवादकों का स्तर सुधरेगा।

(3) सरकार की बराबर यह कोशिश रही है कि सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद में सरल और स्वाभाविक हिन्दी को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने इस विषय में समय-समय पर आदेश भी जारी किए हैं कि हिन्दी के सुबोध शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और अंग्रेजी के नामों तथा शब्दों का बनावटी अनुवाद करने की कोशिश न की जाए। सरकार अपनी नीति पर बराबर जोर देती रहेगी जिससे कि हिन्दी अनुवाद अधिक सरल और स्वभाविक हो सकें। यह आशा की जाती है कि अनुवादकों का स्तर सुधरने पर सरकार के इन आदेशों की पूर्ति हो सकेगी; परन्तु यदि अनुवाद का स्तर फिर भी नहीं सुधरा तो सरकार इस बारे में कदम उठाने पर विचार करेगी।

श्री रेणु पद दास : विवरण से प्रकट होता है कि अंग्रेजी के लिए किस हद तक मोह है। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने बताया है कि हिन्दी का विकास किया जायेगा। श्रीमान, मेरी दृढ़ धारणा है कि अंग्रेजी के प्रति मोह के कारण हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को शासकीय पत्र-व्यवहार एवं गम्भीर मामलों में चर्चा के लिए नहीं अपनाया गया। इन नेताओं की उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाएं अंग्रेजी से घटिया स्तर पर रह गई हैं। ऐसे हालात में केवल सांस्कृतिक क्रान्ति ही स्थिति को बदल सकती है तथा उसी से नेतागण हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को उनकी संवैधानिक स्थिति दिला सकते हैं।

इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनुवादकों का एक पृथक संवर्ग तैयार कर रही हैं ताकि योग्य, सुशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों को इस ओर आकृष्ट किया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अनुवादकों के वेतनमानों को सुधारने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि उनके वर्तमान वेतनमान अपर्याप्त हैं तथा योग्य व्यक्तियों को आकृष्ट करने में विफल रहे हैं।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने सप्लीमेन्टरी में एक भी शब्द हिन्दी का इस्तेमाल नहीं किया है जबकि यह सवाल हिन्दी के प्रति था। अब सवाल का जवाब तो देना ही है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और साथ साथ यह भी कहा है कि हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वह पनप नहीं सकीं और अंग्रेजी की प्राथमिकता अभी तक चली आती है। रहनुमाओं को देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर ध्यान दिया जाए ताकि हिन्दी अपना स्थान ले सके और जो प्रान्तीय भाषाएं हैं वह भी अपना स्थान ले सकें। इसके लिए मैंने अपने स्टेटमेन्ट में लिखा है कि हम उपाय कर रहे हैं। जहां तक हिन्दी के इस्तेमाल का सम्बन्ध है इसके पहले भी उपाय किए गए थे। सन् 1976 में एक सर्कुलर जारी किया गया था कि मूल रूप में जो मस्विदा तैयार किया जाए वह कोशिश करें कि हिन्दी में हो और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो न कि अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी में हो। जब तक यह बात नहीं चलती है तब तक हिन्दी को प्राथमिकता नहीं मिलती। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अलाहदा एक सेवा बनाई गई है, एक काडर बनाया है ताकि एफीशिएन्ट पर्सन्स आने के लिए तैयार हों और वे लोग आकर इस मामले पर सोच सकें।

स्पीकर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का लफ्ज ब लफ्ज हिन्दी में ट्रांसलेशन किया जाए तो उसमें हिन्दी के व्याकरण की बात रहती नहीं है। यह शिकायत हमको भी है और आपको भी शिकायत है और इसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन आनरेबल मेम्बर से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह रुकावट किसी की नहीं है, वह रुकावट है अवाम की, हमारे आनरेबल मेम्बरान की जोकि हिन्दी के प्रश्न पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आनरेबल मेम्बर ने जो सजेशन दिया है। उसको हमने नोट कर लिया है।

श्री रेणु पद दास : श्रीमान, शाब्दिक अनुवाद से समस्या हल नहीं होगी। उदाहरण के लिए एयरपोर्ट को हिन्दी में हवाई अड्डा कहते हैं। यह अत्यन्त अप्रिय एवं बुरा प्रायवाची है।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए देश के भाषाविदों को एक उच्च शक्ति प्राप्त स्थायी समिति नियुक्त करेगी जो कि अब तक तैयार किये गये वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का सर्वेक्षण करें तथा ऐसी शब्दावली तैयार करे जिनमें भाषा की आन्तरिक शक्ति तथा विशेषता प्रकट हो तथा जो भाषा की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी अभिव्यक्ति दे सकें। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक संदर्भ में भीतरी मर्ज की खोज कर सके।

ज्ञानी जैल सिंह : आनरेबल मेम्बर को पता होना चाहिए कि हर एक ऐक्ट की जो रिपोर्ट आती है उसका अनुवाद पहले सही किया जाता है। आनरेबल मेम्बर का जो यह ख्याल है कि कोई और कमेटी बनाई जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत कमेटियां बनी हुई हैं, हिन्दी के मामले पर और एक कमेटी ऐसी भी बनी है जो हाउस की कमेटी है और बहुत बड़ी कमेटी है। उस कमेटी ने जाकर विदेशों में भी और यहां भी इस बात का अध्ययन किया है कि कैसे इसको किया जाए। (व्यवधान) लोगों को तो इस बात की शिकायत है कि कमेटी पर ज्यादा खर्चा होता है इसलिए मैं समझता हूं और कमेटी की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं आ के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह हिन्दी सलाहकार समिति जो है, इसकी कभी बैठक हुई है ? दूसरा उसी के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि.....

अध्यक्ष महोदय : एक ही कर लीजिए ।

श्री राम नगीना मिश्र : एक-एक करके "अ" "ब" "स"। "अ" मैंने कर दिया है। उसमें "ब" यह है कि मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो हिन्दी में अनुवाद होते हैं, गांधी जी का यह विचार था कि भाषा हिन्दी हो, लिपी नागरी हो, तो क्या वे ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि जो हिन्दी में अनुवाद हो, वह बोल-चाल की भाषा में हो, सरल हो और उसमें संस्कृत के ऐसे शब्द न हों जो अंग्रेजी से कलिष्ट मालुम हों ?

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह) : अध्यक्ष जी इनके दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि क्या मीटिंग हुई है ? मीटिंग हो चुकी है और जहां तक मेरी यादाश्त काम करती है, उनकी दो मीटिंग्स हो चुकी हैं। दूसरी बात उनकी यह है कि जो हिन्दी में अनुवाद हो वह देवनागरी लिपि में सरल भाषा में होना चाहिए। मैं पहले भी विनति कर चुका हूं कि हम इस बात का भरपूर यत्न कर रहे हैं कि सरल हिन्दी भाषा हो। मगर इसके लिए जरूरी है कि हमको कान्स्टीटूशन के इरादे को पूरा करने के लिए प्राथमिकता हिन्दी को देनी चाहिए सरकारी कारोबार में, भाषा में और दायित्व में। यहां पर जो बातचीत होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वह बात हिन्दी की हो लेकिन बोलते हैं अंग्रेजी में—इसलिए इसमें आपको कोआॅपरेशन देना चाहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस है, इस सवाल पर कि गांधी जी के नाम को हम सभी लोग लेते हैं। गांधी जी जब हिन्दू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो विश्व-विद्यालय के बजाय अंग्रेजी के अन्दर वहाँ पर लिखा हुआ था और टांगे वाले ने कहा था कि "विश्वविद्यालय" चलें। तो उन्होंने कहा वाकई अंग्रेजी भाषा से भारत की हिन्दी भाषा की जबान काटी जाती हैं। यह विख है विश्वविद्यालय नहीं है, विखविद्यालय है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कम से कम हिन्दी भाषा, अपनी जो राष्ट्र भाषा है, उसके क्या सरकार तीन-चार बातों को मिलाकर, जैसे प्रचलित शब्द हैं, चाहे उर्दू के आ गए, चाहे अंग्रेजी के आ गए जैसे रेलगाड़ी आदि। जो ऐसे शब्द हैं, उनको हिन्दी भाषा अमायें और अगर ज्ञानी जी कहते हैं कि भरपूर कोशिश करते हैं, यह इतना लम्बा** है, जिसका कोई सत्य नहीं है। आप बताइए...(**व्यवधान**)...बिल्कुल** है, मैं इस शब्द को कहूंगा**— है। हिन्दी के साथ अन्याय किया है, मातृभाषा के साथ अन्याय किया है...(**व्यवधान**)... बिल्कुल**—है, असत्य है, सत्य नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : बस करिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, बस करने की बात नहीं है। संविधान की हत्या हुई है। ज्ञानी जी जैसे लोग जिनका हित भी इस बात में है, जोकि अंग्रेजी भी कम जानते हैं ..

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान) ·· अध्यक्ष जी आप कैसी बातें करते हैं। संविधान की हत्या की गई है। भारत की जबान काटी गई है। प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए···(व्यवधान)···क्या भरपूर कोशिशें की हैं वे जरा बताइए। भरपूर कोशिशें क्या हैं···(व्यवधान)···हाँ हम भाषण में करेंगे···(व्यवधान) ···** बैठाने वाला हैं, कौन बोल रहा है** जैसे—** बहुत आए हैं।

ज्ञानी जैल सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबिल बागड़ी जी ने यह लफ्ज कह कर के ज्यादती की है कि हमारे साथ अन्याय किया है।

अध्यक्ष महोदय : आज आप बहुत सुन्दर हिन्दी बोल रहे हैं।

ज्ञानी जैल सिंह : अन्याय किया है जो हमने कहा वह** है, तो पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में** कहना ठीक नहीं है। कहना यह चाहिए था कि यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द तो अनपार्लियामेन्ट्री है ही।

ज्ञानी जैल सिंह : जो सर्कुलर 1976 में जारी हुआ था उसमें यह हिदायत की गई थी—मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

> आधुनिक यंत्रों, तरह तरह के पुर्जों और नये जमाने की चीजों के नाम जो अंग्रेजी नाम प्रचलित हैं, उन के कृत्रिम अनुवाद करने के बजाय उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा। जैसे जैसे लोग हिन्दी में दक्ष होते जायेंगे वैसे-वैसे एक स्वभाविक प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत शब्द अपने आप प्रचलित होते चले जायेंगे···"

श्री मधु दण्डवते : हमें हिन्दी का भी हिन्दी अनुवाद चाहिये।

ज्ञानी जैल सिंह : जब मैं यह पढ़ रहा था तो मैंने खुद भी इसको टिक-मार्क किया हुआ था। मैंने देखा—जब यह हिदायत की गई है कि सरल हिन्दी लिखो, लेकिन हिदायत करने वाले ने खुद अपने खत में जो लिखा है वह भी सरल हिन्दी नहीं है—यह मैं मानता हूं। यह सैक्रेटरी का एक लैटर है, इसको आप बरदाश्त कर लें क्योंकि यह बहुत पुराना है, अब इसका अमेण्डमेन्ट नहीं हो सकता·· (व्यवधान)··· हिन्दी लिखते वक्त हिन्दी ही लिखने की कोशिश करें, न वह संस्कृत हो और न देवनागरी लिपि में अंग्रेजी हो। कहने का मतलब यह है कि हिन्दी वाक्य उस के न्यास, उसकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिये। यह ठीक नहीं होगा कि यह संस्कृत के दुरूह समास पदों की लड़ी हो जाय, अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद मात्र हो जाय ..(व्यवधान)...

श्री मनीराम बागड़ी : मातृभाषा का इससे ज्यादा अपमान, जो आज इस तरीके से हिन्दी के साथ किया जा रहा है, कभी नहीं हुआ है। इस तरह से कभी भी इस भाषा का सम्मान नहीं बढ़ेगा, इस भाषा का मजाक हो रहा है। हाउस में जो पढ़ा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह खुले आम राष्ट्र भाषा का अपमान किया जा रहा हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यहां सरल हिन्दी की बात चल रही है लेकिन जो हिन्दी वह पढ़ रहे हैं और जिस पदाधिकारी ने वह ड्राफ्ट बनाकर दिया है जिसको होम मिनिस्टर साहब पढ़ भी नही पा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात नहीं हैं। ...(व्यवधान)...यह हिन्दी भाषा का अपमान किया जा रहा है, यह अपमान बरदाश्त नहीं किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ? सुनते क्यों नहीं, खुद ही बोले जा रहे है ? वह पुराना पत्र पढ़ कर सुना रहे हैं...

श्री मनीराम बागड़ी : कुछ भी पढ़े, लेकिन यह भाषा का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी कोई ओछी भाषा नहीं है, जिसका कोई भी अपमान कर सके। यह गलत बात है···

श्री मनीराम बागड़ी : ये अंग्रेजी भाषा के गुलाम···ये राष्ट्र भाषा का अपमान कर रहे हैं···**

अध्यक्ष महोदय : गलत बात है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस तरह से नहीं चल सकता है। क्या हिन्दी इतनी छोटी हो गई है कि उसका अपमान हो जायेगा। कोई गलत बोल सकता है, अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, लेकिन अपमान कोई नहीं कर सकता। आप जब अशुद्ध भाषा बोलते हैं तो क्या वह भाषा का अपमान है ? वह हमारी गलती है। नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं यह सवाल नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद दूसरे को अनुमति दूंगा। डा० कर्णसिंह को अनुमति दी गई है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं व्यवस्था चाहता हूं। आपने फिर गलत ढंग से पेश कर दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई गलत ढंग से पेश नहीं किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने यह कहा कि कोई शब्द गलत ढंग से पढ़े तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह अपमान है। मुझे यह आपत्ति नहीं है। ज्ञानी जी कोई शब्द गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे है, मुझे यह आपत्ति नहीं है। मुझे यह आपत्ति है कि जब हिन्दी के बारे में इस ढंग से बात आये, जिससे सदन में हंसी हो और प्रैस के अंग्रेजीवादी पत्रकार हंसी करें, यह मातृभाषा का अपमान है, प्रधान मन्त्री को इसके बारे में बोलना चाहिए।···(व्यवधान)·····

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हिन्दी भाषा की जबान काटी जा रही है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ? यह मातृभाषा का अपमान है। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र प्रश्न यह है कि जो राजकीय पत्र हैं, आफिशियल डाक्युमैंट्स हैं, इनमें सरल हिन्दी का उपयोग हो या न हो, मेरी प्रार्थना है कि जब अंग्रेजी के पत्र लिखे जाते हैं, उसमें बेसिक इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता, उसमें सही अंग्रेजी का प्रयोग होता है, तो जो भी इस तरह के पत्र हों उसमें सही हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये उसकी बिलकुल सरल बनाकर और हिन्दी को गलत रुप में भी प्रेरित नहीं करना चाहिये। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जहां तक सरलता का प्रश्न है, हम सब साथ हैं, लेकिन सरलता करते-करते ऐसा न हो कि उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाये ? हिन्दी एक बड़ी सुन्दर भाषा है, एक राष्ट्र भाषा है, विश्व भाषा है उसका जो स्वरूप है उसको भी जहन में रखा जाना चाहिये और तभी यह हम आने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना सवाल ?

ज्ञानी जैल सिंह : स्पीकर साहब, यह जो कहा गया था कि हिन्दी का अपमान करते हैं, ···(व्यवधान)।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, वह कह रहे हैं कुछ और, और यह कह रहे हैं कि अपमान किया जा रहा है।

ज्ञानी जैल सिंह : आप कह रहे हैं कि हिन्दी का अपमान किया जा रहा है। डाक्टर साहब ने तो एक यथार्थ बात कही है।

श्री जगपाल सिंह : आप किस के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ? बागड़ी जी के प्रश्न का या डाक्टर साहब के प्रश्न का ?

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह) : डाक्टर साहब ने यथार्थ बात कही है, एक सजैशन दी है, एक अच्छी तजवीज दी है, उस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिये। बागड़ी जी कह रहे थे कि हिन्दी का अपमान हो रहा है। हिन्दी का अपमान बिल्कुल नहीं हो रहा।

मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हिन्दी को अपना पूरा स्थान देने के लिए, पूरा सम्मान देने के लिए निहायत जरूरी है कि अंग्रेजी से पहले हिन्दी का इस्तेमाल किया जाये, हिन्दी का प्रयोग पहले किया जाये। यह तभी होगा जब उसके साथ अवाम की को-आपरेशन हो, हर मेम्बर भी इस बात को सोचें। वह अपने आप तो फलुएटली और रवानी में इंग्लिस में बोल सकते हैं, हिन्दी मैं नहीं बोल सकते हैं, वह कभी हिन्दी बोलते ही नहीं। वह क्यों नहीं हिन्दी में बोलते हैं। मेरी मेम्बरों से भी प्रार्थना है कि वह हिन्दी में भी बोलें।

प्रधान मंत्री जी की प्रधानता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया था कि हिन्दी को और उसके साथ-साथ उर्दू को भी और दूसरी भाषाओं को भी बढ़ावा देने के लिये उपाय किये जायें।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, वह बहुत आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपत्तिजनक क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : अपने लिखित जवाब में उन्होंने कहा है कि हिन्दी की शब्दावली प्रशासन में अभी नयी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब अंग्रेज 200-250 वर्ष पहले यहां आये तो उस समय इस देश की जबान क्या थी ? उस समय भी हिन्दी में काम चलता था या नहीं ? जब अंग्रेज आये थे तो उन्होंने कब आपसे पूछा कि अंग्रेजी चाहिये या हिन्दी उन्होंने अंग्रेजी लागू कर दी।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब आपका जो संशोधित कांस्टीट्यूशन है वह भी हिन्दी में नहीं है। संविधान की संशोधित प्रति हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। अभी उसका अनुवाद किया जा रहा है। आपने 1961 में आफशियल लैंगुएज एक्ट लागू किया संविधान की मंशा थी कि 10 साल में अंग्रेजी समाप्त हो जाएगी और हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेगी, लेकिन प्रधान मंत्री जी भाषा के सवाल पर साउथ में कुछ बोलती हैं और नार्थ में कुछ बोलती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की भाषा के सम्बन्ध में क्या नीति है ? यदि आफिशियल लैंगुएज का कोई उल्लंघन करता है और जो आपने कहा है, उसका पालन नहीं करता है, तो क्या उसके लिए भी आप दंड का विधान रखेंगें ?

श्री मनी राम बागड़ी : प्रधान मत्री जी, जरा खड़ी होकर बता दो।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं पूरे प्रश्न का उत्तर देने नहीं उठी हूं। मेरा नाम इन्होंने लिया है, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं कभी एक बात इधर की या एक बात उधर की नहीं कहती हूं मैंने एक बात कही है चाहे यहां इस सदन में कही है और सदन के बाहर भी कही है, उत्तर भारत में भी कही है और दक्षिण भारत में भी कही है और वह यह है कि हम सब चाहते हैं कि हिन्दी आगे बढ़े। हिन्दी किस प्रकार की हो, वह सब को मिल कर निर्णय करना है। मुझे बहुत शुद्ध हिन्दी नही आती है। इसलिए मेरी इच्छा होगी कि सरल हिन्दी हो लेकिन संग-संग जो दूसरे लोग हैं चाहे महाराष्ट्र में हैं, चाहे गुजरात में हैं और चाहे मल्यालम बोलते हैं, उनको दूसरी हिन्दी ज्यादा सरल पड़ती है, जिसमें संस्कृत के शब्द हों। इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। इतने बड़े देश में हम रहते हैं, तो जरा संतुलन बीच में से निकालना चाहिए। यह भी सच है, मुझे याद नही, अभी किसी ने यहां पर कहा था, कि बहुत से दूसरे देश हैं, जो कई ऐसे शब्द अपना रहे हैं, विशेषकर साइंस में, जो चाहे अंग्रेजी से शुरू हुए हों या जर्मन के हों या किसी और भाषा के हों। तो ये शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हो गई हैं, इसलिए इस सोच में हमें बहुत कठोर लकीर नहीं बनानी चाहिए। उसमें यह देखना चाहिए जैसा कि स्वयं

बागड़ी जी ने कहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सब जिलों पर बिल्कुल एक सा उच्चारण नहीं है। हम जहां से आते हैं, वहां एक प्रकार की बोली है लेकिन उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में या बिहार में थोड़ी दूसरे प्रकार की है। अब कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि आहिस्ता-आहिस्ता इसका एक मिश्रण हो और एक ऐसी भाषा बने इसमें से निकले। हिन्दी के पक्ष में हम सब लोग हैं लेकिन संग संग यहां मैंने यह कहा है, दक्षिण में कहा है, और अब फिर यहां कह रही हूं कि यह ठीक नहीं होगा कि हिन्दी या कोई दूसरी भाषा हम किसी के ऊपर थोप दें। यह मैंने जरूर कहा है और इसको मैं दोहरा देती हूं। इस से हमारे दक्षिण के भाई और हमारे पूर्वी हिस्से के भाई, जो सामने बैठे हुए हैं इनको केवल परेशानी ही नहीं होती है बल्कि उनमें एक ऐसा रि-एक्शन भी होता है कि जो थोड़ी बहुत सीखता भी है, उसको भी वे रोक देते हैं। इसलिए हिन्दी के हित में भी यह है कि हम कोशिश करें और लोगों की रूचि इसमें बढ़ाएं कि वे स्वयं इस को सीखें बजाए हमारे जबरदस्ती यह कहने के कि आप को यह सीखनी है। यह हमारी नीति नहीं है। ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सबको तो मैं टाइम नहीं दे सकता। आप को भी टाइम मिलता है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 542 सदस्य जो हैं, उन सब को एक दम टाइम दे दूं। उनको मैं टाइम नहीं दे सकता, बारी-बारी टाइम देता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी प्रधान मंत्री जी ने कहा है, वह महत्वपूर्ण है। यह सच है कि किसी पर हिन्दी थोपी नहीं जायगी। किन्तु आज हो क्या रहा है निश्चय ही संतुलन उन व्यक्तियों के प्रति रखा जा रहा है जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी जानते हैं। उन व्यक्तियों के विरुद्ध भेद भाव बरता जा रहा है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में अच्छी प्रकार निपुण है, ऐसा विशेषकर इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं आती है। क्या सरकार सभी भाषाओं को समानता का दर्जा देने और उन सभी को समान अवसर देने की घोषणा करने के लिए तैयार है ?

ज्ञानी जैल सिंह : स्पीकर साहब, इस में तो गवर्नमेंट की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वह इक्युअल अपौर्चूनिटी सब भाषाओं को सीखने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए देती है और इस में हम पूरा-पूरा यत्न कर रहे हैं बैलेंस रखा जाए और किसी को इस बात के लिए कष्ट न हो, मगर छोटी-छोटी बातों में हम समय नष्ट कर देते हैं जैसे हर एक का प्रोनेन्शियेसन एक भाषा में एक सा नहीं है, एक प्रान्त वाले का दूसरे प्रान्त वाले से प्रोनेन्सियेशन नहीं मिलता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है लेकिन उसमें भी हम यह सोचते हैं कि यह शुद्ध हिन्दी नहीं है, यह अंग्रेजी गलत है और वह गलत हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हर मामले में बिल्कुल एक पुख्ता इरादा रखती है कि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान मिल जाए, मगर किसी भी इलाके को, किसी भी प्रान्त के ऐसे इलाके को, जहां लोगों का हिन्दी सीखना मुश्किल है, उनको हम मजबूर नहीं करना चाहते और उनके जजबात की हम कद्र करते हैं। इसीलिए यह फैसला किया गया है कि जब तक एक भी प्रान्त इस बात को नहीं मानेगा, तब तक हम वहां इसको लागू नहीं करेंगे।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष जी, यह जो हिन्दी के बारे में चल रहा है, मैं देखती हूं कि जितनी भी हमारे पास कार्यवाही जाती है वह सब अंग्रेजी में जाती है। यह निकाला भी गया है कि वह हिन्दी में जानी चाहिए किंतु आज तक हमारे पास कार्यवाही हिन्दी में नहीं गयी है, वह अंग्रेजी में जाती है। जितने भी फट्ट लगे हुए हैं, दुकानों में कार्यालयों में, वे अंग्रेजी में लगे हैं। क्या वे हिन्दी में नहीं लग सकते हैं ? क्या दुकानों और कार्यालयों में फट्ट अंग्रेजी में ही पढ़े जाते हैं, क्या वे हिन्दी में नहीं पढ़े जा सकते हैं ? आप दुकानों पर और कार्यालयों में अंग्रेजी में फट्ट क्यों लगाते हैं जबकि अपनी मातृभाषा हिन्दी हो गयी है ? मैं यह जानना चाहती हूं कि हिन्दी में क्यों नहीं काम चल रहा है ?

ज्ञानी जैल सिंह : मील के पत्थरों पर और दफ्तरों में भी दोनों भाषाओं में बोर्ड लगाये जाते हैं।

वेस्टर्न घाट का विकास

* 724. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्टर्न घाट के विकास हेतु एक दीर्घावधि समेकित योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) (एक) संबंधित राज्यों (दो) केन्द्रीय सरकार, और (तीन) विश्व बैंक की राशि में से इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ;

(घ) क्या परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हुए पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए कोई विशेष उपाय किए जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) सभापटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, और तमिलनाडु के राज्यों तथा गोवा के संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम 1974-75 से चल रहा है और इसका वार्षिक आधार पर अनुमोदन किया जाता है।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना में 20 करोड़ रु० के आवंटन के मुकाबले छठी पंच वर्षीय योजना में 75 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया गया है।

राज्य योजना संसाधनों से इस क्षेत्र को प्राप्त होने वाली धनराशियों के बारे में सूचना

तथा इस क्षेत्र को विश्व बैंक निधि से प्राप्त हो सकने वाली किसी धनराशि की मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नही है क्योंकि पश्चिमी घाट कार्यक्रम के मामले में उप योजना नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस क्षेत्र के लिए छठी योजना की अवधि के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का उद्देश्य, पारिस्थितिकीय पुन:स्थापन और संरक्षण के समग्र महत्व को ध्यान में रखते हुए लाभग्राही-उन्मुख और आधारिक संरचनात्मक विकास कार्यक्रमों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इस बात पर बल दिया गया है कि इन क्षेत्रों में अवस्थित आर्थिक परियोजनाओं में उनकी लागत संरचना में पारिस्थितिकीय पुन:स्थापन की लागत का समावेश होना चाहिए। जीव मंडलीय निचयों, राष्ट्रीय उद्यानों और जीन-मृगवनों की शृंखला के जरिए मूल्यवान वनस्पतियों के पेड़-पौधों के संरक्षण करने का भी विचार है। योजनागत स्कीमों का उद्देश्य अधिक अच्छे भूमि-उपयोग और जल-संभर प्रबन्ध के जरिए भूमि के कटाव पर नियत्रण करना, वन रोपण, वन-चरागाह विकास और वार्षिक फसलों के स्थान पर बारहमाशी झाड़ियां और सीधी ढलानों पर पौध लगाने का भी होगा।

श्री एस० बी० सिदनाल : उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अब सरकार समस्या की गंभीरता को समझने का प्रयास करेगी और विश्व बैंक को सहायता देने के लिए कहेगी। राज्यवार धनराशि के आबटन की जानकारी भी नही दी गई है यद्यपि यह बताया गया है कि छठी योजना में 75 करोड़ रुपये की राशि नियतन किया गया है जबकि पिछली योजना में 20 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। राज्यवार नियतन क्या है और कर्नाटक के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी : जब इस मामले पर मुख्य मंत्रियों की समिति में विचार किया गया था, तो राज्य सरकारों का यह मत था कि विश्व बैंक सहायता से चलने वाली योजनायें केवल राज्य सरकारों द्वारा ही चलायी जायें न कि किसी क्षेत्रीय संगठन द्वारा। योजना के प्रति अधिकांश क्षेत्रों के जो पश्चिमी घाट क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तालुका-वार दृष्टिकोण है। किसी ऐसी क्षेत्रीय योजना बनाने में वह एक कठिनाई है जिसे विश्व बैंक के विचारार्थ उठाया जा सकता है। किन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकार की राय पर उचित ध्यान देना होगा। जहां तक राज्य-वार धनराशि नियतन का संबंध है, उसका पृथक-पृथक ब्यौरा इस प्रकार है : महाराष्ट्र 23.08 करोड़ रुपये, केरल 17.8 करोड़ रुपये कर्नाटक 14.45 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 13.02 करोड़ रुपये, गोआ 3 65 करोड़ रुपये, सर्वेक्षण तथा अध्ययन 3 करोड़ रुपये।

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या विशेष कर पश्चिमी घाट में संचार तथा स्वास्थ्य विकास के लिए किसी राशी का नियतन किया गया गया है, क्योंकि वहां संचार सुविधायें बहुत ही कम हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी : मुख्य मंत्रियों की समिति द्वारा निम्नलिखित विकास प्राथमिकतायें रखी गयी है। तथा उनके बारे में निर्णय किया गया है : (क) बागबानी सहित

कृषि ; (ख) पशुपालन तथा वानिकी (ग) चारागाह विकास तथा पर्यावरण संरक्षण और (घ) परिवहन और संचार । अधिकांश परिवहन तथा संचार विकास राज्य योजना के अन्तर्गत आ जाता है ।

श्री जनार्दन पुजारी : 7 वर्ष पहले पश्चिमी घाटों के जिस योजनाबद्ध विकास के बारे में सोचा गया था तथा उस पर कार्य शुरू किया गया था, उस योजना को अब धीमी गति से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस बड़ी योजना को चलाने के लिए वित्तीय नियतन भी अपर्याप्त है । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पश्चिमी घाटो के विकास के बारे में गम्भीर है और क्या सरकार पश्चिमी घाटों के विकास की योजना बनाने तथा उसे करने हेतु मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने छः वर्षों की अवधि के पश्चात इस समिति की बैठक करने का निमंत्रण दिया था । मुख्य मंत्रियों को इस समिति की बैठक अभी हाल ही में 8 मार्च, 1981 को हुई है । जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है, पश्चिमी घाटों के लिए योजना परिव्यय को 375 प्रतिशत बढ़ा कर 75 करोड़ रुपया कर दिया गया है । इस से पता चलता है कि हम इसके बारे में कितने चिंतित हैं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उत्तर के (क) भाग में बताया गया है कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों तथा गोआ के संघराज्य क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम 1974-75 से चल रहा है और इसका वार्षिक आधार पर अनुमोदन किया जाता है । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि 1974-75 से इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में किन-किन क्षेत्रों को पता लगाया गया है और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा कि मैंने पहले कहा है, गत तीन या चार वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम की ओर गम्भीरता से ध्यान नही दिया गया । अभी हाल ही में हमने इस विशेष कार्यक्रम पर पुनः जोर दिया है । अब हमने हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज और नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन से इस क्षेत्र का विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन कराने तथा 'मैक्रो'- क्षेत्रीय भावी योजना और तालुका स्तर पर कुछ 'माइक्रो' स्तर के नमूने के अध्ययन कराने के लिए कहा है । महाराष्ट्र के कोंकणा क्षेत्र में जल संसाधनों का अध्ययन करने के लिए डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया है । इसी प्रकार हम इस क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं ।

समुद्र से खनिज नाड्यूल का निकाला जाना

* 727. **श्री जगदीश टाईटलर**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के अनुसंधान पोत को हाल ही में समुद्र के तल से खनिज नाड्यूल निकालने की प्रौद्योगिकीय क्षमता प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो समुद्र खनन प्रौद्योगिकी की, जिसका विकास देश में हो रहा है, मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों तथा परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सदन के पटल पर विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०), गोवा, द्वारा अनुसंधान पोत 'गवेषणी' के 36 वें और 87 वें समुद्री पर्यटन के दौरान, हिन्द महासागर से बहुधात्विक नाऊ्यलों के नमूने एकत्रित किये गये।

(ख) सागर-तल पर बहुधात्विक नाड्यूलों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति का, विशेष रूप से थल पर इन धातुओं के सीमित भंडारों के कारण, बहुत महत्व हैं। इसलिये गहरे सागर में पाये जाने वाले नाड्यलों के सर्वेक्षण, अन्वेषण आदि को, सी० एस० आई० आर० सागर विज्ञान में अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र मानता है और उसे अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें एन० आइ० ओ० का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सागर अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अर्जित किये गये पोतों में सागर विज्ञान अनुसंधान पोत भी है जो अन्डरवाटर कैमरे, डीप-सी, इकोसाउंडर ग्रैव, विच कम्पयूटर से युक्त नौसंचालन व्यवस्था जैसे विशेष उपकरणों से लैस किया जायेगा। इस पोत में बहुधात्विक नाड्यूलों के अन्वेषण और खनन की क्षमता होगी। जन शक्ति के प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम चलाया गया है।

हमारे समुद्रविज्ञानियों के उत्कर्ष कार्य के लिये सरकार उनकी सरहाना करती है।

श्री जगदीश टाईटलर : सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है वह बहुत ही अच्छा विवरण है। मैं समुद्री वैज्ञानिकों को, विशेष रूप से सागर तल से ड्रेजिंग कार्य करने वालों को बधाई देता हूँ। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि भारतीय आर्थिक जोन के अन्तर्गत आने वाले सागर तल से विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने आप ही इस स्थिति को देखते हुए कि देश ने इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है, सरकार ने इन नाड्यूलों को निकालने के लिए क्या पग उठाये हैं ? यह समाचार मिला है कि बहु राष्ट्रीय निगम सामुद्रिक नियम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाधा डालते हैं क्योंकि वे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के विरोधी हैं। इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार किया गया है और सरकार अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या उक्त बहु धातुक

नाड्यूलों का खनन एक मात्र रूप से भारतीय आर्थिक क्षेत्र में था। मैं यह बात थोड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यह विशेष स्थान जहां ये बहु धातुक नाड्यूल पाये गये हैं भारतीय क्षेत्र के दक्षिणी अन्तिम छोर पर लगभग 150 मील भूमध्य रेखा के समीप है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इस मामले में बाधा डालने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के प्रश्न के बारे में हमें अधिकारिक रूप से यह नही बताया गया है कि वहु राष्ट्रीय निगम क्या कर रहे हैं। किन्तु मैं सभा तथा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस समय सामुद्रिक नियम के संत धर्मे संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन का सत्र चल रहा है जहां इन मामलों पर विचार किया जा रहा है।

श्री जगदीश टाईटलर : जहां तक बहु राष्ट्रीय निगमों का सम्बन्ध है, 6-4-81 को हिन्दुस्तान टाईम्स ने एक लेख छापा है जिसमें पांच वह राष्ट्रीय निगमों के नाम दिए गए है जो सामुद्रिक नियम संधि पर हस्ताक्षर होने में बाधा डाल रहे हैं। फिर भी मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हू। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार गहन-सागर-तल खनन के लिए विशिष्ट एवं आधुनिकतम उपकरणों को प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना कर रही है और यदि हां तो क्या कलकत्ता स्थित गार्डन रीचवर्कसशापों में 'गवेषणी' जैसे कुछ और पोजों का निर्माण नहीं किया जा सकता और उन्हें बदला नहीं जा सकता मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का इरादा इन खनिज नाड्यूलों को निकालने के लिए निरन्तर खनन को शुरु करने लिए एक भारतीय सहायता संघ बनाने का है।

श्री सी० पी० एन० सिंह : महोदय यह बड़े गौरव की बात है कि 'गवेषणी' पोत का निर्माण पूर्णतया कलकत्ता में किया गया था और इसके लिये कोई विदेशी सहयोग नहीं लिया गया था, परन्तु भविष्य में की जाने वाली खुदाई और समुद्र में नीचे बहुत गहराई तक जाने के लिए एक अत्याधुनिक पोत की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग द्वारा अपेक्षित धन का आबंटन योजना आयोग नहीं कर सका। अतः हमने उदार शर्तों पर ऋण लिया है। और जर्मन गणराज्य ने हमें यह ऋण और कुछ उपकरण दिए हैं और आशा है हमें यह विशिष्ट पोत 1981 तक प्राप्त हो जाएगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या माननीय मंत्री सभा को सूचित करेंगें कि (क) क्या पोलि-मेटोलिक नोड्यूल्स का परीक्षण और विश्लेषण हमारी प्रयोगशालाओं में किया गया है, और यदि हां,

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं और प्रयोगशाला में उसमें कितना मेटेलिक अंश प्राप्त हुआ है, तथा

(ग) इन मेटेलिक अंशों को वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारी सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : आजकल मेटेलिक अंशों का पता नहीं लगाया जाता क्योंकि उनका परीक्षण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की विभिन्न प्रयोगशालाओं में किया जाता है परन्तु समुद्रतल से प्राप्त इसी प्रकार के पोलिमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में हमारे पास,

कुछ सूचना है। इस प्रकार के नोड्यूल्स के अंश लगभग इस प्रकार हैं मेगेनीज 14 से 20%, लोहा 15 से 20% निकल 30% से 65% कोबाल्ट 25% से 1.25% और तांबा 0.6% से 37%। (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि गोआ स्थित प्रयोगशाला के हमारे वैज्ञानिकों ने यह बहुत ही शानदार काम किया है और उसकी तुलना फ्रांस, इंगलैण्ड, जर्मनी, अमेरीका और रूस जैसे अत्यन्त उन्नत देशों के साथ की जा सकती है। किसी विशेष प्रकार के नोड्यूल्स के खनन के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और विशिष्ट उपकरण प्राप्त करने के लिये भारी कार्य करना पड़ता है और इस सबमें समय लगता है। परन्तु हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री ने विज्ञान और प्रोद्योगिकी पर जो बल दिया है उससे हम यह कार्य अधिकांश अन्य देशों से पहले कर सकेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्य के लिए हमें निरन्तर और अबाध रूप से इस कार्य में प्रशिक्षित युवक मिलते रहें ताकि हमें भविष्य में विदेशी कार्मिकों और विदेशी तकनीक पर और अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े, हमारी सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैंने जो पहले कहा है मैं माननीय सदस्य को उसी का स्मरण कराना चाहता हूं कि सम्पूर्ण तकनीकी ज्ञान भारतीय है। 'गवेषणी' पोत पूर्णतया देशी है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि भावी कार्यों के लिए हमारे पास प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों का शानदार दल है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भारतीय धातुकर्म विभाग, एन० आई० ओ०, आई०आई०टी और विश्वविद्यालयों जैसी प्रमुख एजेंसियों से प्रतिनिधि लेकर हमने एक समिति गठित की है जो इस अनुसंधान कार्य से पूर्णतया सहयोजित रहेगी।

श्री जगन्नाथ राव : कारकस में हुए समुद्र विधि सम्मेलन में जिन मद्दों पर चर्चा की गई थी उनमें एक यह भी था कि समुद्रतल के खनिजों का दोहन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण की स्थापना की जाए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विषय में क्या हुआ है और क्या इसके गठन, अधिकारों और वित्तीय पक्ष के बारे में निर्णय ले लिया गया है। चूंकि निर्णय अभी नहीं हुआ है तो क्या कोई सदस्य राष्ट्र पूर्णतया अपने देश के आर्थिक क्षेत्र में पड़ने वाले समुद्रतल में दोहन का कार्य नहीं कर सकता ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैंने जैसा कि पहले कहा है समुद्र विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अभी चल रहा है। परन्तु मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक भारत का संबंध है हमारा अपना सागर क्षेत्र हैं, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, तथा 1976 की अन्य समुद्री सीमाए है। संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में इस बात पर सहमति हो

गई है कि लगभग 200 मील की विशिष्ट आर्थिक सीमा होनी चाहिए जिसमें वहां के तटीय स्थलों पर उस देश को सभी प्रकार के दोहन और प्रबन्ध के सर्वप्रभुत्तासम्पन्न अधिकार होंगे।

नमक पर लगे उपकर का समाप्त किया जाना

*728. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक पर लगे उपकर को राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार को कितने राजस्व की हानि होगी ;

(ख) इस समय नमक-उपकर से प्राप्त राजस्व में राज्य सरकारों का हिस्सा कितना है ; और

(ग) क्या नमक पर लगे उपकर को पूर्णत: समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) नमक पर लगे उपकर को राज्य सरकारों को सौंप देने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) नमक उद्योग की समस्याओं की संवीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा 1978 में गठित की गई नमक जांच समिति ने हाल ही में नमक उपकर लगाने के संबंध में सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय अध्यक्ष जी मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नमक पर कर के बारे में आजादी की लड़ाई के जमाने में महात्मा गांधी ने नमक कर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और आज हम नमक पर कर ले रहे हैं, भले ही थोड़ा हो। तो यह कहां तक सही है इस पर सरकार को फैसला करना चाहिये और जल्दी से जल्दी करना चाहिये। और जब तक कोई फैसला न हो तब तक जिन राज्यों में नमक पैदा होता है उन राज्यों को नमक पर लगे कर में से कुछ हिस्सा आप देना चाहते हैं कि नहीं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : उपकर और कर में अन्तर होता है। उपकर सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। नमक पर उपकर लगाने का उद्देश्य नमक के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और इसका विकास करना है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि नमक उपकर का उपयोग नमक उपकर अधिनियम, 1953 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं (1) नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना (आप इस बात से सहमत होंगे कि महात्मा गांधी ने इस उद्देश्य के लिए कभी किसी प्रकार के कर का विरोध नहीं किया); (2) केन्द्रीय सरकार के

नमक संगठन के संबन्ध में किए गए व्यय की पूर्ति करना (3) केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा नमक के उत्पादन, संभरण और वितरण के सम्बन्ध में उठाए गए उपायों की लागत की पूर्ति करना ; (4) अन्य अभिकरणों द्वारा नमक के उत्पादन, संभरण और वितरण का विनियमन और नियन्त्रण करना तथा अनुसंधान केन्द्रों और आदर्श नमक कार्यों की स्थापना और रखरखाव करना (5) नमक फैक्ट्रियों की स्थापना, रखरखाव और विस्तार करना ; तथा (6) नमक की श्रेणियों का निर्धारण करना तथा उत्पादकों में सहकारिता की भावनाओं को प्रोत्साहन देना। नमक उपकर के माध्यम से एकत्र होने वाली धनराशि से ये प्रोत्साहन और विकास कार्य किए जाते हैं।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, हमारे गुजरात में बड़ी मात्रा में नमक पैदा होता है। मंत्री जी ने कहा कि उपकर का उपयोग गुजरात में कुछ नहीं होता। नमक उद्योग के अन्दर जो मजदूर काम करते हैं वह बड़ी मेहनत करते हैं फिर भी उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता जिसके कारक उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता है। तो उसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है यह भी आप बतायें ?

साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसकी क्या सिफारिशें हैं, और क्या उन सिफारिशों को आप सभा पटल पर रखेंगे कि नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : जहां तक साल्ट इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बात है जवाब में भी यह कहा गया है कि "यह विचाराधीन है प्रतिवेदन पर विचार हो जाने के पश्चात् और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के बाद इसे सभापटल पर रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक प्रोत्साहन कार्यों का संबंध है, माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि यह कार्य केवल नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता। प्रोत्साह कार्यों में यह केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा क्षेत्रीय और स्थानीय सलाहकार समितियों से जहयोग करता है। वे समय-समय पर नमक की विकास और प्रोत्साहन परियोजनाओं पर उपकर से एकत्रित होने वाली राशि के व्यय के परिणाम की पुनरीक्षा करते हैं।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : नमक उपकर से अब तक कितनी आमदनी हुई है, खास-तौर से गुजरात में कितना उपकर मिला है और इसका इस्तेमाल कौन-कौन सी चीज पर किया गया है और कितनी जमा राशि अब तक पड़ी हुई है ?

श्री चरणजीत चानना : राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को एकत्रित कुल राशि बता सकता हूं। वर्ष 1977-78 में एकत्रित कुल राशि 1,51,81,8,78.54 रुपए थी, 1978-79 में यह राशि 1,61,22,859.22 रुपए थी और वर्ष 1979-80 में 1,66,64,033.56 रुपए थी।

जहां तक व्यय का संबंध है, वर्गीकरण दोगुना हो गया है और इसमें महत्वपूर्ण विकास संबन्धी कार्य है जिसमें अनुरक्षण कार्य भी सम्मिलित है। वर्ष 1977-78 में यह राशि 31,43,889

रुपए थी और 1978-79 में यह 47,97,609 रुपए थी और 1979-80 में यह राशि 47,27,877 रुपए थी।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा बंधुआ मजदूरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

* 730. **श्री बी० एन० गाडगिल**
श्री बी० आर० नहाटा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा 1978 में बंधुआ मजदूरों के मामले में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में विदेशी नागरिक भी शामिल थे ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य में कितने विदेशी नागरिकों ने भाग लिया और उनकी नागरिकता क्या थी; और

(ग) क्या यह सच है कि इन विदेशी नागरिकों ने फिल्म बनाने के उद्देश्य से पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े ही नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों को अत्याधुनिक फोटो उपकरणों के साथ दौरा किया था ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम जर्मनी के तीन नागरिक सर्वेक्षण में काम कर रहे थे।

(ग) गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जिन पहाड़ियों के बारे में सर्वेक्षण किए जाने की जानकारी प्राप्त है, उनमें स्थित नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई दौरा नहीं किया गया। तथापि इस संबंध में और सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री बी० एन० गाडगिल : महोदय, वास्तव में मैंने यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा था, परन्तु मैं नहीं जानता कि इसे श्रम मंत्रालय को कैसे हस्तांतरित कर दिया गया।

समाचार-पत्रों से यह प्रतीत होता है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान सभी प्रकार की सन्देहास्पद गतिविधियों का केन्द्र बन गया है। अतः कई प्रकार के संस्थान बन रहे हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस छोटी सी परियोजना के लिए आठ लाख से अधिक धनराशि दी गई है। इस संबंध में एकत्रित आंकड़े क्या हैं और नाम तथा उद्देश्य क्या है ? मेरी सूचना के अनुसार इसमें तीन जर्मन अन्तर्ग्रस्त है। क्या सरकार ने उनके पूर्ववृत्त की जांच की है। इन जर्मनों के नाम हैं श्री अरनल्ट लोरेन्ट्ज, श्री इरमेल मारला और श्री माइकेल वेटजेल। ये तीन जर्मन यहां क्यों आए थे और आंकड़ों के एकत्रीकरण सहित सभी बातों की जांच क्यों की थी ? क्या सरकार ने उनके पूर्व वृत्त की जांच की थी।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सरकार पश्चिम जर्मनी के इन तीन नागरिकों के पूर्व वृत्त की जांच कर रही है। यह मामला गृह मंत्रालय में है और वे इसकी जांच कर रहे हैं।

जहां तक इस सर्वेक्षण के लिए धन-व्यवस्था का संबन्ध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सर्वेक्षण, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा किया गया था और इस सर्वेक्षण के लिए धन राशि जर्मनी के इवानगेलिकल चर्च की संस्था 'ब्रेड फार

वर्ल्ड' ने दी थी। और इस प्रकार सरकार ने इस पर कोई व्यय नहीं किया सिवाय इसके कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अपने कार्मिकों पर 11,795 रुपए व्यय किए थे जिसके लिए गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में सहायता ली थी।

श्री बी० एन० गाडगिल : महोदय, गृह मंत्री उपस्थित हैं। मेरी सूचना के अनुसार अनुसंधान के नाम पर सेना छावनी क्षेत्रों के सिनेमा मालिकों और प्रबन्धकों के नाम भी एकत्रित किए जाते हैं। अत: मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की झूठे अनुसंधान कार्य के बारे में क्या कोई जांच की गई थी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ओर संकेत किया है उसकी हम जांच करेंगे कुछ जांच पहले की जा चुकी है और आगे और जांच करने के लिए मामला विचाराधीन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि गांधी पीस फाउन्डेशन ने जो सर्वे किया है, उससे यह पता लगा है कि देश में अभी बन्धुआ मजदूरों की तादाद 23 लाख हैं ?

एक माननीय सदस्य : 26 लाख से ज्यादा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार ने इस सर्वे के परिणामों को देखा है और उन बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति की जा रही है ? इसका बड़ा अभियान शुरू किया गया था, क्या उस अभियान का यही परिणाम निकला है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 10 स्टेशनों में 1000 गांव का सर्वे किया गया था और उसके अनुसार 26.17 लाख बौंडेड लेबर थे जिसमें 66 परसेंट बौंडेड लेबर शिड्यल्ड कास्ट्स के थे और 18.3 परसेंट शिड्यल्ड ट्राइब्ज के थे।

हमारे फिगर्ज स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा दी गई इनफर्मेशन पर बेस्ड हैं। यह एक्ट 1976 में आपरेशन में आया था। तब से हम लोगों ने 1,20,971 बांडिड लेबरर्ज को फ्री किया है और उनमें से 1,03,707 पर्सन्ज को रीहेबिलिटेट किया है। लेबर मिनिस्टर ने कल डिमांड्ज पर डिसकशन का जो रेप्लाई दिया, शायद माननीय सदस्य ने उसको सुना नहीं। अभी 17,264 बांडिड लेबरर्ज को रीहैबिलिटेट करना है। हमने सब स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि 1982 के अन्त तक सभी बांडिड लेबरर्ज को फ्री कर के रीहैबिलिटेट कर दिया जाये। इसके लिए बजट में 3.25 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल"

* 725. **श्री के० मलन्ना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के महत्वपूर्ण "पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल" (पी० एस० एल० वी०) के 1986-87 छोड़े जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी तैयारी के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। वर्तमान योजना के अनुसार 1986-87 तक पी० एस० एल० वी० का विकास किया जाना है।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्राप्त की गई ठोस तथा द्रव नोदन प्रणालियों के साथ-साथ अन्य प्रमोचक राकेट प्रणालियों में विविध प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का विकास किया जायेगा। राकेट संरूपण को अनुकूलतम बनाने के लिये विविध अध्ययन किये गये हैं। अन्तिम संरूपण में, एक ठोस प्रणोदक वर्धक, द्रव इंजिन वाला द्वितीय खंड और उच्च निष्पादन वाली ठोस मोटरों सहित ऊपरी खंडों के होने की संभावना है। विविध तकनीकी अध्ययन तथा अभिकल्प प्रगति कर रहे हैं। पी० एस० एल० वी० परियोजना को हाल ही में औपचारिक रूप में आयोजित किया गया है, तथा विविध प्रारंभिक गतिविधियाँ चालू हो गई हैं।

दीर्घकाल तक चलने वाली गतिविधियों पर कार्य काफी पहले ही प्रारंभ किया गया था। उदाहरण के लिये, आवश्यक द्रव प्रणोदकों के उत्पादन के लिये 1979 और 1980 में भारतीय उद्योगों के साथ करारों को अन्तिम रूप दिया गया। ठोस प्रणोदक उत्पादन सुविधाओं का संवर्धन 1980 में प्रारंभ हुआ। पी० एस० एल० वी० के लिये आवश्यक ठोस मोटर स्थैतिक जाँच सुविधाओं की स्थापना के लिये इस वर्ष के शुरू में कार्य प्रारंभ हो गया। विविध जाँच सुविधाओं की स्थापना के लिये स्थलों का चयन कर लिया गया है। भारतीय प्रमोचक राकेटों, विशेषकर पी० एस० एल० वी० के लिये भावी भारतीय प्रमोचक राकेटों की हार्डवेयर संविरचन संबंधी आवश्यकताओं से अपने-आपको प्रवगत कराने के लिये पिछले वर्ष आयोजित किये गये तकनीकी सैमिनार में अनुसंधान तथा विकास संगठनों और भारतीय इंजीनियरी तथा संविरचन उद्योगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

क्रीम, लोशन पाउडर आदि के ऊंचे मूल्य

*726. **श्री एच० एन० गौडा**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जानसन्स एण्ड जानसन्स द्वारा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके द्वारा उत्पादित अनेक क्रीम, लोशन, पाउडर आदि के मूल्य काफी ज्यादा हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक मद का बिक्री मूल्य क्या है ;

(घ) इसके उत्पादों का इतना ऊंचा मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन उत्पादों के मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मेसर्स जानसन एण्ड जानसन लिमिटेड बम्बई की उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं में दिखाई गई उत्पादन और बिक्री की वस्तुओं को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) से (ङ) सरकार ने ऐसी गैर-जरूरी शृंगार सामग्री के लिए कोई मूल्य नियंत्रण लागू नहीं किया है । अत: उनके मूल्यों पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है । इसके अलावा, ऐसी वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लागू करने का सरकार का कोई विचार भी नहीं है ।

विवरण

(1) प्रेशर संसिटिव एडेसिव टेप्स

(2) स्युटुअर तथा सजर्नो के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं

(क) स्युटुअर,

(ख) आईलेस नीडल्ड स्युटुअर

(ग) ब्रेडेड स्युटुअर

(ध) स्टरलाइजिंग फल्यूड

(ङ) गाज तथा पहियां (बैन्डेजज)

(3) आर्थो फार्मास्युटिकल कारपोरेशन प्रोडक्ट्स एण्ड लुब्रिकेटिंग जल ।

(4) जानसन का बेबी प्रोडक्ट्स

(5) जानसनस प्रिक्ली हीट प्राडक्ट्स

(6) टूथबुश

(7) आर्थोपिडिक प्लास्टर आफ पेरिस बैंडेजेज

(8) सेनिटरी प्रोटेक्शन प्राडक्ट्स

(9) सर्जिकल पाउडर

(10) क्लार एढ़ेसिव टेप

(11) काटन बड्स ।

रक्षा सेवाओं में पदोन्नति हेतु परीक्षा

*729. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रक्षा सेवाओं में पदोन्नति हेतु परीक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) क्या अन्य सेवाओं जैसे आई० ए० एस०/आई० एफ० एस० आदि में पदोन्नति लिए इस प्रकार की परीक्षायें नहीं होती, यदि हाँ, तो रक्षा सेवाओं के मामले में इस भेदभा के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है तथा इस मामले में विशेष समिति की क्या सिफारिश है ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों में सशस्त्र सेना कार्मिकों के विचार जानने के लिए सरकार कोई दल/समिति है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अफसरों के व्यावसायिक ज्ञान का विका सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं से अफसरों को यु और शान्ति के समय कार्य-निष्पादन में उच्च स्तर प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इ परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य नहीं है ।

(ख) सिविल सेवाओं के लिए भी अनिवार्य परीक्षायें हैं ।

(ग) यद्यपि सशस्त्र सेनाओं में परीक्षाओं को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं तथापि वायुसेना में परीक्षाओं के वर्तमान प्रचलित तरीके में सुधार लाने के प्रश्न पर एक समि विचार कर रही है। इन्हीं उद्देश्य के लिए थलसेना में एक परीक्षा अनुसंधान और सुधार से गठित किया गया है ।

(घ) सशस्त्र सेनाओं के अफसरों से उनके व्यवसाय से संबन्धित मामलों पर हमे परामर्श किया जाता है। सभी संबंधित मामलों की सावधानी से और बारीकी से अध्यय करने के बाद ही सरकार निर्णय लेती है ।

तीसरा चीनी मजूरी बोर्ड

*731. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के लिए दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का गठन कब किया गया था और उस चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा अपना प्रतिवेदन सरकार को किस तारीख को दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश में चीनी श्रमिकों में तीसरे चीनी मजूरी बोर्ड व नियुक्ति जो काफी समय से अपेक्षित है के प्रश्न पर सरकार की उदासीनता के लिए गंभी असंतोष व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार तीसरे चीनी बोर्ड की नियुक्ति कब करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) चीनी उद्योग के लिए दूसरा केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड 16 नवम्बर, 1965 को नियुक्त हुआ था और उक्त मजदूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट 18 फरवरी, 1970 को पेश की, जिसे सरकार ने 7 जुलाई 1970 को स्वीकार कर लिया।

(ख) सरकार को आल इंडिया फेडरेशन आफ शुगर वर्क्स के उपाध्यक्ष से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिनमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि दूसरे मजदूरी बोर्ड के बाद केन्द्रीय सरकार ने एक दशक से भी अधिक अवधि से चीनी श्रमिकों की मजदूरी दरों में संशोधन नहीं किया है, सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि चीनी श्रमिकों की संघर्ष समिति ने चीनी उद्योग के श्रमिकों की अत्यावश्यक मांग के समर्थन में देश भर में चीनी श्रमिकों का एक भारी "हस्ताक्षर अभियान" चलाने का तथा राज्यों की राजधानियों में धरने का आयोजित करने का निर्णय लिया है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बंगलौर हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूरों को परेशान किया जाना

*732. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर की सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों में 77 दिन पुरानी हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हड़ताल के फलस्वरूप किसी को परेशान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस को समाप्त किया जायेगा तथा इस हड़ताल के कारण उत्पन्न होने वाले मामले को हल करने के लिए पुनः वार्ता शुरू की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तंग करने संबंधी कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। समझौता वार्ताओं को पुनः शुद्ध करने का प्रश्न सम्बन्धित पक्षों पर छोड़ दिया गया है।

शहडोल, मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

*733. **श्री दलबीर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुसंख्यक जिले शहडोल को किस आधार पर औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिला घोषित किया गया है ; और

(ख) क्या उपरोक्त कारणों से उस क्षेत्र में छोटे उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है तथा वहां बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला मानने के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड से मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले को उन्नत पाया गया है अत: इस जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला नहीं माना गया है ।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र, शाहडोल से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जिले में नए औद्योगिक एककों की स्थापना की जा रही है । वर्ष 1979-80 में कारीगर एककों सहित 251 इकाइयां स्थापित की गई हैं । अप्रैल, 1980 से फरवरी, 1981 (जून, 1980 को छोड़कर) तक 246 इकाइयां स्थापित की गई थी ।

सीमेंट का उत्पादन

* 734. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ऐसे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया है जो इस्पात संयंत्रों में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग कर सकें ;

(ख) क्या सीमेंट निर्माण की ऐसी परियोजनाओं को वास्तव में कार्यान्वित किया जा चुका है ;

(ग) वर्ष 1978, 1979 और 1980 में सभी साधनों से सीमेंट का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(घ) वर्ष 1981 और 1982 में सीमेंट का कितना उत्पादन होगा ; और

(ङ) सीमेंट के निर्माण के लिए वास्तव में कौन से संयंत्र लगाये जा रहे हैं उनकी क्षमता कितनी होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1978-1979 तथा 1980 में सभी किस्मों की सीमेंट का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था :—

वर्ष	सीमेंट का उत्पादन (दस लाख मी० टनों में)
1978	19.62
1979	18.30
1980	17.90

(घ) वर्ष 1981 तथा 1982 में सीमेंट का अनुमानित उत्पादन संभावित अतिरिक्त क्षमता के कार्यान्वयन को ध्यान में रखने के बाद तथा इस उद्योग के लिए अपनाए गए क्षमता के उपयोग के मानदंडों के आधार पर क्रमशः 23 तथा 273.0 लाख मी० टन होने की संभावना है।

(ङ) उन एककों, जिनकी क्षमताएं छठी पंचवर्षीय अवधि में कार्यान्वित होने की संभावना है, जैसा कि सीमेंट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है, के नामों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मिलियन टनों में)

एकक का नाम	क्षमता
1. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नीमच	0.40
2. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, अकलतरा	0.40
3. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, येरागुन्तला	0.40
4. यू० पी० सीमेंट कारपोरेशन डल्ला/चुनार (विस्तार-I)	0 84
5. जे० एण्ड के० मिनरल लि०, खिरू	0.20
6. यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन डल्ला/चुनार (विस्तार-511)	0.84
7. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि०	0.26
8. केरल इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	0.42
9. हीरा सीमेंट लि०	0.13
10. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, आदिलाबाद	0.40
11. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, तेन्दूर	1.00
12. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, राऊरकेला	2.00
13. कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०, चीतापुर	0.40
14. गैहर सीमेंट (विस्तार-I)	0.40
15. उदयपुर सीमेंट वर्क्स लि०	0.20
16. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०, जामुल	0.30
17. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०, चन्दा	0.16
18. केशोराम सीमेंट लि०	0.20
19. गैहर सीमेंट (विस्तार 511)	0.40

1	2
20. मंगलम सीमेंट लि०	0.40
21. के० सी० पी० लिमिटेड (माचरेला)	0.09
22. डालमिया सीमेंट (भारत) लि०	1.07
23. नर्मदा सीमेंट्स लि०	1 00
24. कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स, लि०	0.13
25. सेन्चुरी सीमेंट्स लि०, तिलडा	0.20
26. रांसी सीमेंट लि०	0.30
27. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०, वाडी	1.00
28. ओरिएन्ट पेपर मिल्स लि०	0.90
29. सतना सीमेंट वर्क्स	0.80
30. मैसूर सीमेंट्स लि०	0.40
31. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०, सागल	0.56
32. टेक्समास लि०	0.40
33. रेमण्ड वूलन मिल्स लि०	0.40
34. पण्यम सीमेंट लि०	0.40
35. केशोराम सीमेंट लि०	0.40
36. आन्ध्रा सीमेंट लि०	0.25
37. लाइसन एण्ड ट्रो लि०	1.10
38. सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, वरुड़पुर	1.00
39. श्री दिग्विजय सीमेंट लि० व्यावर	1.20
40. मोदी रबर लि०, भाटपाड़ा	0.90
41. कोरमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	0.90
42. इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	0.54
योग :	22.69

हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अमरीका की घोषणा

*735. श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीकी सरकार ने हिन्द महासागर में अपनी नौसेना शक्ति को मजबूत करने के लिए हाल ही में अपनी पंचवर्षीय योजना घोषित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत की रक्षा पंक्ति को पुनर्गठित करने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुराने पड़ गये ब्रिटिश तरीकों और उपकरणों को त्यागने और भारत की सुरक्षा को और अधिक लाभप्रद और परिणाम उन्मुख पद्धति पर तैयार करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में छपा इस आशय का समाचार देखा है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्द महासागर में अपनी नौसेना शक्ति बढ़ाने की हाल में एक पंचवर्षीय योजना घोषित की है ।

(ख) भारत के सुरक्षा परिवेश की सतत् समीक्षा की जाती है और हर समय पर्याप्त रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाए जाते हैं ।

(ग) हम अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप संगठनात्मक दृष्टि से और संक्रियात्मक दृष्टि से अपनी ही संकल्पनाओं का अधिकाधिक विकास कर रहे हैं ।

निर्यातोन्मुख एककों के लिए लाइसेंस

*736. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में 100 निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने के लिए बोर्ड की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) इसके मुख्य तथ्य क्या हैं ; और

(घ) अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनका निपटान कब तक कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13-1-1981 के भाग 2 खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) में अधिसूचित की गई थी ।

(घ) 31-3-1981 तक 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन मामलों को निपटाने के लिए निर्धारित समय सीमा एम० आर० टी० पी० मामलों में 60 दिन और एम० आर० टी० पी० इतर मामलों में 30 दिन है ।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

* 737. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के प्रधान (वित्त) और महाप्रबन्धक (कार्मिक) द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच का मामला विचाराधीन है और इनके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्राथमिक जाँच का प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16 और 17 के द्वारा दर्ज की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस जाँच का क्या परिणाम रहा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की दिल्ली शाखा ने आरम्भिक जाँच के लिए भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० (बी० एच० ई० एल०) के श्री के० एन० खन्ना मुख्य (वित्त) तथा श्री जी० सरन, महाप्रबंधक (कार्मिक) के विरुद्ध दो मामले दर्ज किये थे जिनमें उन पर अपने सम्बन्धियों को बी० एच० ई० एल० में नियुक्त करने तथा उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त कराने में अपने सरकारी पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। श्री के० एन० खन्ना के विरुद्ध जाँच पूरी हो चुकी है तथा मामला समाप्त हो गया है क्योंकि मामले की जाँच करने के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस निर्णय पर पहुंचा कि श्री खन्ना ने सरकारी पद का कोई दुरुपयोग नहीं किया था। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने श्री जी० सरन के विरुद्ध जाँच अभी पूरी नहीं की है।

सीमेंट के छोटे संयंत्र

* 738. **श्री राजेश पाइलट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में सीमेंट के उत्पादन और वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) छोटे संयंत्रों के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं ; और

(ग) हाल ही में सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में कितना योगदान दिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1979-80 और 1981-81 के दौरान सीमेंट का उत्पादन और प्रेषण सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए मिलने वाले प्रोत्साहनों की घोषणा 14 जनवरी, 1979 के प्रेस टिप्पण में कर दी गई है।

(ग) सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना में वर्टिकल शाफ्ट किल्न प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की है।

विवरण

वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टनों में)	प्रेषण
1979-80	175.86	189.70
1980-81 (28.2.1981 तक) (अनन्तिम)	167.22	181.62

आदिवासियों तथा हरिजनों को योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों का अध्ययन

* 739. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन/अध्ययन किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में आरम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं से हरिजनों तथा आदिवासियों को क्या वास्तविक तथा स्थायी लाभ प्राप्त हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार हरिजनों और आदिवासियों के लाभ के लिए प्रत्यक्षत: परियोजनाएं/योजनाएं शुरु नहीं करती और वह सिर्फ ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं को आरंभ करने में आर्थिक सहायता देती है । ये राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं ।

विभिन्न एजेन्सियों ने हरिजनों और आदिवासियों के लाभ के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन अध्ययन किये हैं ।

महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों जैसे (1) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग 1960-61 (2) जनजाति विकास कार्यक्रम संबंधी अध्ययन दल, 1969 और (3) अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों का आर्थिक तथा शैक्षिक विकास संबंधी समिति 1969 से कई बार मूल्यांकन अध्ययन किये हैं । जन जाति अनुसंधान संस्थाएं भी योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है । सामान्यत: इन योजनाओं से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ होता है ।

रोजगार मूलक कार्यक्रम के लिए गुजरात सरकार को अनुदान

*740. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1980 तक की अवधि में गुजरात सरकार को रोजगार मूलक कार्यक्रम के लिए कुल कितना अनुदान किया गया है और उसमें से प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) गुजरात में रोजगार मूलक कार्यक्रम के अंतर्गत कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गुजरात में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उस पर कितना व्यय होगा ?

योनजा तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राज्य को केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजना के लिए सामान्य ऋणों और सामान्य अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी विशेष क्षेत्रक या परियोजना या स्कीम से संबंधित नहीं होती। कुल योजना सहायता का 30 प्रतिशत अनुदान होता है। पिछले चार वर्षों में गुजरात सरकार को राज्य योजना के लिए वास्तव में दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नलिखित है :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	केन्द्रीय सहायता
1977-78	69.43
1978-79	73.37
1979-80	95.87
1980-81 (आबंटन)	106.14

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1980-81 में 396.90 लाख रु० का नकद भत्ता आबंटित किया गया था। इसके अलावा काम के लिए अनाज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न भी आवंटित किया गया था। खाद्यान्न के आवंटन निम्नलिखित थे :—

1977-78	—
1978-79	500000 लाख टन
1979-80	505410 लाख टन
1980-81	266958 लाख टन

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना अभी प्राप्त होनी है।

नौसेना अकादमियां

*741. **श्री जेवियर अराकल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत नौसेना अकादमियां कितनी हैं और वार्षिक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन नौसेना अकादमियों में सुविधाओं का विस्तार करने का है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल में कोचीन स्थित नौसेना अकादमी को स्थानान्तरित किया जाना है ; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नौसेना अकादमी एक है और इसमें हर वर्ष औसतन लगभग 350 अफसरों को प्रशिक्षण किया जाता है ।

(ख) इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) और (घ) नौसेना अकादमी अभी कोचीन में अस्थाई आवास में स्थित है । कोचीन में जगह की बहुत कमी है । यह अकादमी ठीक ढंग से काम करे और इसकी भावी जरूरतों को पूरी करने के लिए अकादमी को किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

सीमेंट उद्योगों के बारे में अध्ययन

*742. **श्री आर० पी० गायकवाड़**
श्री कृष्ण कुमार गोयल } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सीमेंट उद्योग के बारे में हाल ही में किये गये इस आशय के अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि सीमेंट उत्पादन की क्षमता बढ़ाने तथा पुराने पड़ चुके संयंत्रों के बदले नये संयंत्र लगाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) क्या उक्त अध्ययन में सीमेंट के किफायती मूल्यों का भी जिक्र किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) जी, हां, । बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से ऐसी स्थिति का पता चलता है ।

(ख) से (घ) सीमेंट उद्योग की पुनः स्थापना आधुनिकीकरण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन में लाभ की पूर्व अनुमानित दर के साथ-साथ लाभप्रद मूल्य की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। सीमेंट उद्योग संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा सीमेंट का संधारण मूल्य निर्धारित किया गया है जिसमें निवेश पर उचित लाभ तथा उद्योग के आधुनिकीकरण और पुनस्थापना की आवश्यकता सम्मिलित है। सरकार ने सीमेंट उद्योग के विकास की समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक सीमिति का गठन किया है तथा प्रोत्साहनों और उचित मूल्यों सहित इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिये कुछ उपाय करने की सिफारिश की है।

देश के समुद्री तट की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का विस्तार

*621. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा सूचित किया गया है कि देश के समुद्री तट की तथा तट-दूर समुद्री सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना को समक्ष बनाने हेतु इसका शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश के समुद्री संसाधनों को विदेशी शक्तियों द्वारा लूटा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा नौसेना का विस्तार करने तथा भारतीय समुद्री संसाधनों के लूटे जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार देश की समुद्री परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का संतुलित विकास करने की जरूरत समझती है। इसके अलावा एक तट रक्षक संगठन की स्थापना भी की गई है।

(ख) हमारी तेल और खनिज परिसंपत्तियों को दोहने के लिए हमारे आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा किसी तरह के अतिक्रमण किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन, अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं के बारे में सरकार बहुत चिंतित है।

(ग) सरकार ने नौसेना तथा तट रक्षक संगठन के विकास के लिए छोटी तथा लम्बी अवधि की योजनाएँ तैयार कर ली हैं ताकि हमारे समुद्री हितों की सुरक्षा की जा सके और बाहरी खतरों से हमारी समुद्री संपदा की रक्षा की जा सके।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

*618. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ सीमेंट कारखाने स्थापित करने के बजाय देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सीमेंट उद्योग के तकनीकी अधिकारियों, सरकारी नीति बनाने वालों के साथ 23 दिसम्बर, 1980 को उच्चस्तरीय बातचीत की थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने अपनी सीमेंट सम्बन्धी नीति पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त की घोषणा कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(च) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (च) लघु सीमेंट संयंत्रों को अनेक प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी स्थापना को बढ़ावा देने सम्बन्धी सरकार की नीति सरकार के दिनांक 4 जनवरी, 1979 के प्रेस नोट में दी गई है । यह नीति लागू है और इसी नीति के अनुसरण में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 44.50 लाख मी० टन की क्षमता स्वीकृतियां दी गई हैं । जहां तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) का सम्बन्ध है, उन्होंने लघु सीमेंट संयंत्र परियोजनाओं के वित्त पोषण में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के लिए 23 दिसम्बर, 1980 को एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया । इस बैठक में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए आई०डी०बी०आई० गुणावगुण के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए इन मामलों पर कार्यवाही कर रहा है ।

दिल्ली नगर निगम के चीफ एकाउन्टेन्ट की म्यूनिसिपल चीफ आडिटर के रूप में नियुक्ति

6771. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के चीफ एकाउन्टेंट को म्युनिसिपल चीफ आडिटर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या निगम ने म्युनिसिपल चीफ आडिटर और उसके कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और सतर्कता विभाग के समग्र नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में रखा है ;

(ग) क्या यह म्युनिसिपल निधि के लेखा परीक्षण की स्वतन्त्रता और म्युनिसिपल आडिटरों के कार्यकरण को प्रभावित नहीं करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसने म्युनिसिपल चीफ आडिटर के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी की सिफारिश करने के लिए नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से अनुरोध किया था। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने एक अधिकारी की सिफारिश की जो उस व्यक्ति जिसे निगम के चीफ एकाउन्टेन्ट के रूप में कार्य कर रहा था से क्रम में कनिष्ठ पाया गया था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके चीफ एकाउन्टेन्ट के पद पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए निगम द्वारा निर्णय लिया गया था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके चीफ एकाउन्टेन्ट के पद के वर्तमान पदधारी को म्युनिसिपल चीफ आडिटर के रूप में नियुक्त करने का भी निर्णय किया गया था। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने भी दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 89 की उप-धारा 2 के तहत उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन म्युनिसिपल चीफ आडिटर की नियुक्ति को अनुमोदित किया था।

म्यूनिसिपल चीफ एकाउन्टेन्ट और म्युनिसिपल सचिव को सतर्कता आवरण उपलब्ध कराने के विचार से जिसके पास अब तक कोई सतर्कता आवरण नहीं था -- उनको प्रदत्त निगम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त ने म्युनिसिपल चीफ, आडिटर और म्युनिसिपल सचिव के साथ कार्यरत म्युनिसिपल कर्मचारियों को सतर्कता निदेशालय के क्षेत्राधिकार तक बढ़ा दिया है। यह लोक हित में है कि निगम के ये दो विभाग सतर्कता आवरण से वंचित न रहें और सम्भव भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। सतर्कता निदेशालय द्वारा तैयार की गई जाँच रिपोर्ट जैसा भी मामला हो म्युनिसिपल चीफ आडिटर अथवा म्युनिसिपल सचिव को हर हालत में प्रस्तुत की जाएगी जो अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सम्बन्धित अनुशासनात्मक प्राधिकारी का बना रहता है। निगम के अनुसार नगर निगम के इन विभागों पर सतर्कता आवरणों को विस्तारित करने के उपाय पूर्णरूप से प्रशासनिक है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी सीखने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि

6772. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी सीखने में प्रमाण पत्र को पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को छात्रवृत्तियां तथा अग्रिम वेतन वृद्धि दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस बारे में अन्य क्षेत्रीय भाषाएं सीखने के लिए भी प्रोत्साहन देने हेतु वहां सुविधाएं अर्थात अग्रिम वेतन वृद्धियां, आदि देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, सरकार निर्धारित

हिन्दी परीक्षा पास करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करती है। तथापि छात्रवृत्ति दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोरबा में विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने वाले संयंत्र की स्थापना

6773. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा में विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने वाले संयंत्र की स्थापना कब और किसके सहयोग से की गई थी और उसमें कितना निवेश किया गया है तथा इसमें कितने व्यक्ति लगे हुए हैं;

(ख) इस संयंत्र का वार्षिक उत्पादन क्या है तथा क्या मार्च, 1980 तक चालू होने वाले दूसरे संयंत्र को चालू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मे० इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि० ने मे० आइरिको केमिकल्स, यू० एस० ए० के सहयोग से मार्च, 1978 में कोरबा में अपने प्रथम संयंत्र की स्थापना की थी। संयंत्र के चालू होने के समय कुल 130.08 लाख रुपये की पूंजी का निवेश किया गया था। पिछले तीन वर्षों में इस एकक का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टनों में)
1978-79	2,166
1979-80	5,523
1980-81	3,801

दूसरा संयंत्र निर्धारित समय के अनुसार मार्च, 1980 में चालू हुआ था। कोरबा के दोनों संयंत्रों में 28-2-1981 को कुल 249 व्यक्ति सेवा नियोजित थे।

प्रमुख इन्जीनियर के कार्यालय में पदोन्नति के लिए आरक्षण नियम

6774. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख इंजीनियर के कार्यालय में सहायक इंजीनियर और कार्यालय अधीक्षक के पदों को भरने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय दलित कर्मचारी दल, पुणे और अनेक संसद सदस्यों द्वारा यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) आरोप यह थे कि अनुसूचित जाति और और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट ई०/एम० ग्रेड-I में से सहायक इंजीनियर के लिए और उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों में से कार्यालय सुपरिन्टेन्डेन्ट ग्रेड-II के लिए विचार नहीं किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कर्मचारी पहले पैनल में थे उन्हें आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के आदेश जारी होने तक उन पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया।

(घ) जांच करने के बाद देखा गया कि इस तरह की शिकायत का कोई आधार नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में संगत आदेशों का अनुपालन किया गया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के जो कर्मचारी पैनल में थे उन्हें पदोन्नत किया गया।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्यों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की सहायता

6775. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने गत एक वर्ष के दौरान अपने-अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की सहायता मांगी है;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा, राज्यवार, लिये गये प्रत्येक बल की संख्या कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान: त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य सरकारों ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1-1-1980 से 31-12-80 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की सहायता प्राप्त की।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित राज्य सरकारों से प्राप्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की सहायता की मांग इन बलों की उपलब्धता के अनुसार और अलग-अलग अवधि के लिए समय समय पर पूरी की गई।

(ग) 1-1-1980 से 31-12-80 तक की अवधि के लिए इस हेतु इन राज्य सरकारों से वसूल की जाने वाली अनुमानित राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

1-1-1980 से 31-12-1980 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की यूनिटों की तैनाती के कारण प्रत्येक राज्य द्वारा अनुमानित राशि का

राज्यवार विवरण

	राज्य	राशि
1.	असम	72,82,600
2.	बिहार	13,87,200
3.	गुजरात	8,48,950
4.	हरियाणा	4,950
5.	जम्मू और कश्मीर	1,44,000
6.	हिमाचल प्रदेश	20,900
7.	कर्नाटक	2,12,300
8.	मध्य प्रदेश	40,600
9.	महाराष्ट्र	86,600
10.	मेघालय	6,71,600
11.	उड़ीसा	1,36,500
12.	राजस्थान	15,58,400
13.	त्रिपुरा	31,23,500
14.	उत्तर प्रदेश	30,56,850
15.	तमिलनाडु	54,000
16.	पश्चिम बंगाल	5,66,500
17.	केरल	11,000

दहेज केज कारण हुई मौतें

6776. श्री डी० पी० जदेजा
श्री रशीद मसूद
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दहेज के कारण होने वाली मौतों में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में, राज्यवार, 1980 के दौरान तथा जनवरी-मार्च, 1981 में, महीने वार, दहेज के कारण कितनी मौतें हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दहेज निषिध्य अधिनियम 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और इस समय यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

कर्नाटक को सीमेंट की सप्लाई

6777. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के लिए अधिक सीमेंट के आबंटन हेतु केन्द्र को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसके विपरीत पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्षवार कितना सीमेंट आबंटित किया गया और उसको कितना वास्तविक रूप से सप्लाई किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी हां । कर्नाटक सरकार ने अनुरोध किया है कि तिमाही आबंटन को 2.08 लाख मी० टन से बढ़ाकर 3.25 लाख मी० टन कर दिया जाए । कर्नाटक सहित देश भर में सीमेंट की सामान्य कमी है । विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमता के लिए स्वीकृति देकर तथा सीमेंट का आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है । देश में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार हो जाने के बाद ही कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के आबंटन में वृद्धि कर पाना सम्भव हो सकेगा ।

(ग) पिछले 5 वर्षों में कर्नाटक राज्य को आबंटित तथा भेजी गई सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

मात्रा (1000 मी० टनों में)

वर्ष	आबंटन	मात्रा
1976	980.0	874 3
1977	969.3	815.6
1978	1142.6	1003.1
1979	1232.1	1009.1
1980	1025.7	949.9

परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए यूरेनियम अयस्क का इस्तेमाल

6778. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु इस्तेमाल करने के लिए गत एक वर्ष में यूरेनियम अयस्क में ईंधन तैयार करने की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) हमारे देश में यूरेनियम अयस्क के निक्षेपों का ब्यौरा क्या है और देश में इसकी मांग को पूरा करने के लिए इसका विकास करने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) यद्यपि पिछले एक वर्ष में कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं, तथापि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाले गए और संसाधित प्राकृतिक यूरेनियम से विद्युत रिएक्टरों के लिए ईंधन तैयार करता रहा है।

(ख) इस समय, यूरेनियम के ऐसे भंडारों में, जिनकी जानकारी मिल चुकी है तथा जिनमें विद्यमान खनिज की मात्रा का अनुमान लगाया जा चुका है, यूरेनियम आक्साइड के रूप में 67,343 टन यूरेनियम मौजूद है। देश को यूरेनियम के मामले में आत्म-निर्भर बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने एक तीन सूत्री कार्यक्रम हाथ में ले रखा है। यह कार्यक्रम है— (i) जिन स्थानों में यूरेनियम मिलने की आशा है, वहां अधस्तलीय जांच तेजी से करना, (ii) समन्वेषण के प्रयास में और भी वृद्धि करना और (iii) यंत्रीकरण एवं विश्लेषण की सुविधाओं को और मजबूत बनाना।

हरियाणा रोजगार दफ्तरों में क्लर्क के पदों के लिए पंजीकरण

6779. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में रोजगार दफ्तरों में क्लर्कों के पदों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको गत दो वर्षों में, वर्ष-वार, रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) उनको रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष 1979 तथा 1980 में हरियाणा में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से लिपिक संबंधी कार्य चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 5036 तथा 7348 थी।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.21 लाख व्यक्तियों को अस्थायी रोजगार तथा 1.18 लाख व्यक्तियों को नियमित रोजगार मुहैया किया जाएगा इसमें "लिपिक संबंधी कार्य" चाहने वाले व्यक्ति भी शामिल होंगे। स्वः रोजगार पर भी जोर दिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल को सीमेंट की सप्लाई

6780. **मोहम्मद इस्माइल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष-वार किसने सीमेंट की मांग की और उसकी कितनी मात्रा मंजूर की गई और वास्तव में कितनी सप्लाई की गई ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : राज्य सरकारों को सीमेंट की मांगों को एकत्र नहीं किया जाता है । किन्तु, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि उनकी प्रति तिमाही आवश्यकता 5 लाख मी० टन सीमेंट की होगी । पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को किये गये सीमेंट के आवंटन और प्रेषण निम्न प्रकार था :—

(हजार मी० टनों में)

वर्ष	आवंटन	प्रेषण
1978	1318.0	1062.1
1979	1419.5	1106.4
1980	1195.6	1051.4

दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों पर भविष्य-निधि योजनाओं को लागु न किया जाना

6781. **श्री अनादि चरण दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि अधिनियम में ऐसे नियोक्ताओं पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिन पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया ;

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों पर अपने कार्य प्रभारित और श्रमिकों को बाइस वर्ष से भी अधिक से भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत न लाने के लिए क्या जुर्माना किया गया है ;

(ग) क्या दण्डकारण्य परियोजना में कार्य प्रभारित कर्मचारी और उनके मजदूर संघ श्रमिकों पर भविष्य निधि योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पेराग्राफ 76 (घ) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा (14) (ख) में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को दण्ड देने की व्यवस्था है, जो किसी उपबन्ध का, जिसमें भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पात्र कर्मचारियों को लाभ न

देने से संबंधित उपबन्ध भी शामिल है, उल्लंघन करता (ते) हैं या अनुपालन करने में दोषी रहता (ते) हैं।

(ख) से (घ) जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है, दंडकारण्य विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकलाप शरणार्थियों का पुनर्वास करना है और इस तरह यह किसी अनुसूचित शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आता है, जिसे इस समय कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है। तथापि, अम्बाजु के प्रोजेक्ट की केन्द्रीय वर्कशाप को मई, 1966 से अनुसूचित शीर्षक "आटोमोबाइल सर्विसिंग एण्ड रिपेयरिंग" के अन्तर्गत लाया गया है। प्रतिष्ठान ने प्रारम्भ में अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद खड़ा किया, परन्तु इसने वर्कशाप के वर्कचार्जेड कर्मचारियों के संबंध में नवम्बर, 1970 से अनुपालन प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा ने 5/66 से 10/70 की अवधि के लिये देय राशियों का निर्धारण करने हेतु अधिनियम की धारा 7 के अधीन नोटिस जारी किए। प्रतिष्ठान ने 3/67 से 10/70 तक की अवधि के लिये अंशदान में नियोजकों के हिस्से को जमा कराया है और उन्होंने 5/66 से 2/67 की अवधि के रिकार्ड न होने के कारण उक्त अवधि के संबंध में देय राशियों का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट की है।

प्रतिष्ठान ने 5/66 से 2/67 तक नियोजकों के हिस्से और 5/66 से 10/70 तक कर्मचारियों के हिस्से को जमा कराने के आग्रह का त्याग करने का अनुरोध भी किया है, क्योंकि कर्मचारियों के अंशदान की उनकी मजदूरियों से कोई कटौती नहीं की गई थी। उनके अनुरोध पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विचार कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन में सम्पत्ति/मकान करों के बिलों का पुनरीक्षण

6782. **श्री हरिकेश बहादुर**
श्री राम विलास पासवान } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली निगर निगम, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली के दक्षिण जोन में किराए पर उठाई गई सम्पत्तियों के संबंध में विगत वर्षों के बकाया बिलों और वर्ष 1980-81 के लिए सम्पत्ति/मकान करों के भुगतान से संबंधित तमाम बिल सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मानक किराए के आधार पर पुनरीक्षित किए गए हैं और भुगतान के लिए उन्हें करदाताओं के पास भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों की संख्या और ब्यौरा क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनको सम्पत्तियों के मूल्यांकन में संशोधन के लिए करदाताओं द्वारा दायर की गई वर्ष 1980-81 के लिए 494 सामान्य आपत्तियों पर निगम द्वारा विचार किया गया था। किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की

धारा 6 के अधीन मानक किराए के आधार पर पुनः मूल्यांकन के अनुरोधों पर विचार किया गया था और निगम को स्वीकार्य नहीं पाये गये थे क्योंकि करदाता निर्माण को उचित लागत की कुल राशि और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 6 (2) (ख) में यथा उपबंधित निर्माण शुरु किए जाने की तारीख पर गृह परिसर में समाविष्ट भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में दस्तावेजों साक्ष्य पेश करने में असफल रहे। तदनुसार मूल्यांकन दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 9 में यथा उपबंधित के अनुसार किए गए थे। बस्तियों वार सम्पत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० में 2330.81)।

प्रवीण एण्ड कम्पनी, एम० पी० ट्रेडिंग कं० आदि बम्बई की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6783. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या प्रवीण एण्ड कम्पनी, एम० पी० ट्रेडिंग कम्पनी, एस० पी० पी० एण्ड कम्पनी जे० आई० बिल्डर्स, 148/162 करेता क्रास लेन, बम्बई को अभी भी कर्मचारी भविष्य निधि की बहुत बड़ी राशि जमा करानी है।

(ख) यदि हां, तो इसमें से प्रत्येक कम्पनी की ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) यदि ये कम्पनियां उक्त राशि जमा नहीं कराती हैं, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने सूचित किया है कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए पते पर ऐसी कम्पनियां नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाराद्वीप लैम्प वर्क्स लिमिटेड, पटना की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6784. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच हैं कि बिहार में पटना सिटी में पारादीप लैम्प वर्क्स लिमिटेड, बागमपुर में पाँच सौ से अधिक ऐसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनके वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान काटा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह राशि कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराई जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी के मालिकों की ओर इस मद में लाखों रुपये से भी अधिक की राशि बकाया है ;

(घ) यदि हां, तो यह राशि वसूल करने और इसे भविष्य निधि खाते में जमा कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) दोषी मालिकों को किस प्रकार का दंड दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है ।

(क) मैसर्स पाराद्वीप लैम्प वर्क्स में 463 कर्मचारी हैं, जिनमें से 467 भविष्य निधि के सदस्य हैं और उनके वेतनों से से भविष्य निधि के अंशदान काटे जाते हैं ।

(ख) इस प्रतिष्ठान के नियोजक ने मार्च, 1977 से फरवरी, 1981 की अवधि के लिए नियोजक अंशदान और जनवरी, 1981 तथा फरवरी, 1981 के लिये कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं कराया है ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा अंशदानों के ब्यौरे, जो नियोजक के पास बकाया हैं, नीचे दिए गए हैं ।

अवधि

निम्नलिखित के संबंध में बकाया राशि

	कर्मचारी भविष्य निधि	परिवार पेंशन निधि	कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा निधि
	(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)
3/77 से 2/81 तक नियोजक का हिस्सा	415332.75	42708.00	16186.50
1/81 से 2/81 तक कर्मचारियों का हिस्सा	2924.25	1474.27	—

(घ) मई, 1980 तक वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और 6.80 से 12.80 तक की अवधि के लिए मांग नोटिस जारी किए गए हैं । 3/77 से 2/80 की अवधि के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले दायर किए गए है । 3/80 से 6/80 की अवधि के संबंध में अभियोजन मामलों को दायर करने के लिए मंजूरी दी गई है । अनुवर्ती अवधि के दौरान किए गए अपराधों के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है । तथापि 1/81 से 2/81 की

बकाया राशि के संबंध में, अधिनियम की धारा 7 क के अधीन जाँच 24-4-81 को निर्धारित की गई है, जिसके पूरा हो जाने के बाद, आगे कानूनी और दांडिक कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) चूंकि अभियोजन मामले आपराधिक न्यायालयों में विचार के लिए लंबित पड़े हैं। अतः दंड देने का प्रश्न नहीं उठता है। न्यायालय द्वारा दिए जा सकने वाले दंड के अतिरिक्त, नियोजक को अधिनियम की धारा 14-ख के अधीन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित ऐसी दरों पर हर्जानों का भी भुगतान करना होगा।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग-एक की चयन सूची का जारी किया जाना

6785. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग-एक की चयन सूचियां किन-किन तारीखों को जारी की गई थीं ;

(ख) वर्ष 1979 के लिए चयन सूची के कितने अधिकारियों को अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ग) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हैं ; और

(घ) वर्ष 1979 की सूची के अधिकारियों की अभी तक पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि काफी कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) क्रमशः 27-6-1980 और 22-12-1980।

(ख) वर्ष 1979 के ग्रेड-I की प्रवर सूची के उन सभी अधिकारियों को अब पदोन्नति के लिए विचार कर दिया गया है जो तैनाती के लिए उपलब्ध थे।

(ग) 12 अनुसूचित जाति के।

(घ) पैरा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में वायु सेना भर्ती कार्यालय के लिये मांग

6786. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में वायुसेना के लिये भर्ती कार्यालय खोलने की मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग किस संभावित तारीख तक स्वीकार की जायेगी और कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा, विशेषकर जबकि हिमाचल प्रदेश के "युवकों" को राज्य में

ऐसा भर्ती कार्यालय न होने के कारण भारतीय वायुसेना में भर्ती के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक नीति की सूची-I में रंग-रोगन उद्योग को शामिल किया जाना

6787. **श्री एन० ई० होरो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंग-रोगन (पेन्ट) उद्योग ने मांग की है कि उसे हाल ही के औद्योगिक नीति विवरण की सूची-I में शामिल किया जाना चाहिए जिससे मौजूदा इकाइयों को 5 प्रतिशत की सामान्य स्वतः विकास करने की अनुमति हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रालयों का दौरा करने वाले सम्पर्क अधिकारियों के ब्रीफ-केसों की आकस्मिक जांच

6788. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के एक कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज की जानकारी प्रकट किये जाने की हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कुछ निवारक उपाय करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों में यह देखने के लिए कि वे कोई सरकारी दस्तावेज नहीं ले जा रहे हों कुछ स्तर तक के कर्मचारियों तथा शास्त्री भवन, उद्योग भवन, नार्थ ब्लाक जहां महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं, जैसे कुछ भवनों में आने वाले सम्पर्क अधिकारियों/कान्टेक्टमैनों के ब्रीफकेसों की आकस्मिक जांच कराने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़त[illegible] आवश्यकतानुसार आगे निवारक कार-वाई की जायगी।

(ग) और (घ) सुरक्षा क्षेत्र से [illegible]र निकलते समय, संदेह की स्थिति में उसके सामान की तालाशी लेने [illegible] सुरक्षा अनुदेश, 1976 में पहले ही व्यवस्था है।

परमाणु के क्षेत्र में पाकिस्तान को लीबिया से सहायता

6789. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लीबिया ने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने योग्य बनाने के लिये "नाइजर यूरेनियम येलोकेक" की खेपें पाकिस्तान को अन्तरित कर दी हैं ;

(ख) क्या लीबिया ने पाकिस्तान की परियोजना का वित्तपोषण भी किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस विषय में सरकार के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। लीबिया और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का आणविक सहयोग होने के बारे में तथा इस संबंध में पाकिस्तान के प्रयासों के लिए लीबिया द्वारा धन दिये जाने के बारे में दोनों देशों की सरकारों ने इन्कार किया है।

(ग) भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली हर घटना पर कड़ी नजर रखी जाती है।

निर्यात प्रयोजन के लिये नये एकक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

6790. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को शतप्रतिशत निर्यात प्रयोजन तथा भारतीय बाजारों के लिये इलैक्ट्रानिक्स तथा अन्य उद्योगों के विस्तार कार्यक्रमों अथवा नये एकक-स्थापित करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हैं ;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे ये प्रस्ताव प्राप्त हुए है ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार का निर्णय क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां, । 100 प्रतिशत निर्यात पर उद्योग के लिए इस योजना के अंतर्गत 31.3.1981 तक 42 आवेदन पत्र प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा आवेदन पत्रों पर निर्णय किए जाने तक इनका ब्योरा नहीं बताया जाता। इसके बाद, इन्हें भारतीय निवेश केन्द्र के "मन्थली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमितरूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण।

6791. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्डों पर दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर ही मूल्य सूचकांक की गणना करके ही सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए विचार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में मिलने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को इनमें से निकाले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य सूचकांक की गणना के लिए सभी वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को भी लेखे जोखे में लेने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) उपभोग पैटर्न का पता लगाने के लिए आयोजित की गई 1958-59 की श्रमजीवी वर्ग परिवार बजट ब्रांच में उपभोग व्यय की जिन महत्वपूर्ण मदों की शिनाख्त की गई थी, उन सब मदों को श्रम ब्यूरों द्वारा संकलित किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [आधार 1960-100] की संगणना करते समय ध्यान में रखा जाता है। इन सूचकांक का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को विनियमित करने के लिए किया जाता है। उक्त मदों तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल इन मदों के प्रतिशतता भार की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। सूचकांक की गणना करने के लिए, सांविधिक राशनिंग क्षेत्रों को छोड़ कर, उचित मूल्य दुकानों और खूले बाजारों दोनों में प्रचलित मूल्यों के भारित औसत को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आधार 1960-100 पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मदों तथा उनके प्रतिशतता भार

(दो दशमलव बिन्दु तक)

क्रम सं०	मद	भार
(1)	(2)	(3)
1-क	खाद्य वर्ग	
	(क) अनाज तथा अनाज की वस्तुएं	
1.	चावल	18.16
2.	धान	0.23
3.	गेहूं	4.31
4.	गेहूं का आटा	1.98
5.	जोवार	1.28
6.	ग्राम	0.25
7.	बाजरा	0.51
8.	जौ	0.20
9.	मक्का	0.11

1	2	3
10.	मिश्रित अनाज	0.03
11.	रागी	0.34
12.	टेपियोका	0.16
13.	चावल की वस्तुएं	0.23
14.	सतु	0.00
15.	रावा (सूजी)	0.03
16.	ब्रैड	0.05
17.	पिसाई दरें	0.25
	जोड़ अनाज तथा अनाज की वस्तुएं	28.62
	(ख) दाल तथा दाल की वस्तुएं	
1.	अरहर दाल	2.13
2.	ग्राम दाल	0.40
3.	मूंग दाल	0.42
4.	मसूर दाल	0.37
5.	उर्द दाल	0.27
6.	मटर दाल	0.01
7.	खेसरी दाल	0.01
8.	पीस	0.02
9.	बेसन	0.02
10.	मटी कोलई	0.02
	जोड़ दाल और दाल की वस्तुएं	3.67
	(ग) तेल तथा चिकनाइयां	
1.	नारियल का तेल	0.15

(1)	(2)	(3)
2.	मूंगफली का तेल	0.98
3.	गिंगिली का तेल	0.25
4.	सरसों का तेल	1.29
5.	हाइड्रोजैनिटड तेल / वनस्पति	0.33
6.	करादं तेल	0.03
	(या अन्य कोई वेजिटेबल तेल)	0.12
7.	अलसी का तेल	0.12
	जोड़ तेल और चिकनाई	3.20
	(घ) मीट मछली तथा अण्डे	
1.	मीटामटन	2.14
2.	मीट (भैंस)	0.04
3.	बीफ	0.16
4.	पोर्क	0.03
5.	पोल्ट्री	0.03
6.	मछली (ताजा)	1.40
7.	मछली (सूखी)	0.14
8.	अण्डे (मुर्गी / बतख)	0.15
	जोड़ मीट, मछली और अण्डे	4.09
	(ङ) दुग्ध तथा दुग्ध के वस्तुएं	
1.	दुग्ध	4.08
2.	दही	0.23
3.	घी	1.26
4.	मक्खन	0.04
5.	पाउडर का दूध	0.00
	जोड़ दूध और दूध की वस्तुएं	5.61

(1) (2)	(3)
(च) मसाले	
1. नमक	0.26
2. हल्दी	0.24
3. मिर्च (हरी)	0.23
4. मिर्च (सूखी)	1.06
5. इमली	0.19
6. प्याज	0.69
7. लहसुन	0.13
8. धनियां	0.17
9. नारियल	0.04
10. जिंगर	0.01
11. पीपर काली मिर्च	0.04
12. मेथी	0.00
13. सरसों	0.01
14. जीरा	0.11
15. क्लोव (लौंग)	0.01
16. इलाइची	0.00
17. गरम मसाला (मिश्रित मसाले)	0.08
18. अन्य मसाले	0.00
जोड़ मसाले	3.27
(छ) सब्जियां और फल	
जोड़ सब्जियां और फल	4.59
(ज) अन्य खाद्य	
1. चीनी	1.95
2. गुड़	0.70
3. चाय की पतियां	0.79

1	2	3
4.	काफी पाउडर	0.20
5.	मील्स	0.85
6.	स्नेक-नमक वाला	0.83
7.	स्नेक स्वीट	0.44
8.	गरम चाय	1.93
9.	गरम काफी	0.14
10.	ठण्डा पेय	0.02
	जोड़ अन्य खाद्य	7.87
	जोड़ खाद्य वर्ग	60.92
	(ज) पान, सुपारी, तम्बाकू तथा मादक वर्ग	
1.	पान की पत्तियां	0.35
2.	तैयार पान	0.57
3.	सुपारी	0.54
4.	कथा	0.03
5.	बीड़ी	1.37
6.	सिगरेट	0.36
7.	नसवार	0.01
8.	चबाने का तम्बाकू	0.43
9.	पीने की तम्बाकू	0.17
10.	ताड़ी	0.17
11.	देशी शराब	0.76
12.	परिशोधित शराब	0.01
13.	गांजा	0.00
	जोड़ पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक वर्ग।	4.79

(1)	(2)	(3)
2.	ईंधन और प्रकाश वर्ग	
	1. लकड़ी	3.04
	2. कोयला	0.53
	3. लकड़ी का कोयला	0.25
	4. उपले	0.16
	5. बुरादा	0.00
	6. मिट्टी का तेल	1.12
	7. बिजली दर	0.19
	8. माचिस	0.45
	9. बिजली का बल्ब	0.00
	जोड़ ईंधन और प्रकाश वर्ग	5.77
3.	आवास वर्ग	
	कुल आवास वर्ग	6.26
4.	वस्त्र, बिस्तर और बूट वर्ग	
	1. धोती	1.19
	2. साड़ी	2.18
	3, पाजामें का कपड़ा	0.38
	4. कमीज का कपड़ा	1.62
	5. कोट का कपड़ा	0.05
	6. ब्लाउज का कपड़ा	0.01
	7. तैयार ब्लाउज	0.12
	8. लम्बा कपड़ा	0.53
	9. मलमल	0.06
	10. मारकीन	0.42
	11. अन्य कपड़ा	0.34
	12. चिन्तज	0.13
	13. साटिन	0.00

1	2	3
14.	लूंगी	0.05
15.	तोलिया	0.01
16.	फ्राक का कपड़ा	0.07
17.	तैयार फ्राक	0.02
18.	तैयार कमीज	0.30
19.	गमचा	0.03
20.	नीकर	0.02
21.	पैंट	0.03
22.	बनियान	0.03
23.	बुशर्ट	0.04
24.	गंजी बनियान	0.06
25.	चादर	0.13
26.	बैड कवर	0.00
27.	तकिया	0.00
28.	कम्बल	0.05
29.	मच्छरदानी	0.00
30.	जूते	0.41
31.	सैण्डल	0.02
32.	चपल	0.24
	जोड़ वस्त्र, बिस्तर और बूट वर्ग	8.54
5.	**मिश्रित वर्ग**	
(क)	**डाक्टरी देखभाल**	
1.	डाक्टर की फीस	0.43
2.	दवाई	1.49
3.	कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम	0.89
	जोड़ डाक्टरी देखभाल	2.81

1	2	3
(ख)	**शिक्षा मनोरंजन और दिल बहलाव**	
	1. स्कूल फी	0.61
	2. स्कूल बुक	0.32
	3. स्टेशनरी	0.04
	4. न्यूज पेपर	0.06
	5. पत्र-पत्रिकाएं	0.00
	6. सिनेमा शो	0.96
	7. होस्टल चार्ज	0.01
	8. खिलौने	0.00
	जोड़ शिक्षा, मनोरंजन और दिल बहलाव	2.90
(ग)	**परिवहन तथा संचार**	
	1. रेलवे फेयर (भाड़ा)	0.84
	2. बस-भाड़ा	1.02
	3. ट्राम भाड़ा	0.02
	4. डाक-टिकट	0.14
	5. साइकिल टायर मरम्मत	0.08
	6. रिक्सा चार्जेज	0.02
	जोड़ परिवहन और संचार	2.12
(घ)	**वैयक्तिक देखरेख और सामान**	
	1. बालों का तेल	1.07
	2. नाई का खर्चा	1.05
	3. सोपनेट	0.01
	4. नहाने का साबुन	0.53
	5. दांत पाउडर	0.03
	6. टूथ पेस्ट	0.06
	7. कंघी	0.00

1	2	3
8.	ब्लेड	0.00
9.	जेवर (शीशा)	0.08
10.	जेवर (चांदी)	0.00
11.	घड़ी	0.06
12.	फाउण्टेनमेन	0100
13.	केश पाउडर	0.02
14.	स्नो क्रीम	0.00
15.	छत्री	0.08
	जोड़ व्यक्तिक देखरेख और सामान	2.99
(ङ)	अन्य	
1.	चारपाई	0.14
2.	दरियां	0 01
3.	चटाई	0.08
4.	ट्रंक	0.01
5.	सूट केस	0.00
6.	बर्तन मिट्टी	0.07
7.	बर्तन अल्युमीनियम	0.07
8.	बर्तन पीतल	0.26
9.	बर्तन तांबा	0.02
10.	बर्तन लोहा (तवा)	0.01
11.	बर्तन-वैलमेटल	0.03
12.	बर्तन-एनामेल बाल्टी	0.00
13.	बाल्टी	0.01
14.	शीशे का सामान	0.00
15.	वाललेम्प	0,00
16.	लैण्टर्न	0.00
17.	झाड़ू	0.00
18.	लाख	0,00

1	2	3
19.	वाशिंग सोप	0.41
20.	वाशिंग सोडा	0.04
21.	लांड्री चार्ज	0.39
22.	धोबी चार्जेज	0.37
23.	टेलरिंग चार्जेज	0.86
24.	बूट पालिश	0.02
25.	जोड़—अन्य	3.80
	जोड़—मिश्रित वर्ग	13.72
	कुल जोड़	100.00

बेतुल को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला माना जाना

6792. **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी और हरिजन बहुत जिला बेतुल को उद्योगों के लिए प्रोत्साहन से वंचित रखा जा रहा है और विकास के लिए धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है क्योंकि इसको पिछड़े जिले के लिये आवश्यक दर्जा अभी दिया जाना बाकी है ;

(ख) बेतुल को पिछड़े जिले का दर्जा न दिए जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बेतुल जिले के स्थान पर देवास जिले को पिछड़ा जिला स्वीकार कर लिया गया था ; और

(घ) बेतुल को पिछड़ा जिला स्वीकार कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनमें क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के बेतुल तथा देवास जिले को पहले ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला स्वीकार किया गया है तथा ये जिले सांविधिक ऋणदाता संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के पात्र हैं। देवास जिले के देवास तथा टोंक खंड केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश राजसहायता प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस को राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित करना

6793. **श्री सूरजभान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्रोतों द्वारा निरन्तर यह मांग की जा रही है कि डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस को सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजपत्रित छुट्टी घोषित की जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) क्या आगामी 14 अप्रैल को स्वर्गीय डा० अम्बेडकर के प्रति सम्मान के रूप में राजपत्रित छुट्टी घोषित करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) महात्मा गांधी के अलावा, किसी भी राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस को केन्द्रीय सरकार की एक नियमित सरकारी सार्वजनिक छुट्टी के रूप में नहीं मनाया जा रहा है। सरकार ने इस संदर्भ में मामले पर विचार किया है और यह सम्भव नहीं हो पाया है कि 14 अप्रैल की छुट्टी घोहित की जाए ।

राज्यों द्वारा अखबारी कागज के संयंत्रों की स्थापना

6794. **श्री एन० डेविस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने राज्यों में अखबारी कागज संयंत्रो की स्थापना की है ; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए ली गई विदेशी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) कर्नाटक सरकार का मैसूर पेपर मिल्स लि० नामक उपक्रम 75,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक अखबारी कागज परियोजना की स्थापना कर रहा है । इस फर्म ने एक विदेशी सिंडीकेट से 350 लाख अमरीकी डालर का एक यूरोडालर ऋण लिया है । यह विदेशी ऋण कुल परियोजना लागत के लगभग 20 प्रतिशत की राशि का है और 3 1/2 वर्षों की प्रारम्भिक मोहलत के बाद शुरू हो कर 8 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में लौटाया जाएगा । अखबारी कागज तथा कागज का उत्पादन करने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर लि०, जो तमिलनाडु सरकार का एक उपक्रम है, को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए ऋण सहायता देने पर विचार कर रहा है ।

बस्तर, मध्य प्रदेश में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना

6795. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम का विचार बस्तर (मध्य प्रदेश) में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना का ब्योरा क्या है, इस पर कितनी लागत आयेगी और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) उक्त कारखाना कब तक स्थापित कर दिये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) निगम की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में इस प्रकार की किसी परियोजना की परिकल्पना नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड का बंद होना

6796. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा**
श्री एच० एन० गौडा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड को कुप्रबन्ध आदि के कारण हाल ही में बंद कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कंपनी के बन्द किये जाने के कारणों की कोई जाँच की है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कंपनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मं० डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी के बारे में बताया गया है कि वह 19 मार्च, 1980 से बन्द पड़ी है ।

(ख) और (ग) हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि फैक्टरी के प्रबन्धकों ने फैक्टरी को बन्द करने के कारण बताते हुए फैक्टरी बन्द किए जाने के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया था, इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, शिवानी की अदालत में कम्पनी के संचालकों के विरुद्ध एक अभियोग दायर किया गया है ।

किसान रैली में लगाई गई पुलिस गाड़ियां

6797. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 फरवरी, 1981 को दिल्ली तथा नई दिल्ली में आयोजित हुई कांग्रेस (इ) किसान रैली के लिये कुल कितनी संख्या पुलिस कर्मी तथा पुलिस की गाड़ियाँ तथा कारें लगाई गई थीं ; और

(ख) इस संबंध में कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) रैलों के लिए विधि और व्यवस्था का प्रबन्ध करने के लिए तैनात किया गया कुल पुलिस बल यहां दिया गया है ।—

1. स्थानीय पुलिस

निरीक्षक	यू/एस एस	हैड-कांस्टेबल	कांस्टेबल
214	1255	1515	4564

2. स्थानीय बल : दिल्ली सशस्त्र बल :

25 कम्पनी और एक प्लाटून

3. बाहरी बल

78 कम्पनी और एक प्लाटून

4. होमगार्ड

2415

इस प्रयोजन के लिए 576 वाहनों का प्रयोग किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्व-नियोजन योजना के अधीन टाटा की ट्रक चेसिसों का आवंटन

6798. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने शिक्षित बेरोजगारों ने भारत सरकार स्व-नियोजन योजना के अधीन पिछले 2 वर्षों में टाटा की ट्रक चेसिसों के आवंटन हेतु आवेदनपत्र दिये और उनमें से कितनों को ट्रक चेसियों का वस्तुतः आवंटन किया गया है ;

(ख) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कंपनी ने इनमें से कितने आवेदनपत्र रद्द कर दिये और इस प्रकार रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) शिक्षित स्व-नियोजन के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति परिभाषा क्या है ;

(घ) दिल्ली में कितने आदिवासियों ने टाटा ट्रक चेसियों के लिए आवेदन दिये और कितने आदिवासियों को, वर्ष-वार, ट्रक चेसिसें आवंटित की गई है ; और

(ङ) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कुल कितने आवेदनपत्रों पर ट्रक चेसिसें मंजूर की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सरकार ने जिन विशेष वर्गों के व्यक्तियों को वाणिज्यिक गाड़ियों देने के लिए प्राथमिकता प्रदान करने के बारे में निर्माताओं से अनुरोध किया है उनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं। मे० टेल्को ने बताया है कि उन्होंने जून, 1979 तथा फरवरी, 1981 की अवधि में विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को 214 गाड़ियां दी हैं। कम्पनी ने बताया है कि वह प्राप्त होने वाले आवेदनों या शिक्षित बेरोजगार, आदि जाति जैसे वर्गों के आवेदकों आवंटित किये वाहनों का ब्योरा नहीं रखती है।

"गाइड लाइन" में उल्लिखित 'शिक्षित बेरोजगार' वर्ग में वे आवेदक आते हैं जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक है और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। आवेदक जिनके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस तथा जिनकी शैक्षिक योग्यता "मिडिल पास" है वे भी इस श्रेणी में आते हैं।

आयुध विभाग और एम० पी० एफ० अंबरनाथ में अपनी सामान्य अवधि से अधिक ठहरने वाले अधिकारी

6800. **श्री बया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अकिकारियों की संख्या कितनी है जो आयुध विभाग और एम० पी० एफ०, अंबरनाथ में तीन वर्ष की अपनी सामान्य अवधि से अधिक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनके कुछ अधिकारी कच्चे माल/भंडार के स्थानीय क्रय में लगे हुए हैं ;

(ग) इनमें कितने अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों को अन्य आयुध कारखानों में स्थानान्तरित किया गया था परन्तु स्थानान्तरण आदेश कभी भी कार्यान्वित नहीं हुए ;

(घ) इन तबादलों को न करने के क्या कारण थे ; और

(ङ) यदि ये आदेश अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं, तो क्या इन्हें अब कार्यान्वित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इन कारखानों में स्थानांतरण के लिए तीन वर्ष की कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं है। फिर भी; इन दो कारखानों में जो राजपत्रित/अराजपत्रित अफसर तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी
मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ	13	268
आर्डनेंस फैक्टरी, अम्बरनाथ	13	184

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) एक राजपपत्रित अधिकारी के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे लेकिन उन अधिकारी की वहीं किसी काम के लिए जरूरत होने के कारण स्थानांतरण आदेश स्थगित कर दिए गए थे। यह अधिकारी सामान की खरीद के काम से संबंधित नहीं है।

(ङ) जी हां ।

मोहन मीकिन्स प्राइवेट लिमिटेड की मदवार लाइसेंस प्राप्त क्षमता

6801. **श्री नवल किशोर शर्मा** । क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहन मीकिन्स प्राइवेट लिमिटेड की, मदवार, लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है;

(ख) इस समय, मदवार, कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक मद का लाइसेंस प्राप्त क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन होता है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमति कैसे दी गई है ; और

(ङ) क्या यह सच नहीं है कि यह बात सरकार की उस नीति के विरुद्ध है जिसके अनुसार ये मदें लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध तथा मोहन मीकिन्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में वर्ष 1980 के दौरान लाइसेंसशुदा क्षमता और उत्पादन सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण के रूप में सूची में दी गई है ।

(ग) और (घ) यद्यपि इस कंपनी द्वारा उत्पादित कुछ वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन किया गया है अतः यह एक औद्योगिक उपक्रम का पर्याप्त विस्तार दिया गया है जिसमें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 13 (1) (घ) के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तथा जिसे धारा 24 के अन्तर्गत वही दंडित किया जा सकता है ।

(ङ) इनमें से कोई भी वस्तु जिसका अतिरिक्त उत्पादन किया गया है लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है ।

विवरण

उत्पादन की वस्तु	क्षमता	उत्पादन
1	2	3
1. बीयर		
(क) सोलन एकक	6500 कि० लि०	27049.465 कि० ली०
(ख) मोहन नगर एकक	4091 कि० ली०	
2. कॉच की बोतलें	7500 मी० टन	19683 मी० टन
3. सेब का आसव	272.4 कि० ली०	नगण्य
4. हल्के पेय	2.964 मिलियन बोतलें	12.289 मिलियन बोतलें

1	2	3
5. माल्ट सार	1800 मी० टन	1927.029 मी० टन (कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन सहित)
6. बेकर्स यीष्ट	800 मी० टन	2.258 मी० टन
7. स्पिरिट (मोहन नगर)		
(क) माल्ट स्पिरिट (मोहन नगर)	218,000 एल० पी० गैलन	
(ख) मोलीसीज स्पिरिट (वही)	365,000 एल० पी० गैलन	
(ग) आई०एम० एफ० एल० के लिए प्रयोग की जाने वाले स्पिरिट (कसौली एकक)	नगण्य*	1,03,28,311 एल० पी० एल०
(घ) आई०एम०एफ०एल० के लिए प्रयोग की जाने वाले स्पिरिट (लखनऊ एकक)	नगण्य*	
8. मोहन नगर में तरल और सूखी (ड्राई) कार्बन डाई आक्साइड	722 मी० टन	324.510 मी० टन (कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन सहित)
9. फलों का रस इत्यादि	3000 मी० टन	1365 मी० टन
10. मक्का और कार्नफ्लैक	700 मी० टन	1228.732 मी० टन
व्हाइट फ्लैक्स	350 मी० टन	
व्हाइट ग्रोटस	100 मी० टन	नगण्य
पर्ल बोर्ले	200 मी० टन	2.750 मी० टन
11. ढलाई	500 मी० टन	82 मी० टन (कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन सहित)

* मूल पंजीकरण प्रमाण पत्रों में क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया गया है। फरवरी 1981 में सौली एकक के बारे में 385.00 कि० ली० की थोक क्षमता तथा लखनऊ एकक के बारे में 831 कि० ली० की थोक क्षमता सम्बद्ध पंजीकरण प्रमाणपत्रों में पृष्ठांकित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति

6802. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार 1980-85 की छठी योजना की स्थितियों को पूरा करने के लिए परिशोधित परिवहन नीति तैयार कर चुकी है। इस नीति का ब्योरा छठी योजना के दस्तावेज में परिवहन क्षेत्रक से सम्बन्धित अध्याय 17 में दिया गया है ; इस छठी योजना के दस्तावेज की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय भारतीय सड़क परिवहन श्रमिक महासंघ द्वारा प्रस्तुत व्यापक विधान का चार्टर

6803. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय भारतीय सड़क परिवहन श्रमिक महासंघ द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यापक विधान का एक चार्टर मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय को भारतीय सड़क परिवहन श्रमिक महासंघ द्वारा प्रस्तुत किए गए विधान का चार्टर प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 से जो राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है कि, मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण तथा उनकी कार्य-दशाओं, दैनिक विश्राम अन्तराल साप्ताहिक विश्राम, समयोपरि कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी, मजदूरी सहित छुट्टी, आदि को नियमित करने की पहले से ही व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अधिकार प्राप्त है कि वह अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अधिनियम के अधीन नियम तैयार करें और इनमें से अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसे नियम तैयार कर लिए हैं। उनके पास अधिनियम के प्रवर्तन के लिए अपेक्षित तंत्र भी है।

बस तथा ट्रक चेसिस की दोबारा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

6804. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन की वृद्धि रोकने के लिए बस और ट्रक चेसिस की दोबारा बिक्री पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि चेसिस की खरीद केवल असली प्रयोक्ताओं द्वारा ही की जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गत तीन वर्षों में आकाश में हुई विमान दुर्घटना

6806. **श्री मोहम्मद अनवर अंसारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सैनिक विमानों के आकाश में कितनी दुर्घटनाएं हुई और प्रत्येक मामले में (राज्यवार) कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों में आकाश में विमान दुर्घटना दो बार हुई हैं । ये दोनों दुर्घटनाएं पंजाब में हुई थीं । इनमें सैनिक अफसर, २ सिविलियन पाइलट और एक सिविलियन महिला मारी गई ।

(ख) और (ग) 1978 में हुई दुर्घटना में जांच अदालत ने पाया कि बहुत अधिक जोखिमपूर्ण हवाई युद्धाभ्यास में पायलट की भूल के कारण यह दुर्घटना हुई थी । जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय कर लिए गए हैं । फरवरी, 1981 में हुई दूसरी दुर्घटना की मांग की जांच अभी जारी है । जांच अदालत की कार्यवाई पूरी होने पर ही दुर्घटना के कारणों और उस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों की सिफारिश सरकार को प्राप्त होगी और इन सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा पुरुलिया और मिदनापुर में उद्योगों की स्थापना

6807. **श्री अजीत कुमार शाहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सकेन्द्रित क्षेत्रों में उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव आदिवासी उपयोजना में है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर जैसे पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) राज्य सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लघु, ग्रामीण तथा कुटीर और रेशम कीट पालन, हस्तशिल्प तथा लाख पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम शुरू करने का है । बांकुरा पुरुलिया और मिदनापुर सहित राज्य के 12 जिले भी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हैं ।

इत्र उद्योग

6808. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर इत्र उद्योगों की स्थापना की गई है और प्रत्येक वर्ष उनमें कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या विदेशों को किसी प्रकार के इत्र का निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : इत्र उद्योग देश के विभिन्न भागों में स्थित है। इसके प्रमुख स्थापना स्थल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दोम्बीवली, थाणा, वापी, राजकोट, बंगलौर, बेलगाम, कोटा, कोचीन, कानपुर, कन्नौज, कोयम्बूत्तूर और दक्षिणी कालामासेरी है। इसके अधिकांश एकक लघु क्षेत्र में हैं और उत्पादन के आंकड़ों को केन्द्रीय रूप से इकट्ठे नहीं किये जाते।

(ख) तथा (ग) इत्र का निर्यात विभिन्न फार्मुलेशनों में किया जाता है। सामान्य रूप से प्रयोग में लाये जाने वाले कतिपय फार्मुलेशनों के बारे में पिछले तीन वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का अनुमान निम्न प्रकार है : —

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	वस्तु का विवरण	निर्यात का मूल्य		
		1977-78	1978-79	1979-80 फरवरी, 80 तक
1.	खुदरा बिक्री के लिए इत्र, जिसमें स्प्रिट नहीं होती (एवयुअस डिस्टीलेट्स को छोड़कर)	106.59	85 04	176.78
2.	यूडी कोलोन	0.04	—	0.90
3	खुदरा बिक्री के लिए स्प्रिट	21.12	44.02	5 77

भागलपुर में कैदियों को अन्धा किये जाने की घटना पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

6809. **डा० बसन्त कुमार पंडित**
श्री डी० पी० जदेजा
श्री हरिनाथ मिश्र } : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर में कैदियों को अन्धा बनाये जाने की घटना पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपना प्रतिवेदन उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विचारण न्यायाधीश ने इस असाधारण विलम्ब पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं श्रीमान्। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 7 फरवरी, 1981 को भागलपुर घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच प्रगति पर है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब को सीमेंट की सप्लाई

6810. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब को सीमेंट का आवंटन क्या है;

(ख) इस आवंटन पर किये गये वास्तविक रिलीज का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि कोई कम सप्लाई की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पंजाब सरकार ने अपनी बड़ी, प्रमुख और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये विशेष रूप से अतिरिक्त सप्लाई के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य को किया गया सीमेंट का आबंटन और प्रेषण निम्न प्रकार है :—

(मी० टनों में)

वर्ष	आबंटन	प्रेषण
1978	10,00,000	8,14,500
1979	9,85,100	7,20,400
19.0	9,11,900	5,23,800

(ग) राज्य को सीसेट की कम पूर्ति का कारण पूर्वानुमानित उत्पादन का न होना और परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां रही हैं।

(घ) पंजाब राज्य को इसकी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 8 प्रतिशत की पहली और दूसरी दोनों ही तिमाहियों में प्रत्येक तिमाही के लिए 15000 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आबंटन तदर्थ आधार पर किया गया है।

बिजली के उपकरण आयात करने के लिये राज्य सरकारों की मांग

6811. श्री राजेश कुमार सिंह
श्री बी० डी० सिंह } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के उपकरणों के आयात के लिए अत्यधिक मांग है और कई राज्य सरकारों से उनके बिजली उत्पादन कार्यक्रमों के लिए बिजली उपकरणों के आयात के लिए बहुत ही भारी मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसमें कितना खर्च आएगा;

(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विभिन्न राज्य सरकारों की मांग को किस हद तक पूरा कर पाने में सक्षम है;

(घ) देश में अत्याधुनिक बिजली उपकरणों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और उनमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता के विस्तार का सरकार के पास यदि कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है और विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कितना समय लगाने की सम्भावना है; और

(ङ) उपरोक्त (क) के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी नहीं। किन्तु विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात के लिए अन्य के साथ-साथ राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आयातित तथा स्वदेशी उपकरणों के बीच मूल्यों में अन्तर, डिलीवरी, भुगतान की शर्तें आदि प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती हैं।

(ख) बी०एच०ई०एल० विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य ग्राहकों को विद्युत जनित्रण उपकरणों के लिए देश की अधिकांश मांग को पूरा करने की स्थिति में है।

(घ) बी०एच०ई०एल० में क्षमता वृद्धि की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया रही है। इस समय उनके जो प्रमुख विस्तार कार्यक्रम है जोकि सरकार ने पहले ही मंजूर कर लिए हैं और जिनका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने का है, उनमें यूटिलिटी बायलरों के लिए क्षमता का विस्तार, थर्मल टर्बो सेटों के लिए क्षमता का विस्तार जिसमें अधिक क्षमता के सेटों के निर्माण के लिए इनका उन्नयन भी शामिल है और हाइड्रो टर्बाइनों और जनरेटरों के लिए क्षमता में वृद्धि करना सम्मिलित है।

(ङ) विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात के प्रस्तावों पर विभिन्न बातों विशेष रूप से उपलब्ध देशी क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

राजस्थान को जारी किये गये लाइसेंस

6812. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) उसमें से कितने और कौन से उद्योग गैर सरकारी, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्रों में हैं;

(ग) उन लाइसेंसो के अधीन वास्तव में कितने उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं;

(घ) दूसरे उद्योग अब तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी शीघ्र स्थापना किए जाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एक विवरण संलग्न है

(ख) स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या :

	1977 से 1980
कुल	50
सरकारी क्षेत्र (केन्द्र + राज्य)	—
राज्य औद्योगिक विकास निगम	2
निजी क्षेत्र	48

(ग) 20 औद्योगिक लाइसेंसों को क्रियान्वित किया गया है।

(घ) और (ङ) एक औद्योगिक लाइसेंस प्रारम्भ में 2 वर्ष की वैद्य अवधि के लिए जारी किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस की वैद्यता अवधि को पर्याप्त औचित्य के आधार पर अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। साधारणतया एक औद्योगिक लाइसेंस के फलीभूत होने में लगभग 3 से 4 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार ये औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में होंगे।

प्रशासनिक मंत्रालय और राज्य सरकारें औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति पर निगरानी रखते हैं। राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा कच्चे माल, वित्तीय विद्युत, परिवहन आदि सुविधाओं जैसी सभी सम्भव सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित्त योजना, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, आयकर, राहत, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श,

ब्याज राज सहायता कच्चे माल का आयात, लघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का सम्भरण, परिवहन राज-सहायता आदि, जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। किन्तु एककों की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

विवरण

वर्ष 1977 से 1980 तक की अवधि में राजस्थान में एककों के लिए स्वीकृति किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का उद्योगवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	अनुसूचित उद्योग	स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या			
1	2	3			
		1977	1978	1979	1980
1.	धातुकर्मी उद्योग	5	2	—	2
2.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनियंत्रणों के अलावा)	—	1	—	—
3.	विद्युत उपकरण	—	—	—	1
4.	औद्योगिक मशीनें	1	—	—	—
5.	विविध, यांत्रिकी और इंजीनियरी उद्योग	—	—	1	1
6.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	4	1	4	3
7.	औषधि और भेषज	—	1	—	2
8.	वस्त्र (रंगे, छपे अथवा अन्यथा परिष्कृत वस्त्रों सहित)	4	2	1	1
9.	चीनी	1	—	—	—
10.	साद्य परिष्करण उद्योग	—	2	—	3
11.	रबर की वस्तुएं	—	—	—	1
12.	सरेस और चमड़ा	—	—	2	—
13.	चीनी मिट्टी	1	—	—	—
14.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	1	1	—	1

स्लैग सीमेंट

6813. **श्री नारायण चौबे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्लैग सीमेंट का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी फर्में इसका निर्माण कर रही हैं;

(ग) क्या स्लैग-सीमेंट के उत्पादन पर सामान्य सीमेंट के उत्पादन से कम लागत आती है;

(घ) क्या स्लैग-सीमेंट और सामान्य सीमेंट बाजार में एक ही भाव पर बेचे जाते हैं;

(ङ) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र में स्लैग-सीमेंट का उत्पादन करने की कोई योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों में स्लैग सीमेंट का उत्पादन करने वाले सीमेंट कारखानों के नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है ।

(ग) जी हां, खुरदरे स्लैग, जो स्लैग-सीमेंट का एक संघटक है, की लागत क्लिंकर की लागत से कम है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ.) जी, हां ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	नाम	स्थापना स्थल
1.	आन्ध्र सीमेंट लि०	विजयवाड़ा
2.	वही	विशाखापट्टनम
3.	ए० सी० सी० लि०	चयबास
4.	वही	जमूल
5.	वही	खलारी
6.	वही	सिन्दरी
7.	बगलकोट उद्योग	बगलकोट
8.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स	बंजारी
9.	हीरा सीमेंट वर्क्स	बाड़ागढ़

1	2	3
10.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स	दुर्गापुर
11	सी० सी० आई० लि०	माँढर
12.	मद्रास सीमेंट लि०	तुलकापट्टी
13.	मैसूर सीमेंट लि०	अम्मेसन्द्रा
14.	उड़ीसा सीमेंट लि०	रजुगर्गमपुर
15.	रोहतास इन्डस्ट्रीज	डालमिया नगर
16	सतना सीमेंट वर्क्स	सतना
17.	सोन वैली पोर्टलैंड कं० लि०	लापला
18.	विश्वेसरैया आयरन एण्ड स्टील लि०	भद्रावती

लघु उद्योगों के लिए सावधि (टर्म) ऋण

6814. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक बैंकों तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से उद्योग, विशेषकर लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए सावधि (टर्म) ऋण के बारे में नई नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस द्वारा हरिजन तथा आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़छाड़

6815 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान पुलिस द्वारा हरिजन तथा आदिवासी महिलाओं को यंत्रणा देने तथा छेड़छाड़ करने की, राज्यवार कितनी घटनायें हुईं;

(ख) गम्भीर किस्म की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लक्षद्वीप में लघु उद्योगों की स्थापना करना

6816. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की लक्षद्वीप समूह में लघु उद्योगों की एक श्रृंखला स्थापित करने की कोई नई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार को इन लघु उद्योगों के लिए वहाँ पर उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार लघु क्षेत्र में उद्योगों का स्थापना नहीं करती है, लेकिन इस प्रकार के उद्योगों के स्थापना के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करती है। छठी पंचवर्षीय योजना में लक्षद्वीप में ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास के लिए 30 लाख रुपये का परिव्यय है जिसमें लघु उद्योगों के लिए 6 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ एक बुनाई कारखाने की स्थापना करने, एक हौजरी कारखाने का विस्तार करने और फर्नीचर निर्माताओं सहित विभिन्न लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने आदि की परिकल्पना की गई है, योजना में नारियल की सूखी जटाओं के उपयोग के लिए रेशे निकालने वाले संयंत्रों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा 1972 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध मुख्य संसाधन नारियल जटा, मछली, मूंगे के फूल (कोरल फ्लावर) मूंगे के पत्थर (कोरल स्टोन) और शंख (शैल्स) आदि हैं तथा ये दूना मत्स्य पालन के विकास करने, मत्स्य-आहार के लिए संयंत्रों की स्थापना करने, मछली का अचार बनाने और नारियल सहित ताड़ के गुड का निर्माण करने, एक्टीवेटेड कार्बन, सिरके आदि का उत्पादन करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उड़ीसा विशेषकर सम्बलपुर में उद्योगों की स्थापना

6817. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और ये लाइसेंस किन उद्योगों के लिए दिए गए हैं;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितना निवेश किया गया है और ये किन-किन क्षेत्रों में च रहे हैं; और

(ग) उड़ीसा राज्य विशेषकर सम्बलपुर जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या भावी योजनायें हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजना हेतु कितनी राशि रखी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का उद्योगवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

	अनुसूचित उद्योग	1978	1979	1980
(1)	धातु कार्मिक उद्योग	---	2	3
(2)	औद्योगिक मशीनरी	1	—	—
(3)	मशीन टूल्स	—	1	--
(4)	रसायन (उर्वरक के अलावा)	—	—	4
(5)	कागज और लुगदी कागज उत्पाद सहित	—	1	—
(6)	चीनी मिट्टी उद्योग	1	1	—
(7)	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	—	1	—
(8)	टिम्बर (इमारती लकड़ी) के उत्पाद	—	—	1

(ख) प्रत्येक प्रकरण में किए गये निवेश सम्बन्धी सूचना केन्द्रीय रूप से औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में नहीं रखी जाती है ।

सभी औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण जिनमें पार्टी का नाम, स्थापना स्थान, उत्पादन की वस्तु आदि सम्मिलित होती हैं, इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेंटर द्वारा प्रकाशित "मन्थली न्यूज लैटर में प्रकाशित किए जाते हैं इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में यह घोषित किया गया था कि सरकार विभिन्न राज्यों के चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों की स्थापना को इन संयंत्रों के लघु उद्योगों और सहायक उद्योगों के लिए केन्द्रस्थ संयंत्रों के रूप में काम करने हेतु प्रोत्साहित करेगी । उड़ीसा सरकार ने पुरी के निकट न्यूक्लीयस प्लांट (केन्द्रस्थ संयंत्र) की स्थापना के लिए चण्डक स्थान सुझाया है । इस स्थान का सुझाव भी उड़ीसा सरकार देगी ।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करना

6818. श्री के० पी० सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा का ढेंकानाल जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है ;

(ख) क्या उपरोक्त (क) को देखते हुए केन्द्र सरकार ने जिले में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और पता लगाये गये उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पता लगाये गए ऐसे उद्योगों की ढेंकानाल में स्थापना हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या उक्त उद्योगों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय प्रावंटन किया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जीं, नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स में अखबारी कागज के उत्पादन में कमी

6819. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स में गत चार वर्षों के दौरान अखबारी कागज के उत्पादन में कमी हुई है : और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स में पिछले चार वर्षों के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन निम्न प्रकार था :

1977-78	55,503 मी० टन
1978-89	47,965 मी० टन
1979-80	47,385 मी० टन
1980-81	51,154 मी० टन

यद्यपि बिजली की भारी कटौती और कार्य-चालन संबंधी कठिनाइयों के कारण वर्ष 1978-79 और 1979-80 में उत्पादन में गिरावट आई थी, किन्तु वर्ष 1880-81 के दौरान मिल में अनेक प्रकार के सुधारात्मक अभ्युपाय किये हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में स्थिरता आई है और इसमें और सुधार होने की आशा है ।

पूर्वी तट पर आर्थिक क्षेत्र (जोन) का उल्लंघन

6820. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व तट पर आर्थिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी जलपोतों द्वारा बड़े पैमाने पर इस उल्लंघन के कारण परादीप पत्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का विचार ऐसे उल्लंघनों की रोक-थाम के लिए क्या कदम उठाने का है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं द्वारा हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने की अनेक घटनाएँ सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ग) और (घ) हमारे समुद्री क्षेत्र की गश्त लगाने के लिये, हमारे समुद्र तट के साथ-साथ अनेक स्थानों पर तट रक्षक स्टेशन बनाए गए हैं। पूर्वी तट पर हल्दिया, मद्रास और भंडप्पम में में ये स्टेशन बनाए गए हैं। तट रक्षक दल और नौसेना के जलयान अपने हार्डवेयर साधनों के अन्तर्गत हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र की गश्त लगाते हैं। जिन क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की घटनाएँ बार-बार होती रहती हैं उनमें गश्त लगाने की विशेष व्यवस्था की जाती है।

बंगला देश से लोगों का आगमन

68. 1. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के बाद भी भारत में बंगलादेश के लोगों का आगमन जारी रहा है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 तक भारत में बंगलादेश से कितने लोग आए ;

(ग) क्या इस मामले पर बगलादेश सरकार से बातचीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बगलादेश राष्ट्रिकों द्वारा चोरी छिपे भारत में प्रवेश करने की कोशिश 1971 से जारी है। तथापि ऐसे घुसपैठियों की निश्चित संख्या निर्धारित करना कठिन है।

(ग) और (घ) बंगलादेश सरकार अपने राष्ट्रिकों को, जो 25 मार्च, 971 के बाद भारत में आ गए थे, वापस लेने के अपने वायदे से पीछे नहीं हटते हैं। तथापि उसने यह तर्क दिया है कि बगलादेश राष्ट्रिकों ने 1971 से भारत कोई घुसपैठ नहीं की है।

लघु उद्योगों की स्थापना में जटिल प्रक्रिया

6822. **श्री अर्जुन सेठी** : उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा असामान्य विलम्ब जटिल प्रक्रिया और युवा उद्यमियों से जमानत के लिए आग्रह देश में लघु उद्योगों के विकास में भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के उद्यमियों की सहायता के लिए सावधि- ऋणों और कार्य पूंजी की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया को सुचारू बनाने का है ताकि वर्तमान एकक उत्पादन शुरू करने से पूर्व ही रूग्ण न बन जाएँ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस प्रकार के कोई मामले जबकि रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों का बैंकों द्वारा कठोरता से पालन नहीं किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु क्षेत्र को 2 लाख रु० तक की अग्रिम राशि देने के आवेदन एवं मूल्यांकन फार्मों को सरल बनाएं । भारतीय रिजर्व बैंक से भी वाणिज्यिक बैंकों ने शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त निर्णयात्मक अधिकार दिए जाने की सलाह दी है जिससे ऋण सम्बन्धी अधिकांश निर्णय उन्हीं के स्तर पर लिए जा सकें । ऋणों के आवेदन पत्रों को निपटाने की समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गई है । बैंकों ने लघु उद्योगों को दी जाने वाली अग्रिम राशि बढ़ाने के लिए कारंवाई की है । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृत अग्रिम राशि से सहायता दिए गए लघु एककों की संख्या मेंनिरन्तर वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से दिखाई पड़ता है ।

दिसम्बर के (अंतिम शुक्रवार) के अन्त में	लघु एकक — — — लाखों की संख्या	बकाया धन राशि
1977	47(83)	1 02.80
19 8	557656	2156.32
9,9	680 41	2632.77

(ग) बैंक सामान्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता देने के मामले में जिनमें लघु क्षेत्र के उद्योग शामिल हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में इनका पालन न किए जाने के उदाहरणों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के समय पाए गए मामलों में सुधार सम्बन्धी कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित बैंकों की जानकारी में लाये जाते हैं ।

केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली में चोरी

6823 **श्री चन्द्रपाल सैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली में पिछले छः वर्षों में लगातार कई चोरियां हुई हैं जिनमें 29 और 30 जनवरी, 1980, 15 और 16 सितम्बर, 1980 और 16 नवम्बर, 1980 की हुई चोरियां बहुत बड़ी थी ;

(ख) क्या 16 नवम्बर, 1980 को हुई चोरी के मामले में 6 सैनिक कर्मचारियों और 10 असैनिक कर्मचारियों सहित कुछ बाहरी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया;

(ग) क्या इस मामले में सम्बद्ध पुलिस कर्मचारी मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप मामले को मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय के पास अभी तक नहीं भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1975 से 1980 तक के पिछले 6 वर्षों के दौरान केन्द्रीय आर्डिनेन्स डिपो, दिल्ली कैन्ट द्वारा चोरी के 19 मामले सूचित किये गये थे। यह सही है कि 29/30 जनवरी, 1980 और 15/16 सितम्बर, 1980 को दर्ज किये गए मामले बड़े थे। तथापि 16 नवम्बर, 1980 को चोरी की घटना चोरी करने का प्रयास था जिसमें सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई थी।

(ख) इस मामले में, दिल्ली पुलिस ने 4 असैनिक कर्मचारियों को और एक बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सैनिक प्राधिकारियों ने 6 सैनिक कार्मिकों को गिरफ्तार करके सैनिक हिरासत में रखा है।

(ग) और (घ) मामले की जांच प्रगति पर है और इसके पूरा होने पर मामला विचारण के लिए न्यायालय को भेजा जाएगा।

कागज उद्योग के टिम्बर तथा बांस

6824. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को अपने लिए टिम्बर तथा बांस का उत्पादन करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने को कहा गया है ;

(ख) क्या कागज उद्योग द्वारा सरकार के इसके टिम्बर तथा बांस की सप्लाई के अपने स्रोत बनाने के प्रबंध करने के प्रयासों को विफल कर रहा है ;

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उपलब्ध सारे बांस का उपयोग कागज उद्योग द्वारा न किया जाए ताकि ग्रामीण लोगों के लिए, जिनके लिए बांस मकान बनाने की एक मुख्य वस्तु है, दिक्कतें न पैदा हो जायें ; और

(घ) कागज मिलों द्वारा अपने कच्चे माल के लिए अदायगी कराने के बारे में वर्तमान योजनाओं के पूरे ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कागज उद्योग को वनों पर आधारित कच्चे माल का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का कार्य है कि इसमें अन्य क्षेत्रों की भी आवश्यकताएं शामिल कर ली जाएं।

(घ) कागज मिलों को संभरण किए गए कच्चे माल के लिए उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाते हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण

6825. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रक्षा प्रयोजनों और भारी खनन उपकरणों के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रानिक्स कल पुर्जों के निर्माण के लिये, जो केवल सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने के लिए आरक्षित मदें हैं, गैर सरकारी क्षेत्र से प्राप्त लाइसेंस आवेदन पत्रों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नौसैनिक मुख्यालय में असैनिक सेवाओं की प्रशंसा

6826. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक दशक अथवा इतने ही समय के दौरान नौसैनिक मुख्यालय में काम करने वाले एक भी असैनिक कर्मिक की सेवाओं की प्रशंसा नहीं की गई जबकि अन्य सेनाओं ने उनके अधीन काम करने वाले असैनिकों की प्रशंसा की जिससे विभागीय पदोन्नति समितियों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत से असैनिकों के ऊँचे पदों पर मूल्यांकन के लिए उनके गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के समय उनका उज्जवल भविष्य अंधकारमय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार एक समान नीति बनाने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को समान समझा जाये और किसी को भी अलाभप्रद स्थिति में न रखा जाये ; और

(ग) नौसैनिक मुख्यालय द्वारा किसी असैनिक की प्रशंसा न किये जाने से क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले एक दशक में नौसेना मुख्यालय में काम करने वाले बहुत से सिविलियन कार्मिकों को प्रशंसा पत्र दिए गए हैं।

लेकिन केवल इस बात को देखते हुए कि किसी एक अधिकारी को प्रशंसा पत्र दिया गया है उसे पदोन्नति के मामले में चयन जोन के अन्य अधिकारियों की तुलना में कोई अनावश्यक लाभ नहीं मिल जाता । विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड किसी अधिकारी के अच्छे काम के बारे में यदा-कदा दी गई प्रशंसा उक्तियों की बजाय उसकी सामान्य और लगातार उच्च कार्यनिष्पादन क्षमता पर विचार करते हैं ।

(ख) और (ग) कार्मिक जब भी असाधारण रूप से प्रशंसनीय काम करते हैं तो उन्हें प्रशंसा पत्र देने के लिए विचार किया जाता है ।

राष्ट्रीय परिस्थितिकी का परीक्षण तथा अनुरक्षण

6827. **श्री के० के० तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिस्थितिकी के परीक्षण और अनुरक्षण के लिए समुचित कानून तैयार करने हेतु सरकार पर जोर दिया गया है : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक तंत्र की सिफारिश करने के लिए फरवरी, 1980 में सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था । इसे 23 जनवरी, 1980 को सातवीं संसद के पहले संयुक्त अधिवेशन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के अनुसरण में किया गया था, जिसमें उपयुक्त शक्तियों सहित एक विशेष तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया गया था ताकि परिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उपायों को सभी नियोजित विकास कार्य में शामिल किया जा सके ।

(ख) उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सितम्बर, 1980 में प्रस्तुत की । रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि केन्द्र में एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की जाए जिसे स्वीकार कर लिया गया है और पहली नवम्बर, 1980 से विभाग का सृजन कर दिया गया है । उन अन्य सिफारिशों की सरकार द्वारा परीक्षा की जा रही है जिन के अन्तर्गत विधायी और प्रशासनिक पक्ष आते हैं ।

उच्च स्तरीय समिति ने विद्यमान विधायी उपायों की समीक्षा की है और पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए विधायन के बारे में सिफारिशें की हैं, जो कि इस प्रकार हैं :—

(1) पर्यावरण विभाग में एक विधिक स्कंध होना चाहिए जिससे कि यह निरन्तर और व्यवस्थाबद्ध आधार पर मौजूदा पर्यावरणीय विधायन की समीक्षा कर सके और ऐसे क्षेत्रों को सुझाव दे सके जहां नए कानूनों की आवश्यकता होगी ।

(3) एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति संकल्प (एन० ई० पी० आर०) को अपनाया जाना चाहिए । पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए सभी मौजूदा और भावी कानून एन० ई० पी० आर० के लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिएं ।

(3) केन्द्रीय और राज्य के ऐसे कानूनों की एक व्यवस्थाबद्ध और विशद समीक्षा की जानी चाहिए जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण की प्रतिरक्षा से सम्बद्ध है। इसे मौजूदा कानूनों की उन कमियों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिन्हें समिति द्वारा प्रकाश में लाया गया है। बिशेष रूप से कीटनाशी अधिनियम, 1968 और जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की समीक्षा करने और इसके उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(4) भारतीय वन अधिनियम, 1927, राष्ट्रीय वन नीति और वन्य जीवन (प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1972 में सुझाए गए संशोधनों को तुरन्त कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाना चाहिए।

(5) पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए संगत 12 (बारह) क्षेत्रों के लिए नए कानून अधिनियमित करने के सुझाव दिए गए हैं। इनमें से हरेक सुझाव का सरकार की संबंधित एजेन्सी द्वारा सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेष रूप से, केन्द्रीय सरकार के प्रबन्धाधीन जीव मण्डल रिजर्वों की स्थापना के लिए एक विशद कानून का यथा संभव शीघ्र अधिनियम किया जाना चाहिए।

(6) 'पर्यावरणीय प्रतिरक्षा' नामक एक विषय की भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(7) अनियंत्रित व्यापारिक हितों और अल्पकालीन लाभ के अभिप्रेरणों के कारण पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकने के लिए या तो विभायी उपाय किए गए या कार्यकारी कार्रवाई की जाए। इसका एक उदाहरण है कि जंगल गिराने के लिए ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता है।

इन सिफारिशों को पर्यावरण विभाग को भेज दिया गया है ताकि वे इन्हें उपयुक्त तरीके से प्रासेस करे।

हिमाचल प्रदेश में ट्रकों और कारों की एजेन्सियों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के बीच वितरण

6828. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ट्रकों और कारों की कितनी एजेंसियां हैं और उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने ट्रक सप्लाई किये गये हैं ;

(ख) ट्रक चेसिस प्राप्त करने के लिये कितनी राशि जमा करवाई जाती है और उस पर एजेंसी के मालिकों द्वारा ब्याज का किस दर पर भुगतान किया जाता है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और आदिवासी लोगों को किस अनुपातमें चेसिस उपलब्ध की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) निर्माताओं द्वारा दिया गया ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	फर्म का नाम	हिमाचल प्रदेश में नियुक्त एजेन्सियों/ डीलरों की संख्या	हिमाचल प्रदेश में सप्लाई किये गये ट्रकों की संख्या		
			78-79	79-80	80-81 (जन० 81 तक)
1.	मे० टैल्को	एक	302	171	203
2.	मे० अशोक लेलैंड	एक	10	15	12
3.	मे० हिन्दुस्तान मोटर्स	एक	——— शून्य ———		
4.	मे० स्टैण्डर्ड मोटर	एक	——— शून्य ———		
5.	मे० प्रीमियर आटो मोबाइल	दो	——— शून्य ———		

(ख) मे० टैल्को तथा मे० अशोक लेलैंड ने बताया है कि उनके ग्राहकों को 6000 रु० प्रति चेसिस जमा करने पड़ते हैं जिसपर 12% वार्षिक ब्याज दिया जाता है।

(ग) निर्माताओं ने बताया है कि विक्रेताओं द्वारा इस प्रकार के श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं अतः इन श्रेणियों के बारे में अनुपात देना संभव नहीं है।

भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंदी

6829. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित किन्हीं सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और नजरबन्दी के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को नजरबंद किया गया उनकी संख्या नीचे दी गई है। नजरबंद करने वाले संबद्ध प्राधिकारियों ने नजरबंद किए गए व्यक्तियों की कुछ गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा अथवा

लोक व्यवस्था को बनाए रखने अथवा समुदाय के लिए आवश्यक पूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल पाया था।

1.	असम	1 (भा० पु० सेवा अधिकारी)
2.	हिमाचल प्रदेश	1 (हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक)
3.	महाराष्ट्र	3 (रेल कर्मचारी)
4.	मणिपुर	1 (इम्फाल के क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज के विकलांग शल्य चिकित्सक)

बिहार और गुजरात सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा है और इन राज्यों के बारे में सम्बद्ध सूचना जब प्राप्त होगी तो सदन के पटल पर रख दी जाएगी। अन्य राज्यों के संबंध में आंकड़े शून्य हैं।

एस० ई० ओ० 2 का छोड़ा जाना

6830. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे उपग्रह एस० ई० ओ०-2 को रूस से छोड़ा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1981 के उत्तरार्ध में।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र

6831. **श्री राजानाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने से संबंधित अनेक आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और ये कब से विचाराधीन पड़ें हैं ; विलम्ब के क्या कारण हैं और इन आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय किस तारीख तक लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) स्वतन्त्रा सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिए जैसे ही कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है, इसकी प्राप्ति स्वीकार

की जाती है और यदि आवेदन पत्र में कोई सूचना नहीं दी गई हो तो आवेदक से यह सूचना देने के लिए कहा जाता है और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से रिपोर्ट को प्रमाणित करने का अनुरोध किया जाता है। पुरानी योजना (1972) के अन्तर्गत 37,793 मामले हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि आवेदक और/या राज्य सरकार पेंशन प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रही थीं। इनके अतिरिक्त 9067 मामलों में नई उदार पेंशन योजना (1980) के अन्तर्गत राज्य सरकारों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। व्यक्तियों और/या राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होते ही इन मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

2. सरकार 'वास्तविक" स्वतंत्रता सेनानियों को यथा शीघ्र पेंशन योजना के लाभों को पहुंचाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। इस उद्देश्य से, मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों से पेंशन प्राप्ति के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों के दावों को प्रमाणित करने के लिए उच्च प्राथमिकता देने और विशिष्ट समय के भीतर तत्काल ध्यान देने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में विशेष एककों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है। व्यक्तिगत मामलों में रिपोर्ट के विषय में राज्य सरकारों को बार-बार स्मरक पत्र भी भेजे जाते हैं।

मारुति लिमिटेड में बड़ी कारों का निर्माण

6832. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति लिमिटेड बड़ी कारों का निर्माण करने की योजना बना रहा है, जब कि देश में तथा बाहर छोटी कारों की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। समकालीन डिजाइन की बेहतर ईंधन क्षमता वाली जिसमें चालक सहित पांच/छः व्यक्तियों के बैठने का स्थान होगा यात्री कारों का उत्पादन करने की योजना है, जो स्वदेशी तथा विदेशी बाजारों के अनुकुल होंगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

6833. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1981 को केन्द्रीय सरकार के पास स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के कितने मामले विचाराधीन थे ;

(ख) राज्य सरकारों में से प्रत्येक के पास कितने मामले विचाराधीन थे ;

(ग) पेंशन संबंधी आवेदनों के निपटान के लिए केन्द्र और प्रत्येक राज्य में कौन सी मशीनरी है ; और

(घ) सभी आवेदनों को कब तक निपटा दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति के लिए प्राप्त कोई आवेदन पत्र प्राथमिक संवीक्षा के लिए लम्बित नहीं पड़ा है । तथापि स्वतन्त्रता सेनानियों से दस्तावेजों, सबूतों और/या राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से रिपोर्ट न मिलने के कारण 37,793 मामले फाइल कर दिए गए हैं (विवरण) इनके अतिरिक्त 1-8-80 से योजना के उपबन्धों को उदार बनाने के कारण जिसका नाम अब स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना रखा गया है, 9067 मामलों में राज्य सरकारों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है । गृह मंत्रालय में इन मामलों के निपटाने के लिए एक अलग प्रभाग अर्थात् स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग है । सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों से पेंशन योजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राथमिकता देने और एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के दावों की शीघ्र जांच करने के लिए उनके पेंशन के मामलों से निपटने के लिए विशेष एककों की स्थापना करने और अभियान के आधार पर स्वतन्त्रता सैनानियों के पेंशन के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों को समय-समय पर व्यक्तिगत मामलों में अनुस्मारक भेजे जाते हैं । व्यक्तियों से अपेक्षित सूचना और/या राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त होते ही इन मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है ।

विवरण

फाइल किए गए मामलों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फाइल किए गए मामलों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार	27
आन्ध्र प्रदेश	2009
असम	3776
बिहार	12136
चंडीगढ़	7
दिल्ली	136

गोवा	411
गुजरात	129
हरियाणा	200
हिमाचल प्रदेश	76
जम्मू और कश्मीर	6
केरल	2371
कर्नाटक	1423
मध्य प्रदेश	651
महाराष्ट्र	1269
मणिपुर	50
मेघालय	23
मिजोरम	3
नागालैंड	8
उड़ीसा	347
पांडिचेरी	27
पंजाब	1419
राजस्थान	64
तमिलनाडु	335
त्रिपुरा	630
उत्तर प्रदेश	936
पश्चिम बंगाल	5453
कुल स्वतन्त्रता सेनानी	33922
आजाद हिन्द फौज कर्मचारी सेना	508
असैनिक	3363
जोड़	3871
कुल जोड़	37793

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण क्षेत्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा बनाई गई योजनायें

6834. **श्री कमलनाथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने देशां ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है जिनका औद्योगिकीकरण किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और वहाँ उक्त योजनाएं कब तक क्रियान्वित कर दी जायेंगी ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में लघु एककों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपनी नियमित योजना में पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर यथोचित बल दिया है इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे लघु एककों को किराया-खरीद के अन्तर्गत मशीनों की सप्लाई करने, स्वत: रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु अपने प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग करने और ग्रामीण उद्योगों के उपयुक्त मशीनों तथा उपकरणों का विकास करने एवं उन्हें समुन्नत बनाने को तरजीह देगा ।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने मध्य प्रदेश के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने के लिए मान्यता नहीं दी है । किन्तु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई के माध्यम से मध्य प्रदेश के लघु एककों को पहुंचाई गई सहायता संबंधी स्थिति निम्न प्रकार है :—

		1979-80	1980-81 (फरवरी, 1981 तक)
1.	सहायता पहुंचाये गए एककों की संख्या	5	35
2.	सप्लाई की गई मशीनों का मूल्य	2.91 रु०	19.51 लाख रु०
3.	राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सहायता पहुचाये गए एकक	1	23
4.	राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सप्लाई की गई मशीनों का मूल्य	0.44 रु०	12.91 लाख रु०

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

6835. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों के नाम क्या है ;

(ख) उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या मानदण्ड रखे गये गये हैं और उक्त भूमि का आवंटन करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला स्वीकार किया गया है : -

बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपूर, छिन्दवाड़ा दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होसंगाबाद, झबुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसौर, मोरेना, नरसिम्हपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवासागर, शिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, सुरगुजा, टीकमगढ़ विदिशा और न्यू सिहौर जिला ।

इन जिलों में से निम्नलिखित 6 क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए भी पात्र स्वीकार किया गया है :—

क्षेत्र—1 (पूर्वी प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात् कोरना, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर जिले से) भाटापारा सिमगा, टिल्डा, भारसिवा (रायपुर) अमनपुर तथा राजिस ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र—2 (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात् देवास और टौंक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से) गुलोना, गुजालपुर और शाजापुर ब्लाक (शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और व्यावटा ब्लाक (रायगढ़ जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र—3 (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दतिया तथा सेंडधा (दतिया जिले से) भिन्ड मेहगांव तथा मोहाद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना तथा जउरा (मुरैना जिले से)

क्षेत्र—4 (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात् बीना, इटावा, खुरी बांदा (बिनैका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमटु) (सागर जिले सेद्ध टीकम-

गढ़, बल्पेवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा और पारसपुर (विदिशा जिलें से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—5 (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात् पेटलावाद, तथा मेंधनगर (झबुग्रा जिले से) पदतावार, धार और बलोहा (धार जिले से) महेरूवर और बरवाहा (खारगोन जिले से) रतलाम और जडरा (रतलाम जिले से) मंदसौर मल्हरगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से)।

क्षेत्र—6 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात् रीवा और रायपुर (गढ़) (रीवा जिलें से) मझौली, सीधी डूसर और वैधाव (सिधी जिले से) सोनहट, बैकुठ पुर, सवेन्दरगढ़, सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले से)।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए स्थापना-स्थलों का आवंटन, क्षेत्रों का विकास, उद्यगियों को शेडों तथा प्लाटों का आवंटन राज्य सरकार से संबंधित है।

राज्यों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परेड करने पर रोक

6836. **श्री नरसिंह राव मकवाना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर परेड सम्बन्धी आदेश अभी तक क्रियान्वित नहीं किये हैं;

(ख) उन्हें उक्त आदेशों की पालन करने की सूचना पुनः कब दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उन राज्यों में तथा उन स्थानों पर भी, जहां प्रतिबंध लगा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा परेडें की जा रही हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की परेड पर रोक लगाने के ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए हैं परन्तु साम्प्रदायिक तनाव कम करने और साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे कानून द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों, स्कूल भवनों इत्यादि विशेष रूप से साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील या साम्प्रदायिक दंगाग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। बाद में उत्तर प्रदेश और केरल सरकारों द्वारा जारी कि ए गए कुछ आदेशों/अधिसूचनाओं और असम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों और सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित/सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं आयोजित करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए केरल संशोधन की रूप रेखाओं पर अपने अपने पुलिस अधिनियमों में करने अथवा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, यदि कोई हो, में असम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना अधिनियम की

धारा 7 के उपबन्धों के अनुरूप एक उपबन्ध समाविष्ट करने अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों/अधिसूचनाओं की रूपरेखाओं पर अनुदेश जारी करने पर विचार करें। इन सुझावों के सन्दर्भ में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान को राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि मामला विचाराधीन है। हरियाणा के मामले में राज्य सरकार इस समय राज्य में प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझती परन्तु राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए स्थिति के प्रति सजग है। जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने बताया है कि उन्होंने, जैसा आवश्यक समझा अधीनस्थ प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेश जारी किये हैं। मेघालय राज्य सरकार समझती है कि असम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना अधिनियम 1953 के उपबन्ध, जैसा मेघालय सरकार द्वारा अपनाया गया है, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने भी सुझावों पर विचार किया है और उनका विचार है कि इस समय इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उपाय करने की जरूरत नहीं है।

(ग) यह विधि और व्यवस्था का मामला है और राज्य सरकारें ऐसी कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से सक्षम है जिसे वह स्थिति के अपने मूल्यांकन को ध्यान में रखकर अनिवार्य समझें।

नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों का सम्मेलन

6837. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 और 15 मार्च, 1981 को नई दिल्ली में राज्यपालों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि, हां, तो इस सम्मेलन में किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यपालों का सम्मेलन 14 और 15 मार्च, 1981 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में हुआ। क्रमशः 14 और 15 मार्च, 1981 को की गई प्रेस विज्ञप्तियों की एक एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयीं, देखिये संख्या एल० टी०-2331/80]

"रॉ" के अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार

6838. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अनुसन्धान तथा विश्लेषण स्कंध (रॉ) के लखनऊ-स्थित अधिकारी के ऐसे दुर्व्यवहार के बारे में हाल ही में गम्भीर आरोप प्राप्त हुए हैं जिसमें सुरक्षा का खतरा अन्तर्ग्रस्त था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो किसके द्वारा और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या यह सच है कि लखनऊ स्थित अधिकारी सी० आई० ए० स्रोतों से बिना हिसाब का धन प्राप्त करता रहा है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) समाचार-पत्रों में छपी कुछेक रिपोर्टें सरकार के नोटिस में आई हैं।

(ख) और (ग) संगठन का वरिष्ठ अधिकारी आरोपों की जाँच कर रहा है।

मैसर्स जेडे आयरन एण्ड स्टील कं० लि० की बिक्री

6839. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि कोडरिया स्थित एक आधुनिक इटली के मेक की "स्पन पाइप" फैक्टरी, जिसका नाम मैसर्स जेडे आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० है, हेरोडीह, कोडरिमा, बिहार है, हावड़ा, पश्चिम बंगाल के स्क्रैप डीलर को स्क्रैप के रूप में बेची जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उस फैक्टरी को औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मारुति लिमिटेड की तरह अधिगृहित करने और इसे सरकारी क्षेत्र में चलायेगी ;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ड़) ढले लोहे के स्पन पाइप बनाने वाले मैसर्स जेडे आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड में उत्पादन जुलाई, 1969 से हो रहा है। इस एकक को प्रारम्भ से ही हानियां हो रही हैं। इसका उत्पादन कभी भी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ। भारतीय राज्य बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उदारपूर्वक वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद ये एकक अनुभवहीन तथा अक्षम प्रबन्धकों के कारण कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सका और 26 जुलाई, 1976 को एकक चलना बन्द हो गया था। इस एक के बंद होने की तारीख को सभी सरकारी संस्थानों की कुल वित्तीय राशि 426 लाख रुपए थी। कम्पनी की शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां 157 लाख रुपये और उसकी संचित हानियाँ 310 लाख रुपये थी।

भारत सरकार ने इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के साथ विलय करने सहित इस उपक्रम को पुनः चलाने की सम्भावनाओं का पता लगाया। किन्तु आई० आई० एस० सी० ओ० अतिरिक्त उत्तरदायित्व सम्भालने की स्थिति में नहीं था। इन सभी बातों पर विचार करते हुए ये निर्णय किया गया था कि इस एकक का प्रबन्ध सरकार द्वारा उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ असुरक्षित ऋणदाताओं द्वारा दायर की गई याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, जुलाई 1977 में इसे बन्द कर देने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के कार्यान्वयन को उपक्रम

के जीव्यक्षम ढंग से चलाने की सम्भावनाओं का पता लगाने तक कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया था। किन्तु, इस प्रकार के प्रयासों के असफल हो जाने पर उच्च न्यायालय ने जुलाई, 1978 में दृढ़ आदेश जारी कर दिये थे जिसके पश्चात् सरकारी परिसमापक को नवम्बर, 1978 में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को अधिकार में लेने के लिये रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था। आई० डी० वी० आई० तथा एस० बी० आई० ने भी अपनी बकाया राशि वसूल करने के लिए सितम्बर, 1978 में याचिकाएं दायर कर दी थी।

चालू परिसम्पत्तियों के कुछ अंशों को 53.2 लाख रुपये में बेचने पर जनवरी, 1980 में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिए थे। अचल परिसम्पत्तियों सहित जो पहले ही बेची जा चुकी थी, विक्रय आदेश के स्थगन के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की क्योंकि उसका विचार उपक्रम में फिर से उत्पादन शुरू करने का था। जून, 1980 में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि निगम को 275 लाख रुपये में अचल परिसम्पत्तियां खरीद लेनी चाहिए और 5.7.1980 तक 50 लाख रुपये की राशि जमा करके चालू परिसम्पत्तियों के खरीदारों से बातचीत करनी चाहिए निगम ने इस आदेश पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अपितु उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में स्थगन के लिए याचिका दी, जो नामंजूर कर दी गई। उसने पुनः कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के स्थगन के लिए 17.7.1980 को उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने 47 लाख रुपये में पहले से ही बेची गई चालू परिसम्पत्तियों को देने के लिए आदेश दिए। और उसने अन्य परिसम्पत्तियों की विक्री रोकने की स्वीकृति देने के लिए अन्तरिम आदेश जारी किए। उच्चतम न्यायालय का अन्तिम निर्णय अभी मिलना हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोगों का पुनर्वास

6840. **सतीश प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ोसी राज्य के लोगों को बसाने के लिए एक आदर्श क्षेत्र है,

(ख) क्या उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बसने की मांग कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे लोगों को क्या सुविधाएं देने का विचार है, जो वहां बसना चाहते हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में छठी योजना में कोई व्यवस्था की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) परिस्थिति विज्ञान और अन्य बातों से यह निर्णय किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य भूमि से और अन्य व्यक्तियों को न बसाया जाए। ग्रेट निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के

कार्यक्रम को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक उस द्वीप की परिस्थितियों में और अधिक व्यक्तियों को बसाने से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का अध्ययन शुरू नहीं किया जाता है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य से व्यक्तियों को इन द्वीपों में बसाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

6841. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और अधिक जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) गोवा में ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) अब तक 382 जिला उद्योग केन्द्रों की जिनमें 392 जिले निहित हैं, स्वीकृति दी गई है। शेष जिलों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लए सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ख) संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए एक जिला उद्योग केन्द्र की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है किन्तु संघ शासित सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्र अभी स्थापित किया जाना है।

मध्य प्रदेश में यूरेनियम के निक्षेप

6842. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में यूरेनियम के भारी निक्षेपों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी विश्लेषण रिपोर्ट क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या हमारे परमाणु बिजली घरों की आवश्यकता के अनुसार परमाणु ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए इसका और आगे परिष्करण किया जा सकता है ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा इलेक्ट्रनिकी और पर्यावरण विभाग में राज्यमंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लगातार किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि अनेक स्थानों पर यूरेनियम विद्यमान है इन स्थानों पर मिले यूरेनियम आक्साइड (U_3O_8) का ग्रेड 0.040 और 0.1% के बीच है। ऐसे क्षेत्रों में, जहां अधिक मात्रा में यूरेनियम मिलने की आशा है, यह पता लगाने के लिए क्या यूरेनियम के वाणिज्यिक स्तर पर निकाले जाने की संभावना है, भू वैज्ञानिक अन्वेक्षण किए गए हैं, जिनमें भू-वेधन और/अथवा भूमिगत

विकास-कार्य भी शामिल हैं। अंततः निकाले गए यूरेनियम को संसाधित करके उससे नाभिकीय ईंधन बनाया जा सकता है।

हिन्दुस्तान लीवर्स द्वारा उत्पादित क्रीम लोशन पाउडर आदि के ऊंचे मल्य

6843. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड द्वारा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक क्रीम, लोशन, पाउडर आदि के मूल्य काफी ज्यादा हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मद की बिक्री का मूल्य क्या है ;

(घ) इसके उत्पादों का इतना अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन उत्पादनों के मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) संलग्न विवरण में उल्लिखित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की वर्ष 1979 की वार्षिक रिपोर्ट और खातों में दर्शाया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार क्रीमों, लोशनों और पाउडरों जैसी गैर जरूरी वस्तुओं के मूल्य के बारे में मूल्य नियंत्रण लागू नहीं करती है। इस प्रकार उनके मूल्यों पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने वर्ष 1979 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट और खातों में निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को दर्शाया है : —

1. प्रोसेस्ड ट्रिग्लाइसेराइट/हाइड्रोजेनेटिड तेल/वनस्पति।
2. दुग्ध चूर्ण। शिशु आहार सहित।
3. साबुन।
4. सिंथेटिक डेटरजेंट।
5. स्नानगृह प्रसाधन सामग्री।
6. ग्लेसरीन : रिफाइण्ड कच्ची (80) प्रतिशत

7. शुद्ध रसायन

8. ओसीन

9. डी कैल्सियम फोस्फेट ।

10. सल्फ्यूरिक एसिड ।

11. फोसफेरिक एसिड ।

12. सोडियम ट्रिपोली फोस्फेट ।

13. आयल मिलिंग (तेल की औद्योगिक मशीनें) ।

14. मालिनि (कृत्रिम मक्खन) ।

15. घी ।

16. पशुओं के लिए आहार ।

17. मांजने वाला (स्काउरर्स) ।

18. कैटेलिस्ट ।

19. पैकेजिंग मशीनें ।

20. कृषि की वस्तुएं ।

21. समुद्री उत्पाद ।

22 कपड़े की चद्दरें ।

23. अन्य (इंजीनियरिंग सामान और परिधान सहित) ।

संयुक्त क्षेत्र में प्रमुख उद्योग

6814. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कितने उद्योगों में निजी उद्यमियों के साथ कार्यक्रम शुरू किए हैं ;

(ख) क्या ये कार्यक्रम लाभप्रद हैं ;

(ग) क्या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में कोई प्रमुख उद्योग है ;

(घ) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) अब तक कितनी राशि निवेश की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) सभी प्रमुख उद्योगों अर्थात् वे उद्योग जिनका उल्लेख औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (जो 1980 की औद्यो-

गिक नीति का आधार है) की अनुसूची (क) में किया गया है, की स्थापना निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित करने पर निषेध है। अनुसूची की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

प्रश्न में आगे पूछा गया है कि "केन्द्रीय सरकार ने कितने उद्योगों में निजी उद्यमियों के साथ कार्यक्रम शुरू किए हैं।" इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रमुख उद्योगों में कितने कार्यक्रम शुरू किए जाने का क्या तात्पर्य है। प्रमुख उद्योगों के बारे में सरकार की नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में दी गई है।

जहां तक प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत प्रमुख उद्योगों का सम्बन्ध है यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशों में उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय निजी कम्पनियों के द्वारा संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय पार्टियों द्वारा शुरू किए गए इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त मौजूद हैं जो इस प्रकार के उद्यमों को शुरू करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

चूंकि विदेशों में इस प्रकार के संयुक्त उद्यम के लिए प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय है अतः प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) में वर्णित विदेशों में स्थित इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

विवरण

अनुसूची

1. हथियार और बारूद तथा प्रतिरक्षा उपकरण से सम्बद्ध वस्तुएं।
2. अणु ऊर्जा।
3. लोहा और इस्पात।
4. लोहा तथा इस्पात के भारी कास्टिंग तथा फोरजिंग।
5. लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए, खनन के लिए, मशीन टूल उत्पादकों के लिए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे अन्य प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक भारी संयत्र तथा मशीनरी।
6. बड़े हाइड्रालिक तथा स्टीम टरबाइनों सहित बिजली के भारी संयंत्र।
7. कोयला तथा लिगनाइट।
8. मिनरल आयल।
9. लोह अयस्क के खनन, मेंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिप्सम सल्फर, सोना तथा हीरा।
10. सीसा, जस्ता, टिन, मोलिब्डनम तथा वोल्फर्म के खनन तथा परिष्करण।

11. अणु ऊर्जा (उत्पादन तथा प्रयोग का नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मिनरल्स ।

12. एयरक्राफ्ट ।

13. वायु परिवहन ।

14. रेलवे परिवहन ।

15. शिप बिल्डिंग ।

16. टेलिफोन तथा टेलिफोन केबल, टेलिग्राफ तथा वायरलैस अपरेट्स (रेडियो रिसीवर्स सेटों को छोड़कर ।

17. बिजली को उत्पन्न करना तथा वितरण करना ।

प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी और जवान

6845. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन सेनाओं ने प्रतिवर्ष कुल कितने अधिकारी और जवान सेवा-निवृत्त होते हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया जाता है ; और

(ग) प्रति वर्ष कितने कर्मिक बेरोजगार रह जाते हैं और इस तारीख को कुल ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान थल सेना, नौ सेना और वायु सेना से प्रतिवर्ष औसतन 1000 अफसर और 49,000 जवान सेवा निवृत्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1977 से 1980 के दौरान नौकरी में लिए गए भूतपूर्व सैनिक और अफसर :—

वर्ष	जूनियर कमीशन अफसर अन्य रैंक			अफसर
	रोजगार कार्यालयों के के माध्यम से	पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से	कुल	
1977	13,405	3,286	16691	248
1978	14,038	3,109	17147	215
1979	13,362	2,812	16174	203
1980 (30 जून 1980 तक)	5,889	3,216	9105	125

इस समय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

वर्ष	संख्या
1977	1,22,900
1978	1,49,689
1979	1,59,824
1980 (30 जून, 1980 तक)	1,63,007

मणिपुर में जेल वार्डनों को वित्तीय लाभ

6846. **श्री अजय बिश्वास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के जेल वार्डनों को सभी वित्तीय लाभ मिल रहे हैं जो उस राज्य के पुलिस कार्मिकों को प्राप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वेतनमानों, कार्य-भत्ता, राशन भत्ता आदि के संबंध में जेल वार्डनों और पुलिस कार्मिकों के बीच क्या अन्तर है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अन्तर को समाप्त करने और जेल वार्डनों को वे सभी वित्तीय लाभ देने का है जो राज्य पुलिस कार्मिकों को प्राप्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"सी" ग्रेड स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति

6847. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर सशस्त्र सेना मुख्यालय में "सी" ग्रेड स्टेनोग्राफर के समकक्ष एक सहायक के रूप में भर्ती होने वाले व्यक्ति को लगभग पांच वर्ष के पश्चात् ही सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिल जाती है जबकि "सी" ग्रेड स्टेनोग्राफर को, जो कि स्वयं भी संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा पास करके आता है, 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् भी विशेष निजी सहायक (एस० पी० ए) के रूप में एक भी पदोन्नति नहीं मिलती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1959 में भर्ती किये गये "सी" ग्रेड के स्टेनोग्राफरों को आज तक भी विशेष निजी सहायक (एस० पी० ए०) नहीं बनाया गया है ; और

(ग) ऐसे निराश स्टेनोग्राफरों की दशा में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सहायक और आशुलिपिक ग्रेड "ग" दो अलग-अलग सेवाओं के हैं और उनकी पदोन्नति से संबंधित नियम भी अगग-अलग हैं। सहायकों को उनकी वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। आशुलिपिक ग्रेड "ग" को आशुलिपिक ग्रेड "ख" (वरिष्ठ निजी सहायक) के 50% पदों पर वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर और 50% पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हुए सहायकों को 5-6 वर्ष की स्वीकृत सेवा पूरी करने के बाद सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। ऐसे अशुलिपिक ग्रेड 'ग" हैं जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है परन्तु उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है।

(ख) 1959 में भर्ती हुए ऐसे आशुलिपिक ग्रेड "ग" हैं जिन्हें अभी वरिष्ठ निजी सहायकों के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है परन्तु उन सभी को 650-960 रुपये के वेतनमान में चयन ग्रेड दिया जा चुका है।

(ग) आशुलिपिक ग्रेड "ग" में 650-960 रुपये के वेतनमान में चयन ग्रेड शुरू कर दिया गया है। ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक के अफसरों, जो निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं और केवल आशुलिपिक ग्रेड "ग" के हकदार हैं, के साथ काम कर रहे आशुलिपिक ग्रेड "ग" के 63 पदों का दर्जा आशुलिपिक ग्रेड "ख" (वरिष्ठ निजी सहायक) में बढ़ा दिया गया है।

राजस्थान में समेकित आदिवासी विकास परियोजनायें

6848. **श्री जय नारायण रोट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय चल रही समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं की संख्या क्या है ; और

(ख) इस राज्य में प्रत्येक परियोजना की क्या प्रगति है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजस्थान में 5 समेकित जनजाति विकास परियोजनाऐं हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा समेकित जनजाति विकास परियोजना-वार आवंटन और व्यय के आंकड़े नहीं रखे रखे जाते हैं। तथापि जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए जिसमें से पांच

समेकित जनजाति विकास परियोजनाएँ हैं, आवंटन और इन पर हुआ व्यय निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	आवंटन	व्यय (रु० लाखों में)
1974-78	7223.65	7172.81
1978-79	3476.03	3178.72
1979-80	4083.41	3824.38
1980-81	4652.95	2282.33
कुल जोड़	19436.04	16418.23

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिया जाना

6849. **श्री मोतीलाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी का कपड़ा बहुत घटिया होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी का कपड़ा केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सप्लाई किये गये कपड़े की तुलना में बढ़िया किस्म का होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सप्लाई की जा रही वर्दियों के कपड़े की किस्म को सुधारने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रीष्म-कालीन वर्दियों लिए गाढ़े बिस्कुटी रंग के विशेष दसूती खादी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। उनकी शरद-कालीन वर्दियों के लिए ऊनी खादी का प्रयोग किया जाता है।

(ख) सरकारी उद्यम ब्यूरो के अनुसार, उन सरकारी उद्यमों को छोड़कर जहां खादी कार्यमूलक दक्षता अर्थात् सुरक्षा विनियमों आदि के प्रतिकूल हो, सभी सरकारी उद्यमों में काम कर रहे कर्मचारियों की वर्दियां बनाने के लिए खादी का प्रयोग किया जाता है। किन्तु राष्ट्रीय वस्त्र निगम को उस सीमा तक छूट दे दी गई है जहां तक इसकी इकाइयों द्वारा तैयार कपड़े का इसके कर्मचारियों की वर्दियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) इस समय निर्धारित किस्म का निर्णय 1980 में जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद् जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों [illegible] प्रतिनिधित्व होता है,

के कर्मचारी पक्ष की सहमति से किया गया है और इसीलिए इस समय कपड़े की विशिष्ट किस्म को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति के प्रतिवेदन दिये जाने में बिलम्ब

6850. **श्री अनवर अहमद**
श्री भीखा भाई } क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने अपना प्रतिवेदन देने में 6 वर्ष से अधिक समय लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के पेश किये जाने तथा उसे क्रियान्वित किये जाने में इतने बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार कर्मचारियों को इसके लाभ कब प्रदान करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने नवम्बर 1975 में काम शुरु किया और मई 1979 अर्थात् साढ़े तीन वर्ष में इसने अपना काम पूरा लिया था । तीन लाख से अधिक कामगरों के संबंध में पुनर्वर्गीकरण कार्य की मात्रा और उसकी जटिलता को देखते हुए सीमिति द्वारा उसे निपटाने में लगा समय बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता । समिति ने जिन वेतनमानों के लिए सिफारिश की थी उनके विरुद्ध रक्षा कामगारों द्वारा अभ्यावेदन देने की वजह से तथा उनके द्वारा रेलवे के वतनमानों के मुताबिक ग्रेड संरचना की मांग किए जाने की वजह से समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का काम रुक गया था । इसके लिए दूसरी समिति नियुक्त करना जरूरी हो गया था । इन दोनों समितियों की सिफारिशों की जांच की जा चुकी है और आशा है कि औद्योगिक कामगारों की ग्रेड-संरचना के बारे में निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा । गैर-औद्योगिक कामगारों में सम्बन्धित सिफारिशों पर भी कार्रवाई की जा रही है ।

वायु सेनाध्यक्ष की सेवावधि बढ़ाया जाना

6851. **श्री चतुर्भुज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेनाध्यक्ष की सेवा अवधि कब समाप्त होगी ;

(ख) क्या उनकी सेवावधि कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को अनुवर्ती अधिकारी पर इस सेवावधि के बढ़ाये जाने के प्रतिकूल प्रभाव की पूरी जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्धारित किये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वायु सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इस में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन

सरकार ने एयर चीफ मार्शल के रैंक में वायु सेनाध्यक्ष की सेवा-निवृति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक वर्तमान वायु में सेनाध्यक्ष की सेवा अवधि को 31 अगस्त, 1981 तक अर्थात् जब वह इस पद में 2 वर्ष की अवधि पूरी करेंगे तब तक बढाया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त फैसला करते समय सरकार ने इस बात का इतमीनान कर लिया है कि परवर्ती अफसरों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) उपर्युक्त फैसला करने में सरकार इस उद्देश्य को लेकर चली है कि वायु सेनाध्यक्ष का कार्यकाल थल सेनाध्य और नौ-सेनाध्यक्ष के कार्यालय के बराबर लाया जाए।

पश्चिम बंगाल की वर्ष 1981 82 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

6852. **श्री सनतकुमार मण्डल** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1981-82 की अपनी वार्षिक योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहित आर्थिक और समाज कल्याण कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित परिव्यय और लक्ष्य क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने इस संबन्ध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्होंने क्या संशोधन सुझाए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार की उनके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 766.68 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। सबंधित सूचना सभा पटल पर विवरण के रूप में प्रस्तुत है।

(ग) उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, योजना का आकार 638 करोड़ रु० नियत किया गया था।

(घ) 638 करोड़ रु० के समग्र सहमत परिव्यय के भीतर कुछ पारस्परिक परिवर्तनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है और इन पर विचार हो रहा है।

विवरण

1981-82-परिव्यय —पश्चिम बंगाल

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित	राज्य सरकार द्वारा अब प्रस्तुत किया गया क्षेत्रकीय वितरण
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	13455	12322
2. सहकारिता	1114	1030
3. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7000	6700
4. विद्युतत्	18925	16285
5. उद्योग और खनिज	8677	4710
6. परिवहन और संचार	7968	5396
7. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	—	—
(क) शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित)	5697	5390
(ख) स्वास्थ्य	1813	1575
(ग) आवास पुलिस आवास सहित)	1245	991
8. आर्थिक सेवाएं	56	25
9. सामान्य सेवाएं	802	640
कुल जोड़	76668	63800*

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (11 करोड़ रु०), काम के लिए अनाज कार्यक्रम (12 करोड़ रु०), पहाड़ी क्षेत्र अनुपूरक सहायता (6 करोड़ रु०) जनजातीय उप योजना (3 करोड़ रु०) के लिए 32 करोड़ रु० के अतिरिक्त आवंटन को छोड़कर।

1981-82—वास्तविक लक्ष्य—पश्चिम बंगाल

मद	इकाई	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित
1	2	3
खाद्यान्न उत्पादन	लाख टन	98.81
पटसन और मेस्ता	लाख गांठें	42,94
विद्युत्-संस्थापित क्षमता	मे० वा०	1181.45

1	2	3
सड़कें-पक्की	कि० मी०	1152
प्रारम्भिक शिक्षा नामांकन)		
(क) कक्षा 1 से 5	000	6973
(ख) कक्षा 6 से 8	000	21.50
(ग) कक्षा 9 से 10	000	7.44
अस्पताल और औषधालय		
(क) शहरी अतिरिक्त)	संख्या	2
(ख) ग्रामीण (अतिरिक्त)	संख्या	20
आवास		
(क) ग्रामीण आवास स्थल (प० न्यू० आ० का०)	संख्या	42,000
(ख) राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम	संख्या	114
(ग) निम्न आय वर्ग बीमा स्कीम	संख्या	785
(घ) मध्य आय वर्ग आवास स्कीम	संख्या	385

गोवा, दमण और दीव का औद्योगिकरण

6853. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमण और दीव में प्राथमिकता वाले उद्योगों का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दमण और दीव के आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रोत्साहन और रियायतें दी जायेंगी ; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इकोनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन गोवा ने कार्यान्वयन हेतु औद्योगिक संभाव्यता वाली योजनाओं और परियोजनाओं का पता लगाने तथा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने और उसका अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० को सौंपा है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम प्राथमिकता और परियोजना विवरणों इत्यादि का उल्लेख करते हुए सिन्थेसिस रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्रीय परियोजना सुविधाओं स्थानीय संसाधनों, विद्यमान उत्पादन एककों अवस्थापना सुविधाओं और कुशल मानव शक्ति से सम्बन्धित आंकड़ों का व्यापक मूल्यांकन करेगा।

ताकि संघ शासित प्रशासन व्यापक आनुषंगीकरण के लिए संभाव्यता सहित औद्योगिक एककों का अन्तिम चयन करने में सक्षम हो सकेगा। संघ-शासित प्रशासन ने दमण में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना की है तथा दिव में दूसरी बस्ती स्थापित करने का भी निर्णय ले लिया है।

(ग) और (घ) संघशासित क्षेत्र की राजधानी के महानगरीय सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र को छोड़कर संघशासित क्षेत्र, गोवा का सम्पूर्ण क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :--

1. 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजीगत राजसहायता।
2. रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता।
3. राजसहायता प्राप्त भाड़ा दरों किराये पर तैयार शैड, पानी बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त विकसित औद्योगिक बस्तियां।
4. लघु एककों को रियायती दर पर विद्युत प्रशुल्क।
5. लघु एककों को 5 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट।
6. प्रथम 10 वर्षों में कराधानपूर्व 20 प्रतिशत लाभ पर आयकर से छूट।
7. संभाव्यता अध्ययन लागत पर 50 प्रतिशत राजसहायता।
8. उपयुक्त, शिक्षित कुशल श्रमिकों के चयन और भर्ती में सहायता।
9. लघु एककों को 15 प्रतिशत मूल्य अधिमान।
10. पिछड़े क्षेत्रों के लिए सरकार की आयात-निर्यात संबंधी नई नीति के अन्तर्गत उपलब्ध आयात की सभी सुविधाएं।

मध्य प्रदेश में रेवा तथा छतरपुर सहित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

6854. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा निर्धन क्षेत्रों तथा रेवा, छतरपुर तथा भूतपूर्व विंध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के नए उद्योग आरम्भ करने के प्रस्तावों पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धरणजीत चानना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रेवा तथा छतरपुर को पहले ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ स्वीकार किया गया है तथा ये जिले अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता संस्थानों से वित्त सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। छतर

पुर जिले तथा रेवा जिले के रेवा तथा रायपुर (गढ) खण्डों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए भी अर्ह स्वीकार किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए उपर्युक्त दो प्रोत्साहनों के अलावा निम्नलिखित सहायता तथा सुविधाएं भी प्रदान करती है :—

(1) कर सम्बन्धी रियायतें ।

(2) लघु उद्योगों द्वारा मशीनरी की किराया खरीद ।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।

(4) ब्याज सहायता ।

(5) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं ।

(6) ग्रामीण उद्योग परिप्रोजना कार्यक्रम ।

(7) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

(8) प्रारम्भिक सीमान्त धन सहायता ।

(9) जिला उद्योग केन्द्र ।

मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स द्वारा अंशधारियों को स्कूटरों का आबंटन

1855. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स के अंशधारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर दिए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अंशधारियों की संख्या क्या है, जिन्हें स्कूटर दिए गये हैं ;

(ग) ऐसे अंशधारियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अब तक स्कूटर नहीं लिये है ; और

(घ) कम्पनी के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आबंटन करने का क्या मापदण्ड है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मै० महाराष्ट्र स्कूटर्स ने बताया है कि ऐसी एक योजना थी जिसके अधीन प्रारंभिक शेयरधारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर आबंटित किये जाते थे ।

(ख) बारह हजार ।

(ग) तिरेपन ।

(घ) निर्माताओं के अनुसार, कर्मचारी एक स्थायी कर्मचारी हो जिसने कम से कम तीन वर्ष तक लगातार सेवा की हो और जिसका मूल वेतन 500 रु० और उससे अधिक हो; को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के लिए विचार किया जाता है ।

राज्यों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की संख्या का निर्धारण

6856. **श्री नित्यानंद मिश्रा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में इस समय आई० ए० एस० और आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस संवर्ग के अधिकारियों की संख्या का निर्धारण करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या सिफारिश है ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में इस संवर्ग के अधिकारियों की संख्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) सूचना अनुबन्ध-II में दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2332/81]

विवरण

कार्मिक प्रशासन, अप्रैल 1969 पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट द्वारा भर्ती नीति के अध्याय V का उद्धरण :—

5. विभिन्न संवर्गों के प्रबंध के लिए उपयुक्त तंत्र का अभाव एक ऐसा कारक है जो भर्ती को प्रभावित करता है । प्रत्येक सेवा में अपने संवर्गाधीन पदों के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति पदों, यदि कोई हों, को भरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । हमने यह देखा है कि अधिकांश प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनियुक्ति आरक्षणों की व्यवस्था नहीं होती है हालांकि बाहरी प्रतिनियुक्तियों के लिए उनके कार्मिकों की मांग की जाती है । पदों का ढांचा बनाने से पूर्व ध्यानपूर्वक जांच भी नहीं की जाती । इन दोनों कमियों के परिणामस्वरूप सुनियोजित भर्ती नहीं हो पाती । अत: यह जरूरी है कि आवश्यकताओं का पूर्वानुमान 5 वर्ष की अवधि के लिए पर्याप्त पहले से कर लिया जाए और प्रत्येक सेवा के लिए संवर्ग प्रबंध समितियां बनाई जाएं । संवर्ग प्रबंध समिति में नियन्त्रण प्राधिकारी के साथ-साथ केन्द्रीय कार्मिक एजेंसी प्रतिनिधियों और "प्रयोक्ता हित" यदि कोई हो, के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं । इस संदर्भ में "प्रयोक्ता हित" से अभिप्राय है नियंत्रण प्राधिकारी के अतिरिक्त वे अन्य संगठन जहां सम्बन्धित प्रतिनियुक्ति कार्मिकों की सेवाओं का काफी उपयोग करने की संभावना रहती है । इस समिति

का कार्य होगा, पांच वर्ष के लिए संवर्ग आवश्यकताओं का अग्रिम सिंहावलोकन करना और विकासों को देखते हुए जिन मध्यावधि सुधारों की आवश्यकता हो उनका सुझाव देना ।

सीमेंट और अखबारी कागज के लक्ष्य

6857. **श्री अशोक गुह लोत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट और अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो उन लक्ष्यों की कितनी-कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा सीमेंट उद्योग के लिए गठित कार्यकारी दल (1980-85) ने सीमेंट उद्योग द्वारा 1984-85 तक क्षमता का उपयोग तथा उत्पादन किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुमान लगाया है: —

क्षमता	469.8 लाख मी० टन
उत्पादन	372.6 लाख मी० टन

छठी पंचवर्षीय योजना में अखबारी कागज के लिए 2.30 लाख मी० टन की क्षमता तथा 1 80 लाख मी० टन उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अनन्तिम रूप से सिफारिश की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

रॉ के अधिकारियों को मुअत्तिल करना

6858. **श्री नीरेन घोष** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नवम्बर-दिसम्बर, 1980 में रॉ के 87 अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया था ;

(ख) क्या उनमें से सभी अधिकारियों को लिखित में निलम्बन के आदेश दे दिये गये थे; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ;

(ग) उनके निलम्बन के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या तीन वर्ष की सेवावधि के बाद कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) 61 कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया था।

(ख) जी हाँ।

(ग) 60 कर्मचारियों को, अधिकारियों का घेराव करने और अनुशासन भंग करने के अन्य कृत्यों के लिए मुअत्तिल किया गया था। 1 कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आरोप में मुअत्तिल किया गया था।

(घ) और (ङ) 61 कर्मचारियों में से 54 अपने रैंक में अथवा निचले रैंकों में स्थायित्व हैं। शेष कर्मचारियों के मामले विभिन्न संवर्गों के प्रारम्भिक गठन से जुड़े हैं।

अपराधों को रोकथाम करने के लिए "बीट-बाक्स" प्रणाली का शुरू किया जाना

0859. श्री राम प्यारे पनिका
श्री धर्मदास शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस ने अपराधों की रोकथाम करने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र में "बीट-बाक्स" प्रणाली शुरू की है ;

(ख) क्या इस प्रणाली से अपराधों की रोकथाम करने में मदद मिली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को पूरे देश में शुरू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रणाली को परीक्षणात्मक आधार पर पश्चिमी जिले में शुरू किया गया है।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए विभिन्न अन्य उपायों के साथ-साथ इस प्रणाली से अपराधों को कम करने में सहायता मिली है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें प्रणाली को अपनाने के लिए सक्षम है।

सिरोही जिले के बनास में सीमेंट उद्योग की स्थापना

6860. श्री वरदा राम फुलवारिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सिरोही जिले के "बनास" में लगाई जा रही सीमेंट-फैक्टरी में कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा ;

(ख) उसकी उत्पादन-क्षमता कितनी होगी और राजस्थान को उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग आबंटित किया जायेगा ; और

(ग) इस फैक्टरी में राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मे० स्ट्रा प्रोडक्टस लि० नामक उद्यम द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार बनास में 5 लाख मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले एक नए सीमेंट संयंत्र के 1982-83 तक चालू हो जाने की संभावना है। इस कारखाने में तैयार किए जाने वाले सीमेंट के वितरण की प्रणाली के बारे में इस समय बता सकना कठिन है क्योंकि कारखाने में उत्पादन शुरू होने के समय सीमेंट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसका वितरण समूचे देश के आधार पर किया जाता है।

(ग) पार्टी द्वारा औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन के अनुसार 575 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा। यह कारखाना जो निजी क्षेत्र में है, भर्ती के मामले में स्वयं अपने मानदण्ड अपनायेगा, अतएव, इस कारखाने में रोजगार प्रदान करने संबंधी मानदण्ड के बारे में बता सकना सम्भव नहीं है।

आत्माराम सनातन धर्म कालेज, नई दिल्ली के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज

6861 **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आत्माराम सनातन धर्म कालेज, धौला कुआं, नई दिल्ली में विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा 5 मार्च, 1981 को लाठी चलाई गई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने विद्यार्थी घायल हुए और पुलिस द्वारा पकड़े गए ; और

(घ) विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि जिस रास्ते से फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के राष्ट्रपति के गुजरने की आशा थी उस पर भीड़ को तितर बितर करने और रास्ते को साफ करने के लिए चेतावनी देने के बाद अश्रु गैस के गोलों का प्रयोग किया गया था।

(ग) तीन छात्रों को चोटें आयी थी, जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के समय विरोध किया था। कुल मिलाकर 21 छात्र गिरफ्तार किए गए थे और बाद में उन्हें व्यक्तिगत बान्डों पर रिहा कर दिया गया।

(घ) छात्रों ने 21.2.81 को आत्मा राम सनातन धर्म कालेज के छात्र प्रमोद कुमार की मृत्यु के लिए जिम्मेदार एक निजी बस चालक और उसके साथी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आन्दोलन किया था। छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इंजीनियरों के लिए अखिल भारतीय सेवा का बनाया जाना

6862. **श्री एन० सेलवाराज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों के असहमति के बावजूद इंजीनियरों के लिए अखिल भारतीय सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने और इंजीनियरों के स्थानीय प्रभाव से मुक्त रखने के लिए ऐसी सेवा बनाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ग) क्या प्रस्ताविक सेवा के लिए नियम और विनियम इस प्रकार से बनाए जायेंगे जिससे सेवारत इंजीनियरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ; और

(घ) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) इंजीनियरों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा अर्थात् भारतीय इंजीनियर्स सेवा (सिंचाई विद्युत, भवन तथा सड़क) के गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । उक्त सेवा में भर्ती के विनियमन और सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों की व्यवस्था करने के लिए नियम और विनियमों को, सरकार द्वारा सेवा के गठन के प्रश्न पर कोई निर्णय ले लिए जाने के बाद ही संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बनाया जाएगा ।

गुजरात में संकटग्रस्त औद्योगिक एकक

6863. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1975 से फरवरी, 1981 की अवधि में गुजरात में संकटग्रस्त औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है तथा वे कहां कहां स्थित हैं, उनमें से प्रत्येक एकक द्वारा किस-किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है तथा उनका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन संकटग्रस्त एककों के नाम क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है तथा किस-किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने ऋण दिया हैं तथा प्रत्येक को कितना-कितना ऋण दिया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया रुग्णता की अपनी परिभाषा के अनुसार बड़े औद्योगिक एककों के राज्यवार आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठे कर रहा है । गुजरात में इस प्रकार के एककों के अलग अलग उद्योगवार आंकड़ें एवं 1977, 1978 और 1979 के वर्षों के बैंक के बकाया ऋण संलग्न विवरण में दिए गए हैं वर्ष 1977 से पहले और 1979 के बाद के इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने केवल एक वर्ष अर्थात् 1979 के लिये राज्यवार एककों की रूग्णता लघु क्षेत्र में बैंकों द्वारा की गई वित्त व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्र की थी । 31 दिसम्बर, 1979 को गुजरात में इस प्रकार के 856 एकक थे ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि बैंकरों में प्रचलित नीति और प्रथा जो उनमें पारम्परिक हैं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रशासन करने वाले कानून के उपबन्धों के अनुसार भी अलग-अलग रुग्ण एकक को दी गई बैंक वार अग्रिम राशियों तथा उनके द्वारा उत्पादन की जा रही वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रकट करना संभव नहीं है ।

विवरण

उद्योग	31.12.1977 को		31.12.1978 को		31.12.1979 को	
	एककों की संख्या	राशि	एककों की संख्या	राशि	एककों की संख्या	राशि
इंजीनियरी तथा विद्युत संबंधी	5	12.79	5	12.84	5	17.63
लोहा और इस्पात	3	4.00	6	8.18	7	10.15
वस्त्र	22	60.78	24	62.87	23	62.22
रसायन	—	—	—	—	—	—
रबड़	—	—	—	—	—	—
सीमेंट	—	—	—	—	—	—
जूट	—	—	—	—	—	—
चीनी	—	—	—	—	—	—
विविध	1	4.99	3	9.10	2	3.57
कुल योग	32	82.56	38	92.99	37	93.57

सुनील बत्रा के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

6863. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनील बत्रा के मामले में ए. आई. आर. एस. सी. में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां है,

(एक) वंचन "डेपरीवेशन—" के सांविधिक प्रयोजनार्थ न्यायालय के उत्तरदायित्व के बारे में पृष्ठ 1579 -- 80 पर उल्लिखित टिप्पणी;

(दो) "जेल में व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना "के बारे में पृष्ठ 1590 पर पैरा 30 में उल्लिखित टिप्पणी; और

(तीन) "बन्दी के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य" के बारे में पृष्ठ 1597 पर पैरा 65 में उल्लिखित टिप्पणी; और

(ख) इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या सलाह दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय रिपोर्टर 1980 (उच्चतम न्यायालय) 1979 में तथा प्रकाशित 1979 की रिट याचिका सं. 1009 सुनील बत्रा वादी बनाम दिल्ली प्रशासन, प्रतिवादी में अपने 20 नवम्बर, 1979 के निर्णय में यह टिप्पणी की थी ।

(1) और(2) किसी व्यक्ति को, चाहे वह जेल के भीतर हो या बाहर "सही" न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीकों को छोडकर उसको प्रतिभूत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा । संविधान के अधीन अथवा अन्य कानून के अधीन जहां किसी कैदी के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, वहां अपने बचाव के लिए उसको न्यायालय में रिट करने का अधिकार हो सकता है और होना चाहिए । इस सतर्कता की जरुरत है । न्यायालय प्रक्रिया अभियुक्त को जेल प्रणाली में डालती है और उसकी स्वतंत्रता का वंचन अविवेकपूर्ण दण्ड नहीं है बल्कि इससे संस्थागत सामाजिक अच्छाई बढती है । यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय का सतत प्रयास है की जेल प्रशासन द्वारा वंचन का संविधानिक प्रयोजन विफल न हो ।

(3) जिला मजिस्ट्रेट को यह याद रखना चाहिए कि वह इस क्षमता में एक न्यायिक अधिकारी है न कि कार्यकारी प्रधान और इस प्रकार उसे जेल कार्यकारिणी से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए । सुधारात्मक संस्थाओं में कैदियों के अधिकारों को व्यवहार्य बनाने के लिए हम संबंधित मजिस्ट्रेट को अपने जिले में जेलों का प्रति सप्ताह एक बार निरीक्षण करने, अलग-अलग कैदियों से शिकायतें प्राप्त करने और उनकी तुरन्त जांच करने का निदेश देते हैं । यदि यह आवश्यक कार्य में पहले से व्यस्त है, तो उसे जेल का दौरा करने तथा निरीक्षण करने के लिए अपने अधिनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त करना चाहिए । महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कैदियों की शिकायतें हों तो उन्हें उनसे अलग-अलग भेंट करनी चाहिए । वहां वार्डर और अधिकारी उपस्थित नहीं होने चाहिएं । उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ गुप्त हो, भले ही वास्तविक न्याय के अधीन हो और उससे जेल अधिकारियों का प्रत्यपकार न होता हो । नियम अनुसार प्रत्येक दौरे निरीक्षण के फल का रिकार्ड हो । यह उसे जांच करने तथा आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है । उसके द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों का तुरन्त अनुपालन होना चाहिए क्योंकि आज्ञा का पालन अनिवार्य है । अनुपालन न करने की स्थिति में उसे तुरन्त ऐसी अवज्ञा के बारे में सरकार की सूचित करना चाहिए और कैदी को सलाह देनी चाहिए कि वह अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को अपनी शिकायत भेजे और उसके साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण शक्ति का प्रयोग करने उच्च न्यायालय की सहायता के लिए अपनी रिपोर्ट भेजें । निःसंदेह यह व्यवहार्य होगा, यदि जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक वार्ड में एक शिकायत पेटी रखे, जहां प्रत्येक कैदी की निर्बाध पहुंच हो । वह इसे ताला और सील लगाकर रखे और अपने सांवधिक दौरे पर वह अकेला अथवा उसका प्रतिनिधि पेटी को खोले, शिकायतों का पता लगाये, उनकी गुण दोषों की जांच पड़ताल करे और यदि न्यायसंगत हो, सुधारात्मक कारंवाई करे ।

(ख) उपर्युक्त(1) और(2) में उल्लिखित टिप्पणियां विभिन्न न्यायालयों के लिए अनुदेशों मार्गदर्शन निदेशों के रुप में हैं। कोई भी व्यक्ति. जिसके साथ अन्याय किया गया हो अथवा उसे स्वतंत्रता से वंचित किया गया हो, न्याय की मांग कर सकता है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, उनके द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा प्रकाशित एक आदर्श जेल मैनुअल, जिसे अपनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से भी सिफारिश की गई थी, में यह निर्धारित किया गया था कि दण्ड का सर्वोच्य उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास करके समाज का संरक्षण करना होगा। कारावास में अंतर्निहित दण्ड में भी मूलत: स्वाधीनता का वंचन और जेल प्रथा से, न्यायसंगत पृथककरण अथवा अनुशासन बनाये रखने के छोड़कर, किसी ऐसी अवस्था में अंतर्निहित यातना में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

जहां तक उपर्युक्त (3) में उल्लिखित कैदियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए "जिला मजिस्ट्रेटों के कर्तव्यों" मे संबंधित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया के प्रश्न का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अपने निर्णय की एक प्रति स्वयं भेजी थी। "जेल" राज्य विषय होने के नाते, उच्तम न्यायलय के निदेश के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का काम है। हमें उपलब्ध सूचना के अनुसार असम सरकार ने न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने का पहले ही निर्णय कर लिया है और तिहाड़ जेल, दिल्ली में शिकायत पेटियां रख दी गई हैं।

दिल्ली में रोजगार केन्द्र के पास दर्ज नेत्रहीन व्यक्ति

6865. **श्री रशीद मसूद**
श्री चन्द्रजीत यादव
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री जगपाल सिंह
श्री रामविलास पासवान
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा
श्री मंगलराम प्रेमी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) वर्ष 1980 के अन्त तक दिल्ली के विशेष रोजगार केन्द्र के पास कितने नेत्रहीन व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान. वर्ष-वार, कितने-कितने व्यक्ति रोजगार पा सके; और

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए यदि कोई केन्द्रीय कार्यक्रम है. तो वह क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) विशेष रोजगार कार्यालय, दिल्ली के चालू रजिस्टर पर 1980 के अन्त में रोजगार चाहने वाले नेत्रहीनों की संख्या 333 थी।

(ख) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान दिल्ली में विशेष रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार में लगाए गए नौकरी चाहने वाले नेत्रहीनों की संख्या क्रमशः 1 और 10 थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और स्वैच्छिक अभिकरणों के घनिष्ठ सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देना चाहती है। अनेक स्वैच्छिक संगठन/एसोसिएशन "विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" के अन्तर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वासन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष केन्द्रीय सहायता की याचना करते हैं। इन प्रस्तावों की सहायता योजना के अनुसार जांच की जाती है और जिन मामलों में निर्धारित मापदण्ड पूरे होते हैं, उनमें आवर्त्ती और अनावर्त्ती दोनों मद्दों के लिए अनुमानित लागत की 90% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। भवनों के निर्माण से संबन्धित प्रस्तावों के मामलों में अधिकतम सहायता 2.50 लाख रुपये दी जाती है। 1979-80 में 110 स्वैच्छिक संगठनों को 90.03 लाख रुपये की सहायता दी गई थी।

2. भारत सरकार ने देहरादून में दृष्टिहीन विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :—

(क) अनुसन्धान आयोजित करना;

(ख) कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, और

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करना।

इसकी वर्तमान सेवाओं में ब्रेल पुस्तकों और उपकरणों का उत्पादन, एक पुस्तकालय सेवा और एक शेल्टर्ड वर्कशाप, नेत्रहीन तथा अंशतः दृष्टीहीन बच्चों के लिए स्कूल और एक शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है। लगभग 200 नेत्रहीन पुरुषों और महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, इसकी सेवाएं देश भर में लगभग 2500 लाभानुभोगियों को प्राप्त है।

3. विकलांग व्यक्तियों तथा नेत्रहीन व्यक्तियों को पुनर्वासन और नियुक्ति सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों (नेत्रहीन सहित) के लिए एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र और एक विशेष रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन में अड़चन

6866. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों में उत्पादन शुरु होने में कई वर्ष का समय लगने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ नये उद्योग बिजली और पानी न मिलने के कारण उत्पादन शुरु न कर सके ;

(ग) राजस्थान में हाल ही में स्थापित किये गये ऐसे उद्योग कितने हैं जिनमें उपरोक्त बाधाओं के कारण उत्पादन शुरु न हो सका ; और

(घ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) औद्योगिक एकक की स्थापना करने के लिए कम से कम निर्माण काल की आवश्यकता होती है। औद्योगिक स्वीकृतियों की योजना में इसे महसूस किया गया है और आशय-पत्र के लिए एक वर्ष और औद्योगिक लाइसेंस के लिए दो वर्षों की वैधता अवधि की अनुमति दी गई है।

परियोजना को अपर्याप्त तैयारी और/अथवा वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रर्याप्त प्रौद्योगिकी का न होना, पूंजीगत वस्तुओं के आयात की कमी, निर्माण सामग्री का अभाव तथा अन्ततोगत्वा औद्योगिक अवस्थापना की अपर्याप्तता के कारण कभी-कभी अधिक समय लग जाता है। औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अवस्थापना संबंधी कारणों पर उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न रुकावटों को दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के कुछ नए औद्योगिक एककों में इस कारण उत्पादन नहीं हो सका कि बिजली की कमी के कारण नए कनेक्शन मंजूर नहीं किए जा सके। प्रकार के एककों की वास्तविक संख्या का अभी पता नहीं लगाया गया है। डीजल जेनरेटिंग सैट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। नियमित रूप से निरीक्षण करने, बिजली में रुकावट और बिजली की खपत का पुनः निर्धारण करने का काम भी किया जा रहा है जिससे उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध बिजली का इष्टतम उपयोग करने का सुनिश्चय किया जा सके।

राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित औद्योगिक एककों की स्थापना

6867. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री नवल किशोर शर्मा
आचार्य भगवान देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने छठी योजना के दौरान राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रवर्तित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयां कितनी हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता से उद्योगों की स्थापना के किये जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा है और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम तथा स्थल क्या हैं जहां इस तरह की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी ; और

(घ) राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

साधारणत: सभी राज्य सरकारें सम्बद्ध राज्यों में सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुरोध करती है । किन्तु सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना तकनीकी-आर्थिक चिन्तन के आधार पर निर्भर करती है । फिर भी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहते हुए सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में की जाती है । जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल किया गया है । राजस्थान की विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची नीचे दी जाती है ।

1. **हिन्दुस्तान कापर लि०**—खेतरी तांबा परियोजना (खेतरी कापर कम्पलैक्स, स्मैल्टर और रिफइनरी, उपोत्पाद संयंत्र आदि का विस्तार) ।
   (परिव्यय: 34.36 करोड़ रुपये) ।

2. **हिन्दुस्तान जिंक लि०** —राजपुरा दरीबा खानें, जवारमाला खानें, मेटन फास्फेटिक खानें, विदोहन, देवरी स्मैल्टर विस्तार, सम्प्रक्षालित अवशेष शोधक संयंत्र (लीच रेजीड्यू ट्रीटमेंट प्लांट), मगुचबरोई खानें और स्मैल्टर कम्पलैक्स, सिलवर सरकारी रिकवरी संयंत्र, पाइराइटस उपयोग संयंत्र आदि ।
   (परिव्यय: 99.22 करोड़ रुपये) ।

3. **एच० एम० टी० लिमिटेड** :—मशीनी औजार प्रभाग—अजमेर,—विस्तार, विविधीकरण आदि ।
   (परिव्यय: 1.32 करोड़ रुपये) ।

4. **हैवी वाटर प्रोजेक्ट, कोटा** :
   (परिव्यय 13 86 करोड़ रुपये) ।

5. **पाइराइट्स एण्ड फास्फेट्स लि०** : सलादीपुरा में पाइराइट्स का उत्खनन और छानना ।
   (परिव्यय : 10.50 करोड़ रुपये) ।

6. **हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड** : सांभरसाल्ट्स (परिव्यय 12 करोड़ रुपये)।

7. **इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा** : मिल्क एनालाइजर्स प्रोजेक्ट के विनिर्माण सहित विविधीकरण, विस्तार कार्य जिसे आंशिक रूप से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा वित्त दिया जायेगा।

8. **इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०** : संयुक्त क्षेत्र का फार्मूलेशन एकक (परिव्यय: 0.11 करोड़ रुपये)।

त्रिपुरा में कागज मिल की स्थापना

6868. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कागज मिल की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने राज्य में उपलब्ध बांस सम्पदा पर आधारित एक कागज/लुगदी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु, एक कागज मिल जैसी बड़ी परियोजना के समर्थन के लिए यह आवश्यक है कि अवस्थापना सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं का विकास किया जाए। राज्य सरकार को आन्तरिक अवस्थापना के विकास और इस प्रकार की एक विशाल परियोजना के पोषण के लिए संस्थागत ढांचे की संभावनाओं की जांच करने की सलाह दी गई है।

पटियाला में भारतीय वायु सेना के हेलिकोप्टर और पुष्पक वायुयान में टक्कर

6869. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटियाला में 20 फरवरी, को भारतीय वायु सेना के हेलीकाप्टर की पुष्पक वायुयान से हुई टक्कर की कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को कोई हर्जाना दिया गया है और जांच रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच अदालत का गठन किया गया है। जांच अदालत की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद दुर्घटना होने के कारणों का ब्यौरा सरकार को प्राप्त हो सकेगा।

(ग) दुर्घटना में मारे गए सेना के अफसरों के परिवार मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार उपदान, विशेष परिवार पेंशन' संतान शिक्षण भत्ता, सामूहिक बीमा योजनाओं से भुगतान तथा अन्य मुआवजों के अलावा अनुग्रह पूर्वक अदायगी पाने के भी हकदार होंगे। इन रकमों के भुगतान को अन्तिम रूप देने से संबंधित प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक सिविलियन पायलटों का संबंध है उनके मामले में पंजाब सरकार को विचार करना है क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त सिविलियन वायुयान उक्त सरकार का था और वह उन्ही के संचालन में चलाया जा रहा था। दुर्घटना में मारी गई सिविलियन महिला के निकटतम सम्बन्धी को समय-समय पर यथा संशोधित कामगार मुआवजा दिया जाएगा।

नौसेना के लिए गत तीन वर्षों का बजट आवंटन

6870 **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के लिए गत तीन वर्षों के लिए धन और प्रतिशतता के सन्दर्भ में रक्षा बजट में कितना आवंटन किया गया ; और

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में नौसेना के लिए किसी "बल्यू वाटर" भूमिका के बारे में सोचा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में रक्षा बजट की तुलना में नौसेना के लिए आबंटन निम्नलिखित था :--

(करोड़ रुपयों में)

	1978-79 (वास्तविक)	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (संशोधित अनुमान)
रक्षा व्यय (शुद्ध)	2866.92	3355.63	3800
नौसेना का अंश (शुद्ध)	264.83	292.20	335
प्रतिशत	9.24	8.94	9 5

2. सरकार की हमेशा यही नीति रही है कि नौसेना का संतुलित विकास किया जाए और उसके लिए समुद्री, समुद्रतटीय और बन्दरगाह सम्बन्धी पर्याप्त रक्षा क्षमताएं स्थापित की जाएं। उपलब्ध साधनों के भीतर इस सेना को आधुनिक बनाने और उसके लिए पर्याप्त क्षमताओं

की व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि वह हमारे समुद्री हितों की रक्षा कर सके।

औद्योगिक क्षेत्र में भारत का कीनिया को सहयोग

6871. **श्री एन० रामगोपाल रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया ने औद्योगिक अनुसंधान इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य उद्योगों के क्षेत्र में भारतीय सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) और (ख) केन्या ने औद्योगिक अनुसंधान और उद्योगों के विकास में भारतीय सहयोग के लिए साधारण तौर पर अनुरोध किया है। इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए उस देश ने विशेष रूप से अनुरोध किया है।

(1) संचार इलेक्ट्रोनिक्स, रक्षा इलेक्ट्रोनिक्स के निर्माण में केन्या के तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण सुविधा।

(2) इलेक्ट्रोनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने में केन्या सरकार को तकनीकी सहायता देना।

(3) एक भावी योजना तैयार करने में सहायता करना।

भारत सरकार ने केन्या सरकार के साथ एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया है। इसके अन्तर्गत तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। इस करार की सीमा के अन्दर विशिष्ट सहायता प्रदान की जायेगी।

अर्ध सरकारी संगठनों और उपक्रमों में पेंशन योजना का लागू किया जाना

6872. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां यह लागू नहीं है, भविष्य निधि और उपदान योजनाओं के साथ पेंशन योजना लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार अर्ध सरकारी संगठनों और उपक्रमों में भी पेंशन योजना लागु करने का है ताकि वहां काम करने वाले श्रमिकों की वित्तीय स्थिति स्थिर हो जाये; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जब कभी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होगा तो इसकी गुण-दोष के आधार पर जांच की जाएगी ।

नाथूराम गोडसे के वक्तव्य के बारे में प्रकाशन पर रोक

6873. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी हत्याकांड में मुकदमा चलाने के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष नाथूराम गोडसे के दोष-स्वीकरण संबंधी वक्तव्य के प्रकाशन पर रोक थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तब से यह रोक हटा ली गई है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने विशेष रूप से नाथूराम गोडसे के बयान के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था । 1948 और 1949 में तत्कालीन प्रान्तीय सरकारों और भारतीय राज्यों को इसके मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने की सलाह दी गई थी । परन्तु प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम, 1951 ने समाचार-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के मुद्रण, प्रकाशन इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रान्तीय और राज्य अधिनियमों के उपबन्धों को निरसित कर दिया ।

पालम जोन दिल्ली की कालोनियों से वसूल किया गया गृह कर

6874. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत, अलग अलग सागरपुर, इन्दिरा कालोनी और पालम जोन के अन्य भागों से वसूल किए गए गृह कर की राशि क्या है ;

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा इस गृह कर के बदले उपरोक्त कालोनियों को अब तक प्रदान की गई सुविधाएं क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों में इन कालोनियों में गृह कर की कुल वसूली रु० 39,592.36 पैसे है जिसका कालोनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) राज नगर	रुपये 4113.76
(2) इन्द्रा पार्क	रुपये 2089.90
(3) पालम इंकलेव	रुपये 5285.15
(4) शाद नगर	रुपये 5785.35
(5) सागरपुर	रुपये 22314.20

(ख) और (ग) निगम ने सूचित किया है कि सम्पत्ति कर और लेवी किसी कालोनी में जन सुविधाएं की व्यवस्था अथवा प्रदान की गई सेवाओं का अदला बदला नहीं है।

सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6875. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रमुख मराठी समाचार पत्र अर्थात् सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेट, पूना के कर्मचारी 3 फरवरी, 1981 से "काम रोको" हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई, पूना और कोल्हापुर से मुद्रित सकल समाचार पत्र पर पालेकर न्यायाधिकरण की सिफारिशों और उन पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों को लागू नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सकल समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के मालिकों की भूल के कारण उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) यह सूचित किया है कि पूना और बम्बई में सकल समाचार पत्र प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने इस कारण हड़ताल की, कि मालिकों ने पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों को सही ढंग से कार्यान्वित करने से इन्कार किया। यह विवाद मुख्य रूप से प्रतिष्ठान के वर्गीकरण के प्रश्न से सम्बन्धित था। हड़ताल होने पर, मालिकों ने दोनों स्थानों में तालाबन्दी घोषित कर दी। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने समझौता कराने में सहायता की, जिसके फलस्वरूप तालाबन्दी उठा ली गई और हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। यह भी सूचित किया गया है कि कोल्हापुर सकल के बारे में कोई विवाद नहीं है।

"सीमेंट आउट लुक" शीर्षक समाचार

6876. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1981 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में "सीमेंट आउट लुक" शीर्षक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सीमेंट उद्योग के विकास की समीक्षा करने हेतु पहले ही एक समिति का गठन किया है। यह समिति प्रोत्साहनों और उचित मूल्यों के साथ-साथ सीमेंट उद्योग की प्रगति में तेजी लाने के लिए भी अभ्युपाय सुझायेगी।

महिलाओं द्वारा आग लगाकर आत्महत्या की घटनाएं

6877. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महिलाओं द्वारा आग लगाकार आत्महत्या किये जाने की राज्यवार कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के असैनिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के बहुत से पिछले शेष पद

6878. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना गोदी, विशाखापत्तनम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के असैनिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों की काफी अधिक संख्या पीछे से चली आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न वर्गों के पीछे से चले आ रहे पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पीछे से चले आ रहे इन पदों को भरने के लिए सरकार ने पिछले एक वर्ष में क्या विशेष कदम उठाये हैं ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में कितने पदों को "अनारक्षित" किया गया है और पदों को अनारक्षित करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) नौसेना डाक यार्ड, विशाखापत्तनम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पद जो 28-2-1981 को रिक्त पड़े थे, इस प्रकार हैं :—

(क) समूह "ग" श्रेणी :—

(1) सीधी भर्ती कोटा—अनु० जा० 128

—अनु० जन० जा० 22

(2) पदोन्नति कोटा—अनु० जा० 167

—अनु० जन० जा० 24

(ख) समूह "घ" श्रेणी (सभी सीधी भर्ती द्वारा) :—

—अनु० जा० 9

—अनु० ज० जा० 1

(ग) सेना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पुस्तिका (पांचवा संस्करण) में दिए गए अनुदेश का इन आरक्षित पदों पर भर्ती के समय पूरी तरह से पालन किया जाता है।

जहां तक प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को ट्रेड परीक्षाओं के लिए तैयारी करने और उनमें बैठने की सलाह दी जाती है तथा इन परीक्षाओं को पास करने के लिए उन्हें विशेष छूट दी जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनारक्षित पदों की संख्या इस प्रकार है :—

(क) समूह "ग" श्रेणी :—

(1) सीधी भर्ती	अनु० जा०	शून्य
कोटे से	अनु० ज० जा०	शून्य
(2) पदोन्नति कोटा—	अनु० जा०	125
	अनु० जन० जा०	183
(ख) समूह "घ" श्रेणी	अनु० जा०	शून्य
(सभी सीधी भर्ती से)	अनु० जन० जा०	शून्य

समूह "ग" पदोन्नति कोटे के लिए पदों का अनारक्षण इसलिए आवश्यक हो गया कि संगत भर्ती नियमों के अनुसार उच्च ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के लिए संबंधित ग्रेड में आरक्षण श्रेणियों के योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन और मजदूर संघों के बीच त्रिपक्षीय करार

6879 **श्री आर० आर० भोले :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर ने मजदूर संघों के साथ कोई त्रिपक्षीय करार किया है जो प्रबंधकों के ग्रुप बी सी और डी के अधीन पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण नियमों को लाभ करने से रोकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनिवार्य आदेशों का उल्लंघन करने से रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

6880. **श्री आर० आर० भोले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को 1953-54 से सहायतानुदान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस कार्यक्रम पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से संगठन अनुदान करते रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1978-79 63,56,026.00 रु०

1979-80 78,02,628.00 रु०

1980-81 99,04,345 00 रु०

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों में अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के नाम

1978-79

1. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
   सिलवर, कछार (असम)।
2. रामकृष्ण मिशन,
   शिलांग (मेघालय),
3. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
   चेरापूंजी (मेघालय)।
4. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
   पूरी (उड़ीसा)।
5. श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम,
   पो० ओ० कालाडी, एरनाकुल्लम जिला (केरल)।
6. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
   पो० ओ० नरेन्द्रपुर, 24-परगना, पश्चिम बंगाल।

7. श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र,
कलकत्ता ।

8. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
राँची ।

9. श्री रामकृष्ण सोसायटी,
दीमापुर, नागालैंड ।

10. श्री रामकृष्ण आश्रम,
पी० ओ० नीम पीठ, 24-परगना (सुन्दरबन), पं० बंगाल ।

11. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ,
पी० ओ० विवेकानन्द नगर, जिला पुरलिया, पं० बंगाल ।

12. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ,
नई दिल्ली ।

13. नागालैंड गांधी आश्रम,
मोकोकचुंग ।

14. आन्ध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ,
नेल्लोर, (मध्य प्रदेश)

15. अशोक आश्रम,
कालसी, देहरादून ।

16. सर्वेंट आफ इंडिया सोसायटी,
पूना ।

17. हरिजन सेवक संघ,
दिल्ली ।

18. नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन,
नीलगिरी (तमिलनाडु) ।

19. दि ठाक्कर बापा आश्रम,
निमाकंडी, उड़ीसा ।

20. अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ,
महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली ।

21. ईश्वर सरन आश्रम,
इलाहाबाद ।

22. भारतीय डेपरेसीड क्लासेस लीग,
नई दिल्ली ।

23. इंडियन रेडक्रास सोसायटी,
नई दिल्ली ।

24. श्री गिरिवान वासी प्रगति मैदान,
रजिस्टर्ड ग्रोफिस, बैंक ग्राफ़ बड़ौदा, बिल्डिंग,
छठी मंजिल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

25. हिन्द स्वीपर सेवक समाज,
गेस्ट रूम नं० 19, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

26. वनस्थली विद्यापीठ,
राजस्थान ।

27. घरमोरा माडल सत्रा हिल्स ग्रौर प्लेन्स कल्चर संस्थान)
नार्थ लक्ष्मीपुर, (ग्रसम) ।

1979-80

1. हरिजन सेवक संघ,
किंग्जवे, दिल्ली-9

2. इंडियन रेडक्रास सोसायटी,
1, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली ।

3. सर्वेन्ट्स ग्राफ इंडिया सोसायटी,
पूना ।

4. हिन्द स्वीपर सेवक समाज,
एम० पी० प्लैट्स, गेस्ट रूप नं० 19, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली ।

5. भारतीय डिप्रेसड क्लासेस लीग,
6, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली ।

6. ईश्वर सरन ग्राश्रम,
इलाहाबाद ।

7. रामकृष्ण मिशन ग्राश्रम,
मोराबादी, राँची ।

8. रामकृष्ण मिशन ग्राश्रम,
पुरी (उड़ीसा) ।

9. श्री रामकृष्ण ग्रद्वैत ग्राश्रम,
पो० ग्रो० कालाडी एरनाकुलम जिला (केरल) ।

10. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
सिलचर, कछार (असम)।

11. ठाक्कर बापा आश्रम,
पो० ओ० नीमाखाण्डी, जिला गंजाम, उड़ीसा।

12. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
पो० ओ० नरेन्द्रपुर, 24-परगना, प० बंगाल।

13. अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ,
महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।

14. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ,
पो० ओ० विवेकानन्द नगर, जिला पुरूलिया, पं० बंगाल।

15. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ,
नई दिल्ली।

16. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
चेरापूंजी, मेघालय।

17. रामकृष्ण मिशन,
शिलांग मेघालय।

18. आन्ध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ
नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।

19. नागालैंड गांधी आश्रम,
मोकोकचुंग, नागालैंड।

20. अशोक आश्रम, कालसी,
देहरादून (उ० प्र०)।

21. श्री रामकृष्ण सोसायटी,
दीमापुर, नागालैंड।

22. नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन,
दि क्लिनिक, नीलगिरी, तमिल नाडू।

23. श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र,
23, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता।

24. वनस्थली विद्यापीठ,
राजस्थान।

25. घरमोरा माडल सत्रा हिल्स और प्लेन कल्चर संस्थान
नार्थ लखीमपुर, असम।

26. निखिल भारत वनस्थली पंचायत,
मिदनापुर, पं० बंगाल ।

27. रामकृष्ण मिशन,
नरोत्तम नगर, अरूणाचल प्रदेश ।

28. रामकृष्ण मिशन,
अलौंग, अरूणाचल प्रदेश ।

1980-81

1. हरिजन सेवक संघ,
किंग्जवे, दिल्ली ।

2. इंडियन रेडक्रास सोसायटी,
1, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली ।

3. सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी,
पूना ।

4. हिन्द स्वीपर सेवक समाज,
एम० पी० फ्लैट गेस्ट रूम नं० 19, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली ।

5. ईश्वर सरन आश्रम,
इलाहाबाद ।

6. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
राँची ।

7. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
पूरी, उड़ीसा ।

8. श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम,
पो० ओ० कलाडी, एरनाकुलम जिला, केरल ।

9. रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम,
सिलचर, कछार (असम) ।

10. ठाक्कर बापा आश्रम,
पो० ओ० निमाखन्डी, जिला गंजम, उड़ीसा ।

11. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
पो० ओ० नरेन्द्र पुर, 24-परगना पं० बंगाल ।

12. रामकृष्ण, मिशन विद्यापीठ,
पो० ओ० विवेकानंद नगर, जिला पुरूलिया, पं० बंगाल ।

13. श्री गिरिवासी प्रगति मंडल,
रजिस्टर्ड आफिस, बैंक आफ बड़ौदा, बिल्डिंग,
छठी मंजिल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

14. सामाजिक कार्य और अनुसंधान केन्द्र (एस० डब्ल्यू० आर० सी०)
तिलोनिया, मदनगंज, अजमेर, राजस्थान ।

15. भारतीय आदिम-जाति सेवक संघ,
नई दिल्ली ।

16. रामाकृष्ण मिशन, चिरापूंजी ।

17. रामाकृष्ण मिशन, शिलांग, मेघालय ।

18. रामाकृष्ण, मिशन अलौंग, अरूणाचल प्रदेश ।

19. निखिल भारतीय बनवासी पंचायत,
मिदनापुर, पश्चिम बंगाल ।

20. नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन,
नीलगिरी (तमिलनाडु)

21. घरमारा माडल सत्राहिल्स और प्लेन कल्चर इंस्टीट्यूशन,
उत्तरी लखीमपुर, असम ।

22. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली ।

23. रामाकृष्ण मिशन सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड ।

24. सर्वेंट आफ इंडिया सोसायटी, इलाहाबाद ।

25. प्रातीय समाज कल्याण आश्रम,
मिमिन, अरूणाचल प्रदेश ।

26. नागालैंड गांधी आश्रम,
मोकोकचुंग, नागालैंड ।

27. कस्तूरबा गाँधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट,
इंदौर मध्य प्रदेश ।

28. हिमालय सेवा संघ, नई दिल्ली ।

29. अशोक आश्रम, कलसी,
देहरादून (उत्तर प्रदेश)

30. डी० ए० वी० कालेज ट्रस्ट और प्रबन्ध समिति,
नई दिल्ली ।

31. भारतीय डिप्रैस्ड क्लासिज लीग,
नई दिल्ली ।

अनुसूचित जनजातियों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये शिक्षा वृत्ति

6881. **श्री आर० आर० भोले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षा वृत्ति प्रदान करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और अब तक कितनी शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों की समस्याओं का भी इसी प्रकार का अध्ययन करने के लिये शिक्षावृत्तियां प्रदान करने संबंधी कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कृषि, औषधशास्त्र जैसे विषयों में आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में डाक्टरी और डाक्टरी के बाद के पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अनुसंधान शिक्षावृत्तियां देने के लिए 1977 में योजना शुरू की गई थी ।

शिक्षावृत्ति की अवधि साधारणतया दो वर्ष है जिसको अधिक से अधिक तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

डाक्टरी और डाक्टरी के बाद पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षावृत्ति की दर पहले दो वर्षों के लिए प्रतिमाह क्रमशः 400/- रु० और 600/- रुपए है ।

31 मार्च, 1981 तक दी गई शिक्षावृतियों की संख्या केवल इक्यावन है ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं । अनुसूचित जातियों के मामले में इस प्रकार की विशेष विशिष्ट योजना को प्रयोजित करने का कोई अवसर नहीं आया है, क्योंकि इस क्षेत्र में अन्य शैक्षिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं ।

बहु-उद्देशीय जल योजनायें

6882. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की सिंचाई, विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली बहु-उद्देशीय जल योजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) छठी योजना में बहु-उद्देशयीय जल स्कीमों की संख्या का विवरण संलग्न है ।

विवरण

छठी योजना में बहु-उद्देश्यीय सिंचाई स्कीमों की संख्या का विवरण

राज्य	बहु-उद्देशीय स्कीमों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	3
2. असम	—
3. बिहार	4
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	*
6. हिमाचल प्रदेश	—
7. जम्मू और कश्मीर	—
8. कर्नाटक	—
9. केरल	1
10. मध्य प्रदेश	8
11. महाराष्ट्र	2
12. मणिपुर	2
13. मेघालय	—
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	3
16. पंजाब	9
17. राजस्थान	4
18. सिक्किम	—
19. तमिलनाडु	1
20. त्रिपुरा	—
21. उत्तर प्रदेश	4
22. पश्चिम बंगाल	1
जोड़	47

* अन्तराज्यीय स्कीमें पंजाब में गिनी गई हैं

हिमाचल राज्य का उद्योगीकरण

6883. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग के मामले में हरियाणा एक पिछड़ा हुआ राज्य है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के औद्योगिक विकास के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनायें क्या हैं ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में भालुकपोंग में विस्फोटकों का बरामद किया जाना ।

6884. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आरक्षी बल ने गत मास चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में भालुकपोंग निरीक्षण चौकी पर विस्फोटों और सेफ्टी फ्यूजों से लदा एक ट्रक जब्त किया था ;

(ख) क्या हथियारों और विस्फोटकों की इस तस्करी में घोटाले का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं ; और

(घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हथियारों और विस्फोटकों की इस तरह की अन्तर्राज्यीय तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ख) 10, मार्च, 1981 को असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भालुकपोंग के निरीक्षण चौकी पर पहरा दे रहे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों द्वारा 200 विस्फोटकों दो फैकेट और 100 मीटर सेफ्टी फ्यूज तार एक ट्रक से बरामद किया गया था । पुन: 12 मार्च, 1981 को भालुकपोंग निरीक्षण चौकी के कार्मिकों द्वारा एक व्यक्ति के कब्जे से 10 विस्फोटकों के एक पैकेट को बरामद किया गया था । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए । जांच प्रगति पर सभी सम्बद्धों को सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है ।

पश्चिमी घाटों के विकास के लिए निगम

6885. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के मुख्यमंत्रियों की गत मार्च में हुई बैठक में पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास की योजना बनाने और मानिटर करने के लिये एक पृथक निगम की स्थापना का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र द्वारा छठी योजना के दौरान निगम को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ; और

(घ) निगम के कब अस्तित्व में आने और अपना कार्य शुरू करने की सम्भावना है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पश्चिमी घाट क्षेत्र के संघटक राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में, पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास की आयोजना और प्रबोधन करने के लिए एक अलग निगम स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया था तथा इस विचार की गुणता पर विचार करने और ब्यौरा तैयार करने के लिए एक दल स्थापित किया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

वोहरिंगर नाल लिमिटेड, बम्बई से कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

6886. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स वोहरिंगर नाल लिमिटेड, बम्बई में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उसमें कितने स्थाई हैं और कितने दैनिक मंजूरी पर हैं ;

(ख) इस फर्म द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अब तक कितनी राशि जमा कराई है ; और कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है, मैसर्स वोहरिंगर वाल लिमिटेड, बम्बई में कार्यरत 1079 कर्मचारी हैं, जिनमें से 1034 स्थायी है और शेष अस्थायी है। दिहाड़ी पर काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं हैं।

(ख) यह प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है और यह छूट प्राप्त निधि के न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि अंशदानों को हस्तांतरित करने में नियमित है।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संबंध है, नियोजक ने सितम्बर, 1962 से 1980 तक 15,69, 828.00 रुपये की राशि का भुगतान किया है। नियोजक को 2313.75 रुपये की बकाया राशि देती है।

(ग) प्रतिष्ठान से कर्मचारी राज्य बीमा देय राशियों की वसूली के लिये मांग पत्र जारी किया जा रहा है।

योजना आयोग में हिन्दी सलाहकार समिति की स्थापना

6887. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें सदस्य मनोनीत करने के लिए अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कर्तव्यों तथा कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समिति में सदस्यों को राजभाषा, गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नामित किया गया था ।

(ग) इस समिति का कार्य योजना मंत्रालय को सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से सम्बन्धित मामलों और संबद्ध विषयों में सलाह देना है ।

छठी योजना में असम के लिये कुल आबंटन

6888 **श्री संतोष मोहन देव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू छठी योजना में असम को कुल कितना आवंटन किया गया ;

(ख) छठी योजना में असम के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति आवंटन कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि योजना में प्राथमिकताएं राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 111: करोड़ रु०

(ख) 566 रु०

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

आदिवासी क्षेत्रों का औद्योगीकरण

6889. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा, राज्यवार, किन-किन आदिवासी जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला समझा गया है ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितने और किन-किन आदिवासी जिलों का औद्योगीकरण किया जाना शुरू किया गया था ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में, राज्यवार, किन-किन आदिवासी जिलों को औद्योगीकरण के लिए चुना गया है ;

(घ) राज्यों और केन्द्र द्वारा पिछड़े आदिवासी जिलों के विकास के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए राज्यों ने और उनके मंत्रालय ने कितनी-कितनी धन-राशि की व्यवस्था की है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय सांविधि ऋणदाता संस्थानों से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा पिछड़े हुए पता लगाए गए 246 जिलों में से 79 आदिवासी बहुत जिलों की एक सूची विवरण में दी गई है । ऊपर बताए गए इन 79 जिलों/क्षेत्रों में से केन्द्रीय निवेश सहायता के उद्देश्य से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े समझे गये जिले/क्षेत्रों को विवरण 2 में दर्शाया गया है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में 19 राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों के लिए बनाई गई आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत 180 समेकित आदिवासी विकास प्रायोजनाओं की योजना के क्रियान्वयन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के लिए एक संयुक्त प्रयास किया गया था । इन उपयोजनाओं के अंतर्गत ऐसे सभी अनुसूचित क्षेत्र और तहसील/ब्लाक आते हैं जिनमें 50 प्रतिशत आदिवासी जनता निवास करती है इनमें केवल आदिवासी बहुत राज्य जैसे अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, लक्षद्वीप, और दादर और नागर हवेली सम्मिलित नहीं हैं जिनमें कि सभी विकास योजनाएं केवल अनुसूचित जातियों के लिए ही होती हैं ।

आदिवासी उपयोजना का उद्देश्य पता लगाए गए क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास है इसके लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय योजना के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता देकर और संस्थागत वित्तीयन द्वारा राज्य योजना परिव्यय निधि से किया जाता है ।

पांचवी योजना में आदिवासी उपयोजना पर कुल व्यय 759 करोड़ रुपये था और विशेष केन्द्रीय सहायता 169 करोड़ रुपये अलग थी । आदिवासी उपयोजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले परिव्यय की राशि शीघ्र ही निश्चित की जाने वाली है किन्तु विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 470 करोड़ रुपये निश्चित कर दी गई है जबकि 1974-75 के लिए 190 करोड़ रुपये आबंटित की गई थी । 1980-81 की आदिवासी उपयोजना पर सभी राज्यों में किये गये व्यय की राशि अभी मालूम नहीं है । जहां तक 1981-82 की राशि का प्रश्न है इस समय आदिवासी उपयोजना के आकार के बारे में विचार विमर्श चल रहा है । आदिवासियों के विकास पर चार प्रकार से जोर दिया जा रहा है अर्थात् (क) लाभ प्राप्त कर्ता में आत्मनिर्भरता

विकसित करने के लिए माल प्राप्ति के स्थान पर समेकित सेवाएँ (ख) नीचे के क्षेत्रों से ऊपरी क्षेत्रों के लिए सेवाओं का विकास न कि ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर (ग) पेशों में विविधता लाने के लिए कुशलता का विकास विशेषतः अनुसूचित जातियों में और (घ) स्थानीय कुशलता के आधार पर अधुनातन तकनीक का लागू करना ताकि कामगारों को श्रम करना पड़े और विद्यमान पेशे सम्बन्धी सामाजिक दृष्टिकोण को सुधारा जा सके। केन्द्र सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए संबर्धनकारी प्रयास लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अपनी विस्तृत सुविधाओं और सेवाओं द्वारा किए जाते हैं जिनमें उद्यमियों के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। अन्य गतिविधियों में प्रशिक्षण तकनीकी परामर्श, संभाव्यता रिपोर्टों का तैयार करना प्रोसेसिंग और परीक्षण सहायता आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को अधिकाधिक सक्रिय और प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग विकाश संगठन द्वारा दी गई सुविधाओं में उचित प्राथमिकता देकर जिनमें उद्यमिता विकास भी सम्मिलित है विशेष प्रयत्न किए जाते है।

मुख्यतः आदिवासी जनसमुदाय वाले सभी जिले जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। कार्यवाही योजना तैयार करते समय जिला उद्योग केन्द्रों को पिछड़े वर्ग के अधिकाधिक योगदान की ओर विशेष ध्यान देने का परामर्श दिया गया है। ताकि वे विकास की मुख्य धारा में आ सकें। ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को उन्नत बनाने के लिए उन्हें सुधरे औजार और उपकरण देकर प्रशिक्षु वृत्ति प्रदान कर प्रशिक्षण सुविधाओं द्वारा तथा उन्हें औजारों की पेटी व उनके लिए कार्यशाला हेतु सहायता देकर विशेष संवर्धन योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए जिला उद्योग केन्द्र भी आई० आर० डी० ट्राइसेम कार्यक्रमों के अंतर्गत राशि देते हैं। जिला उद्योग कार्यक्रम को मानीटर करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों द्वारा स्थापित एककों उनके द्वारा किए गए निवेश और उनमें प्राप्त रोजगार अवसरों की प्रथम प्रविष्टियाँ भी की जाती हैं।

विवरण

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े आदिवासी जिलों की सूची। (वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त लेने हेतु पात्रता के लिये चुने गये)

1. आन्ध्र प्रदेश	1. खमाम
	2. श्री काकुलम
	3. वारंगल
2. आसाम	1. कछार
	2. गोलपारा
	3. कामरूप
	4. नौ गाँव
	5. लखीमपुर

3. बिहार	1. पालमऊ
	2. सन्थाल परगना
4. गुजरात	1. भड़ौच
	2. पंचमहल
	3. साबरकंठा
5. हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा
	2. कांगड़ा
	3. लाहौल और स्पिति
6. केरल	1. केनानोर
	2. मालापुरम
	3. त्रिवेन्द्रम
7. कर्नाटक	1. मैसूर
	2. साउथ कनारा
8. मध्य प्रदेश	1. बालाघाट
	2. बस्तर
	3. बेतूल
	4. बिलासपुर
	5. छिन्दबाड़ा
	6. धार
	7. होसंगाबाद
	8. झबुआ
	9. खारमोन
	10. मंडला
	11. मोरेना
	12. रायगढ
	13. रायपुर
	14. राजनन्द गाँव
	15. रतलाम

	16. शिवनी
	17. सिवनी
	18. सुरगुजा
9. महाराष्ट्र	1. चन्द्रपुर
	2. धुलिया
	3. जलगांव
	4. नन्देड
	5. यवतमाल
10. मणिपुर	1. सभी पांचों जिले
11. उड़ीसा	1. बालासौर
	2. कालांहंडी
	3. केनझर
	4. कोरापूट
	5. मयुरभंज
12. राजस्थान	1. बन्सवाड़ा
	2. डूंगरपुर
	3. सिरोही
	4. उदयपुर
13. तामिलनाडू	1. धरमपुरी
	2. नार्थ अर्कोट
	3. साउथ अर्कोट
	4. त्रिपुरापल्ली
14. त्रिपुरा	1. सभी तीनों जिले
15. उत्तर प्रदेश	1. गोंडा
16. पश्चिम बंगाल	1. बंकुरा
	2. बीरभूम
	3. बर्दवान
	4. दार्जिलिंग
	5. हुगली

		6. जलपाईगुड़ी
		7. माल्दा
		8. मिदनापुर
		9. मुर्शिदाबाद
		10. पुलिया
		11. वेस्ट दिनाजपुर
17. अंडमान और निकोबार		1. समस्त क्षेत्र
18. गोवा दमन और दीव		1. समस्त क्षेत्र
कुल जिले	=	79

विवरण-2

औद्योगिक रूप से पिछड़े आदिवासी जिलों की सूची (केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिये पात्र चुने गए)

1. आन्ध्र प्रदेश	1. श्रीकाकुलम
	2. 8 ब्लाक खमाम जिले से अर्थात खमाम, थिरुमालायपुलम कुल्लर, येलन्दु, कोठागुडम असवरावपेठा, पुरागमपाद तथा भद्राचलम ।
	3. 6 ब्लाक वारंगल जिले से अर्थात महाबुबाबाद वरसेमपेट, हनमकोण्डा, घानापुर, जनगांव तथा सुलुग ।
2. आसाम	1. कछार
	2. गोलपाड़ा
	3. कागरूप
	4. नौ गांव
	5. न्यू लखीमपुर
3. बिहार	1. पालामऊ
	2. सन्थाल परगना
4. गुजरात	1. भडौंच
	2. पंचमहल्स
5. हिमाचल प्रदेश	1. चंबा
	2. कांगड़ा

6. केरल	1. कन्नानौर 2. मालापुरम
7. कर्नाटक	1. मैसूर
8. मध्य प्रदेश	1. 6 क्षेत्र बिलासपुर जिले से अर्थात कोरबा, बलैदा, चंपा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर)
	2. 3 ब्लाक धार जिले से अर्थात पदनावर, धार तथा नलोहा ।
	3. 2 ब्लाक झाबुआ जिले से अर्थात पेटलवाद तथा मेलनगर ।
	4. 2 ब्लाक खारमोन जिले से अर्थात महेश्वर तथा बरवाना ।
	5. 2 ब्लाक मोरेना जिले से अर्थात मौरेना तथा जाऊरा ।
	6. 6 ब्लाक रायपुर जिले से अथात भाटपाड़ा सिगमा, तिलदा, धारसिबा (रायपुर) अमानपुर तथा राजीम ।
	7. 2 ब्लाक रतलाम जिले से अर्थात रतलाम तथा जाऊरा ।
9. महाराष्ट्र	1. चन्द्रपुर
10. मणिपुर	1. सभी पांच जिले ।
11. उड़ीसा	1. काशाहवन्दी 2. क्योझर 3. कोरापुट 4. मयुरभंज
12. राजस्थान	1. जयपुर
13. तामिलनाडु	1. 7 तालुका धर्मपुरी जिले से अर्थात धर्मपुरी, पलाकोडा, होसूर, वेनकनी कोट्टाह, कृष्णा-गिरी, ऊथनगराय तथा हरुर ।
	2. 4 तालुका नार्थ आर्कोट जिलें से अर्थात तिरुपट्टूर, वनियामबाड़ी, वेल्लूर, वलाजपेट ।
14. त्रिपुरा	सभी तीन जिले ।

15. पश्चिम बंगाल	1. मिदनापुर
	2. पुरुलिया
16. अंडमान व निकोबार	समस्त संघीय क्षेत्र ।
17. गोवा दमन और दि	संघीय क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र ।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कार्मिक नीति

6890. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा स्वीकार की गई कार्मिक नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं; जिन्होंने इन क्षेत्रों की कार्मिक नीति की मुख्य-मुख्य मूल बातों में से एक प्रमुख बात आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार किया है; और

(ग) शेष राज्यों के लिए कार्मिक नीति को कार्यान्वित करने हेतु भिन्न-भिन्न राज्यों और उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों से सिफारिश की गई है कि कार्मिक नीति के मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(1) आई० टी० डी० पी० स्तर पर एकीकृत प्रशासनिक तंत्र और शासन के यौक्तिक सिद्धान्त ।

(2) खण्डों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती करके विकास खण्डों को सुदृढ करना ।

(3) प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

(4) जनजाति क्षेत्रों के लिऐ उपर्युक्त कार्मिकों का चयन और जनजाति क्षेत्रों में कार्यकर रहे कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन देना ।

(5) विकास खडों में ग्रामीण कृषक कार्यकर्ताओं की तुलना में बहुमुखी ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अधिमान ।

(6) उचित पुरस्कारों को देकर जनजाति क्षेत्रों में सेवाओं की सराहना ।

(7) कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल आन्ध्र प्रदेश ने जनजाति उप योजना क्षेत्रों के लिए एक स्तरीय प्रशासन अपनाया है। गुजरात सरकार ने बताया है कि वर्तमान प्रबंध एक स्तरीय प्रशासन के समान है। इस मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गयी कार्मिक और प्रशासकीय नीति पर राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

आदिवासी जिलों और क्षेत्रों का पिछड़ापन

6891. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्य जिलों/क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी जिले और क्षेत्र सभी पहलुओं से पिछड़े हुए हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी जिलों और क्षेत्रों के विकास के आंकडों की स्थिति राज्यवार और मंत्रालयवार रखी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि अब तक नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार राज्यों और मंत्रालयों को केन्द्र स्तर पर यह कहने का है कि वे आदिवासी जिलों और क्षेत्रों में अब तक हुए विकास के स्तर का पता लगाएं ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। मिजोरम जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से विकसित हैं, कुछ क्षेत्र खेल-कूद और संस्कृति में समृद्ध हैं, और कुछ अन्य क्षेत्रों में वनों और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है।

(ख) से (घ) किसी जिले या क्षेत्र का पिछड़ापन अनेक कारणों के मिलने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। कोई क्षेत्र इसलिए भी पिछड़ा हुआ हो सकता है क्योंकि वह सूखा-प्रवृत्त हो या वह बाढ़ से बार-बार प्रभावित होता हो या वह रेगिस्तानी क्षेत्र हो या वह ऐसा समुद्र तटीय क्षेत्र हो जो क्षार से प्रभावित होता हो या वह अविकसित पहाड़ी क्षेत्र हो यह वह शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजातियों की बहुलता वाला भाग हो। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र के विकास के अंश का निश्चय करना बहुत ही कठिन है।

तथापि जनजातीय उपयोजना विकास नीति में किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन के सभी उपादानों को ध्यान में रखा जाता है और विकास के एकीकृत समुच्चय का उद्देश्य रखा जाता है।

पहली से पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश

6892. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में पहली पंचवर्षीय योजना अवधि से पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि तक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया ;

(ख) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक स्वीकृत की गई केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में और उनके नाम कितना निवेश किया गया और उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर अनुमानित कितना निवेश किया जाएगा और ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) "केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के कार्यकरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट-1977-78" (सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय) में यथा उपलब्ध, पांचवीं योजना की अवधि के अंत तक, अर्थात् 31 मार्च, 1978 तक, भारत सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश के राज्यवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इन उद्यमों में खनन और विनिर्माण में लगे हुए उद्यमों, कृषि पर आधारित उद्योगों और सेवा उद्यमों के सरकारी उद्यम शामिल हैं। इनमें रेलवे, डाकतार, आदि जैसे विभागीय उद्यम शामिल नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों में निवेश

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दि० 31-3-1978 को संपत्ति का मूल्य (सकल ब्लाक)
1. आंध्र प्रदेश	489.69
2. असम	370.72
3. बिहार	2815.33
4. दिल्ली	356.32
5. गुजरात	626 93
6. हरियाणा	144.73
7. हिमाचल प्रदेश	87.53
8. कर्नाटक	414.38
9. केरल	325.51
10. मध्य प्रदेश	1793.59
11. महाराष्ट्र	909.18
12. उड़ीसा	654.41

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दि० 31-3-1978 को संपत्ति का मूल्य (सकल ब्लाक)
13. पंजाब	225.68
14. राजस्थान	277.10
15 तमिलनाडु	563 40
16. उत्तर प्रदेश	486.95
17. पश्चिम बंगाल	1058.83
18. जम्मू और कश्मीर	5.79
19. गोवा	4.88
20. अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली को छोड़ कर)	107.45
अनावंटित और अन्य*	1986.86
जोड़ :	13705.26

स्रोत : "केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के कार्यकरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट-1977-78" (सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय).खंड 1, पृष्ठ 25

*इसमें, निर्माणाधीन अवधि में अनावंटित व्यय के अलावा, अन्वेषण उपस्कर, भंडारण, संस्थापन, आदि जैसी अन्य विविध परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल है जिसके लिए राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और विमानों, जहाजों, आदि का मूल्य भी शामिल है जो किसी विशेष राज्य के लिए निर्धारित नहीं होते हैं।

(ख) 1977-78 से 1979-80 तक की अवधि में उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्रक की परियोजनाओं में निवेश तथा खनन और विनिर्माण की परियोजनाओं में 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के तीन वर्ष में परियोजनावार व्यय नीचे दिया गया है। इसमें कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्रक शामिल नहीं है।

उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्रक की खनन और विनिर्माण की परियोजनाएं

(करोड़ रु०)

परियोजना/स्कीम/उद्यम	1977-78 से 1979-80 तक की अवधि में व्यय (वास्तविक)
1. राउरकेला इस्पात संयंत्र	101.79
2. हिन्दुस्तान जस्ता लि० (सर्गीपल्ली खानें)	1.70

1	2
3. भारत ऐलुमीनियम कंपनी (अन्वेषण और साध्यता अध्ययन)	2.40
4. भारतीय उवरक निगम लि० (तालचेर उर्वरक परियोजना	60.81
5. परमाणु ऊर्जा विभाग (भारी जल संयंत्र, तालचेर)	12.46
6. भारतीय रेयर अथ्र्स लि० (उड़ीसा रेत परिसर)	20.10
जोड़ :	199.16

(ग) जहां तक छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्ययों का संबंध है, विशेषरूप से उड़ीसा राज्य में अवस्थित की जानेवाली परियोजनाओं के लिए परिकल्पित परिव्यय नीचे दिए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनके लिए अवस्थिति संबंधी निर्णय अभी किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा, इस सूची में कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्रकों में परिव्यय शामिल नहीं हैं।

प्रारूप छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं

(करोड़ रु०)

क्रम सं० 1	परियोजना/स्कीम/उद्यम 2	परिव्यय (1980-85) 3
1.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	4.2.43
	(1) सिलिकन इस्पात परियोजना	87.21
	(2) हाट स्ट्रीप मिल का आधुनिकीकरण	6.61
	(3) अतिरिक्त नेफ्था सुधार संयंत्र	2.93
	(4) परिवर्धन, आशोधन, प्रतिस्थापना, बस्तियां, आदि	52.5.
	(5) सीमेंट संयंत्र	120.51
	(6) उर्वरक संयंत्र का विविधीकरण	20 00
	(7) इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण	50.00

1	2	3
	(8) बद्ध विद्युत् संयंत्र	70.00
	(9) कोक भट्टी (5 वीं बेटरी)	12.67
2.	दूसरा नया इस्पात संयंत्र	50.00
3.	राष्ट्रीय ऐल्यूमिनियम -- उड़ीसा ऐल्यूमिनियम परिसर	860.00
4.	हिन्दुस्तान जस्ता लि०—सर्गीपल्ली सीसाखानें	14.01
5.	भारत ऐलूमिनियम कंपनी लि० – गंधमर्दन बाक्साइट खान	8 00
6.	परमाणु ऊर्जा विभाग – भारी जल परियोजना, तालचेर	17.69
7.	भारतीय रेयरअथ्र्स लि०—उड़ीसा रेन परिसर	60.00
8.	भारतीय उवर्रक निगम –तालचेर परियोजना	53.22
	जोड़ :	1485.35

प्रतिरक्षा मजदूर संघ, अम्बरनाथ की ओर से अभ्यावेदन

6893 **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ (थाना जिला, महाराष्ट्र) के जनरल मैनेजर को प्रतिरक्षा मजदूर संघ से उनकी विभिन्न मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और कार्यवाही कब की जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को कब तक बता दी जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ये मांगें आंशिक रूप से स्थानीय समस्याओं और आंशिक रूप से सामान्य किस्म की समस्याओं के बारे में हैं । स्थागीय प्रबन्धकों द्वारा प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई है और मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

बी० एस० एफ०, सी० आर० पी०, सी० आई० एस० एफ० और आई० टी० बी० पी० में भर्ती

6894. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० एस० एफ०, सी० आर० पी०, सी० आई० एस० एफ० और आई० टी० बी० पी० में भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को इन अर्ध-सैनिक बल में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाये ;

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है अथवा सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) इस प्रकार की व्यवस्था तथा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किस तारीख तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती स्थानीय रोजगार दफ्तरों के जरिए तथा व्यापक प्रचार के बाद की जाती है ताकि इन बलों में रोजगार से सम्बन्धित मामलों में सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो सके। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए जन्म स्थान अथवा निवास स्थान के आधार पर पृथक कोटे निर्धारित करने से संवैधानिक उपबन्धों का उल्लघंन होगा।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

6895. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के किन-किन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किया गया है ;

(ख) औद्योगिक दृष्टि से किसी जिले को पिछड़ा घोषित करने की कसौटी क्या है ;

(ग) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को किस प्रकार की रियायतें तथा सुविधाएं दी जाती हैं ;

(घ) क्या इन दोनों राज्यों के पिछड़े जिलों की सूची का पुनरीक्षण किया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो यह पुनरीक्षण कब तक किया जायेगा ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य (श्री चरणजीत चानना) : (क) हिमाचल प्रदेश में चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, कुलू, लाहौल और स्पिति, सोलन सिरमोर तथा पंजाब में भंटिडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर और संगरूर जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किए गए हैं और ये अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त पाने के हकदार हैं।

हिमाचल प्रदेश के चम्बा, कुलू सिरमोर और सोलन जिले व पंजाब के होशियारपुर, संगरूर और भटिंडा जिले केन्द्रीय निवेश सहायता के पात्र माने गये हैं ।

(ख) योजना आयोग ने दिसम्बर 1969 में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाने का सुझाव दिया था ।

(1) प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन ।

(2) खेतिहर मजदूरों में जनसख्या का अनुपात ।

(3) प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल)

(4) एक लाख की जनसख्या पर कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में एक लाख की जनसंख्या पर गौणत: अथवा अन्य गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

(5) बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत ।

(6) जनसंख्या के सम्बन्ध में समतल सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या के सम्बन्ध में रेल की मील दूरी ।

यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि जिन जिलों के आंकड़े औसत से कम हैं उन्हें भी वित्तीय संस्थानों से उचित प्रोत्साहनों के लिए चुन लिया जाए ।

(ग) पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित सहायता तथा सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है :-

(1) निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना ।

(2) परिवहन राजसहायता योजना ।

(3) अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं ।

(4) कर सम्बन्धी रियायतें .

(5) लघु उद्योगों द्वारा मशीनरी की किराया खरीद ।

(6) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं ।

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

(10) जिला उद्योग केन्द्र ।

(11) प्रारम्भिक/सीमान्त धन ।

(घ) से (च) विभिन्न प्रोत्साहनों की संवीक्षा करने के दृष्टिकोण से और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उचित नीति बनाने के लिए योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना श्री शिवरामन, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में की थी। इस समिति ने अक्तूबर 1980 में "औद्योगिक छितराव" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश सहायता योजना इन दोनों योजनाओं की और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के पता लगाने के मानदण्ड और उनके विकास के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की संवीक्षा है। समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग में जांच की जा रही है।

उद्योगों के विकास के लिए पद्धति और योजना

6896. **श्री एन० ई० होरो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों के पास संसाधन अथवा कौशल स्पष्ट रूप से होने के बावजूद उनके औद्योगिक विकास की पद्धति से प्रसन्न नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या-क्या सुझाव और सुविधाएं प्रदान की हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों के और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सीधे ही केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में कोई पृथक योजना बनाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय सरकार की नीति अधिकाधिक संभाव्य स्थानीय संसाधनों और दक्षता पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करने की है। ऐसा करते समय यह आशा की जाती है कि विभिन्न राज्यों के विकास मार्ग उनके नैसर्गिक संपत्ति के स्त्रोत के अनुसार अलग अलग होंगे। केन्द्रीय संबंधी अभिकरणों द्वारा सहायता प्राप्त राज्य-स्तर के विभिन्न औद्योगिक संवर्धनकारी अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए परियोजना संभाव्यताओं का पता लगाया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए स्थापित केन्द्रीय प्रोत्साहनों और सुविधाओं में प्रमुख संयंत्र इसके अधीन परियोजना संभाव्यताओं खासतौर से पता लगाए गए स्थानीय संसाधनों पर आधारित तथा आनुशंकिक संबद्धता के साथ इसका निर्णय केन्द्र व राज्य के संयुक्त कृतिक बल के माध्यम से किया जाता है, का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार के कृतिक बल विभिन्न राज्यों कार्यरत हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रचारित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम विस्तार सुविधायें तथा लघु उद्योग विकास संगठनों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं, रियायती वित्त तथा पूंजी राज सहायता देकर अर्ह पिछड़े जिलों क्षेत्रों की सहायता करती है।

केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से कोई योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों का विकास 180 समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं जो भारी आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को आदिवासी उप-योजना के अंग हैं, के माध्यम से किया जाता है। आदिवासी उपयोजनाओं के माध्यम से इस प्रकार निश्चित किए गए क्षेत्रों का राज्य योजना, परिव्ययों, केन्द्र प्रचारित योजनाओं विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संस्थागत वित्त से विकास किया जाता है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक की चयन सूची का तैयार किया जाना

6897. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक की चयन सूची किस आधार पर तैयार की जाती है ;

(ख) क्या किसी एक विशेष वर्ष में खाली होने वाले पदों के आधार पर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या निर्धारित की जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 1979 और 1980 में सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों को अभी तक पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय के ग्रेड-I की प्रवर सूची केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 (2) के अनुसार तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड के तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के स्थायी अधिकारी, जिन्होंने अपने ग्रेड में कम से कम 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) तैनाती के लिए उपलब्ध 1979 की सूची के सभी अधिकारियों को पदोन्नति के लिए नामित कर दिया गया है। 1980 में सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की पदोन्नति करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

अवर सचिव के पदों में रिक्तियां

6898. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 1979 और 1980 के दौरान अवर सचिव स्तर पर कितने पद रिक्त हुए ;

(ख) उनमें से कितने पदों को 1979 और 1980 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा-ग्रेड एक की सेलेक्ट लिस्ट के अधिकारियों से भरा गया ; और

(ग) ऐसे कितने पदों को उन अधिकारियों से भरा गया जो पेनल में नहीं थे और वे कब से इन पदों पर बने हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रक्षा मंत्रालय में 1979 और 1980 में अवर सचिव के स्तर पर जो नियमित रिक्तियां हुईं उनकी संख्या क्रमश: 11 और 14 थी।

(ख) इन पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की 1979 की चयन सूची के 8 अधिकारी और 1980 की चयन सूची के 4 अधिकारी नियुक्त हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त रिक्तियों में से 6 स्थानों पर गैर-पैनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इन पदों पर उनकी नियुक्ति की अवधि दो महीने से लेकर लगभग एक वर्ष तक की है जिसके कई व्यवधान दिए गए।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य को 1953 से पहले का दर्जा देने की मांग

6899. **श्री एम० पी० चन्द्र शेखर मूर्ति**
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री फूल चंद वर्मा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि जम्मू तथा कश्मीर में वर्तमान शासक जम्मू तथा कश्मीर को 1953 से पहले का दर्जा देने की माँग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ तो क्या इस बात से लोगों में बड़ी भांति उत्पन्न हो गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन वक्तव्यों की जांच की है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान, किन्तु कई क्षेत्रों से इसकी आलोचना हुई है।

(ग) से (घ) और (ङ) 24 फरवरी, 1975 को संसद में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के साथ संलग्न सम्मत निष्कर्षों में से एक जिसके कश्मीर समझौते के रूप में सामान्य रूप से उल्लिखित किया जाता है वह यह है कि यदि राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए किसी केन्द्रीय कानून को अथवा समवर्ती सूची से संबंधित मामलों जैसे समाज कल्याण उपाय, सांस्कृतिक मामले, सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत कानून और क्रियाविधि कानूनों के संबंध में जो 1953 के बाद राज्य में लागू किए गए, नियमों को भंग करना चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 254 के अन्तर्गत इस प्रकार के विधायकों पर राष्ट्रपति की सहमति प्रदान करने पर सहानुभूतिपूर्वक

विचार किया जायेगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसके द्वारा गठित मंत्रिमंडल समिति ऐसे कानूनों को पुनरीक्षित कर रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आयुक्त का कार्यालय

6900. **श्री सूरजभान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के कार्यालय के स्थान पर जुलाई 1978 के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये नया आयोग बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पेश न किये जाने के कारण है; और

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा स्वयं उपरोक्त आयोग का सदस्य होने के बावजूद भी वर्ष 1978-79 के अपने प्रतिवेदन में इस आयोग की खुली आलोचना से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर ध्यान दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को सांविधिक दर्जा देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

चीनी गुरिल्ला मिलटरी विशेषज्ञों द्वारा पाकिस्तानी जासूसों को प्रशिक्षण

6901. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को मालूम है कि पाकिस्तान में विभिन्न स्थानों पर चीन के गुरिल्ला सैनिक विशेषज्ञ पाकिस्तान के जासूसों को भारत के खिलाफ तोड़-फोड़ की गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं लेकिन इन समाचारों की पुष्टि में स्वतंत्र रूप से कोई सूचना नहीं हैं।

(ख) भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखी जाती है और हर समय पूरी रक्षा तैयारियां बनाये रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

6902 : **श्री छीतू भाई गामित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने 25 नए उद्योगों की स्थापना की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पास आवेदन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) आवेदन में दर्शाए गए उद्योग किस प्रकार के हैं और उसमें कितनी धनराशि खर्च होगी और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है; और

(ग) इन आवेदनों में उल्लिखित उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ख) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम से विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए 1.1.1980 से 31.3.1981 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3 आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है और आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं ; 5 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है एक आवेदन को बंद कर दिया है तथा दो आवेदन विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जारी किए जाने वाले सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक बाइप्रेसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित मासिक न्यूजलैटर के परिशष्ट में प्रकाशित किये जाते हैं। इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विचाराधीन आदेशों के ब्यौरों को सरकार द्वारा उन पर निर्णय लेने तक प्रकट नहीं किया जाता है।

मानव अधिकारी के उल्लंघन के मामले

6903. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गत वर्ष देश में हुए मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की छानबीन करने के लिए सरकार से आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार को बिना मुकदमा चलाए गए कैदियों, जेल हिरासत में नक्सलवादियों, उत्पीड़न के तथाकथित मामलों और वर्ष 1980 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय के कार्यालय और इसकी शाखाओं से प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों पर सरकार गम्भीरता, से विचार करती है और जब कभी आवश्यक होता है मामले को संबन्धित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

टोक्यों में भारत जापान अध्ययन समिति की बैठक

6904. **श्री जगदीश टाईटलर**
श्री आर० पी० गायक वाड़ } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टोक्यों में भारत जापान अध्ययन समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या जापान से भारत को विकास सहायता दिए जाने के कोई प्रस्ताव मिले हैं ;

और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) विचार-विमर्शों की मुख्य बातें ये थीं : उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में भारत और जापान के विदेशी संबन्ध ; वैज्ञानिक और शिल्पवैज्ञानिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया की गति को तेज करने के लिए तंत्र; और दोनों देशों के बीच विद्यमान आर्थिक सहयोग के लिए बड़ी क्षमता/संभाव्यता के समुपयोजन के लिए उपाय। बैठक के अंत में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के प्रति विवरण के रूप में सभापटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) जापान समिति एक गैर-सरकारी निकाय है, इसलिए भारत को विकास सहायता देने के सम्बन्ध में जापान से किसी प्रस्ताव को प्राप्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विवरण

संयुक्त वक्तव्य

भारत और जापान अध्ययन समितियों की संयुक्त बैठक बुधवार दि० 4 मार्च और गुरुवार दि० 5 मार्च, 1981 को इंपीरियल होटल, टोकियों में हुई।

बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों में भाग लिया :—

भारतीय शिष्ट मंडल	जापानी शिष्ट मंडल
1. डा० मनमोहन सिंह	1. श्री एस० होगेन
2. श्री पी० के० कौल	2. डा० एस० ओकिता
3. श्री के० के० बिड़ला	3. श्री ई० हाशितोतो
4. श्री एम० वी० अरुणाचलम	4. श्री वाई० कावाशिमा
5. डा० एम० जी० के० मेनन	5. श्रीं के० ओहकाता
6. श्रीमती के० शास्त्री	
(प्रेक्षक)	(प्रेक्षक)
श्री टी० चेरपूट	श्री के० वातानबे
श्री पी० जी० मनकड	श्री वाई० छरोकावा
डा० वी० के० मिश्र	श्री एस० सुजूकी
श्री एस० शिवस्वामी	श्री के० त्युरुओका
	श्री एस० ओकासुरा
	श्री एस० कोबायाशी
	श्री एस० आओकी
	श्री एच० फुकुची
	श्री एस० इतो
	श्री आर० तनाका

भारतीय शिष्टमंडल के नेता डा० मनमोहन सिंह थे, और जापानी शिष्टमंडल के नेता श्री एस० होगेन थे।

भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों के संदेश पढ़े गए।

इन संदेशों में भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों ने शिष्टमंडलों के प्रति अपनी शुभ कामनाएं प्रकट की और यह आशा प्रकट की कि प्रजातंत्रीय आदेशों और शांति के प्रति दोनों देशों की समान प्रतिबद्धता से विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होनी चाहिए।

राजनीतिक पहलुओं, वैज्ञानिक और शिल्पवैज्ञानिक आदान-प्रदान तथा आर्थिक सहयोग संबंधी विचार-विमर्श स्पष्ट और सौहार्दता की भावना में संपन्न हुए।

"उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में भारत और जापान के विदेशी संबंध विषयक विचार-विमर्श में जापान समिति के अध्यक्ष ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि "अफगानिस्तान पर रूसी आक्रमण और इंडोचीन में स्थिति एशिया और पूरे विश्व में शांति और स्थिरता को भंग करने वाले कारक हैं।" उन्होने कहा कि सिद्धांत के रूप में किसी देश में विदेशी सैनिक हस्तक्षेप द्वारा किसी शासन की स्थापना की कभी भी अनदेखी नहीं की जा सकती।

भारतीय अध्यक्ष ने विश्व की स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि विश्व में अशांति की स्थिति है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने में तथा विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए वातावरण को सुदृढ़ करने में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की निरन्तर और बढ़ती हुई प्रासंगिकता और सार्थकता का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान और दक्षिण-पूर्वी एशिया में तनावों को उनकी समग्रता के सदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत अन्य देशों के आंतरिक कार्यों में सभी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध है - फिर वह हस्तक्षेप नियमित सेनाओं के प्रवेश के जरिए हो या घुसपैठ के जरिए। ऐसा सभी हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए जिससे कि राजनीतिक हल संभव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्द महासागर बड़ी शक्तियों की होड़ से मुक्त होना चाहिए।

भारत और जापान के बीच कोई समस्याएं नहीं हैं परंतु भौगोलिक राजनीतिक कारणों से संकट की स्थितियों का एक समान रूप में निर्वचन हमेशा संभव नहीं है। इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि दोनों देशों को विश्व में शांति और स्थिरता की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

विज्ञान और शिल्पविज्ञान के संदर्भ में भारतीय शिष्ट मंडल ने इतिहास का उल्लेख किया तथा अनुमोदित की गई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85), बड़ी ग्रामीण जनसंख्या और औद्योगीकरण की ऊर्जा क समस्याओं के हल का पता लगाने की आवश्यकता और विशेष रूप से पर्यावरण के संदर्भ में जीवन-स्तर को सुधारने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार की

अनुसंधान और विकास संबंधी नीतियों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने यह कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग अच्छी तरह से चल रहा है, परन्तु उनका यह विचार था कि किसी संस्थागत तंत्र की स्थापना से वैज्ञानिक और शिल्पवैज्ञानिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया की गति तेज हो सकती है। जापानी शिष्टमंडल ने कहा कि विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में दोनों पक्षों में "महत्वपूर्ण" व्यक्ति निर्धारित किए जाने चाहिए तथा उनके माध्यम से ठोस कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए जिनसे वर्धित वैज्ञानिक सहयोग के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सके।

आर्थिक स्थिति के संबंध में यह विचार किया गया कि आर्थिक सहयोग के लिए बड़ी क्षमता/संभाव्यता मौजूद है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। सहयोग में रुकावट डालने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए गए। इनमें ये शामिल थे—अधिक गतिशील व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से किए जाने वाले अत्यधिक प्रयत्न; दोनों देशों के औद्योगिक क्षेत्रकों के बीच अधिक अच्छा सम्प्रेषण, सद्भाव और पारस्परिक विश्वास; गुणता नियंत्रण और प्रबंध विकास में सुधार करने के लिए सहयोग की आवश्यकता जिसके लिए जापानी अनुभव और सहयोग से भारत लाभ उठा सकता है और उसके संबंध में जापानी पक्ष ने विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

दोनों पक्षों ने जापान से भारत को विकास सहायता में वृद्धि का पता लगाने की वांछनीयता पर सहमति प्रकट की। भारतीय पक्ष ने भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में निर्धारित किए प्रमुख क्षेत्रों और परियोजनाओं की रूपरेखा बताई। जापानी पक्ष ने इस योजना और इनमें से कुछ परियोजनाओं में जापानी सहभागिता और निवेशों की संभावना के संबंध में अध्ययन करने के लिए सहमति प्रकट की।

यह निर्णय किया गया कि समितियों की अगली संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए जापानी पक्ष "शिल्पविज्ञान के आयात में जापानी अनुभव" के संबंध में और भारतीय पक्ष "भारत की कृषि विकास कार्यनीति तथा उसमें भारत और जापान के बीच सहयोग के लिए क्षमता/संभाव्यता" के संबंध में अध्ययन करें।

इस बात के लिए सहमति प्रकट की गई कि अगली संयुक्त बैठक 1982 में भारत में पारस्परिक सुविधाजनक तारीख को की जाए।

नया गांव (नीमच) सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन

6905. **श्री बी०आर० नहाटा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नया गांव (नीमच) सीमेंट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता में विस्तार करने की योजना के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है; और

(ख) इसकी वर्तमान अवस्था क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के नीमच संयंत्र में 10 लाख मी० टन की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता का विस्तार करने सम्बन्धी योजना को हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव योजना लगभग 4-5 वर्षों मे कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

सौर ऊर्जा सेलों का उत्पादन

6906. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल**
श्री अर्जुन सेठी } : क्या **विज्ञान और प्राद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा की कमी को देखते हुये सौर ऊर्जा सेलों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) : ऊर्जा के विभिन्न अतिरिक्त स्रोतों ; विशेषकर सौर सैलों के उत्पादन सहित नवीकरणीय स्रोतों का सम्वद्र्धन करने की आवश्यकता को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। सरकार ने पहले से ही एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सेन्ट्रल, इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में सौर सैलों और प्रकाश वोल्टीय पैनलों के उत्पादन के लिए एक परियोजना का आरम्भ किया है। 1981-82 वर्ष के लिए बजट प्रावधानों में 30% की दर से नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों के विनिर्माण के लिए प्रतिष्ठापित मशीनों और संयंत्रों पर मूल्यह्रास छूट की व्यवस्था को शामिल किया है। इन और अन्य पेश किये जाने वाले प्रोत्साहनों को सौर सैलों के उत्पादन पर लागू किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में, वित्त मंत्री ने 1981-82 के लिए बजट पर अपने भाषण में कहा है (पैरा 81)" ...नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग को त्वरित करने और उनके उपयोग का सम्वद्र्धन करने की अत्यन्त आवश्यकता है...ऊर्जा के इन अपरम्परागत रूपों के उपयोगों का सम्वद्र्धन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है...सरकार के विचाराधीन अन्य उपायों में वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त शर्तों पर सम्बद्ध उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले ऋण और कतिपय करो और शुल्को से उन्मुक्ति शामिल हैं।

पम्पों का सौर ऊर्जा सैलों, गोबर गैस तथा जीव गैस से चलाया जाना

6907. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसकी बहुत अधिक मांग की जा रही है कि पानी के पम्पों को सौर ऊर्जा सैलों, गोबर गैस तथा जीव-गैस से चलाया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो पानी के पम्पों की स्थापना के लिये राज सहायता अथवा प्रोत्साहन देकर इनकी स्थापना को किस सीमा तक बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा सैलों, गोबर गैस तथा जीव-गैस का उपयोग करके बिजली की बचत करने का है ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) परम्परागत स्रोतों पर आधारित (बिजली और डीजल) पम्पन के लिए ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए, ऐसे पम्पों में रुचि बढ़ती जा रही है जिन्हें नवीकरणीय स्रोतों यथा सौर ऊर्जा और जैव गैस, के आधार पर चलाया जा सकता है।

(ख) इस समय विशिष्ट रूप से जल पम्पों की प्रतिष्ठापना के लिए कोई रियायत या प्रोत्साहन नहीं है। बहरहाल, पारिवारिक आकार के जैव गैस संयत्रों की प्रतिष्ठापना के लिए पहले से ही रियायतें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। छठी योजना में पारिवारिक जैव गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए रियायतें और कुछ समर्थक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रावधान को शामिल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए 21 सामुदायिक जैव गैस संयत्रों की प्रतिष्ठापना कर रहा है। इन संयंत्रों से प्राप्त जैव गैस को जल पम्पन के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सौर-सैलों पर चलने वाले जल पम्पों की कीमतों को भी अनुसंधान और विकास के माध्यमों और बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संबंध में वित्त मंत्री ने 1981-82 के बजट के लिए अपने भाषण में कहा है (पैरा 81) ".....नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग को त्वरित करने के लिए और उनके उपयोग का सम्वद्धंन करने की अत्यन्त आवश्यकता है.....ऊर्जा के इन अपरम्परागत रूपों के उपयोगों का सम्वदर्धन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है..... सरकार के विचाराधीन अन्य उपायों में वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त शर्तों पर सम्बद्ध उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले ऋण और कतिपय करों और शुल्कों से उन्मुक्ति शामिल है"।

साइमन्स इण्डिया द्वारा विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का विस्तार करने का प्रस्ताव

6908. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइमंस इण्डिया ने विशेषकर विद्युत इन्जीनियरिंग क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का और अधिक विस्तार तथा विविधीकरण करने की कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपने नये निवेश कार्यक्रम में अगले पांच वर्षों में क्रियान्वित किये जाने के लिये 35 करोड़ रु० का कार्यक्रम पेश किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनका प्रस्ताव मान लिया है ;

(घ) क्या वर्ष 1979-80 के लिये पूंजीगत व्यय 7 करोड़ रु० था ; और

(ङ) यदि हां, तो वे 1981-82 के दौरान विद्युत इन्जीनियरिंग क्षेत्र के संबंध में किन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मे० साइमन्स इण्डिया लि०, बम्बई को 19 करोड़ रु० के परिकल्पित पूंजी निवेश में अपने बम्बई एकक में स्विचगियर निर्माण कार्य के विस्तार के लिए 30 जुलाई, 1970 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। कम्पनी को स्विचबोर्डों की अपनी क्षमता का कुल भाग बम्बई से नासिक ले जाने की भी अनुमति दी गई है। इसमें 7.25 करोड़ रु० की परियोजना लागत से नासिक में एक नया एकक स्थापित करने का कार्य शामिल है। 35 करोड़ रु० के पूंजी निवेश कार्यक्रम वाला कोई प्रस्ताव कम्पनी से प्राप्त नहीं हुआ है। हां, कम्पनी की अस्थायी योजनाओं के अनुसार 1980-81 से 1984 85 की अवधि के आगामी पांच वर्षों के दौरान उन्होंने लगभग 35 करोड़ रु० के निवेश की परिकल्पना की है जो कि कारोबार की वृद्धि, धन की उपलब्धता, सरकारी अनुमति आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर होगी।

(घ) 1979-80 में 4.87 रु० तक का पूंजी निवेश हुआ था।

(ङ) 1981-82 के दौरान मुख्य कार्यक्रम में बम्बई में स्विचगियर कार्यकलापों का विस्तार करना और सामान्य प्रतिस्थापनों, उत्पाद विकास तथा अनुसंधान और विकास कार्यों के अतिरिक्त नासिक में नया स्विचबोर्ड कारखाना स्थापित करना शामिल है।

दिल्ली प्रशासन में वरिष्ठ पदों का न भरा जाना

6909. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से दिल्ली प्रशासन में वरिष्ठ पदों को न भरे जाने के कारण प्रशासनिक निष्क्रियता बढ़ती जा रही है जिससे आंशिक रूप से प्रशासन का कार्य ठप्प हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) प्रश्न नहीं, उठता।

फिल्म उद्योग पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का लागू किया जाना

6911. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंध फिल्म उद्योग पर लागू नहीं होते ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि किन्हीं उपचारात्मक उपाय किये जानें का विचार है, तो वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) यद्यपि कच्ची फिल्मों का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत शामिल है, किन्तु फिल्में बनाने का उद्योग उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत इसलिए शामिल नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई निर्माण संबंधी कार्य अन्तर्गस्त नहीं है जिसका उपयुक्त अधिनियम द्वारा विनियमन किया जाता हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंधुआ मजदूर विषयक सर्वेक्षण प्रतिवेदन का विदेश में "कम्पयूटर प्रोसेसिंग"

6912 **श्री वी० एन० गाडगिल**
श्री बी० आर० नहाटा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान ने "बंधुआ मजदूरों के मामलों" विषयक एक सर्वेक्षण के द्वारा 1979 के आरम्भ में 20 लाख बंधुआ मजदूरों से संबंधित राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़े एकत्र किए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये आंकड़े "कम्पयूटर प्रोसेसिंग" के लिए विदेश भेजे गए थे ;

(ग) यदि हां, तो किस देश को और उन आंकड़ों को क्या हुआ ; और

(घ) सर्वेक्षण संबंधी अंतिम प्रतिवेदन क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण के आंकड़ों की कम्पयूटर प्रोसेसिंग पश्चिम जर्मनी में की गई और इसका प्रयोग सर्वेक्षण की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया । सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार देश में 26.17 लाख बंधुआ मजदूर विद्यमान हैं ।

गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा बंधुआ मजदूरों के मामले विषयक राष्ट्रीय सर्वेक्षण

6913. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा 1978 में बंधुआ मजदूरों के मामलों विषयक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राष्ट्रीय श्रम संस्थान का भी उपयोग लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण पर कितना व्यय हुआ इस व्यय की पूर्ति किस प्रकार से की गई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 11,795.30 रुपये खर्च किए। उन्होंने इसका वहन अपने बजट में से किया है ।

रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिये सीमान्त सहायता योजना

6914. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिये आसान शर्तों पर सीमान्त धन सहायता योजना लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का कब तक लागू करने की संभावना है और इसकी मुख्य बातों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) लघु एककों को किस सीमा तक लाभ मिलने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सरकार का विचार रुग्ण लघु एककों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक मार्जितन धनराशि योजना लागू करने का है । इसका मूल उद्देश्य रुग्ण लघु एककों के स्वीकृत पुनः स्थापन संबंधी कार्यक्रम के लिए पता लगाए गए रुग्ण लघु एककों को वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित निधि प्राप्त कराने में उनकी सहायता करना है । इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा लेबोरेटरी जानकारी, इंजीनियरी के विकास और उत्पादन इंजीनियरी के बीच खाई को पाटा जाना

6915. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री के० मालन्ना } : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबोरेटरी जानकारी और इंजीनियरी के विकास और उत्पादन इंजीनियरी के बीच वर्तमान लम्बी खाई को पाटने के लिये सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार आवश्यक कदम उठाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विकासशील टैक्नोलोजी में गैर-सरकारी क्षेत्र को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा ; और

(घ) क्या लेबोरेटरी जानकारी और उत्पादन इंजीनियरी सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों को विदेशी सहयोग पर अत्यधिक आश्रित होने के लिये बाध्य कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में जून, 1974 में निगमित किया गया था। अन्य बातों के साथ इसकी स्थापना का उद्देश्य इलैक्ट्रानिक संघटकों और उपकरणों के कतिपय क्षेत्रों में सी० एस० आई० आर० या अन्य अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में विकसित जानकारी को प्राप्त करना है और उपयुक्त इंजीनियरी विकास/उत्पादन इंजीनियरी के पश्चात उसके आधार पर व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन करना है। कम्पनी ने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोगशाला स्तर की जानकारी और इंजीनियरी/विकास/उत्पादन इंजीनियरी के अन्तराल को पूरा किया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक ग्रेड के फेराइटों, दृश्य श्रव्य यंत्रों और प्रणालियों, मोनोको-मीटरों और लेसरों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन किया जा सका है। स्पैशल इलैक्ट्रान ट्यूब, लाइट एमिटिंग डायोडों और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज और यंत्रों और प्रणालियों के क्षेत्र की कुछ वस्तुओं यथा स्कैनिंग इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप, रेलवे के हाट बाक्स डिटेक्टरों, लेसर प्रणाली, फोटो कोटरों आदि के क्षेत्र में से ऐसे विकास प्रगति पर हैं। इसके लिए बहु विषयशास्त्रीय और बहु सांस्थानिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिकी आयोग, और अन्य एजेन्सियों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और जिसमें अनुसंधान और विकास सहयोग विभिन्न प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस समय निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को उनसे अलग-अलग पुर्जों, सब असेम्बलियों आदि की आपूर्ति के लिए सहायक यंत्रों के रूप में सीमित तरीके से सी० ई० एल० द्वारा अपेक्षित कतिपय वस्तुओं के व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन से सम्बन्धित किया जा रहा है, जहां भी इनका उत्पादन लघु पैमाने के उद्योगों में सम्भव हो सकता है। सी० ई० एल० ने अभी तक कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया है।

काडर पुनरीक्षा समिति की सीमा सुरक्षा बल में पदोन्नति के अवसरों के सम्बन्ध में सिफारिशें

6916. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में पदोन्नति के अवसरों के बारे में केन्द्र सरकार ने काडर पुनरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा दी गई सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इससे सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों को कितनी सहायता मिलेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) ए० डी०/कमाण्डर पद के 141 अधिकारियों, उपकमाण्डर पद के 77 अधिकारियों और सहायक कमाण्डर पद के 154 अधिकारियों को लाभ होगा ।

जापान के औद्योगिक शिष्टमण्डल की यात्रा

6917. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के 10 बड़े औद्योगिक ग्रुपों के एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों से बातचीत करने के लिए भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो किस क्षेत्र में ; और

(घ) समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) जी, नहीं। जापान के शीर्षस्थ उद्योगपतियों ने राज्य तथा केन्द्र सरकारों से कोई विचारविमर्श नहीं किया था । फिर भी, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने बताया है कि भारत तथा जापान की व्यापार सहयोग समिति की तेरहवीं संयुक्त बैठक 9 दिसम्बर, 1980 को नई दिल्ली में हुई थी । इस समिति का उद्देश्य भारत तथा जापान की व्यापार समितियों के मध्य मित्रता तथा मेल-मिलाप को प्रोत्साहन देना तथा दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग का विकास करना है । इस समिति ने यह पाया कि पारस्परिक लाभ के लिए बड़े पैमाने पर भारत

के विकास कार्यक्रमों में जापानी प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की काफी गुंजाइश है। दोनों देशों के संगठनों द्वारा तीसरे देशों की परियोजनाओं में सहभागिता की गुंजाइश का भी पता लगाया गया था।

गुजरात में बसाये गये आदिवासी बंधुआ मजदूर

6918. श्री छीतू भाई गामित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के अन्तर्गत गुजरात में बसाये गये आदिवासी बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है ;

(ख) आदिवासी बंधुआ मजदूरों को किस प्रकार की राहत दी गई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या गुजरात में आदिवासी बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में 20 आदिवासी बंधुआ श्रमिक थे, जिनको उनके भूतपूर्व नियोजक द्वारा 21 गुन्था भूमि दी गई और उन्हें प्राथमिकता आधार पर समाज कल्याण निदेशालय की विशिष्ट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत लाभ दिए गए। केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत उनको सहायता देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के संबंध में पूरी छानबीन करने के लिए राज्य के बजट में 50,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

6919. श्री छीतू भाई गामित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1978 से 1980 तक वर्षवार, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कितने हैं ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त अवधि के दौरान ली गई लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति बैठे और उनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा किस सीमा तक भरा गया ; और

(घ) पूरा कोटा न भरने के क्या कारण हैं और शेष कोटा भरने के लिये सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) विवरण देखें ।

(ख) विवरण 1 देखें ।

(ग) विवरण 2 देखें ।

(घ) इंजीनियरी सेवाओं, आशुलिपिकों तथा भू-वैज्ञानिकों की परीक्षाओं जिनके लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हताएं अपेक्षित है, में कुछ रिक्तियों को उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण रूप से नहीं भरा जा सका । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही खोल जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से एक और केन्द्र खोले जाने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है। जहां तक आशुलिपिक परीक्षा का सम्बन्ध है, विभिन्न परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को तैयार करने हेतु इन जाति के उम्मीदवारों को शिक्षण सुविधाएं दे रहे हैं।

विवरण-1

वर्ष	सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की कुल सख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां
1977-78	4109	780	133
1978-79	6655	778	265
1979-80	5925	856	297

विवरण-2

वर्ष	उन उम्मीदवारों की संख्या जो वास्तव में शामिल हुए		उन उम्मीदवारों की सख्या जिनका साक्षात्कार किया गया		आरक्षित पदों की संख्या		सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या	
	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जा०	अनु० जन जा०
1977-78	5609	1033	335	89	708	476	266	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978-79	7305	1405	739	168	601	484	487	145
1979-80	75533	3921	938	350	572	432	562	205

विवरण-3

वर्ष	आरक्षित पदों की संख्या		सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या		समस्त प्रतिशतता, जिसके लिए कोटा भरा गया	
	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जा०	अनु० जन जा०
1977-78	708	476	266	64	37.5	13.4
1978-79	601	484	487	145	81.0	29.5
1979-80	572	432	562	205	99.4	47.4

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की क्षमता का तुलनात्मक उपयोग

6920. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी सीमेंट उद्योग में पृथक-पृथक पिछले 3 वर्षों में उत्पादन क्षमता क्या थी ;

(ख) सीमेंट उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में उस अवधि के दौरान कितनी क्षमता का उपयोग हुआ ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रति टन सीमेन्ट उत्पादन के लिए वेतन एवं मजूरी, बिजली की खपत तथा कार्यचालन पूंजी में निवेश के संबंध में तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना): (क)तथा (ख) 1979 तथा 1980 के पंचाग वर्षों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों (केन्द्र तथा राज्य दोनों क्षेत्र) में सीमेंट उद्योग की लाइसेंसीकृत क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग की संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के तुलनात्मक आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

विवरण

(दस लाख मी० टन में)

वर्ष	निजी क्षेत्र			सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य तथा केन्द्र क्षेत्र)		
	क्षमता	उत्पादन	उपयोग	क्षमता	उत्पादन	उपयोग
1979	20.45	16.31	79.7%	3.59	1.91	53.3%
1980	31.32	15.53	72.8%	4.39	2.33	53.3%

सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण

6921. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सीमेंट उद्योग का विकास करने के विचार से उसके आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार देश के बड़े-बड़े सीमेंट कारखानों की स्थापना के पक्ष में हैं ;

(ग) क्या सीमेंट कारखानों में बिजली की बढती हुई खपत को देखते हुए बिजली बचाने के किसी नये तरीके का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) सीमेंट की मांग की तुलना में उसकी सप्लाई की स्थिति क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां, सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ख) देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने की नीति के रूप में सरकार में चूने के पत्थर के निक्षेपों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से बड़े संयंत्रों सहित सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करके अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने को बढ़ावा दिया है।

(ग) सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट सीमेंट बनाने में ऊर्जा/बिजली की खपत में कमी करने के तरीकों/प्रविधियों का अध्ययन कर रहा है।

(घ) देश में सीमेंट का उत्पादन अभी मांग के अनुरूप नहीं हो रहा है।

राज्यों द्वारा योजना परिव्यय का उपयोग

6922. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या योजना मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के प्रथम वर्ष में योजना व्यय विशेष रूप से पूर्वी राज्यों में 1980-81 के लिए योजना परिव्यय से बहुत ही कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि योजना निष्पादन के तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्य पंच वर्षीय योजनाओं की तरह इस योजना में भी योजना आवंटन से बहुत से बहुत कम व्यय की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण एवं आवश्यक परिवर्तन करने का है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : राज्यों द्वारा प्रारूप छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1980-81 में अर्थात् छठी योजना के पहले वर्ष में, चार पूर्वी राज्यों में (बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में) संभावित व्यय अनुमोदित योजना परिव्ययों से अधिक है। शेष राज्यों के मामलों में भी आंध्र प्रदेश और असम के दो राज्यों को छोड़कर संभावित व्यय कम नहीं है ; आंध्र प्रदेश और असम में यह कमी सीमा तक बताई गई है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से, योजना के निष्पादन में किसी आशोधन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राज्य योजनाओं का आयोजन और कार्यान्वयन संबन्धित राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आता है।

अमरीका के साथ परमाणु ईंधन करार को समाप्त करना

6923. **श्री बसंत कुमार पंडित**
श्री माधव राव सिंधिया
श्री चिंतामणि जेना
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री रामविलास पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका सरकार को भारत-अमरीका सम्बन्ध में आए विकार को दूर करने के लिए सम्वर्धित परमाणु ईंधन की सप्लाई तथा प्रयुक्त ईंधन को पुन: परिष्कृत करने के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से किए गए द्विपक्षीय करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयास किये गए हैं और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सोवियत रूस तथा अन्य परमाणु देशों ने सरल तथा प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से सम्बन्धित परमाणु ईंधन सप्लाई करके भारत की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार इस आशा को दृढ़तापूर्वक दोहराती रही है कि भारत तथा अमरीका के बीच नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहकार सन् 1963 में हुए करार के अन्तर्गत कायम रह सकता है। भारत सरकार यह बात अमरीका की सरकार से लगातार जोर देते हुए कहती रही है कि वह सन् 1963 के सहकार करार के अन्तर्गत अपनी वचन बद्धता पर कायम रहे।

(ग) और (घ) जब तक सन् 1963 में हुआ सहकार करार विधिमान्य है, तब तक भारत अमरीका के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से समृद्ध यूरेनियम नहीं ले सकता।

हैलीकाप्टर का देश में उत्पादन

6924. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग आगामी दशक में तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक हल्के हेलीकाप्टर का देश में निर्माण करने के लिए नए प्रस्तावों की जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके डिजाइन तथा विदेशी सहयोग के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व एक अन्य प्रकार की मशीन के लिए ऐसे ही प्रस्ताव की जांच की थी ;

(घ) यदि हां, तो पहले ही जांच किए सभी प्रस्तावों के तुलनात्मक लाभ क्या हैं ; और

(ङ) 19.9 की सुब्रह्मण्यम समिति के प्रतिवेदन से आधुनिक हल्के हैलीकाप्टरों के बारे में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तीनों सेवाओं की भावी जरूरतों की पूरा करने के लिए एक उन्नत किस्म के हल्के हेलिकाप्टर का डिजाइन तैयार कर रहा है। इस सम्बन्ध में नवीनतम तकनीक प्राप्त करने के लिए डिजाइन के संबंध में सहयोग करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) सहयोग के प्रस्तावों के मूल्यांकन का काम पूरा कर लेने के बाद अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संक्रियात्मक जरूरतों में फेर-बदल होने तथा विमान की कारगरता और सुरक्षा का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित तकनालाजी को अद्यतन बनाने की जरूर के कारण इस कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है ।

जिला सैनिक बोर्ड

6925. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को जिला सैनिक बोर्डों के असहयोगपूर्ण रवैये तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(क) क्या सशक्त सेना के सिपाहियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को फार्म भरने, आवेदन पत्रों, टाईप आदि के लिए "सेवा प्रभार" तथा 'दरों' की अदायगी करनी पड़ती है;

(ग) क्या सत्यापन के संबंध में "अनुकूल रिपोर्ट" देने तथा प्रक्रिया में लगाने वाले विलम्ब को कम करने के लिए काफी पैसा लिए जाने की प्रथा बड़े पैमाने पर व्याप्त है; और

(घ) क्या जिला सैनिक बोर्डों के दोषपूर्ण कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार का सेना मुख्यालय निदेशालय के अधीन सैनिक बोर्डों को विकेन्द्रीकृत करने का प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

जिला सैनिक बोर्ड उन जिलों में स्थापित किए गए हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों तथा सेवारत सैनिक कार्मिकों के परिवारों की जनसंख्या 3500 से अधिक है। प्रत्येक राज्य में जिला सैनिक बोर्डों पर राज्य सैनिक बोर्ड का नियंत्रण होता हैं। राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड संबंधित राज्य सरकार के विभाग/संगठन होते है और उसके प्रशासनिक नियत्रण में काम करते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार इन स्थापनाओं का 50 प्रतिशत खर्च वहन करती है। इस समय देश में 27 राज्य सैनिक बोर्ड और 219 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

(2) राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के कार्य संचालन अथवा इन संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को प्राप्त सभी शिकायतों की जाँच की जाती है और प्रत्येक मामले में उचित कार्रवाई की जाती है। कुछ जिला सैनिक बोर्डों के कार्य संचालन के बारे में हाल ही में रक्षा मंत्रालय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है और संबन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके इन शिकायतों की जाँच की जा रही है ।

(3) सैनिक बोर्ड संगठन के वर्तमात गठन के कार्मिक कुल मिलाकर भूतपूर्व सैनिक हैं। इस संगठन का प्रशासन थल सेना मुख्यालय को सौंपने में संबंधित प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय में विचार नही हो रहा है।

विदेशी सहयोग

6927. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री जगदीश टाईटलर } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) यह पांच वर्षों में कितने विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई और

(ख) स्वीकृति दिये जाने के बाद कितने मामलों में विदेशी सहयोग विफल रहा और किन-किन कारणों से ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) 1976-80 तक पांच वर्षों में विदेशी सहयोग की 1644 स्वीकृतियां जारी की गई थीं।

(ख) आमतौर पर किसी स्वीकृति को उत्पादन की अवस्था तक पहुंचने में 3 वर्ष या इससे अधिक समय लगता है। इन स्वीकृतियों पर अनुवर्ती कार्य करने तथा उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालयों की होती है और विदेशी सहयोग की उन स्वीकृतियों की संख्या के बारे में कोई केन्द्रस्थ जानकारी उपलब्ध नही है जो सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद फलीभूत होने में असफल रही हो।

छठी योजना के अन्त तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या

6928. **श्री चित्त बसु**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1985 में छठी योजना के अन्त में अनुमानत: 46.6 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार होंगे; और

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान उनमें से कितने लोगों को संगठित उद्योग तथा कितने लोगों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाएगा।

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यह मानते हुए रोजगार की दर में और अधिक कमी नहीं होगी यह अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना की अवधि के अन्त में 46·6 लाख शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे।

(ख) छठी योजना के दस्तावेज में ऐसी विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम दिए गए हैं जिनमें देश में बेरोजगारों के लिए रोजगार की क्षमता/संभाव्यता है। ऐसी आशा है कि शिक्षित व्यक्तियों सहित बेरोजगार व्यक्तियों को इन स्कीमों से लाभ होगा। मजदूरी/वेतन प्राप्त रोजगार के

अलावा, ऋण, विपणन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं देकर स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विकेन्द्रित रूप में प्रयत्न किए जाएंगे ।

वीरता के लिए पुरस्कार विजेताओं की परिलब्धियों में वृद्धि

6929 **प्रो० नारायण चन्द पराशर**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं के वीरता के लिए विभिन्न पुरस्कार विजेताओं की परिलब्धियों में मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के फलस्वरूप, क्या कोई वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो (एक) परम वीर चक्र विजेता/विक्टोरिया क्रास विजेता (दो) महावीर चक्र विजेता (तीन) वीर चक्र विजेता तथा अन्य श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं—प्रत्येक को पिछले तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार की राहत दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वीरता के लिए दिए जाने वाले वित्तीय पुरुस्कारों और मूल्य सूचकांकों में वृद्धि के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं है । फिर भी, सरकार ने समय-समय पर इन वित्तीय भत्तों में संशोधन किया है ।

एस० डब्ल्यू० ए० तथा जे० सी० एस० में प्रतिनिधित्व

6930. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एस० डब्ल्यू० ए० एक मान्यता प्राप्त एसोसियेशन है और इसे डी० जी० आई० तथा आर० एण्ड डी० आर्गेनाइजेशन के जे० सी० एम० तीन और जे० सी० एम० दो लेवल में प्रतिनिधित्व मिल रहा है परन्तु 1971 में हुए कार्यकारिणी के चुनाव पर मुकदमे चलने के तथा इसके कार्यकरण पर मुसिफ सिटीकोर्ट, कानपुर द्वारा स्थगन आदेश मिलने के कारण जे० सी० एम० के सभी लेवलों पर प्रतिनिधित्व निलम्बित कर दिया गया;

(ख) क्या उक्त स्थगन आदेश दो बार एक तरफा समाप्त कर दिया गया और उसके बाद एसोसियेशन की कार्यकारणी के वर्ष 1976, 1977 और 1980 के लिए चुनावों को रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स कानपुर के यहां विधिवत पंजिकृत कराया गया और इन पर कहीं से कोई चुनौती नहीं दी गई; और

(ग) क्या मंत्रालय वर्ष 1980 के लिए निर्वाचित तथा रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स कानपुर द्वारा विधिवत पंजीकृत कार्यकारणी जो अभी कार्यरत है को मान्यता देने के लिए आवश्यक अनुदेश देगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इन घटनाओं की जानकारी नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए यह नहीं उठता।

सी० आई० एम० एम्प्लाईज यूनियन्स, कानपुर को मान्यता देना

6931. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री सी० आई० एम० एम्प्लाईज यूनियन्स कानपुर को मान्यता देने के बारे में 30 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न 6093 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं कि सात महीनों की अवधि बीत जाने के बाद भी उक्त यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है : और

(ख) विवाद को निपटाने में कितना समय और लिए की जाने आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस मामले में अब सरकार विचार कर रही है और जितना जल्दी संभव हो सकेगा इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

डी० जी० आई० में काम करने वाले एग्जामिनरों के लिए गतिरोध

6932. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत डी० जी० आई०/आई० जी० ओ० एफ० संगठन में काम करने वाले एग्जामिनरों को पन्द्रह से अधिक वर्षों से पदोन्नति न मिलने के कारण उनके लिए गतिरोध पैदा हो रहा है और वे बिना किसी वार्षिक वेतन-वृद्धि के अपने वेतनमानों के अधिकतम वेतन भी ले रहे हैं जिससे इस श्रेणी में असंतोष हो रहा है और उनकी कार्य कुशलता कम हो रही है;

(ख) क्या इस श्रेणी में व्याप्त गतिरोध दूर करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव राज वी० पाटिल) : (क) निरीक्षण महानिदेशालय में ऐसे कोई परीक्षक (एग्जामिनर) नहीं है जिन्होंने पदोन्नति प्राप्त किए बगैर अपने ग्रेड में 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो लेकिन पदोन्नति नहीं हुए हो।

डी० जी० ओ० एफ० संगठन में परीक्षकों की कुल 6,665 संख्या में से केवल 18 एग्जामिनर ऐसे हैं जिन्हें अपने ग्रेड में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी पदोन्नति नहीं मिली है। अपने वेतनमानों में अधिकतम वेतन लेने वाले परीक्षकों का प्रतिशत निरीक्षण महानिदेशालय में 19%तथा डी० जी० ओ० एफ में 3%है।

(ख) और (ग) जी हां। सवर्गों की पुनः रचना तथा अन्तर ग्रेड के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

रक्षा कर्मचारियों द्वारा 18 दिसम्बर, 1980 को सांकेतिक हड़ताल का आह्वान

6933. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में 18 दिसम्बर को सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस दिन कितने प्रतिशत श्रमिकों ने हड़ताल की;

(ग) क्या हड़ताल के दिन हिंसा की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार हिंसात्मक गतिविधियों में हिंसा लेने वाले और निष्ठावान कर्मचारियों को काम पर आने से रोकने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव राज वी० पाटिल (क) जी हां।

(ख) 27·7 प्रतिशत।

(ग) जी हां।

(घ) पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई और संबंधित कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ मामलों में संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और अनुशासनिक कार्रवाइयां आरम्भ हो चुकी हैं। अन्य मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनकी अभी जांच की जा रही है।

जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना

6934. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे जिलों का, जो पिछड़े हुए है परन्तु जिनके विकास की उपेक्षित संभावनाएं हैं, निश्चित राशि व्यय करके गहन औद्योगिकरण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और प्रत्येक जिले में औसतन कितनी राशि निवेशित की जानी है;

(ख) क्या सरकार ने 1971 में कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) माननीय उद्योग राज्य मंत्री द्वारा 23 जुलाई, 1980 को संसद में औद्योगिक नीति संबंधी विवरण में की गई घोषणा के बाद उद्योग राज्य मंत्री ने नवम्बर 1980 में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध करते

हुए लिखा था कि वे राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े दो जिलों/क्षेत्रों के नाम सुनाएं जहां औद्योगिक विकास को एक गति देने की योजना बनाई जा सके और लघु और सहायक उद्योगों के रूप में आवश्यक समस्त समबद्धता के साथ केन्द्रस्थ संयंत्रों की नीति के माध्यम से इनका विकास किया जा सके ।

(ख) और (ग) वर्ष 1971 में, 246 जिलों (जैसा कि विवरण 1 में दिया गया है) को रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने के पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है ।

इनमें से 101 जिलों/क्षेत्रों (जैसा कि विवरण 2 में दिया गया है) को देश में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है ।

विवरण-1

वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त लेने हेतु पात्रता के लिए चुने गये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची :—

आन्ध्र प्रदेश (14)	अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीमनगर, खयमा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, बालगोडा, नेलौर, निजामाबाद, अगोले, श्री काकुलम और वारंगल ।
असम (7)	कछार, गोलपारा, कामरूप, गिकिर हिल्स, नार्थ कछार हिल, नोगांव और न्यू लखीमपुर जिला ।
बिहार (16)	भागलपुर, चम्पारन,* दरभंगा,* मुजफरपुर,* पालमऊ,* पूर्णिया सहरसा सन्थाल परगना, सरन, नालन्दा, औरंगाबाद, नवादा गया, भोजपुर, बेगुसराय और मुंगेर ।
गुजरात (10)	अमरोली, बनासकंठा, भावनगर, भडौच, जूनागढ़. कछ, मेहसाना पंचमहल्स, साबरकंठा और सुरेन्द्र नगर ।
हरियाणा (7)	भिवानी, हिसार,* जिन्द और मोहिन्द्र गढ़ ।
हिमाचल प्रदेश (7)	चम्ब, कांगडा, किन्नौर, कुलू, लाहौल और स्पिति, सोलन और सिरमूर ।

जम्मू और काश्मीर (10)	अनन्त बाग, बारा मूला, डोढ़ा, जम्मू कठुआ, लदाख पूंछ, राजोरी, श्रीनगर, और उधमपुर ।
केरल (5)	एलेप्पी, केनानोर, मालापुरम, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम ।
कर्नाटक (11)	बेग्राम, बीदर, बीजापुर, धारवाड़ गुलबर्गा, हसन, मैसूर नार्थ कनारा, राइचूर, साउथ कनारा और तुमकुर ।
मध्य प्रदेश (36)	बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिनदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होसंगाबाद, झबुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसौर, मोरेना, नरसिम्हपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगाँव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा सागर, शिवनी, शजापुर, शिवपुरी, सिधी, सुरगुजा, टीकम गढ़ विदिशा और न्यू सिहोर जिला ।
महाराष्ट (13)	औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुलढ़ाना, चाँदा गुलाब, धूलिया, जलगांव नन्देड उसमनाबाद, प्रभनी, रत्नगिरि और यवतमल ।
मणिपुर (5)	पांचों जिले ।
मेघालय (2)	गारो हिल्स** और यूनाईटेड खासी और जन्तिया* हिल्स
नागालैण्ड (3)	कोहिमा, मेकोकुचुग और तनसंग ।
उडीसा (8)	बालासौर, बालगिर, धनेकनाल, बालाहंडी, केनझर, कोरापुट, मयूरगंज और संगरूर ।
पंजाब (3)	भटिन्डा*, फिरोजपुर**, गुरदासपुर, होशियारपुर, तथा संगरूर ।
राजस्थान	अलवर, बन्सवाड़ा, बारमेड, भीलवाड़ा, चुरु, डूंगपुर, जेलसमेर, जालोर झुनझुन, झलवार जोधपुर, नागौर, सिकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर ।
सिक्कम	चारों जिले, गंगटोक, मंगल, ग्यालसिंग और नामची ।
तमिलनाडु (9)	धरमपुरी, कन्याकुमारी, मकुरै, नाथ अंकाटं रामानाथपुरम, साउथ आरकोट, तंजोर तिरुचापल्ली और पुडुकोट्टाई जिले ।

त्रिपुरा (3)	तीनों जिले ।
उत्तर प्रदेश (38)	अल्मोड़ा, आजम गढ़, बदाऊं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर*, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीदपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मेनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव और उत्तरकाशी ।
पश्चिम बंगाल (13)	कुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुडी, मालदा मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नदिया, पुलिया और बेस्ट मिदनापुर ।
अंडमान और निकोबार	समस्त क्षेत्र
अरुणाचल प्रदेश	-वही-
दादरा और नागर हवेली	-वही-
गोवा, दमन और दिव	-वही-
लक्षद्वीप	-वही-
मिजोरम	-वही-
पांडिचेरी	-वही-

* जिला जैसे कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थी ।

** जिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है ।

विवरण—2

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिए पात्र जिले/क्षेत्र

1. आन्ध्र प्रदेश	श्री काकुलम जिला और पांच क्षेत्र
क्षेत्र 1 :	रावलसीमा प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसमें 22 ब्लाक हैं । इसमें 13 ब्लाक अर्थात चित्तुर बांगरूपालम, पुली चेरला, पत्तूर चन्द्रगिरि, व कलाहास्थी (चित्तूर जिले से) तथा कोडर, रजमपेट, सिधाना, गुडाप्पा, कमालपुरम प्रादुत्तूर पालीचेंडला (गुडाप्पा जिले से) आते हैं ।
क्षेत्र 2 :	इसमें 9 ब्लाक अर्थात तदपत्तरी, सिंगनामाला, गूटी, कुदसर, अनन्तपु जिले से) कराधान, कूरनूल, बंयनापल्ली,

नन्याल, और गिदडालुर (कुरदूल जिले से) आते हैं।
तेलंगाना प्रदेश के तीन क्षेत्र जिसमें 43 ब्लाक हैं।

क्षेत्र 1 : इसमें 14 ब्लाक अर्थात महबूब नगर, जदुवेरला, शादनगर, कलचाकर्ती व अंभगल (महबूब नगर जिले से) और नाला गोंड़ा सगाड़ी, नकराकल, सूयपिट, कोड़उ, डुजरनगर, मीरयातगुडआ, पेट्टादारेरा तथा देवकोन्डा) नालगोन्डा जिले से आते हैं।

क्षेत्र 2 : इसमें 15 ब्लाक अर्थात खम्मम, थिरूमतायपालम, कन्लूर येतान्डू, कोटटपुडस, अस रावेट, पुरागसपेट तथा भाद्राचलम, (खम्म जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, उनको, धानापुर जनगांव और मूलम (पारंगत जिले से) आते हैं।

क्षेत्र 3 : इसमें 15 ब्लाक अर्थात जहीराबाद, पाटनचेरब, नरसापुर, मेडक और सिढ़ढ़ीपेट (मेडक जिले से) मेडापल्ली, निजामाबाद, कामारेडी और और डेमाकोन्डा (निजामाबाद जिले से) और सिरिल्ला, करीम नगर सुलतानाबाद पेडोपल्ली, मन्थानी और हजूराबाद (करीमनगर) जिले से आते हैं।

2. असम : गोलपाडा, मिकिहिल्स, कामरु नोगांव, कछार और लखीमपुर जिले।

3. बिहार : भागलपुर, दरभंगा, चंपारन, पालामऊ, सहरसा और संथाल परगना जिले।

4. गुजरात : पंचमहल, भडोंच, और सुरेन्द्र नगर जिले।

5. हरियाणा पुनर्गठित महेन्द्रगढ़ जिला (जिसमें मोहिन्दरगढ़ और रेवाड़ी उपखण्ड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखण्ड तथा 8 ब्लाक हिसार तहसील से (तोहना ब्लाक) फतेहाबाद तहसील से हिसार जिले से जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक) जीर्ण तहसील से उददना ब्लाक (नखाना तहसील जिंद जिले से)।

6. हिमाचल प्रदेश : कागंडा चंबा, कुलू सिरमुर तथा सोलन जिले।

7. जम्मू तथा काश्मीर : जम्मू, श्रीनगर, अनन्त नाग, बोडा, बारामूला और पूछ जिले ।

8. कर्नाटक : रायपूर, मैसूर तथा धारवाड जिले ।

9. केरल : एलेप्पी, कन्नानोर तथा मालापुरम जिले ।

10. मध्य प्रदेश : छः क्षेत्र ।
(पूर्वीय प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात, कोरवा वलोदा चंपा, कोटा, मस्तूरी तथा विल्हा (विलासपुर ब्लाक) बिलासपुर जिले से) भाटागरा सिमभान, टिलड़ा भारसिवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं ।

* यह 10 जुलाई, 1972 के बाद चुने गये जिले/उपखण्ड/ताल्लुक/ब्लाक तहसील बताता है ।

** यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे ।

क्षेत्र 2 : (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोंक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से) मुरोना, शुजानपुर और शाजापुर ब्लाक (शाजापुर जिले से) पंचोर (सांगरपुर) और ब्यावटा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) और छबोरा रोधोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र 3 : (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दतिया तथा सिमोधा) (दतिया जिले से) भिण्ड, महगांव तथा गोहद (भिण्ड जिले से) तथा मुरैना और जाओरा (मुरैना जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र 4 : * (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात बीना, इटावा खुरी बांदा (विनैका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरपटु) सागर जिले से (टीकम गढ़, बल्पेवगढ़) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र 5 : * (पश्चिमी क्षेत्र, से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात पेटलावाद, धार और नतोहा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा

(खातगोन जिले से) रतलाम और जावरा (रतलाम जिले से) मंदसौर मल्हरगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से)

क्षेत्र 6: (उत्तरीपूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवां, और रायपुर (गढ़) रीवां जिले (मझौली, सीधी डूसर और बंधान) सीधी जिले से सोनहट, मैकुटपुर, महेन्द्र गढ़, सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले से)

11. मणिपूर : सभी पाँच जिले ।

12. मेघालय : गोरोहिल्स, तथा संयुक्त खासी और जतिया हिल्स

13. महाराष्ट्र : रतनगिरि, औरंगा बाद और चन्दनपुर जिले

14. नागालैंड : कोहिमा, मंकोचुग, त्युनसेंग जिले ।

*यह 10 जुलाई 1972 के पश्चात चुने गये जिले/उप-प्रभाग/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बताता है ।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही में पुनर्गठन से पूर्व विद्यमान थे ।

15. उड़ीसा कालाहनन्दी, मयूरगंज, बोलनगिरि*, क्योझर*, और कोरापुरट* जिले ।

16. पंजाब होशियारपुर, संगरुर और भटिंडा जिले ।

17. राजस्थान अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा*, युरु*, नागौर और उदयपुर जिले ।

18. सिक्किम गंगटौक* ग्यानसिंग, मेंगन* और नामची* जिले (16.5.1975 से शामिल) ।

19. तमिलनाडु तीन क्षेत्र/टैक्टस जिसमें 33 ताल्लुक है:—

क्षेत्र 1 : जिसमें 12 ताल्लुक (सब ताल्लुक मिलाकर)

रामानाथापुरम, मदुकूलाथुर, शिवागंगा परमाकुडी, स्थिरवादानी, कार्रइकुडी और स्थिरुपाथुर ताल्लुक (मदुराई जिले से) पड़कोटाई थिरुमायम, आलमकुड्डी और कुलाथुर ताल्लुक (पुडाकोटाई जिले से)

क्षेत्र 2 : जिनमें धर्मपुरी, पालाकोड़, होसूर दनकानि कोटह कृष्णा-गिरी उटीनगराय, हरुर (धामपुरी जिले से) तरपादुर, वानियामबादी बल्लूर, बालाजोट (उत्तर आरकोट जिले से)

क्षेत्र 3:	जिसमें 10 ताल्लुक, अरुपाकोटाइ, सत्तूर, विरुधनगर, श्री विलीपुटुर, राजपलयम (रामानाथपुरम के प० रामानाथपुरम जिले से) तिरुमंगलम, उसिलामपट्टी नीलाकोथाठ, डिन्डीगल और वेदासन्दूर (मदुराई जिले से)
20. त्रिपुरा	सभी 3 जिले ।
21. उत्तर प्रदेश	अलमोड़ा बलिया, बस्ती*, फैजाबाद*, झांसी**, और रायबरेली* जिले ।
22. पश्चिमी बंगाल	पुरुलिया, भिदनापुर* और नादिया*जिले ।

केन्द्र शासित क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	पूरा संघीय क्षेत्र
2. अरुणाचल प्रदेश	-वही-
3. दादरा और नागर हवेली	-वही-
4 लक्षद्वीप	-वही-
5. मिजोरम	-वही-
6. गोवा, दमन और द्वीव	संघी क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र पाण्डिचेरी के नगर पालिका क्षेत्र के कोर छवरोज, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी बंलेवर्ड के भीतरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र ।

* 10-7-1972 के बाद चुने गये जिले/एवं-डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक तहसीलों को दर्शाता है ।

** अभी हाल ही में किये गये उनके पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है ।

छठी योजना में आदिवासियों के विकास के लिए कार्यक्रम

6935. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन आदिवासियों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जायेंगे, जिनकी संख्या देश की जनसंख्या के सात प्रतिशत से भी अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को देने हेतु कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख) गृह मंत्रालय की वित्तीय सहायता से राज्यों द्वारा निष्पादित आदिवासी विकास कार्यक्रम इस प्रकार है :

(1) आदिवासी उपयोजना से बाहर आदिवासी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों समेत आदिवासी उपयोजना ।

(2) आदिम आदिवासी वर्गों के लिए कार्यक्रम ।

(3) आदिवासी कन्याओं के लिए छात्रावास ।

(4) अनुसंधान और प्रशिक्षण ।

(5) आदिवासी छात्रों के लिए मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियां ।

(6) स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता ।

कार्यक्रम छठी योजना अवधि के दौरान जारी रहेंगे । छठी योजना के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता 500 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है ।

एम० आर० टी० पी० के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नौकरी दिया जाना

6936. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी कि एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) से (ग) एकाधिकार अवरोधक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले, प्रतिष्ठानों सहित निजी औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों का सांविधिक आरक्षण करना कानूनी रूप से संभव नहीं है ।

बालासौर उड़ीसा में लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी

6737. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा के बालासौर जिले में लघु उद्योग एककों को की जा रही सीमेंट, लोहा, इस्पात, महम और कोयला जैसे कच्चे माल की सप्लाई उनकी मांग से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसे कच्चे माल की वास्तविक मांग और वास्तविक सप्लाई कितनी-कितनी रही है :

(ग) क्या राज्य में ऐसे लघु उद्योग एककों के विकास में कच्चे माल की अनियमित सप्लाई की प्रमुख बाधा है; और

(घ) इन एककों की मदद के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के बालासौर जिले में लघु एककों के लिए कच्चे माल की कमी के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। किन्तु, उड़ीसा सहित देश भर के लघु एककों को अपनी पूरी आवश्यकता के अनुसार सीमेंट, कुछ श्रेणियों के लोहे और इस्पात तथा कोयला जैसा कच्चा माल प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां हो रही है।

(ग) और (घ) दुर्लभ कच्चे माल की कम पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अभ्युपाय किए हैं :—

(1) देश में कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करना ;

(2) वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए उद्योग संबंधी कच्चे माल और कम सप्लाई वाले वस्तुओं के मामलों में आयात नीति को उदार बनाना।

(3) प्रणालीबद्ध करने वाली एजेंसियों के माध्यम से लौह और अलौह धातुओं के मूल कच्चे माल और रसायन वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी करना।

(4) लघु क्षेत्र के लिए कुछ दुर्लभ कच्चे माल का पर्याप्त भंडार बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय सेना अकादमी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन

6938. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977, 1978 और 1979 में वर्षवार और क्षेत्रवार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय सेना अकादमी के लिए चुने गए उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा सामान्य उम्मीदवारों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों से सफल उम्मीदवारों यदि कोई हों, की प्रतिशतता अपेक्षाकृत कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ेपन तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की पूर्णतया कमी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा/साक्षात्कार के समय जो सुविधाएं दी जाती हैं वैसी ही ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में भी उसी प्रकार की

भर्ती पूर्व स्तर पर निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधायें तथा विशेष रियायतें उनकी आबादी के अनुपातिक रूप में देकर उनकी चयन प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए है या उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): (क) तथा (ख) सुपरिभाषित मानदण्डों के अभाव में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों में पहचान करना सम्भव नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 16(2) में यह व्यवस्था है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण सुविधाएं

6939. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुस्लिम विद्यार्थियों के साथ-साथ उन पिछड़े वर्गों में विद्यार्थियों को जिनकी वार्षिक आय 9000/ रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ख) क्या इसी प्रकार की सुविधाएं लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में भी उन सामान्य उम्मीदवारों को (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुस्लिमों के अतिरिक्त) भी विशेषकर ग्रामीण और दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को जिनकी वार्षिक आय 9000/- रुपये से कम है उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की सुविधाएं ऐसे सामान्य उम्मीदवारों को विशेषकर उनको, जो गरीबी की रेखा पर अथवा गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर हैं, उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित किए जाते हैं । विभिन्न पदों और सेवाओं में इन समुदायों का निम्न प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए अनुशिक्षण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में पूर्व

परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन समुदायों के वे उम्मीदवार जिनक माता पिता/संरक्षकों की सभी साधनों से वार्षिक आय (उम्मीदवार की आय समेत) 9000/- रुपये से अधिक नहीं है, विभिन्न सेवाओं/पदों की भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं में बैठने के लिए ऐसे केन्द्रों में निशुल्क अनुशिक्षण के पात्र है। क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में पद आरक्षित नहीं हैं अत: उनके लिए ऐसे केन्द्रों की व्यवस्था नहीं की गई है।

ग्रामीण विकास कार्य के समन्वय के लिए केन्द्रीय एजेंसी

6940. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न तरह के ग्रामीण विकास कार्य का समन्वय करने के लिए कोई केन्द्रीय एजेंसी अथवा केन्द्र, राज्यों और आयोग की कोई संयुक्त एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रस्तावित एजेंसी के अन्तर्गत अत्यधिक निर्धन लोगों के लिए वैयक्तिक परिसंपत्ति उत्पन्न करने की कोई नीति बनाने का भी विचार है ताकि उनके लिए आय के स्थायी स्रोत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्तावित एजेंसी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे आरम्भ करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों की संबद्धता में देश में इस कार्य का समन्वय करता है।

(ख) ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालय राज्य सरकारों के जरिए अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य सबसे अधिक ग्रामीण गरीबों को गरीबी के स्तर से उठाने की दृष्टि से उनके लिए परिसंपत्तियों और कुशलताओं के निर्माण और शिल्पविज्ञान का अंतरण करना है।

(ग) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केन्द्रीय लवण आयुक्त तूतीकोरिन के अंतर्गत से प्लेटफार्म मजदूरों द्वारा आंदोलन

6941. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन में केन्द्रीय लवण आयुक्त के अधीन काम करने वाले प्लेटफार्म मजदूर फैक्टरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा मजदूर संबंधी अन्य कानूनों के लाभ प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर सरकार का निर्णय क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ल) यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय लवण आयुक्त ने छोटे-छोटे लाइसेंस धारियों की ओर से, जो श्रमिकों को अलग-अलग रूप से नियोजित नहीं कर सकते, जिन ।।। प्लेटफार्म श्रमिकों को नियुक्त किया था, वे कारखाना अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, इत्यादि के लाभ प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं चूंकि अलग अलग लाइसेंसधारियों द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या 20 से कम बताई गई है, इसलिए ये मजदूर भविष्य निधि कानून के अन्तर्गत नहीं आते। जहां तक कारखाना अधिनियम का संबंध है, राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है।

छठी योजना में हिमाचल प्रदेश को आबंटन

6942. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित किए जाने के लिए कितनी योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) राज्य सरकार ने कितनी राशि की मांग की थी और किन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित राज्य सरकार के कुल 701 करोड़ रु० के प्रस्तावों के मुकाबले राज्य सरकार के परामर्श से राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना को 560 करोड़ रु० की राशि पर अन्तिम रूप दिया गया। योजना आयोग स्कीमवार आबंटन नहीं करता। स्कीमवार आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

चम्बल में डाकू-विरोधी अभियान के लिए सहायता

6943. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश पुलिस ने चम्बल और यमुना की तंग घाटियों में अपने डाकू-विरोधी अभियान में हेलिकाप्टरों की सहायता सहित थल सेना तथा वायु सेना की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा मांगी गई तथा उसे प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों से कुछ वाहनों, हथियारों और उपकरणों के लिए रक्षा मंत्रालय से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा। भारत सरकार दोनों राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उपर्युक्त कार्रवाई करेगी।

एच० एम० टी० घड़ियां

6944. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मिकेनिकल और इलैक्ट्रानिक घड़ियों का उत्पादन किया गया है और एच० एम० टी० की निर्धारित क्षमता कितनी है ;

(ख) दोनों तरह की घड़ियों के लिए किन पुर्जों का आयात किया जाता है ;

(ग) क्या कुछ घड़ियां पूरी तरह से देशी तौर पर ही बनाई जाती हैं ;

(घ) एच० एम० टी० द्वारा पूरी तरह देशी तौर पर बनाई गई और आयात की घड़ियों के आंकड़े क्या हैं ;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयात किया जाता है ; और

(च) आयात की गई घड़ियों और एच० एम० टी० में देशी तौर पर बनाइ गई घड़ियों के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एच० एम० टी० लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिक घड़ियों का उत्पादन अभी शुरू नहीं किया गया है। एच० एम० टी० के बंगलौर श्रीनगर तथा तुमकुर स्थित अपने कारखानों में मैकेनिकल घड़ियों की अधिष्ठापित क्षमता 1979-80 में 12 लाख नग तथा 1980-81 में 23 लाख नग थी। पिछले दो वर्षों में एच० एम० टी० घड़ियों (मैकेनिकल) का कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन
1979-80	31.11 लाख
1980-81	34.48 लाख (अनुमानित)

(ख) तथा (ग) एच० एम० टी० स्वीकृत चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार देश में ही घड़ियों का उत्पादन कर रहा है। एच० एम० टी० के बंगलौर, श्रीनगर तथा तुमकुर स्थित कारखानों में बनाई जा रही मैकेनिकल घड़ियों में आयातित हिस्सा कच्चे माल, उपभोग्य ज्वैल इत्यादि तक ही सीमित है। एच० एम० टी० की सहायता प्राप्त वाच असैम्बली ऐसिलरी यूनिटों की आवश्यकता के एक भाग को पूरा करने के लिए ही घड़ियों के कुछ हिस्से पुर्जों के सेट का आयात किया जा रहा है।

(घ) एच० एम० टी० द्वारा पिछले दो वर्षों में घड़ियों का कोई आयात नहीं किया गया है। 1979-80 में 30.77 लाख रुपये तथा 1980-81 में लगभग 31.50 लाख रुपये मूल्य की एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री की गई थी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) पिछले दो वर्षों में कोई घड़ियां आयात नहीं की गई थी। उत्पादन के आंकड़े उपर्युक्त (क) में दिये गये हैं।

अग्नि-शमन सेवा के विकास के बारे में आंध्र प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता

6945. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह अग्नि-शमन सेवा के विकास के लिये उपकरणों के रूप में सहायता दे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जुलाई, 1978 में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अग्नि शमन सेवाओं के विकास और विस्तार के लिए अपनी योजनाएं सूचित करें ताकि इस उद्देश्य के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की योजना तैयार करने की सम्भाव्यता का पता लगाया जा सके। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों ने अपनी अग्नि-शमन सेवाओं के विकास के लिए धन की आवश्यकता को बता दिया है। मामले के सभी मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, अग्नि शमन सेवाओं को सुधारने के लिए सामान्य बीमा निगम से राज्यों को ऋण देने की एक योजना बनाई गई थी और जुलाई, 1980 में राज्यों को परिचालित भी की गई थी। भारतीय सामान्य बीमा निगम ने राज्यों को वर्ष 1980-81 में 5 करोड़ रु० ऋण के रूप में उपलब्ध कराने और उसके बाद के वर्षों में 10 करोड़ रु० का भुगतान करना सिद्धान्त रूप से मान लिया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित सभी राज्यों से ऋण के लिए अपनी आवश्यकता भेजने को कहा गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए अपनी आवश्यकता सूचित नहीं की थी और इसके कारण उसे कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था। राज्य सरकार से भविष्य में यदि ऋण देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होगा तो उस पर गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए खाली पदों का आरक्षण

6946. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खाली पदों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा, 1977 तथा 1978 और सिविल सेवा परीक्षा (जिसे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के नाम से जाना जाता था) । 1979 के आधार पर भरा जाना अपेक्षित था, विवरण में निर्दिष्ट की जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	सेवा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या					
		भा० प्र० से० आदि परीक्षा, 1977		भा० प्र० से० आदि परीक्षा, 1978		सिविल सेवा परीक्षा, 1979	
		अनु० जा०	अनु० जन० जा०	अनु० जा०	अनु० जन० जा०	अनु० जा०	अनु० जन० जा०
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	21	10	18	10	19	9
2.	भारतीय विदेश सेवा	3	2	3	1	3	2
3.	भारतीय पुलिस सेवा	10	6	9	4	9	4
4.	केन्द्रीय सेवाएं समूह "क"	44	35	46	37	40	25
5.	केन्द्रीय सेवाएं समूह "ख"	25	26	42	28	36	36
6.	संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवाएं समूह 'ख"	6	4	2	2	4	3
7.	संघ राज्य क्षेत्र पुलिस सेवा समूह "ख"	3	1	2	2	1	1
8.	आर० पी० एफ०	2	—	2	1	—	—
	जोड़ :	114	84	124	85	112	80

आसाफली रोड, दिल्ली में आग लगना

6947. **श्री निहाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसफली रोड, दिल्ली में 5 फरवरी, 1981 को लगी आग के कारण जान-माल की कितनी हानि हुई ;

(ख) आग के क्या कारण थे ; और

(ग) आग से प्रभावित व्यक्तियों को सरकार ने कितनी सहायता दी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कवाना) : (क) और (ख) मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सूचित किया है कि 5.2.81 को आसफली रोड पर लगी आग में जीवन की कोई हानि नहीं हुई। 115 व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया। सम्पत्ति को लगभग 75,000 रुपए की हानि होने का अनुमान है। आग लगने का संभावित कारण बिजली का शोर्ट-सर्किट था।

(ग) दिल्ली प्रशासन जिसने उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, दरयागंज और दिल्ली रेडक्रास के सचिव से पूछताछ की थी के अनुसार सहायता के लिए अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मैसर्स बूट्स कम्पनी, बम्बई के कर्मचारियों की बकाया कर्मचारी भविष्य निधि

6948. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बूट्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड, बम्बई में दैनिक मजूरी पर और मासिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की अलग अलग संख्या कितनी है ;

(ख) इस कम्पनी द्वारा अब तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के हिसाब में कितनी-कितनी धनराशि जमा कराई गई है और उनकी और कितनी राशि अलग-अलग बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: 866 और 1172 है। यह भी सूचित किया गया है कि सभी कर्मचारी मासिक आधार पर नियोजित हैं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा/कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा भेजी गई सूचना नीचे दी गई है :--

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

प्रतिष्ठान ने दिसम्बर, 1980 तक 15,75,147.0 रुपये का भुगतान किया था और कोई राशि बकाया नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन छूट प्राप्त है। इसने अब अक अपने भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड को 2,95 979.50 रुपये की राशि हस्तांतरित की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनिकेम लेबोरेट्रीज के विरुद्ध ई० एस० आई० और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6949. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स यूनिकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बम्बई में मासिक और दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) कम्पनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अब तक कितनी राशि जमा कराई गई और उसकी कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है, मैसर्स यूनिकेम लेबोरेटरीज लि० में मासिक मजदूरी दर के आधार पर नियोजित कर्मचारियों की संख्या 1,555 है। उनके यहां दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है।

(ख) उक्त प्रतिष्ठान द्वारा जमा कराई गई राशियां तथा उनके नाम बकाया राशियां इस प्रकार हैं :—

	जमा कराई गई राशि (रुपयों में)	बकाया राशि (रुपयों में)
कर्मचारी भविष्य निधि	62,37,028,00	शून्य
कर्मचारी राज्य बीमा योजना	33,91,024,32 (1962 से 1980 तक)	24,772,24

(ग) नियोजक के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-ख के अधीन आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा में आरक्षण नीति को क्रियान्वित न करना

6950 **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दास नगर, हावड़ा के निदेशक/प्रिंसिपल के कार्यालय में अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण-नीति को रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा जारी किये गये निदेशों के बावजूद क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उस कार्यालय का मजदूर संघ संगठन अधिकारियों के साथ मिलकर आरक्षण नीतियों की क्रियान्विति में बाधा डाल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षणों आदेशों की क्रियान्वित के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देश कलकत्ता एरिया के अध्यक्ष द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित अपनी नीति के कार्यान्वयन में ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन को बाधा डालने की अनुमति नहीं देगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, अम्बरनाथ द्वारा भेजा गया अभ्यावेदन

6951. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ अम्बर नाथ (जिला ठाणे महाराष्ट्र) की ओर से भेजा गया दिनांक 14 नवम्बर, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उसमें की गई प्रत्येक मांग पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) मांगे इस प्रकार थी :—कर्मचारियों की प्रस्तावित सरकारी समिति द्वारा हाउसिंग कालोनी के निर्माण के लिए भूमि देना ; समिति के लिए वित्त की व्यवस्था करना, सरकारी नियंत्रणाधीन एजेन्सी या किसी अन्य प्राधिकृत एजेन्सी से मकान बनवाना और निर्माण कार्य के लिए अच्छी किस्म की व्यवस्था करना।

(ग) भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से कहा गया है कि वे एक हाउसिंग सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत उसे पंजीकृत करा लें। समिति एपेक्स हाउसिंग सोसाइटी बम्बई से धन ले सकती है, जो कि प्रारंभिक हाउसिंग सहकारी समितियों की संघीय वित्तीय निकाय है। निर्माण करवाना और सामान की खरीद संबंधी काम इस सहकारी समिति को ही करना है। इस काम के लिए कारखाने परिसर में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इस अभ्यावेदन में जो दूसरी भूमि सुझायी गई है वह महाराष्ट्र राज्य सरकार की है और महाराष्ट्र सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की हरिद्वार परियोजना में गबन के सम्बन्ध में शिकायतें

6952. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की लार्ज साइज टर्बो जेनेरेटर परियोजना और वहां अन्य निगमों में करोड़ों रुपयों के गबन और अन्य भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां। फिर भी, बी० एच० ई० एल० के हरिद्वार एकक के प्रबंधकों के विरुद्ध प्राप्त हुई सभी शिकायतों का ब्यौरा देना कठिन है क्योंकि सामान्यतया ये शिकायतें गुमनाम, फर्जी या अस्पष्ट पाई गई हैं। हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यतया अपने लिए कानूनी कमीशन प्राप्त करने के लिए बड़े आकार की टर्बो जनरेटर परियोजना के लिए कई करोड़ रु० मूल्य की मशीनें खरीदने में हेरा फेरी की। जाँच करने पर यह पाया गया कि शिकायत फर्जी थी। इसे ध्यान में रखते हुए इस मामले हर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार को एक ऐसी शिकायत भी प्राप्त हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि झूठे एल० टी० सी० बिल पेश करके व्यक्तियों ने बी० एच० ई० एल० हरिद्वार के धन का गबन किया गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि बी० च० इ० एल० हरिद्वार के अधिकारियों का गुप्त सहयोग था। आरम्भिक जांच के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामले की जाँच आरम्भ करने का अनुरोध किया गया।

(ग) जब भी हस्ताक्षर की हुई तथा विशिष्ट आरोपों वाली शिकायतें होती है इनकी जांच की जाती है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाने पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

ऐजल-लुंगलेई बरास्ता थेंजावल सड़क का निर्माण

6953. **डा० आर० रोथुआमा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐजल-लुंगलेई बरास्ता थेंजावल सड़क ऐसी जगह स्थित है जो आर्थिक क्षमता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लुंगलेई तथा छिम्तुईपुई जिलों को सभी वस्तुओं की सप्लाई करने में पेट्रोल की जो अत्यधिक खपत होती है उसमें बचत करने की दृष्टि से सीमा सड़क विकास बोर्ड का विचार "ब्रीफ" द्वारा थेंजावल सड़क से होते हुए पेजल-लुंगलेई सड़क का निर्माण तत्काल आरंभ करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मौजूदा सड़क "ऐजल-लुंगलेई" को थेंजाल से होते हुए मिलाने की बजाय सरचिप से होते हुए मिलाने का चुनाव, सभी पहलुओं पर विचार करने, जिनमें आर्थिक, रक्षा अपेक्षाएं आदि से संबंधित पहलू भी शामिल हैं के बाद लिया गया। इसलिए ऐजल और लुंगलेई के बीच दूसरी सड़क बनाने का सीमा सड़क विकास बोर्ड का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा एक सड़क थेंजाल और सरचिप को मिलाती है जो बहुत दूर नहीं है, और उत्तर-पूर्वी परिषद, विकास संबंधी जरूरतों के लिए थेंजाल और बंगमम के बीच एक सड़क का विकास करने का विचार कर रही है।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरदायी मन्त्रालय एवं विभाग

6954. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के कौन-कौन से मंत्रालय और विभाग देश के व्यापक विकास के लिये उत्तरदायी हैं ;

(ख) कौन-कौन से मंत्रालय तथा विभाग जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा जनजातियों के उत्थान के लिये उत्तरदायी हैं ; और

(ग) क्या सभी केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभाग इन क्षेत्रों तथा लोगों के लिये उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो उनमें से कितनों ने अभी समस्याओं का अध्ययन कर लिया है और उनके लिये उपबंध करने हेतु कार्यक्रम तैयार किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में देश के विकास के लिए जिम्मेवार हैं। विकास कार्य मंत्रालय/विभाग जैसे, कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना आदि जनजाति क्षेत्रों के विकास में प्रत्यक्ष रूप से अधिक अन्तर्ग्रस्त हैं। इन मंत्रालयों/विभागों से, नये कार्यक्रमों को शुरू करके और जनजाति क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों को अनुकूल बनाकर जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए धन निर्धारित करने के लिए कहा गया है। नो केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, जैसे कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण शिक्षा और समाज कल्याण, नौवहन और

परिवहन, डाक और तार, उर्जा, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और श्रम मंत्रालय ने योजनाएं बना दी हैं और जनजाति उप योजना क्षेत्रों के लिए धन निर्धारित कर दिया है।

सीमेंट की कमी

6955. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट उद्योग सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा है, जबकि वर्ष प्रति वर्ष उसकी मांग बढ़ती जा रही है और उद्योग जब और जैसे चाहे, इसके मूल्यों में वृद्धि कर देता है;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि जबकि सरकार को यह अच्छी तरह पता है है कि काला बाजारियों को प्रायः 100 प्रतिशत लाभ हो रहा है, गत कुछ वर्षों में सरकार भी अपने निजी उत्पादन एकक शुरू करने में लगभग असफल रही है, और

(ग) यदि हाँ तो उत्पादन में वृद्धि करने तथा मांग की पूर्ति करने हेतु सरकारी क्षेत्र में नए एककों की स्थापना करने के लिए क्या शीघ्र उपाय किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) प्रमुखतः सीमेंट उद्योग को पर्याप्त कोयला और बिजली की पूर्ति संबंधी आन्तरिक कठिनाइयों के कारण सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि कर पाना संभव नहीं हुआ है। सीमेंट का मूल्य सीमेंट नियंत्रक आदेश के अंतर्गत नियंत्रित है और यह उद्योग निविष्ठियों की लागत जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है, में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए सरकार को अभ्यावेदन देता रहा है।

(ख) चार-चार लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले भारतीय सीमेंट निगम के नीमच और अकलतरा स्थित दो कारखानों में 1980 में उत्पादन आरंभ हो गया है। येरागुन्तला स्थित निगम के एक अन्य कारखाने में क्लिंकर का उत्पादन शुरू हो गया है। प्रतिवर्ष 100 लाख मी० टन से अधिक क्षमता के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन हेतु 26 नई योजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में इनके पंजीकरण की अनुमति दे दी गई है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुएं

6956. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हिन्दुस्तान लीवर द्वारा इस समय किन किन उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इस कम्पनी द्वारा उत्पादित प्रत्येक वस्तु की मात्रा तथा मूल्य क्या है ;

(ग) संगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं में इस कम्पनी का कितना अंशदान है, और

(घ) इस कम्पनी ने वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक वर्षवार कुल कितना लाभ कमाया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कम्पनी द्वारा कमाया गया वर्ष-वार कुल लाभ निम्न प्रकार है :—

(रु० करोड़ों में)

31 दिसम्बर को समाप्त हुआ वर्ष	कर-पूर्व लाभ	कर देने के बाद लाभ
1976	19.64	6.89
1977	21 74	7.82
1978	25.80	9.31
1979	30.61	17.60
1980	(अभी उपलब्ध नहीं)	

विवरण

क्रम संख्या	उपभोक्ता-वस्तु का नाम	वर्ष 1980 के दौरान तैयार किए गए माल का परिमाण और मूल्य		संगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल में कम्पनी का लगभग (अंश प्रतिशत)
		मात्रा (मी० टन)	मूल्य	
1	2	3	4	5
1.	संश्लिष्ट डिटर जेंट	83,602	उपलब्ध नहीं	48
2.	साबुन	1,63,826	,,	49
3.	टुथ पेस्ट	1,019	,,	9
4.	(क) दूध का पाउडर	892	,,	3.9
	(ख) शिशु आहार	916	,,	2.4
5.	(क) बनस्पति	40,472	,,	5.7
	(ख) रिफाइन्ड तेल	10,978	,,	10.1

सामूहिक आवास समितियों के लिये बनाये गये डी० डी० ए० फ्लैटों के बढ़े हुए कर योग्य मूल्य

6957. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने सामूहिक आवास समितियों के लिए बनाए गए डी० डी० ए० फ्लैटों के आवंटियों/मालिकों को उनके फ्लैटों के कर योग्य मूल्य में 1 अप्रैल, 1978 से वृद्धि के लिए नोटिस भेज दिए हैं ;

(ख) क्या किसी सम्पत्ति के कर योग्य मूल्य के निर्धारण से नागरिक सुविधाएं दिए जाने का कोई सम्बन्ध नहीं है ;

(ग) क्या ऐसे नोटिस डी० डी० ए० द्वारा बनाए गए फ्लैटों के आवंटियों को ही दिए गए हैं और निजी प्लाटधारियों को नहीं दिए गए हैं ;

(घ) क्या सम्पन्न लोगों पर अपेक्षाकृत कम दर से कर लगाए जाने से समाज के दुर्बल वर्गों के प्रति भेदभाव नहीं हो गया है ;

(ङ) क्या डी० डी० ए० द्वारा बनाए गए फ्लैटों की लागत में प्रशासनिक प्रभार, ब्याज, रख-रखाव प्रभार और डी० डी० ए० का लाभ शामिल है ; और

(च) यदि हां, तो फ्लैटों का कर योग्य मूल्य निर्धारित करते समय फ्लैट के मूल्य में से उपरोक्त प्रभारों को न घटाए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि किसी सम्पत्ति का कर योग्य मूल्य निर्माण की उचित लागत की कुल रकम का वार्षिक 7½% के आधार पर लगाया गया मानक किराये और निर्माण प्रारंभ होने की तारीख को परिसरों में सम्मिलित भूमि का बाजार मूल्य है। यही कारण था कि मानक किराया आधार पर कर योग्य मूल्य को पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव कराने वाले डी० डी० ए० फ्लैटों के आवंटियों को वर्ष 1978-79 के दौरान नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए थे।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अनुसार कर और सम्पत्ति करों को एकत्र करने का किसी बस्ती में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के साथ कोई अदला-बदली नहीं है।

(ग) जी हाँ, श्रीमान। निगम ने बताया है कि अन्य मामलों में जहां मानक किराया आधार या कर-वसूली आधार पर पहले ही कर निर्धारण कर लिया गया है वहाँ ऐसे नोटिसों को जारी करना आवश्यक था।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) निगम के अनुसार, डी० डी० ए० फ्लैटों का कर-योग्य मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य में, करदाता/आबंटी द्वारा डी० डी० ए० को भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य या ऐसे व्यक्तियों द्वारा डी० डी० ए० को प्रस्तावित देय, जैसा कि आवंटन पत्र में दिखाया गया है, डी० डी० ए० को देय अधिभार सहित यदि कोई हो, को लागत के रूप में लिया जाता है।

(च) निगम के अनुसार सभी उद्देश्यों के लिए, स्वामी के आधिपत्य वाले फ्लैट की लागत वही है जिसका वास्तव में डी० डी० ए० को भुगतान किया गया है या मालिक द्वारा इसके खरीदने पर व्यय किया गया है।

जे० वी० प्लास्टिक्स दिल्ली के कर्मचारियों का मुआवजा

6958. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा**
श्री भीखा भाई } : क्या श्रम मंत्री जे० वी० प्लास्टिक्स, दिल्ली के कर्मचारियों के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4273 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस कर्मचारी को और अधिक मुआवजा देने के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए किसी चिकित्सा-बोर्ड की स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे और इस बोर्ड ने ठीक-ठीक कितनी धनराशि स्वीकृत की थी और यदि अब तक कोई भुगतान किया गया है, तो किस प्रकार किया गया है ;

(ग) क्या उस कर्मचारी की उपरोक्त फैक्टरी में अब तक पुनर्नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) 20-3-80 से 13-9-80 तक अस्थायी अशक्तता लाभ के रूप में 1093.75 रुपये की राशि पहले ही अदा की जा चुकी है। चिकित्सा बोर्ड की बैठक 16-12-1980 को हुई थी और उसने अनन्तिम रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्जन क्षमता में 10 प्रतिशत के ह्रास का अनुमान लगाया। इसके आधार पर कर्मचारी को 3.75 रुपये प्रतिदिन की दर से स्थायी आंशिक अशक्तता लाभ मंजूर किया गया है। परन्तु यह लाभ उस तारीख के बाद से प्रभावी है, जब से उसे अस्थायी अशक्तता लाभ मिलना बन्द हो गया, अर्थात् 13-9-80 कर्मचारी को 14-9-80 से भुगतान किया जा रहा है जो 15-12-81 तक जारी रहेगा। 14-9-80 से 28-2-81 तक की अवधि के लिए 630 रुपये का नकद भुगतान पहले ही किया जा चुका है। एक वर्ष बीत जाने पर उसके मामले की पुनरीक्षा की जाएगी।

(ग) पता चला है कि उक्त बीमा शुदा व्यक्ति मैसर्स जे० वी० प्लास्टिक्स के यहां नियोजित नहीं है ।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है, जिससे कि इस प्रकार के मामलों में पुनर्नियोजन सुनिश्चित हो सके ।

झगड़ें के कारण हुई मौतें

6959. **श्री बी० के० नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से फरवरी, 1981 के दौरान राजनैतिक दलों, कर्मचारी संघों तथा छात्र-संगठनों के बीच हुए और व्यक्तिगत झगड़ों में राज्यवार, कितने लोग मारे गये इन ग्रुपों के ऐसे घातक हमलों में कितने व्यक्ति शिकार हुए ;

(ख) उक्त झगड़ों तथा आक्रमणों संबंधी ब्यौरा क्या है, ये वहां-कहां हुए किस-किस तारीख को हुए, कितने लोग मारे गए और इन में अन्तर्ग्रस्त दलों तथा संगठनों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि में झगड़ों के फलस्वरूप एक व्यक्ति की जान गई । हिमाचल प्रदेश और नागालैंड सरकारों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादर और नागर हवेली, मिजोरम और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है उक्त झगड़ों के फलस्वरूप इस अवधि के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई । अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भामी प्रिन्ट्स, फरीदाबाद के प्रबन्ध समर्थक एक कारीगर ने 19-5-80 को एक यूनियन कार्यकर्ता पर गोली चलाई । कंचन नामक एक व्यक्ति, जिसको गोली लगी, की हस्पताल में मृत्यु हो गई ।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की धमकियां

6960. **श्री रूद्र प्रताप षाडंगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारियो में से केवल थोड़े से ऐसे कर्मचारी जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की किसी भी मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ के सदस्य नहीं हैं, आन्दोलन आदि की धमकी देकर निष्ठावान कर्मचारियों को लगातार धमकी दे रहे हैं और उन्हें तंग कर रहे हैं जिससे अन्य कर्मचारियों को अनुशासन-भंग करने और कार्य निष्ठापूर्वक न करने का प्रोत्साहन मिलता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी गतिविधियों से मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है और कुछ अधिकारियों, कर्मचारी सदस्यों तथा श्रमिक संघ के भविष्य निधि आयुक्त से अनुरोध किया है कि ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और निष्ठावान कर्मचारियों की उनसे रक्षा की जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का मुख्यालय के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए इन शरारती कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करके उन्हें ठीक करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि इस समय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में दो स्टाफ यूनियनें नामत:

(ख) केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी यूनियन (पंजीकृत) और केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी एसोसिएशन (पंजीकृत) हैं। बाद की एसोसिएशन ने 28-3-81 को 12 मांगों वाला: एक चार्टर प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यदि मांगों का निपटारा 15-3-81 तक नहीं किया जाता तो एसोसिएशन आन्दोलन का मार्ग अपनाएगी। तदनुसार, एसोसिएशन ने श्री राम सेन्टर बिल्डिंग में स्थित केन्द्रीय कार्यालय में 23-3-81 तथा मयूर भवन में 26-3-81 से लंच की अवधि के दौरान प्रदर्शन किए और बाद में महामंत्री ने 31-3-81 को 9.30 बजे प्रात से 48 घन्टे की भूख हड़ताल की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जब कभी अपेक्षित होता है, कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है, जिन्हें आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है।

सेंचूरियन टैंकों में नये कल-पुर्जे लगाकर काम योग्य बनाना

6961. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री हरिकेश बहादुर } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंचूरियन टैंकों को बेकार व पुराने समझ लिये जाने के क्या कारण हैं जबकि फेरबदल करके तथा 10 मि० मि० गन, गीयर बॉक्स, डीजल नियंत्रण के लिये जिस्टराईज्ड मन और रात्रि को देखने के लिये उपयुक्त उपकरण जो कि विजयंत टैंकों के लिए भारत में ही बनते हैं तथा लांसर रेंज फाइंडर लगाकर उन्हें कार्य योग्य बनाने के बाद वे कुछ ऐसे टैंकों से कुछ अर्थों में अपेक्षाकृत उत्कृष्ट हो जाते हैं जिनका कि इस समय आयात किया जाता है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने वर्तमान भारतीय टैंकों के आधुनिकीकरण तथा नये कल पुर्जे लगाकर उन्हें काम योग्य बनाने और हमें पेश किये गये नये टैंकों के आयात के बीच होने वाले लागत-लाभ का विश्लेषण किया है जिसमें उक्त जीर्णोद्धार की बात को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1972 में गहराई से सेना में 1955-56 के दौरान लाए गए सेंचूरियन टैंकों को आधुनिक बनाने की संभावनाओं की जांच की गई थी। उस समय ये टैंक अप्रचलित श्रेणी के टैंकों में गिने जाने लगे थे। इस जांच के दौरान देखा गया कि इन टैंकों की चैसिस और मुख्य उपस्कर पुराने पड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट दी गई थी कि सैंचूरियन टैंकों के आधुनिकीकरण की लागत पूर्वी यूरोपीय देशों से मिल सकने वाले नए टैंकों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। इसके अलावा टैंकों के रख-रखाव के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों की सप्लाई भी जो इसके आधुनिकीरण के अन्तर्गत शामिल नहीं किए थे अनिश्चित थी। अत: इन टैंकों की लागत और संक्रियात्मक कार्यों के लिए इनकी उपयोगिता पर विचार करने के बाद दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के बिन्टेज सेंचूरियन टैंकों को आधुनिक बनाने का विचार उस समय उचित नहीं समझा गया। इसके बाद मेसर्स विकर्स, यू० के० से इन टैंकों को रिफरबिश करने का प्रस्ताव आया जिस पर 1978 में फिर विचार किया गया और उन्हीं कारणों से इसे भी नामजूर कर दिया गया। इन टैंकों को किसी लाभकारी काम में इस्तेमाल करने के प्रश्न पर थल सेना मुख्यालय नए सिरे से विचार कर रहा है।

(ख) और (ग) विजयंत टैंकों में सरकार ऐसे सुधार करने पर विचार कर रही है जो व्यावहारिक हों और लागत के अनुरूप हों ताकि उनकी प्रहार क्षमता और युद्ध क्षेत्र में उसकी उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सके। सरकार एक ऐसे आधुनिक युद्ध टैंकों को सेना में लाने के अनेक प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है जो 1980 और 1990 के लिए सम-सामयिक हो सके। ऐसे मामलों में सरकार राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लेती है। अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

दिल्ली नगर निगम की आयुर्वेदिक फार्मेसी पर लागू होने वाले कर्मचारी राज्य बीमा तथा श्रमिकों संबंधी अधिनियम

6962. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ; कारखाना अधिनियम, 1948 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, दिल्ली नगर निगम की निगम बोध घाट स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी के परिसर पर भी लागू होते हैं जहां आयुर्वेदिक औषधी तैयार की जाती है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : यह सूचित किया गया है कि तीनों अधिनियम प्रतिष्ठान को लागू हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

6963. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 की वरिष्ठता वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति केन्द्रीय संगठनों और उपक्रमों में ही जानी चाहिए परन्तु उनको इस तरह से पदोन्नत तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके नाम अनुमोदित नाम तालिका (पैनल) पर न आ जायें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह मंत्रालय इस नाम तालिका को अन्तिम रूप देने में अभी तक सफल नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान। 1964 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को छोड़कर सभी अधिकारियों के मामलों पर केन्द्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा विचार किया जा चुका है और भारत सरकार के अधीन पुलिस महानिरीक्षकों के पेनल पदों पर उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया है। शेष दो पदोन्नत जिन अधिकारियों को हाल में आवंटन का वर्ष 1964 नामित किया गया था, उनके मामलों पर भी शीघ्र विचार किया जायेगा।

बर्खास्त किये गए कर्मचारियों को खर्चा-पानी भुगतान से सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

6964. **श्री राजेश पाइलट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के खर्चे-पानी के लिए कुछ धनराशि के भुगतान के बारे सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय (आई० बी० अधिकारियों का मुकदमा, 13 फरवरी, 1981) को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने विभागों/कम्पनियों और सोसाइटियों को इस दिशा में कदम उठाने और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं कि यह लोकोपकारी और उचित प्रावधान पीड़ितों को तत्काल लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उच्च न्यायालय का निर्णय जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है एक विशिष्ट मामले में केवल एक अन्तरिम आदेश

है और मामला अन्तिम निर्णय के अधीन है। आदेश में सामान्य प्रवर्तन के कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये हैं अतः निर्णय के अनुसरण में अनुदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लि० में "वेटेज" नीति

6965. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० में "वेटेज" नीति का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपचारात्मक कार्यवाही न किए जा सकने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वेटेज नीति से माननीय सदस्य का तात्पर्य संभवतः कम्पनी में पदोन्नति के लिए बी० एच० ई० एल० में कार्य ग्रहण करने से पूर्व अनुभव को महत्व दिये जाने से है। इस प्रकार की वेटेज नीति तैयार की गई है और इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इसका पालन किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ साइमन्स का सहयोग

6966. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूरी आधारित (पश्चिम जर्मनी) बिजली सम्बन्धी संस्थान साइमन्स ए० जी० के भारत में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों अथवा दोनों के ही साथ सहयोग समझौते थे और हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके विवरण क्या हैं ;

(ग) क्या उनका ध्यान (साइमन्स ए० जी० फेसेज ब्राइबरी चार्जेज इन फारेन कांट्रेक्ट्स शीर्षक से 19 फरवरी, 1981 के "फाइनेंसियल एक्सप्रैस", नई दिल्ली में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) मैं साइमन्स ए० जी० (एफ० आर० जी०) के साथ सहयोग समझौते करने के लिए वर्ष 1974 से 1980 तक की अवधि के दौरान भारतीय पार्टियों को जारी की गई स्वीकृतियों के ब्यौरे दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) रिपोर्ट में भारत का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

विवरण

मैं० साइमन्स ए० जी० (एफ० ग्रार० जी०) के साथ सहयोग समझौते करने के लिए वर्ष 1974 से 1980 तक की ग्रवधि के दौरान भारतीय पार्टियों को जारी की गई स्वीकृतियों के ब्यौरे

क्रम सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	निर्माण की वस्तुएं	सहयोग का स्वरूप
1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली	(क) हाई स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइ टर्बाइनों	तकनीकी
		(ख) इंडस्ट्रियल ड्राइव्स सेस्टम और थाइरिस्टर कन्वरटर्स	-वही-
		(ग) थाइरिस्टर डिवासेय एंड पावर डायोइस	-वही-
2.	साइमन्स इंडिया लि० (साइमन्स ए०जी०(एफ०ग्रार०जी०) की एक सहायक कम्पनी 134 ए, डा० ग्रन्नी बसन्त रोड, वार्ली, बम्बई	(क) ए० सी० सिनक्रोनस मशीने और डी० सी० मशीनें	-वही-
		(ख) एक्सरे उपकरण	-वही-
		(ग) मोटरें, स्विचगियर और स्विच बोर्ड	-वही-
		(घ) इलेक्ट्रोनिक मेजर एंड कन्वर्टर्स फार टेम्प्रेचर स्पीड आदि ।	-वही-
3.	भारत बिजली लि० इलैक्ट्रिक मैन्सन, छठी मंजिल, अप्पा साहेब मराठे मार्ग, प्रभा देवी बम्बई-400025	बिजली की मोटरें	-वही-
4.	केवल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि० लक्ष्मी बिल्डिंग, 6, शुरजी वल्लभ दास मार्ग बम्बई-400038	11 के० वी० और अधिक के क्रोस लिंक्ड पोलिपिलीन केबल्स ।	-वही-
5.	खन्डेलवाल हरमान इलेक्ट्रोनिक्स लि० बम्बई	सिलीकोबडियोइस थाइरिस्टर आदि	-वही-
6.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० पंजीकृत कार्यालय "ट्रेड सेंटर" 29/4, रेस कोर्स रोड़, बंगलौर.560001	एक्स-रे ट्यूबें और शील्डें	-वही-
7.	हिल्ससंम इलैक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि०, 8/6, नंगमबक्कम हाई रोड, मद्रास-34	फैराइट पोट कोर्स मेगोरी कोर्स आदि ।	वित्तीय

पुनर्वास क्षेत्रों में सम्पत्ति कर का निर्धारण

6967. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पुनर्वास क्षेत्रों में मकान मालिक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सम्पत्ति के सम्पत्ति कर निर्धारण के लिए क्या नियम हैं ?

(ख) क्या भवन के निर्माण के वर्ष की निर्माण लागत के आधार पर सम्पत्ति कर की दर प्रति वर्ष बदलती रहती है ; और

(ग) यदि हां, तो 1973 से 1975 तक के वर्षों के लिए (कर योग्य कीमत की गणना के लिए) निर्माण की स्वीकृत दर क्या थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गंदी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए विकसित की गई पुनर्वास कालोनियों में कोई सम्पत्ति कर नहीं लगाया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सशस्त्र सेनाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में प्रतिनियुक्ति

6968. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981 को सशस्त्र सेनाओं के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर थे और वे सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कितने-कितने समय तक प्रतिनियुक्ति पर रहे ;

(ख) क्या कारण है कि प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को उन अर्द्ध-सैनिक बलों पर अपना प्रभुत्व जमाने दिया जाता है जब कि इन अर्द्ध-सैनिक बलों के पास पर्याप्त अर्हता प्राप्त अपने कर्मचारी उपलब्ध होते हैं ;

(ग) सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों द्वारा इन बलों पर अपना प्रभुत्व जमाए जाने की प्रथा को कितनी शीघ्र समाप्त किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों के प्रभुत्व का आशय यह है कि इन बलों को अन्ततः सेना में ही खपा लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (1) भारत तिब्बत सीमा पुलिस — शून्य

(2) सीमा सुरक्षा बल — सेना से 18 और भारतीय वायु सेना से 7, निम्नलिखित अवधि के लिए :—

1 चार वर्ष से अधिक

10 दो वर्ष और 4 वर्ष के बीच और

14 दो वर्ष से कम ।

(ख) चूंकि सेना से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का प्रतिशत नगण्य है इसलिए उनके प्रभुत्व जमाने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु सीमा सुरक्षा बल के एयरविंग में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अपरिहार्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यों द्वारा भाग लिया जाना

6969. **श्री बी० के० नायर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को अनिवार्य रूप से भाग लेना होता है ;

(ख)क्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल राज्य की सरकार ने इस वर्ष इस समारोह में भाग नहीं लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या भविष्य में इस प्रकार से भाग न लिए जाने को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल और पश्चिम बंगाल ने लोक नर्तक दल भेज कर गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था। इन सभी राज्यों से जन-जातियों के प्रतिनिधि भेजे गये थे।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा रियायती मकानों का आबंटन

6970. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपने कुछ कर्मचारियों को उस टाइप से बड़े क्वार्टर दिये हैं जिनके वे हकदार हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एस० आर० 45 के अनुसार उनके मानक (स्टैण्डर्ड) किराये की वसूली नहीं की जा रही ;

(ग) क्या यह सच है कि नियमानुसार मानक (स्टैण्डर्ड) किराया वसूल करने के लिए जारी किए गए आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भविष्य निधि एन्क्लेव में सभी प्रकार के क्वार्टरों के सम्बन्ध में मानक किराये को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है। ऐसे कर्मचारियों से, जिन्हें उस टाइप से बड़े क्वार्टर दिए गए हैं, जिस टाइप के लिए वे हकदार हैं, आबंटित क्वार्टरों की संगत टाइप के लिए हकदार ग्रुप के वेतनमान के न्यूनतम का 10 प्रतिशत लिया जा रहा है। इस पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे अलाटियों से किस दर पर वसूली की जानी चाहिये।

मणिपुर पुलिस कर्मियों को राशन भत्ता

6971. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर पुलिस कर्मियों को राशन भत्ते की वर्तमान दर क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव राशन भत्ते में वृद्धि कर उसे सीमा सुरक्षा बल के समान करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर पुलिस कार्मिकों को अर्जित अवकास के बदले नकद राशि प्राप्त करने का लाभ

6972. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने पुलिस कार्मिकों के मामले में अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि देने की योजना आरम्भ की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार का विचार ऐसी सुविधा देने की कोई योजना आरम्भ करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

मणिपुर में पुलिस कार्मिकों को धुलाई भत्ता

6973. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के पुलिस कार्मिक के धुलाई भत्ते की दरें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार वर्तमान संदर्भ में इन दरों को अपर्याप्त समझती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धुलाई भत्ते की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जयेगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री विक्रम महाजन ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एजर्नमेंट मोशन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उसके बारे में सूचित कर दिया गया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप एक बार सुन लें । एक सेन्टेन्स से ज्यादा नहीं कहूंगा । सारे उत्तर प्रदेश की अदालतें बन्द पड़ी हैं ···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । (**व्यवधान**) * * क्या मैं नियमों को बदल सकता हूं ? कश्यप जी, क्या मैं नियमों को बदल सकता हूं ? क्या मैं रूल्ज को चेंज कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)* * मैंने इस बारे में कालिंग एटेन्शन तो करवा दिया है । (**व्यवधान**)** बैठिए । मैंने कालिंग एटेन्शन करवा दिया है । (व्यवधान) मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है । (**व्यवधान**)

मैंने कुछ भी नहीं सुना है । (**व्यवधान**)** आप क्यों बोल रहे हैं । मैंने श्री तिवारी को इजाजत दी है । (व्यवधान) आप दोनों क्यों बोल रहे हैं ? प्रो० के० के० तिवारी ।

प्रो० के० के० तिवारी : केरल में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या की जा रही है ।

हमने इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ? (**व्यवधान**)**

यह ध्यान आकर्षण हैं । मैं इस पर निर्णय लूंगा । इसकी अनुमति नहीं दीजाती है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (**व्यवधान**)** मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । प्रो० के० के० तिवारी मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता । नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं । (**व्यवधान**)

आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं । नियम अनुमति नहीं देते हैं । आप इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते । (**व्यवधान**) ** नहीं (**व्यवधान**) **

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर में विचार कर रहा हूं । और इस पर सभा में वहस नहीं की जायेगी ।

श्री हरिकेश बहादुर : आसाम में एक बम विस्फोट से भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी मारा गया है मैंने इस पर एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ··· ।

** *कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।*

अध्यक्ष महोदय : नहीं । स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है (**व्यवधान**) ** नहीं, नहीं यह चाहे कुछ भी हो । स्थगन प्रस्ताव की अनुमती नहीं दी जा सकती । श्री हरिकेश-बहादुर मैं इसकी अनुमती नहीं दे सकता ।

श्री हरिकेश बहादुर : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर में विचार कर रहा हूं इस पर सभा में चर्चा नहीं की जाएगी । (**व्यवधान**) ** नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2305/81]

वर्ष 1981-82 के लिए अन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं वर्ष 1981-82 के लिये अन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2306/81]

वर्ष 1981-82 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

981-82 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक ति सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2307/81]

दिल्ली विक्रयकर नियम, 1981 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर खता हूं :—

(1) दिल्ली विक्रय-कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-4 (50)/-76-पिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2308/81]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सोयाबीन सत्व खाती पर उदग्रहणीय समस्त निर्यात शुल्क से छूट को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 231 (ड·) जो दिनांक 30 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) उपभोक्ता उद्योगों को सोडाऐश वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 4-1-1979 की अधिसूचना संख्या 4-सीमा शुल्क और दिनांक 1-3-1981 की 53-सीमा शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सा० नि० 232 (ड़) और 233 (ड·) जो दिनांक 30 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अत्यन्त निम्न प्रबलता वाले धूम जनित्रों और उसके लिए अतिरिक्त पुर्जों, प्रिमीफोस मेथिल 2 प्रतिशत डब्ल्यूडीपी और प्रिमीफोस मेथिल 50 प्रतिशत ईसी को, जब भारत में उनका आयात राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में अनन्यतः उपयोग के लिए किया गया हो, मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक हो और उन पर उदग्रहणीय

समस्त अतिरिक्त शुल्क और उपसंगी शुल्क से छूट को 31 मार्च 1984 तक बढ़ाने तथा दिनांक 31 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 80 सीमा शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1984 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सा० नि० 234 (ड़) ने 236 (ड़) जो दिनांक 30 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) तांबा सांद्रो को वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 2-8-1976 की अधिसूचना संख्या 150-सीमा शुल्क की वैधता कों 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सा० नि० 237 (ड·) जों दिनांक 30 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को तिलहन तथा वनस्पति के सहकारी उत्पादन तथा विपणन की एक समेकित प्रणाली का विकास करने के लिए एक प्रयोजना तैयार करने योग्य बनाने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 65-सीमा शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 238 (ड·) जो दिनांक 30 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) देश में द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रोपेन और बुटैन सहित) की कमी को पूरा करने और इसे वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 19 जनवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या 4-सीमा-शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 239(ड·) जो दिनांक 30 मार्च 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 240 (ड·) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 5-सीमा-शुल्क दिनांक 4 जनवरी, 1978, 86-सीमा-शुल्क दिनांक 25 अप्रैल, 1978,14-सीमा-शुल्क दिनांक 18 जनवरी, 1979 और 212 सीमा-शुल्क दिनांक 1 नम्बर 1980 में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 251(ड·) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा विशेष कच्चे माल तथा अर्द्ध-पिटवां धातुओं

आदि को जोड़ने के लिये दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 206-सीमा-शुल्क में तथा इन वस्तुओं को उन पर उदग्रहणीय समस्त मूल अतिरिक्त और उपसंगी शुल्क से छूट देने की दृष्टि से दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 206-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 252(ड·) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 198 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है जिससे अपरिष्कृत आयुध प्लेटों को दी गई छूट को सीमित किया जा सके और अधिसूचना की वैधता को 31 मार्च, 1983 तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) लघु इस्पात संयंत्रों को पिघलन अपशिष्ट वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 1 जनवरी 1979 की अधिसूचना संख्या 2-सीमा-शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 253 (ड·) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) लघु इस्पात संयंत्रों को स्पंज लोहा वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 22-8-1979 की अधिसूचना संख्या 179-सीमा शुल्क की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 254(ड·) जो दिनांक 31 मार्च 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2309/81]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 26क की उपमद (1), (1) (क), (1) (ख) और (2) के अन्तर्गत आने वाले ताम्बे और ताम्बा विनिर्मितियों पर लागू उत्पाद-शुल्क में मौजूदा रियायतों को 30 सितम्बर, 1981 तक बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 241(ड·) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 243 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 13 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 53/80-सीई, 54/80-सीई और 55/80-सीई में आगे संशोधन किया गया है जिससे कि अधिसूचनाओं में उल्लिखित इस्पात सिल्लियों और लोहे तथा इस्पात उत्पादों को उनके अन्तर्गत दी गई उत्पाद शुल्क की रियायतों की अवधि को 31 मार्च, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाया जा सके और उत्पादन को तथा इस्पात की सिल्लियों और लोहे अथवा इस्पात के उत्पादों के विनिर्माण में स्वदेशी स्पंग लोहे के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली 150 के० वी० ए० और उससे अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मरों और मद 30 के अन्तर्गत आने वाली पांच के० डबल्यु० और उससे अधिक की विद्युत मोटरों को उन पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो क्रमश: मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक हो और मूल्यानुसार 1$\frac{1}{4}$ प्रतिशत के बराबर हो, छूट देने संबंधी सा० सां० नि० 269(ङ) और 270 (ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 271 (ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 20/79-सीई और 21/79-सीई का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2310/81**]

———

सदस्य की रिहाई

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उत्तरी बारासाट, जिला 24-परगना, पश्चिम बंगाल से दिनांक 7 अप्रैल, 1981 का निम्नलिखित तेलार-सन्देश प्राप्त हुआ है :—

> "मैं यह सादर सूचित करता हूं कि आज (7-4-81) श्री अशोक सेन, सदस्य लोक सभा ने कांग्रेस (ई०) द्वारा आयोजित कानून अवज्ञा आन्दोलन में बारासाट में भाग लिया और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया । उन्हें सब-डिवीजन कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया और सब-डिवीजनल कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बारसाट द्वारा रिहा कर दिया गया ।"

———

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

21 वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 21 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

लोक लेखा समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आठवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन के बारे में सातवें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी आठवां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा सामग्री के निर्यात तथा एक कारखाने में उत्पादन की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के बारे में 81वें प्रतिवेदन (छठीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 13वां प्रतिवेदन।

———

प्राक्कलन समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर सातवां प्रतिवेदन

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव (राजामुद्री) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय, वार्षिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)—समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए ऋण सुविधाओं के बारे में प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : महोदय, मैं एयर इंडिया—वाणिज्यिक और कर्मचारी मामले (पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय) के बारे में सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिति (छठी लोक

सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

महाराष्ट्र और कर्नाटक में तम्बाकू के लिए लाभप्रद मूल्यों की मांग करने वाले तम्बाकू उत्पादकों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह कृपया इस पर एक वक्तव्य दें :

"तम्बाकू के लिए लाभप्रद मूल्य की मांग को लेकर और बिचोलियों के कदाचार को दूर करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादकों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति"

महोदय, कृषि मंत्री के विदेश जाने के कारण आपने इसे स्थगित रखा था।

अध्यक्ष महोदय : अब वे कह रहे हैं कि यह मामला वाणिज्य मंत्रालय से संबधित है।

प्रो० मधु दण्डवते : परिमाणतः वाणिज्य मंत्री भी विदेश जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो हम इन्तजार कर सकते हैं। वह कल वापस आ रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : अध्यक्ष महोदय, निप्पानी में बीड़ी तम्बाकू किसानों के आन्दोलन के परिणामस्वरूप गई जानों पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए मैं बीड़ी तम्बाकू के लिए लाभकारी कीमतों और बिचौलियों द्वारा किए जाने काले कदाचारों को समाप्त करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में बीड़ी तम्बाकू उपजकर्ताओं द्वारा किए गए आन्दोलन से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

24 फरवरी, 1981 को निप्पानी में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के बीड़ी तम्बाकू उपजकर्ताओं के सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार से बीड़ी तम्बाकू की एकाधिकार अधिप्राप्ति शुरू करने और कम से कम 10 से 15 रु० प्रति कि० ग्रा० क्वालिटी के अनुसार न्यूनतम समर्थन कीमतें घोषित करने के लिए अनुरोध करने का संकल्प पारित किया। इसके बाद, मार्च 1981 के पहले सप्ताह में कृषि मंत्री को संबोधित एक और पत्र प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत सूचित किया

[श्री खुर्शीद आलम खान]

गया कि कार्यवाही समिति ने 14 मार्च, 1981 से राज मार्ग संख्या 4 पर "रास्ता रोको आन्दोलन" शुरू करने का निर्णय किया है और यदि जरूरी हुआ तो उस महीने की ग्यारह तारीख से पहले बातचीत करने के लिए वे दिल्ली आएंगे। यह पता चला है कि 14 मार्च, 1981 से बैलगाम जिले में तम्बाकू उपजकर्ताओं द्वारा एक आन्दोलन शुरू किया गया था।

सरकार द्वारा कीमत समर्थन कार्यवाहियों को अलग नहीं रखा जा सकता। उन्हें किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों से संबद्ध रखना जरूरी है ताकि भविष्य में माल के भरभार की स्थिति को दूर किया जा सके जिससे तदर्थ उपाय करने जरूरी हो सकते हैं। उत्पादन का विनियमन देश के अन्दर और निर्यात बाजारों में वस्तु की मांग और कुल उत्पादन के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के अधीन इस समय सरकार केवल वर्जीनिया तम्बाकू के संबंध में ही उत्पादन को विनियमित करने के अधिकार रखती है। तदनुसार, सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह भारत में तथा विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू की मांग को ध्यान में रखते हुए किसानों को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित रूप में उपलब्ध कराये। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में इस वर्ष वर्जीनिया तम्बाकू की खेती वाले क्षेत्र को विनियमित किया था और इसके परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक रहे है क्योंकि वर्जीनिया तम्बाकू के 100 हजार मे० टन के अनुमानित उत्पादन में से अधिकांश का विपणत न्यूनतम समर्थन कीमत से ऊपर और यहां तक कि गत वर्ष की कीमत से भी ऊपर वाली कीमतों पर पहले ही पूरा हो चुका है। बीड़ी तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करने का ऐसा कोई अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित नहीं है।

बीड़ी तम्बाकू के उत्पादन के संबंध में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के मुख्य कारणों में से एक यह है कि कुल उत्पादन उसकी मांग के अनुरूप नहीं है। यदि बीड़ी तम्बाकू की मांग तथा पूर्ति के बीच समानता हो तो यह आशा की जा सकती है रि बाजार में उपजकर्ताओं को एक न्यायोचित कीमत मिल सकती है। अधिक उत्पादन के वर्षों में कीमतों में काफी मंदी का रुख रहता है जिससे उपजकर्ताओं को हानि होती है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ निर्यातों को छोड़कर बीड़ी तम्बाकू की खपत देश के अन्दर ही होती है।

देश में बीड़ी तम्बाकू का औसत उत्पादन 100 से 150 हजार मे० टन के बीच है जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत की उपज गुजरात में होती है और शेष की कर्नाटक और महाराष्ट्र में। नेशनल कौउंसिल आफ ऐपलाइड इकोनोमिक रिसर्च द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार 1982-83 के दौरान आन्तरिक बाजार तथा साथ ही निर्यातों के लिए बीड़ी तम्बाकू की कुल अनुमानित मांग 133 हजार मे० टन होगी जबकि बाद के वर्षों में 1988-89 तक केवल सीमान्त वृद्धि होकर मांग 137 हजार मे० टन होगी। इस पृष्ठभूमि के आधार पर बीड़ी तम्बाकू के क्षेत्रों को विनियमित करने

के अधिकार प्रदान करने के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में एक संशोधन करने के लिए विचार करने और सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है ।

इस बारे में कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है कि इस समय बीड़ी तम्बाकू माल की बाजार में भरभार है । बीड़ी तम्बाकू जैसी मद के लिए, जो कि देशभर में स्वदेशी खपत में ही काम आता है और जिसका कोई बड़ा निर्यात बाजार नहीं है, एक एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना लागू करना व्यवहार्य नहीं होगा । न्यूतम लाभकर कीमतें निर्धारित करने के लिए सरकार कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखती है । वर्जीनिया तम्बाकू के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमतें कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए निर्धारित की गई हैं । बीड़ी तम्बाकू के लिए कृषि मूल्य आयोग को कोई अध्ययन करने के लिए नहीं कहा गया है । सरकार न्यूनतम समर्थन कीमतों पर आगे कोई निर्णय लेने से पूर्व बीड़ी तम्बाकू की खेती वाले क्षेत्र को विनियमित करने लिए तम्बाकू अधिनियम को संशोधित करने के प्रश्न पर निर्णय लेना चाहेगी । तथापि, इस प्रश्न पर कि क्या बीड़ी तम्बाकू की किसी सीमित मात्रा की खरीद की जा सकती है, जैसा कि 1978 में नेफेड द्वारा किया गया था, विचार किया जाएगा और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, हांलाकि निप्पानी और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में ज्वलन्त समस्या की ओर मंत्री महोदय का, सरकार का और इस सभा का ध्यान आकर्षित किया गया है, परन्तु दुर्भाग्यवश यह कार्य 10,000 कृषकों द्वारा पुलिस की गोलीबारी का सामना किये जाने के बाद हो सका, जैसा कि आपने अपने ही वक्तव्य में बताया है कि कुछ कृषकों को अपनी जान गंवानी पड़ी । और आंदोलन जारी है ।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषयवस्तु राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है अपितु वास्तव में आर्थिक कारक और आर्थिक मांग ही इसकी विषयवस्तु हैं और इसलिए मैं उन पर ही ध्यान दिलाना चाहूंगा और माननीय मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य के संदर्भ में मैं कतिपय प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

ध्यानाकर्षण सूचना जटिल किस्म की है । इसमें कृषि पक्ष के साथ-साथ वाणिज्य पक्ष भी सम्मिलित हैं । मुझे प्रसन्नता है कि दोनों मंत्री उपस्थित हैं; मुझे प्रसन्नता है कि वे साथ-साथ बैठे हैं ताकि समन्वय हो सकेगा ··

अध्यक्ष महोदय : केवल यही कि वे एक ही बेंच पर बैठे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : वे एक ही बेंच पर बैठे हैं क्योंकि वे उसी सरकार में हैं ।

महोदय, जहां तक आंदोलन का संबंध है, यह आंदोलन बीड़ी की तम्बाकू के लाभकारी

[प्रो० मधु दण्डवते]

मूल्यों के लिए है। यही समस्या की जड़ है। आन्दोलन और उसके बाद जो कुछ हुआ, वह तो उसके परिणाम हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम समस्या के मूल तक जाएं।

इस सम्पूर्ण समस्या का अत्याधिक महत्वपूर्ण पहलू तम्बाकू बोर्ड है जिसका गठन भारतीय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अधीन किया गया है। दुर्भाग्यवश या भाग्यवश इस तम्बाकू बोर्ड के कतिपय पहलू तथा क्षेत्राधिकार हैं जो कृषि मूल्य आयोग के कतिपय पहलुओं के साथ परस्पर व्याप्त हो रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। अपने वक्तव्य में उन्होंने इस पर कुछ हद तक ध्यान दिया है और उन्होंने संकेत किया है कि पहले ही कुछ संशोधनों की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि वे संशोधन किये जाएंगे।

भारतीय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1795 के अनुसार इसके विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(1) तम्बाकू उत्पादन को विनियमित करना, (2) कृषक स्तर पर इसकी 'ग्रेडिंग' में सुधार करना (3) मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर निरन्तर नजर रखना (निष्क्रिय नजर नहीं) (4) उत्पादकों के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, (5) भारत तथा विदेशों में तम्बाकू के लिए बाजारों का विकास करना और अन्तिम अनुसंधान कार्य करना जिससे पत्ता तम्बाकू उद्योग का विकास हो सके।

भारतीय तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 काफी हद तक असफल क्यों रहा है ? इस कानून में कुछ त्रुटियों के कारण ऐसा हुआ है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस अधिनियम पर दोबारा ध्यान देंगे और वे कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करेंगे।

सम्भवतः आपको यह जानकर आघात लगेगा और आश्चर्य होगा कि अधिनियम की धारा 10 और 11 में यह व्यवस्था है कि उत्पादकों तथा निर्यातकों सहित तम्बाकू उद्योग में लगे सभी कार्यकर्ताओं को बोर्ड में पंजीकरण कराना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट और अनिवार्य प्रावधान है कि उत्पादकों तथा निर्यातकों सहित सभी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि स्वदेशी सिगरेट निर्माताओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। और फिर भी अजीब विरोधाभास यह है कि उन्हें न केवल इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, बल्कि उन्हें बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। वे नीति निर्माण में भाग ले सकते हैं। वे नीति विषयक निर्णय ले सकते हैं। परन्तु जहां तक प्रतिबंध का संबंध है, वे इस विषय में जरा भी उत्तरदायी नहीं है। जहां तक इस कानून का संबंध है इसका पहलू यह है चित्त भी मेरी और पट भी मेरी और इस कमी के कारण आप यह पायेंगे कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर दी गई हैं।

जहां तक बोर्ड के गठन का संबंध है, यह और भी मजेदार बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस समस्या पर गम्भीरता से पुन: विचार करेंगे। और बोर्ड को पुनर्गठित करने का प्रयास करेंगे जहां तक इस बोर्ड का संबंध है, इस बोर्ड—तम्बाकू बोर्ड—में अध्यक्ष सहित 22 सदस्यों में से कृषि उत्पादकों के केवल 4 प्रतिनिधि हैं। केवल 4 प्रतिनिधि। और सिगरेट निर्माताओं को पंजीकरण सेमुक्त रखा गया है, परन्तु उन्हें बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। वे नीति निर्माण में भाग ले सकते हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि बोर्ड के 22 सदस्यों में से ऐसा नहीं किया जाता तब तक उत्पादकों के दो तिहाई प्रतिनिधि होने चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक उत्पादकों और कृषकों के विचार भारतीय तम्बाकू बोर्ड में जरा भी परिलक्षित नहीं होंगे। तम्बाकू बोर्ड की कमियों में से यह एक है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

जहां तक मूल्यों का संबंध है, निर्यात हेतु न्यूनतम ग्रेड/ग्रेड वार मूल्य निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा क 2 (घ) में है। परन्तु कृषक ग्रेडों के लिए ग्रेड वार न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने के बारे मे इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। यह विरोधाभास क्यों है? आप एक कृषि विशेषज्ञ हैं। आपके माध्यम से मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा क्योंकि तब उसमें कुछ वजन होगा। मैं जानना चाहूंगा···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब क्या अन्य प्रश्नों को नजरन्दाज कर दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : जी नहीं। परन्तु मैं इस प्रश्न पर अधिक जोर डालना चाहता था। इसीलिए इसे मैंने आपको भेजा है।

चिन्ता न कीजिए। मैं आपको आगे भी प्रश्न भेजूंगा। कोल्हापुर में हुए सम्मेलन के संदर्भ में राष्ट्रीय सहकारी समितियों के महासंघ को बीड़ी की तम्बाकू खरीदने के लिए कहा जा सकता है ताकि एकाधिकार और बड़े व्यापारियों को पूरी तरह से बीच में से हटाया जा सके। उन्होंने एक संकेत दिया है कि वह ऐसा करने के इच्छुक हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह पहल करें और देखें कि 'नफेड' पर आवश्यक उत्तरदायित्व सौंपा जाय ताकि एकाधिकारों को पूरी तरह समाप्त किया जाए।

महोदय, उत्पादकों द्वारा एकाधिकार खरीद की मांग की गई और आपने यह स्पष्टीकरण दिया है कि, एक किस्म की तम्बाकू के लिए यह सम्भव हो सकता है, परन्तु बीड़ी की तम्बाकू के मामले में यह संभव नहीं है। इस विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपको ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। बीड़ी के तम्बाकू को भी एकाधिकार खरीद के अन्तर्गत लाया जा सकता है और इसलिए मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि क्या सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहेगी और किसी निश्चित हल पर पहुंचेगी।

[प्रो० मधु दण्डवते]

जहां तक न्यूनतम मूल्य निर्धारण का संबंध है, उत्पादकों के संगठन द्वारा सुझाव दिये गए हैं कि प्रथम ग्रेड की तम्बाकू के लिए न्यूनतम मूल्य 15 रुपये प्रति किलो ग्राम होने चाहिए, दूसरी ग्रेड की तम्बाकू के लिए 12 रुपये प्रति किलो ग्राम होने चाहिए और तीसरी ग्रेड के लिए 10 रुपये प्रति किलो ग्राम होने चाहिए।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इन सुझावों पर विचार करने को तैयार होंगे, जो उत्पादकों के संगठन द्वारा दिए गए थे। मैं यह चाहूंगा कि सरकार उनके अपने भांडागारों के निर्माण की समस्या पर विचार करे और देखे कि उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केवल यही नहीं, आप इसे भी अनिवार्य बनाएं कि सौदागर और व्यापारी लोग सरकारी विक्रय गोदामों से ही माल खरीदें। यदि ऐसा किया जाता है तो शायद बिचौलियों द्वारा किये जाने वाले कदाचार को समाप्त किया जा सकेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बिचौलियों द्वारा किये जाने वाले कदाचार है। इसलिए, इस विशिष्ट समस्या को आपके पास विशेष रूप से भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसे पढ़ा है ?

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये वक्तव्य का मैंने ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। कुछेक अवसरों पर हमें समय पर वक्तव्य मिलता है। भाग्यवश यह वैसा ही अवसर है जब मुझे माननीय मंत्री से 11 बजे वक्तव्य मिल गया। मुझे मंत्री जी को अवश्य ही बधाई देनी चाहिए। इस सत्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सदन में आने से पूर्व ही हमें इसकी प्रति मिल गई हो। भाग्यवश मुझे वक्तव्य की प्रति मिल गई है। इससे मैं यह देख सका कि जहां तक उत्पादन का संबंध है इसमें क्या कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको दूसरी प्रति दूं ?

प्रो० मधु दंडवते : नहीं। जहां तक उत्पादन का संबंध है, उन्होंने कहा कि यदि बीड़ी तम्बाकू का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता तो कठिनाई पैदा हो जाती।

महोदय, यदि उत्पादन अतिरिक्त होता है तो मैं इस सम्बन्ध में एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं। बीड़ी के तम्बाकू की एकाधिकार खरीद के लिए तथा उसे कृषि मूल्य आयोग तथा तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए यह तर्क दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है अतः मैं सुझाव तो नहीं दे सकता, मैं केवल प्रश्न पूछ सकता हूं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि जहां-कहीं उत्पादन अतिरिक्त हो वहां मेरे सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या सरकार अतिरिक्त तम्बाकू को खरीद लेगी और उसे निकोटीन तथा उर्वरक बनाने में प्रयुक्त करेगी ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसका भंडारण किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : इसके भंडारण से क्या लाभ होगा? उनका तर्क यह है कि यदि तम्बाकू का भंडारण किया जाता है तो उसके मूल्य गिर जायेंगे। यह एक कारण है। किन्तु मेरा रचनात्मक सुझाव यह है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री से भी रचनात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूं क्योंकि वह एक रचनात्मक नीति और भावना के व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि वह मेरे रचनात्मक प्रस्तावों और सुझावों पर रचनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि बीड़ी के तम्बाकू का अतिरिक्त उत्पादन होता है तो क्या सरकार उसका उपयोग निकोटीन और उर्वरक निर्माण में करेगी ?

महोदय, इस समय मंड़ी समिति में उत्पादकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इसमें उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देंगे ? उत्पादन लागत एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है और इस ओर उचित मूल्यांकन की आवश्यकता है।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों में मूल्य सूचकांकों को इकट्ठा किया जाना चाहिए ताकि किसानों की क्रय शक्ति को बराबर बनाये रखा जा सके। यह मेरा बड़ा ही रचनात्मक और अच्छा सुझाव है। मेरी यह राय है कि सरकार औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए जो मान दंड अपनाती है, वे ही बीड़ी के तम्बाकू सहित सभी कृषि-उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए भी प्रयुक्त किये जाने चाहिए। यह ठोस प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कुछ असंसदीय नहीं है। महोदय, हमने आपको कोल्हापुर में भारत कृषक समाज के 20 वें सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमन्त्रित किया था। और वहां आपने एक भाषण दिया था। मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, मन्त्री महोदय आपका नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वहां भारत कृषक समाज के अध्यक्ष बोल रहे थे।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय समूचे देश में अध्यक्ष महोदय ही रहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह कृषक समाज से अध्यक्ष हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या सचमुच आप वहां बोले थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप यहां तो बहुत ही कम बोलते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब आप वहां बोले तो आपने कृषि मूल्य आयोग के वर्तमान ढांचे की आलोचना करने का प्रयास किया। महोदय, आपने विशेष रूप से यह ठोस सुझाव दिया था कि समूचे कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और उसमें कृषकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। वहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने यही सुझाव दिया था। अतः मैं यह प्रश्न उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो सुझाव अध्यक्ष महोदय ने कोलहापुर में हुए इस प्रसिद्ध सम्मेलन में दिया था क्या आप उसे स्वीकार करेंगे ? यहीं नहीं, जहां तक उत्पादकों और छोटे व्यापारियों का सम्बन्ध है.....

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कृपया कुछ हमारे लिये भी रहने दीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं चीनी उनके लिये छोड़ दूंगा।

ऋण सम्बन्धी शर्तों को उदार बनाया जाना चाहिये। और यहाँ इस सम्बन्ध में मैं आपको 29 मार्च, 1980 की महत्वपूर्ण उद्धरण दूंगा। श्री साम्बशिव राव ने 21 मार्च, 1980 को यह घोषणा की थी कि "विदेशों से तम्बाकू खरीदने की बहुत मांग हैं किन्तु स्टाक नहीं मिले पाये क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की व्यवस्था नहीं हो सकी।" श्री राव ने सुझाव दिया था कि वर्तमान 40 करोड़ रुपये के स्थान पर प्रत्येक मौसम में 10.1 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये।" रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं। सरकार का इस सम्बन्ध में विचार क्या है ? क्या सरक र अध्यक्ष महोदय के सुझावों के अनुरूप ही सोच रही है ? क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कोल्हापुर सम्मेलन में यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि जहां तक औद्योगिक गृहों का सम्बन्ध है उनके लिये रिजर्व बैंक बहुत ही उदार रहा है तथा अन्य बैंक भी ऋण संबन्धी उदार नीति अपनाते रहे हैं। किन्तु जब कृषकों और छोटे किसानों (विशेषकर सीमांत और छोटे किसानों की बात आती है तो यह सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं की जाती है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण के पात्र कौन हैं इस सम्बन्ध में सिद्धांत बदल दिये जायें। यदि रिजर्व बैंक से ऋण सुविधायें मिल जायें तो निर्यात भी सम्भव हो सकेगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि बीडी श्रमिकों तथा तम्बाकू उत्पादकों की समस्या परस्पर सम्बद्ध है। मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ है कि श्रमिकों और कृषकों ने निप्पानी और कर्नाटक के अन्य भागों में एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना की है। यदि कृषि उत्पादों के अच्छे दाम मिल सकेंगे तो कृषि मजदूरों को भी उसका लाभ मिल सकेगा। किन्तु बीड़ी श्रमिकों को अभी तो न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिल पाती है। जहाँ तक इन बीड़ी श्रमिकों का सम्बन्ध है उनमें से अधिकांश महिला श्रमिक हैं। उन्हें न्यूनतम मजूरी नहीं मिलती है। उन्हें प्रसूति सुविधायें भी नहीं दी जाती हैं। उन्हें ऋण सम्बन्धी सुविधाओं सहित कोई सुविधा नहीं मिलती। इसलिये उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ किया और उन्हें लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा। मैं इसका ब्योरा नहीं देना चाहता क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है आप उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : लोगों को मारा जा रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : जब आप मन्त्री बनें तब आप उसका उत्तर दें।

श्री मनीराम बागड़ी : सवाल तो गोली से मारे जाने वालों का है चाहे जहां कहीं भी मारे जायें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि बीड़ी निर्माता प्रतिदिन 35 लाख रुपये का लाभ कमा रहे हैं और सरकार को इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये उत्पाद-शुल्क के रूप में प्राप्त होते हैं। इतनी आय के बावजूद भी बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिल पा रही है और विशेष रूप से महिला श्रमिकों को बहुत सताया जाता है। मेरा विश्वास है कि माननीय मन्त्री इन पहलुओं पर विचार करेंगे और कृषि के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं पर तथा वाणिज्यिक पहलू सम्बन्धी समस्याओं पर सम्बद्ध मन्त्री महोदयों द्वारा विचार किया जायेगा और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि जैसाकि उन्होने संकेत किया है कि अगर आवश्यक हुआ तो भारतीय तम्बाकू व्यापार अधिनियम में कुछ संशोधन किये जायेंगे। मैं मन्त्री महोदय को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक किसानों, कृषकों और आम जनता का सम्बन्ध है और यदि उन्हें संवैधानिक संशोधनों से लाभ होता हो तो चाहे विपक्षी दल संवैधानिक संशोधनों के पक्ष में नहीं है, किन्तु यह न माना जाये कि हम इस संशोधन का विरोध करेंगे—आम जनता के लाभ के लिये चाहे कोई भी संशोधन लाये जायें, विपक्षी दल उन्हें अपना पूरा समर्थन देंगे ताकि कृषि श्रमिकों के हितों का संरक्षण किया जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई संशोधन लाये जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : महोदय, मैं प्रो० मधु दंडवते का विशेष रूप से आभारी हूं, मैं जानता हूं कि वह अद्भुत प्रज्ञा के व्यक्ति है और मैं उनकी बुद्धि की तुलना में कहीं नहीं ठहरता किन्तु फिर भी मैं इस सम्बन्ध में अपने तथा सरकार के विचार रखना चाहूंगा। जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है कि अगर आवश्यक हुआ तो तम्बाकू अधिनियम की अति सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी और अगर आवश्यक हुआ तो संशोधनों पर विचार करके उन्हें लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है। और उसने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया है; यह प्रतिवेदन बड़ा व्यापक है और इसमें 165 सिफारिशें दी गई हैं जिनमें वह सभी पहलू आ जाते हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। हम निश्चित रूप से उनपर विचार करेंगे और इस समय भी प्रतिवेदन विचाराधीन हैं और इस पर विचार करने के बाद हम अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों में से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे।

[श्री खुर्शीद आलन खान]

इस अधिनियम विशेष के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्जीनिया तम्बाकू पर ही प्रमुख रूप से बल दिया जा रहा है और माननीय सदस्य ने इसकी धारा 10 और 11 का उल्लेख किया है । मैं उन्हें सविनय यह बताना चाहता हूं कि यह धाराएं वर्जीनिया तम्बाकू के बारे में भी हैं । माननीय सदस्य ने जो कुछ सुझाव दिये हैं, उन पर वर्जीनिया तम्बाकू के बारे में ही विचार किया जायेगा अन्य तम्बाकू के बारे में नहीं ।

जहां तक कृषि मूल्य आयोग और तम्बाकू बोर्ड द्वारा एक ही प्रकार के कार्य करने की बात है, मैं उन्हें तथा इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होने दिया जायेगा ।

कृषकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मेरे विचार से माननीय सदस्य ने यह बहुमूल्य सुझाव दिया है और इस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

कृषि मूल्य आयोग के पुनर्गठन के बारे में मेरा विचार यह है कि मेरे माननीय सहयोगी जो यहां बैठे हैं, इसे नोट कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे ।

जहां तक पंजीकरण का संबंध है यह भी मूलत: वर्जिनीया तम्बाकू से संबंधित है, परन्तु जब अध्ययन दल की इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा तब मुझे आशा है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा ।

प्रो० मधु दंडवते : यह कैसे हुआ कि उनका पंजीकरण नहीं किया गया परन्तु उन्हें बोर्ड में रहने दिया गया और नीति निर्माण का कार्य करने दिया ?

श्री खुर्शीद आलम खान : इस पहलू पर भी अवश्य ही विचार किया जाएगा। परन्तु मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करूंगा कि तम्बाकू ही ऐसी एकमात्र वस्तु नही है । खाने का तम्बाकू होता है, सूंघने का तम्बाकू होता है और हुक्के का तम्बाकू होता है जिसका उत्पादन विशेष रूप से मेरे जिले में होता है । इन सभी तम्बाकुओं को यदि एक साथ लिया जाए तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी और वित्तीय कठिनाइयां भी अधिक हो जाएंगी । अत: इस सब का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है तभी कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं ।

उत्पादन लागत के बारे में जो मेरे पास सूचना है उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को भी देना चाहूंगा । हमारी सूचना के अनुसार बीड़ी के तम्बाकू की उत्पादन लागत 4.50 रुपए प्रति किलो है, जबकि कीमत .0 रु० और 15 रुपए प्रति किलो मांगी जाती है । इससे यह स्पष्ट है कि इतनी अधिक कीमत वहन नहीं की जा सकती क्योंकि बीड़ी का प्रयोग समाज के कमजोर वर्ग और साधारण लोगों द्वारा किया जाता है ।

प्रो० मधु दंडवते : लागत प्रति एकड़ 1800 रुपए है।

श्री खुर्शीद आलम खान : मैंने केवल एक किलो ग्राम की लागत का उल्लेख किया है। मैं प्रति एकड़ लागत को भी देख लूंगा।

24 फरवरी, 1981 को जिस समिति की बैठक हुई थी उसकी सिफारिशें और सुझाव यह थे कि सरकार का तम्बाकू की खरीद पर एकाधिकार होना चाहिए। खरीद पर एकाधिकार का अर्थ है विभिन्न वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त बहुत-सी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था। इसके लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता भी होनी चाहिए। उसी कार्य के लिए कम से कम 100 करोड़ से 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। और यदि बीड़ी के तम्बाकू की खरीद पर एकाधिकार किया जाता है तो हम खाने के तम्बाकू, सूंघने के तम्बाकू और हुक्के के तम्बाकू को कैसे छोड़ सकते हैं ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक तम्बाकू की कीमत का संबंध है, हमारे पास जो अद्यतन सूचना है उससे पता चलता कि मूल्यों में गिरावट नहीं आई और उत्पादकों को तम्बाकू विवश होकर नहीं बेचना पड़ा है। अतः तम्बाकू की खरीद में किसी एजेंसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ वॉर्जिनिया तम्बाकू की उत्पादन लागत केवल 7.50 रुपए प्रति किलो है और न्यूनतम समर्थन मूल्य 8.25 रुपए प्रतिकिलो निर्धारित किया गया है। अतः जब बीड़ी के तम्बाकू की उत्पादन लागत 4 50 रुपए प्रति किलो है तो हम खरीद मूल्य 10 रुपए या 15 रुपए प्रति किलो निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यह वास्तव में सम्पूर्ण समस्या का अवास्तविक हल होगा (**व्यवधान**) जिन तथ्यों को मैं जानता हूं या जो मुझे उपलब्ध कराए गए हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूं।

विपणन समिति में उत्पादकों के प्रतिनिधित्व का जहां तक संबंध है सभी बड़े तम्बाकू उत्पादक राज्यों में विपणन समितियां हैं और राज्य सरकारों को इसमें अवश्य ही अधिक रुचि लेनी चाहिए। हमें भी राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए कि विपणन समितियों में तम्बाकू उत्पादकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।

प्रो० मधु दंडवते : आपके वक्तव्य के पृष्ठ 2 पर आपने कहा है कि यदि मांग और पूर्ति में कोई समानता नहीं है तो लाभकारी मूल्य या उचित मूल्य नहीं दिया जा सकता। और आपने यह भी कहा है कि अधिक उत्पादन भी कभी-कभी एक बड़ी समस्या बन जाता है। मैंने एक बहुत ही ठोस सुझाव दिया था कि और आपकी प्रतिक्रिया पूछी थी कि क्या आप अधिक उत्पादन का उपयोग निकोटीन और उर्वरक बनाने के लिए करने को तैयार है।

श्री खुर्शीद आलम खान : महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी विशेषज्ञों द्वारा बड़ी सावधानी से जांच करानी होगी कि क्या विभिन्न फसलों के लिए आजकल खाद के रूप में प्रयोग

[श्री खुर्शीद आलम खान]

करने के लिए तम्बाकू को एक स्थानापन्न खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसका अभी इसी समय निश्चित उत्तर देना मेरे लिए कठिन है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी को जैसा कि वक्तव्य में उल्लिखित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के तम्बाकू उत्पादकों की बैठक हुई और उसमें कुछ संकल्प पारित किए गए कुछ मांगें उठाई गईं। उनकी मांगों में से सारे वक्तव्य में केवल एक का उल्लेख किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार सम्मेलन में 9-10 और महत्वपूर्ण मांगें की गईं थीं जिनके बारे में मैं मंत्री महोदय को बाद में अवगत कराऊंगा। यह मार्च के प्रथम सप्ताह से लगभग 15 दिन बाद की बात है कि कृषि मंत्री को उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए कहा गया। वक्तव्य से भी पता चलता है कि उन्होने यह भी अनुरोध किया था कि वे दिल्ली आकर चर्चा और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं जानता कि इस अनुरोध को क्यों नहीं माना गया। उन्होंने सरकार को यह भी सूचित किया कि वे 14 फरवरी से एक अहिंसक आन्दोलन छेड़ देंगे। चूंकि इस मांग या अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने 14 तारीख से आन्दोलन आरम्भ कर दिया और 14 फरवरी से 6 मार्च तक यह आन्दोलन पूर्णतया अनुशासित और अहिंसक रहा, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है।

मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को उनकी मागों की ओर ध्यान देना चाहिए था क्योंकि आन्दोलनकारियों की मागों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अहिंसात्मक-उपायों को छोड़ना आवश्यक नहीं था।

मैंने वक्तव्य को पढा है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तम्बाकू उत्पादकों की वास्तविक समस्या का वक्तव्य में उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान आन्दोलन कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाओं की दोनों ओर नेपानी क्षेत्र में फैला हुआ है और इस में 45 ग्राम आते हैं तथा 25-30 हजार तम्बाकू उत्पादक इस समस्या विशेष से चिन्तित हैं। तम्बाकू उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है परन्तु फिर भी इस समस्या विशेष की किसी को चिन्ता नही है। मैं पूर्ण सम्मान से यह निवेदन करता हूं कि यदि हमने इस समस्या की ओर पहले ध्यान दिया होता तो 6 तारीख को हुई दुर्घटना से बचा जा सकता था। परन्तु इसके अतिरिक्त हमें इस पहलू के विस्तार में जाने की आवश्यकता नही है क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस मामले विशेष के आर्थिक पहलू तक ही सीमित है।

माननीय मंत्री महोदय ने कुछ आंकडे दिए हैं। परन्तु पूर्ण सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास 31 मार्च, 1981 को इस संगठन के अध्यक्ष श्री शरद जोशी द्वारा दिया गया वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है :

"तम्बाकू की उत्पादन लागत 11.40 रुपए प्रति किलो है परन्तु किसानों को 4 रुपए से 8 रुपए के बीच कीमत प्राप्त होती है।"

ये आंकडे नवीनतम हैं जो 30 मार्च के वक्तव्य द्वारा ज्ञात हुए हैं और हिन्दुस्तान टाइम्स में भी छपे हैं। अतः हमें इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। केवल इतनी ही बात नहीं है। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि इन 25-30 हजार तम्बाकू उत्पादकों का भाग्य 56 व्यापारियों के हाथ में है। और वे क्या करते हैं ? वे इस प्रकार हेरा फेरी करते है कि कीमतें कम रहें, वे किसानों को लूटने के लिए चालबाजियां खेलते हैं। इस मामले में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, जबकि देश के इस भाग में 30,000 तम्बाकू उत्पादकों पर 56 व्यापारियों का नियन्त्रण और व्यापार की सभी चालबाजियों से इन उत्पादकों को लूटा जा रहा हो ? इस पहलू की उपेक्षा की गई है, क्योंकि इस संबंध में एक शब्द भी कहा गया हो मैं नहीं जानता।

यह कोई नई समस्या नहीं है श्री हितेन्द्र देसाई जब वाणिज्य मंत्री थे तब 1979 में मुखर्जी समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने विस्तृत विवरण तैयार किए थे और विस्तृत सिफारिशें की थी। मैं माननिय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुखर्जी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में से क्या किसी को क्रियान्वित किया गया है ? वह प्रतिवेदन है कहां ? क्या प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया गया है ?

मेरे विचार से प्रथम समस्या यह है कि तम्बाकू उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए केवल उचित कीमतें नहीं मिल रही हैं बल्कि ये कीमतें समय पर भी नहीं मिल रही हैं। मेरे पास कुछ जानकारी है जो मुझे आज ही दी गई है। वह यह है कि निपानी क्षेत्र के व्यापारी किसानों से तम्बाकू खरीदते हैं और 6 से 8 महीने तक भुगतान नहीं करते। कुछ मामलों में तो भुगतान 2से तीन वर्षों तक नहीं किया जाता। आप क्या कदम उठा सकते हैं ?

केवल इतनी बात नही है। तम्बाकू उत्पादक निस्सहाय हो जाते हैं। उन्हें तम्बाकू उसी व्यापारी को देना होता है चाहे उन्हें भुगतान न भी मिले। वे सोचते हैं यदि अगले वर्ष के लिए तम्बाकू नहीं दिया जाता तो उन्हें पिछले वर्ष का भुगतान नहीं मिलेगा। इसलिए वे अपना उत्पादन दे देते हैं।

इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं। मैं नाम बता सकता हूं। आप इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

एक तम्बाकू उत्पादक ने प्रश्न पूछा था। यह मेरे समक्ष कागज पर है और मेरे विचार में पूछा गया प्रश्न बहुत ही संगत है। मैं मंत्री महोदय से इस पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार करने के लिए कहूंगा। मै उसे उद्धृत करता हूं :

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

"तम्बाकू बोर्ड, जिसने बिना अनुमति के तम्बाकू का उत्पादन करने पर किसानों को दण्डित करने की शक्तियों का अधिग्रहण कर लिया व्यापारियों के निहित तनिक भी उंगली क्यों नहीं उठा सकता तो उचित कीमतें देते हैं और न ही बाजार में अपने एकाधिकारी हितों को छोड़ते हैं, । क्या यह बोर्ड कम से कम उन्हे विनियमित नहीं कर सकती"

इस प्रश्न का, जो कि हमारे एक तम्बाकू उत्पादक द्वारा पूछा गया है, माननीय मंत्री महोदय के पास क्या उत्तर है ?

इस पृष्ठभूमि में मैं 7 या 8 सुझाव देना चाहता हूं। श्री दण्डवते की भांति मैं भी पूछना चाहता हूं कि श्री जोशी और उनके संगठन द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। पहली मांग जो उन्होंने की है वह तम्बाकू का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिये है। इस समर्थन मूल्य के सन्दर्भ में मैंने महाराष्ट्र सरकार से यह जानने के लिए सम्पर्क किया कि जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है तम्बाकू का समर्थन मूल्य कितना निश्चित किया गया है। मुझे अभी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से एक तार प्राप्त हुआ है। वह लिखते हैं :

"राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है चूंकि कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली ने कभी भी तम्बाकू की फसल की उत्पादन लागत के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए नहीं कहा है।"

मुझे यह तार लगभग 12.15 बजे मिला है। हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं और किसानों को कत्ल किया जा रहा है और वे अपनी जान गंवा रहे है। सरकार क्या करने जा रही है ?

निप्पानी सम्मेलन में 24 फरवरी को जो दूसरी मांग यह की गई थी कि सरकार को नैफेड और तम्बाकू बोर्ड को यह निदेश देना चाहिए कि वे यह सुव्यवस्थित करें कि कीमतें एक निश्चित समर्थन मूल्य से नीचे न गिरें। यह दूसरी मांग थी या पारित किया गया दूसरा संकल्प था। उन्होंने यह भी कहा था कि बीड़ी के तम्बाकू की बिक्री की व्यवस्था करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। तम्बाकू व्यापार की वर्तमान प्रणाली से किसानों का क्रेताओं द्वारा अत्यधिक नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि क्रेता तम्बाकू की किस्म को घटिया बताकर किसानों को कम कीमत देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नीलामी घरों और गोदामों सहित विनियमित बाजार उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। प्रो० मधु दण्डवते के सुझाव के अतिरिक्त इन बाजारों में तम्बाकू का क्रय और विक्रय होना चाहिए। एक अन्य सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि इस उद्देश्य से कि तम्बाकू उत्पादकों को अच्छी और उचित कीमतें मिल सकें, ऐसे विनियमित बाजारों में विशिष्ट भवनों में तम्बाकू का श्रेणीकरण किया जाना चाहिए ताकि विशेषज्ञ इसे स्वीकार करें और तम्बाकू के प्रत्येक बंडल की किस्म निर्धारित की जानी चाहिए और तत्पश्चात् ही उसे बाजार में भेजा जाना चाहिए। यह

भी एक मांग है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि जहां इतनी मांगे रखी गई थी वहां मैंने पाया कि वक्तव्य में केवल एक ही मांग का उल्लेख किया गया है । उन्होंने सुझाव दिया कि तम्बाकू की प्रत्येक श्रेणी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के पश्चात् बंडल नियमित बिक्री बाजार में नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए और तम्बाकू का एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिए । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत पर कोई भी तम्बाकू नहीं खरीदता तो न्यूनतम मूल्य पर तम्बाकू खरीदने के लिए कोई सरकारी एजेंसी होनी चाहिए । संकल्प के द्वारा उन्होंने एक यह सुझाव भी रखा था ।

मेरे प्रिय मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने इस अधिनियम के बारे में कुछ सुझाव दिए थे । मैं तम्बाकू बोर्ड के बारे में दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं । तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में इस आशय के स्पष्ट उपबन्ध जोड़े जाने चाहिएं कि यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसानों को देय राशि का भुगतान कर दिया गया है तम्बाकू बोर्ड द्वारा मूल्य प्रमाण-पत्र या निर्यात के लिए अनुमति दिए जायेंगे । इससे निर्यातक उचित मूल्य देने के लिए बाध्य होंगे । जिस तम्बाकू बोर्ड का गठन मुख्य रूप से किसानों की सहायता के लिए किया गया था, उसमें किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । यह बात प्रो० दण्डवते ने उठाई थी और मैं उसे यहां दोहराऊंगा नहीं । परन्तु मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य व्यापार निगम जैसे अन्य संगठनों में किसानों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी शिकायतों को स्वर दे सकें, और इस बोर्ड को तम्बाकू उत्पादक किसानों का विशेष रूप से बाहुल्य होना चाहिए ।

ये वे अनेक सुझाव हैं जो इस संगठन-विशेष ने दिए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह पूछिए कि क्या सरकार उन सुझावों को स्वीकार करेगी ?

श्री बापू साहिब परुलेकर : अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सुझावों को स्वीकार करेगी । मैं इसके उत्तर में यह सुनना पसन्द करूंगा कि ये सुझाव कार्यवाही हेतु हैं और उन पर विचार किया जाएगा । ये सुझाव तो बहुत पहले दिए गए हैं । उनमें से कुछ को मुखर्जी समिति के पास भेजा गया है । दो वर्ष बीत चुके हैं और कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने अपने निवेदन में जो मामले उठाए हैं उन सभी के बारे में सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है ।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं । प्रथमतः मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वे सभी मांगें मेरे पास है जो कि 24 तारीख को हुई बैठक में पास की गई थी, परन्तु सभा का समय बचाने के लिए मैंने उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया था । जहां तक बीड़ी-तम्बाकू का सम्बन्ध है मेरे पास नवीनतम सूचना भी है और जहां तक मुझे सूचना है इसकी कीमत 10 रु० प्रति कि० ग्रा० है । अतः मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि इसकी फिर से जांच करें । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अपनी ओर मैं भी इसकी जांच करूंगा और फिर बाद में हम अपने जांच-निर्णयों का पुनर्मेल करेंगे ।

[श्री खुर्शीद आलम खान]

जहां तक विपणन्न समितियों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे विचार से इन विपणन्न समितियों को और अधिक सक्रिय होना चाहिए और तम्बाकू उत्पादकों के कल्याण में और अधिक रूचि लेनी चाहिए तथा यदि वे उचित ढंग से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभाएं तो वे वास्तव में महान सेवा कर सकती हैं।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, जहां तक बीड़ी के तम्बाकू या खाने के तम्बाकू अथवा हुक्का के तम्बाकू की एकाधिकार अधिप्राप्ति या अधिक अधिप्राप्ति की बात है, यह सब तभी सम्भव हो सकता है जब सरकार या तम्बाकू बोर्ड भी तम्बाकू के लिए क्षेत्र निर्धारित करने का उत्तरदायित्व उठाए जो कि वर्जिनिया तम्बाकू की तरह आवश्यकता या आवश्यकता की अनुमानित परियोजना पर आधारित हो। वर्जिनिया तम्बाकू के मामले में जिसमें कि समर्थन मूल्य भी दिया जाता है, पहली बात यह है कि इसके विनियम हैं, बोर्ड के पास क्षेत्र निर्धारित करने की शक्ति है जिससे कि फालतू उत्पादन न हो जाए। अन्यथा बाद में कहीं ऐसा न हो कि इसमें इतनी मंदी आ जाए कि इस वर्जिनिया तम्बाकू को अन्य फसलों के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग करना पड़े।

एक माननीय सदस्य : यह मंहगा भी हो जाता है।

श्री खुर्शीद आलम खान : ठीक है, यह मंहगा भी हो जाता है। अब जहां तक उस रिपोर्ट की बात है जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसे प्रशीतन गृह में नहीं डाला गया है। हम किसी चीज को प्रशीतन-गृह में डालने में विश्वास नहीं करते है। हम तो चीजों पर बड़ी सावधानी से ध्यान देने में विश्वास करते हैं क्योंकि इस प्रकार के मामलों में हम उन्हें तत्कालीन चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस पर सभी पहलूओं से विचार करते हुए बड़ी सावधानी से ध्यान देना होगा, सभी भावी परिणामों पर विचार करते हुए उन सभी मामलों पर विचार करते हुए, जिन पर विचार किया जाना है, इस पर सावधानी से कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके काम करना अच्छा नहीं होगा। हमने अकेले इस उद्देश्यार्थ एक अधिकारी नियुक्त किया है और वह इस रिपोर्ट की जांच-पड़ताल कर रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुझे विश्वास है कि उन सभी अच्छी सिफारिशों पर जो कि उत्पादकों के हित में हैं विचार किया जायेगा। सरकार उन पर फिर से सावधानीपूर्ण विचार करने में गहरी अभिरूचि दिखायेगी।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : परन्तु इसमें कितना समय लगेगा ? उनका कहना है कि ऐसा तो पिछले दो वर्ष से हो रहा है।

श्री खुर्शीद आलम खान : मेरा निवेदन है कि समिति को नियुक्त किए दो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि रिपोर्ट पर गत दो वर्षों से कार्यवाही हो रही हो। यह हमारे पास कैसे हो सकती है। हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और हम यह प्रयास

करेंगे·····(व्यवधान) आप तो जानते है कि यह कहना असंभव है कि इसमें केवल एक सप्ताह या एक मास लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उससे अधिक समय नही लेंगे जो कि वास्तव में इसके लिए आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द पाठक। सीधा प्रश्न रखिए। सभी मुद्दों पर विचार हो चुका है। सब बातें हो चुकी हैं। (व्यवधान) आप हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं तो केवल उनसे निवेदन कर रहा हूं। आपने मामले को बिगाड़ दिया है।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विवरण हमें भेजा गया है उसमें स्पष्टता का अभाव है। क्योंकि मैं यह नहीं समझ सका कि मंत्री महोदय का यह कहने से क्या तात्पर्य था कि बीड़ी के तम्बाकू का कुल उत्पादन इसकी मांग से मेल नहीं खाता है। इसका क्या अर्थ है ? क्या इसका यह अर्थ है कि उत्पादन कम हुआ अथवा इसका आधिक्य है ? यह बात यहां स्पष्ट नहीं है। और दूसरे मैंने पाया है कि कृषि मूल्य आयोग से बीड़ी और तम्बाकू उद्योग का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसी बात क्यों है ? जब कभी हम कृषि उत्पादों के बारे में कोई प्रश्न करते हैं तो सरकार का उत्तर यह होता है कि कृषि मूल्य आयोग ने दर निश्चित की है। हम क्या कर सकते हैं। तम्बाकू के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया गया ? सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से उचित मूल्य निश्चित करने के लिए नहीं कहा है। अतः मुझे इस बारे में भी स्पष्टीकरण चाहिये।

अब सरकार ने यह कहकर कि बीड़ी तम्बाकू के अधीन क्षेत्र निर्धारित करने की शक्तियां तम्बाकू बोर्ड को दे दी गई थीं और कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है, अपनी असमर्थता प्रकट की हैं, क्यों ? यह तो केन्द्रीय अधिनियम है। सरकार अधिनियम का संशोधन क्यों नहीं करती है तथा तम्बाकू के बारे में समग्र उत्पादन, विपणन्न निर्धारित करने के लिए शक्ति ग्रहण क्यों नहीं करती है।

हाल ही में मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि सरकार ने उस क्षेत्र में अध्ययन दल भेजा है। परन्तु जब आन्दोलन के नेता गण जेल में होते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। उन्हें तो बहुत पहले ही भेज दिया जाना चाहिए था। वे उनसे सम्पर्क नहीं स्थापित कर सके, वे समस्या को समझ नहीं सकें और मेरा विचार है कि वे तथ्यगत प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः यही उचित समय है कि समस्या पर विचार विमर्श किया जाए। अधिनियम के संशोधन को तथा बोर्ड के पुनंगठन को विचाराधीन रखकर उन्हें यहां बुलाया जाना चाहिए तथा उनके साथ समस्या पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा उनकी कम से कम मांगों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है उन्हें उत्पादन लागत से नीचे अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए जिससे कि कोई बड़ा व्यापारी किसानों को अपनी पैदावार को बड़े कम दामों में बेचने को बाध्य न कर सके। जैसा कि श्री परुशेकर पहले ही कह चुके हैं, उत्पादन लागत तो 11.40 रुपये है परन्तु उन्हें

[श्री आनन्द पाठक]

अपने उत्पाद को 4 रुपये पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। यह बड़ी भयानक बात है। कम से कम एक न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए जिससे नीचे उन्हें बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अब किसानों को बड़े व्यापारियों से धन लेने के लिए बाध्य किया जाता है जो मूल्य भी निर्धारित करते हैं तथा अपनी मनमर्जी करके उनको निचोड़ते हैं। किसानों के बचाने के लिए, सरकार को सस्ती ब्याज दरों पर उन्हें मुक्त हस्त से ऋण देना चाहिए, जिससे कि वे उस धन का अपने कृषिजन्य कार्यों में उपभोग कर सकें। उत्पादन हो जाने के बाद, सरकारी अभिकरणों को इसका क्रय करना चाहिये, तथा विपणन सहकारिताओं जैसी एजेन्सियों को न्यूनतम कीमतों पर, जो कि उत्पादन लागत से कम न हो, इसकी खरीद करनी चाहिए। मेरे ये सुझाव हैं और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और उनका उत्तर देंगे।

श्री खुर्शीद आलम खान : सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि मुझे खेद है कि यदि जो कुछ मैंने वक्तव्य में कहा है उसे माननीय सदस्य न समझ सके हों। यदि मेरे विवेचन में कोई कमी रही है तो वह मेरी गलती है। उसमें मैंने सभी आवश्यक बातों का विवेचन करने का प्रयास किया है। जहां तक उत्पादन लागत के 11 रुपये होने का सम्बन्ध है, यदि यह 11 रुपये हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उस कीमत पर बीड़ी नहीं खरीद सकते हैं जिस पर आज आप उसे खरीद रहे हैं। अतः जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, उत्पादन लागत उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य बता रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा बताए गए संशोधन का सम्बन्ध है, मैं अन्य माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि मामले पर गौर किया जा रहा है। विशेषकर जहां विभिन्न प्रकार के तम्बाकू के उत्पादन को निर्धारित करना आवश्यक है। यह देखने के लिए कि वे भी उत्पादन को निर्धारित कर सकते हैं, कुछ आवश्यक शक्तियां तम्बाकू बोर्ड को भी प्रदान करनी आवश्यक होंगी, जिससे कि उत्पादन भी आवश्यकता के अनुरूप हो सके। इसका उत्पादन अधिक नहीं होना चाहिए जिससे कि इसे खाद के रूप में प्रयोग में न लाना पड़े। यही बात मैंने बताने की कोशिश की है कि उत्पादन तम्बाकू की मांग के अनुरूप होना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग सदैव इस मामले से दूर रहा है। परन्तु उनके पास मामला तभी भेजा जा सकता है जबकि यह भी प्रावधान हो कि हम तम्बाकू की जोत की सीमा निर्धारित कर सकते हों। हम तभी कृषि मूल्य आयोग से न्यूनतम मूल्य निर्धारण पर विचार करने का निवेदन कर सकते हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न लगभग समरूप हैं, जिनका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवकुमार सिंह।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खडण्वा) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बजकर पांच मिनट पर ले लीजिए। इसमें समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न रखिए।

श्री शिवकुमार सिंह : बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें समय लगेगा। सभी जाने की जल्दी में हैं, दो बजकर पांच मिनट पर ले लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब आप मुझ पर छोड़िए। आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं।

श्री शिवकुमार सिंह : वह तो मैं पूछ ही रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो आया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि लॉ ऐंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए उसपर हमें विचार नहीं करना है, केवल किसानों के लिए रेम्युनरेटिव प्राइसेज क्या हों उसपर विचार करना है। आज हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता हैं उनके हित के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कानून बनाती है लेकिन उसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलता है। एक ओर जो हमारे उत्पादक हैं, किसान हैं उनको भी अपने माल की उचित कीमत नहीं मिलती है और दूसरी ओर जो उपभोक्ता हैं उनको भी आवश्यक वस्तुयें कम कीमत पर नहीं मिलती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो बिचौलिए हैं, मिडिलमेन हैं उनकी जेबों में प्राफिट का बहुत बड़ा भाग चला जाता है। हम देखते हैं कि गन्ने का भाव 200 रुपए टन है लेकिन शकर का भाव कहीं पर भी दस रुपए किलो से कम नहीं है। इसी तरह से किसान ने अपनी मूंगफली ढ़ाई रुपए किलों में बेची लेकिन उसको तेल कहीं भी 12 रुपए किलो से कम नहीं मिलता है। इसी तरह से किसानों ने अपनी कपास 6 रुपए किलों में बेची लेकिन सूती धागा 25 रुपए किलो पर बेचा जा रहा है। इस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो इतना बड़ा गैप है इसका कोई लाभ न तो किसानों को मिलता है और न ही उपभोक्ताओं को मिलता है इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और केन्द्रीय सरकार की ओर से इसपर सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए।

अभी-अभी हमारे स्पीकर साहब 4 तारीख को हिसार यूनिवर्सिटी गए थे जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा :

> "...कृषि उत्पादन की कीमतें निर्धारित करने का वर्तमान ढंग न यथार्थवादी है और न ही वैज्ञानिक। इससे उत्पादकों को लाभकारी कीमतें नहीं मिलतीं। बिचौलिए जो हैं वह हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं।"

यह कर्नाटक में जो दुर्घटना घटी है, मैं नहीं समझता किसी माननीय सदस्य को उससे दुःख नहीं हुआ होगा। यह देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमतें दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जहां तक तम्बाकू का प्रश्न है, इस वर्ष तम्बाकू की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। आप जानते हैं हमारे देश में मुख्यत. तम्बाकू का उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। तम्बाकू का 80 प्रतिशत उत्पादन गुजरात में होता और 20 प्रतिशत कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने, जिनमें विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं, एक आन्दोलन चलाया। कल बागड़ी जी यहां पर बहुत कुछ बोल रहे थे लेकिन आज वे उत्तर भी सुनने के लिए यहां पर मौजूद नहीं हैं। आज किसानों की मुश्किलों का नाजायज फायदा विरोधी दल उठा रहे हैं। नासिक में प्याज के सम्बन्ध में एक

[श्री शिवकुमार सिंह]

आन्दोलन चलाया गया, पोटेटो के लिए भी आन्दोलन चलाया गया लेकिन यह बड़े किसानों की ओर से आन्दोलन था। मैं भी एक किसान हूं और मैं भी मानता हूं कि किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइसेज मिलनी चाहिए। आज कुछ चीजें हैं जैसे शुगरकेन, पोटेटो, ओनियन, तम्बाकू और काटन, जिनकी तरफ सभी का ध्यान जा रहा है। इसमें पोलिटिकल मोटिव भी है। छोटे किसानों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छोटे किसानों की जो समस्यायें हैं उनको दूर करके उनको उचित लाभ दिलाने पर विचार किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने कहा कि 10 रुपए किलो की रेम्युनरेटिव प्राइस तम्बाकू उत्पादक किसानों को दिलाई जा रही है लेकिन यह बात सही नहीं है। 10 रुपए किलो की कीमत तो एक्सपोर्टर को मिलती है, निप्पानी में किसानों को जो कीमत मिल रही है तीन, चार या पांच रुपए किलो से ज्यादा नहीं है। जो एक्सपोर्टर्स हैं वही इसका लाभ उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि आज विदेशों में तम्बाकू की मांग बहुत ज्यादा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि हमारे यहां की 250 लाख किलो तम्बाकू की मांग प्रतिवर्ष ब्रिटेन में है और रशिया में 250 लाख टन तम्बाकू की मांग है ? क्या यह भी सही नहीं है कि भारतीय तम्बाकू खरीदने के लिए चाइना और जापान भी बाजार में आ रहा हैं ? ये सारे बड़े देश हमारे यहां की तम्बाकू की मांग कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी तम्बाकू में अन्तर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्जिनियां तम्बाकू और बीड़ी तम्बाकू में दोनों प्रकार की तम्बाकू की मांग वहाँ पर है। अखबारों में सारी रिपोर्ट है कि हमारे तम्बाकू का एक्रेज बोने का किसानों का घटता जा रहा है, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो। भारत में 1977-78 में बोने का जो एरिया था, वह था 4 लाख 18 हजार हेक्टर जिसमें पांच हजार 44 लाख किलो तम्बाकू उत्पादन होता था। 1978-79 में यह एरिया घटकर एक्रेज 4 लाख हेक्टर हो गया और तम्बाकू उत्पादन हुआ 4 हजार 530 लाख हेक्टर किलो और 1979-80 में यह और घटकर 4 हजार 460 लाख किलो रह गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि तम्बाकू के बोने को रकबा घटता जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश का किसान चूंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है वह तम्बाकू से हट कर काटन, चिल्ली और पैडी जैसी दूसरी कैश क्राप्स की ओर आकर्षित हो रहा है। इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जैसा कि आपने अपने जबाब में लिखा है कि —"कृषि मंत्री को सम्बोधित एक और पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अन्तर्गत सूचित किया गया कि कार्यवाही समिति ने 14 मार्च, 1981 से राज मार्ग संख्या चार पर "रास्ता रोको आन्दोलन" शुरू करने का निर्णय किया है और यदि जरूरी हुआ तो उस महीने की ग्यारह तारीख से पहले बातचीत करने के लिए दिल्ली आयेंगे। क्या यह सही नहीं हैं कि ग्यारह तारीख से पहले ही एक उग्रवादी रूप वहां के आन्दोलनकारियो ने लिया और शासन को बदनाम करने की कोशिश की गई ? मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि श्री शरद जोशी ने वहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की है कि वह सहानुभूतिपूर्वक किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न पूछे हैं माननीय मंत्री जी से वे कृपा कर उन सब का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री खुर्शीद आलम खान : अपने पहले वाक्य में ही मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के शिकार लोगों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति प्रकट कर चुका हूं। परन्तु माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्षेत्र को विस्तृत कर चुके हैं, जिसमें वे चीनी, आलू तथा अन्य वस्तुओं को भी सम्मिलित कर चुके हैं। तम्बाकू के बारे में उन्होंने जो मुख्य प्रश्न पूछा था उसका मैं पहले उत्तर दे चुका हूं। इसमें और कुछ कहने को बाकी नहीं हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि यह सम्मेलन कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर एक बड़े ही संवेदनशील क्षेत्र में हुआ था। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र का चुनाव करने का क्या राजनीतिक महत्व था ? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तम्बाकू उत्पादकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। परन्तु सरकार को अपनी पूरी शक्ति लगाकर पत्थर फेंकने और रास्ता रोको आन्दोलन को दबाना चाहिये। क्या यह सच है कि केवल 56 व्यापारी ही तम्बाकू उत्पादकों से सारी खरीददारी कर रहे हैं और उन्होंने उनको धनराशि का भुगतान नहीं किया है ? क्योंकि यह सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है तो मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं क्या वे इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं या नहीं ? आखिरकार किस उद्देश्य के लिए यह अधिनियम पास किया गया है ? लोग किसानों को लूटते हैं लाखोपति और करोड़ोपति बन जाते हैं। यदि वे इस अधिनियम या किसी अन्य कानून का यहां प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस दल वाले ही स्वयं अपने गृह मन्त्री महोदय के विरूद्ध आन्दोलन छेड़ देंगे।

दूसरे, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बीड़ी के लिए, खाने के लिए, हुक्का के लिए और सूंघनी के लिए कितने-कितने तम्बाकू का उपभोग किया जा रहा है और कितना निर्यात किए जाने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त, जहां तक अलाभकर कीमतों की बात है, व्यापारी लोग कीमतों को प्रभावित करके उन्हें अलाभकर बना रहे हैं। अतः, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राज्य सरकार को सहकारी समितियां बनाने की सलाह देने जा रही है। मुझे पहले ही सूचित किया जा चुका है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने तीन सरकारी उच्चाधिकारियों को लोगों को यह सलाह देने के लिए भेजा है कि वे इस क्षेत्र में भी सहकारी आन्दोलन आरम्भ करें।

जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक सहकारी आन्दोलन के घर हैं। उन्होंने अन्य बहुत से क्षेत्रों में आश्चर्य जनक कार्य किए हैं। अतः वे तम्बाकू के लिए सहकारी आन्दोलन क्यों नहीं छेड़ते हैं ?

प्रो० दण्डवते ने बहुत सी बातें कहीं हैं परन्तु उन्होंने इन हिंसक गतिविधियों की निंदा नहीं की है। असामाजिक-तत्व किसान आन्दोलन में घुस आए हैं तथा इन लोगों को यह देखना चाहिये कि इन्हें निकाल दूर किया जाए। उन्हें उन्होंने बाहर क्यों नहीं किया है हाल ही में हमने 25 लाख किसानों कि अविस्मरणीय रैली का आयोजन किया था। हमने असामाजिक-तत्वों को इनमें कतई नहीं घुसने दिया। (**व्यवधान**) श्री वाजपेयी के दल को छोड़कर और कोई दल ऐसा नहीं कर

[श्री उ० म० रामगोपाल रेड्डी]

सकता है। चाहे हम उनसे सहमत हों या न हों, वे अनुशासित लोग हैं और असामाजिक-तत्वों में उनकी गिनती नहीं है। (व्यवधान) यह सच्चाई है। इसमें कोई असामाजिक तत्व नहीं घुस सकता है। इसी प्रकार असामाजिक-तत्व हमारे कांग्रेस संगठन में भी नहीं घुस सकता है।

महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे तम्बाकू उत्पादकों के लिए कौन से ठोस उपाय सुझाने जा रहे हैं जिससे कि हम सन्तुष्ट हो सकें। कुछ भी हो हमारा दल सबसे बड़ा है और हमारे साथ बड़ी भारी संख्या में किसान हैं और हमारी सहानुभूति उनके साथ है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के किसानों ने इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत किया है और महोदय, आपके राज्य के किसानों ने भी ऐसा ही किया है उन्होंने इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्थाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि किसी प्रकार का आंदोलन इस अर्थ-व्यवस्था के आकार को समाप्त नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, इसका चाहे जो भी राजनीतिक पहलू हो, मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि मेरा सम्बन्ध केवल उसके आर्थिक पहलू से है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। **रास्ता रोको** का दायित्व उन लोगों का है अथवा नहीं, इसके लिये किसी और को विचार करना होगा। मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि सहकारिता आंदोलन ऐसा सबसे अच्छा आंदोलन है जो कि कृषकों के लिये बहुत सहायक हो सकता है और मुझे विश्वास है कि सम्बद्ध राज्य सरकारें इस पहलू पर ध्यान देंगी और हम उनका ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करेंगे।

जहां तक किसानों की बात है, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वे हिंसक नहीं है और मैं ऐसा इसलिये अनुभव करता हूं क्योंकि में थोड़ी बहुत 'किसानी' कर रहा हूं। अतः मैं भी एक किसान हूं और मैं अपने जीवन में कभी भी हिंसक नहीं रहा और मैं इस बात से सहमत हूं कि वे कभी हिंसक नहीं होते। किन्तु उनकी भावनाओं के साथ कौन खिलवाड़ करता है, यह मैं नहीं जानता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप बहुत ही शान्ति प्रिय है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, माननीय सदस्य नसवार, तम्बाकू, हुक्के के तम्बाकू और बीड़ी के तम्बाकू के अलग-अलग आंकड़े चाहते हैं। बीड़ी के तम्बाकू के आंकड़े मेरे पास है कि अभी हाल में उसका उत्पादन 160000 टन हुआ है दुर्भाग्य से मैं औसत आंकड़े भी नहीं दे सकता क्योंकि न तो मैं सिगरेट पीता हूं, न ही नसवार लेता हूं और न ही पान चबाता हूं। अन्यथा मैंने अपनी औसत के आधार पर कुछ आंकड़े दे दिये होते और इससे कच्चा अनुमान लगाया जा सकता था।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पास करने का क्या लाभ, जब हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसका उत्तर मैं देने की स्थिति में नहीं हूं।

———

आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने के बारे में वक्तव्य

गृह-राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, भारत सरकार ने श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में, 5 मार्च, 1981 को एक आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की है। आयोग सरकार को आर्थिक प्रशासन के कतिपय महत्वपूर्ण मामलों और इस क्षेत्र में सरकारी क्रिया-कलाप के विभिन्न सेक्टरों के बीच पारस्परिक मामलों पर सलाह देने के लिये सांस्थानिक व्यवस्था प्रदान करेगा। प्रारम्भ में आयोग कर प्रशासन, उसके औचित्य-स्थापन और उसमें सुधार, बचतों के स्तर में वृद्धि करने के लिए कर-भिन्न उपायों का प्रयोग, नई अर्थव्यवस्था की स्थापना, और देश में प्रचलित किराया नियंत्रण कानूनों की समीक्षा करेगा। यह आर्थिक प्रशासन और उसके सुधार से सम्बन्धित उन मामलों पर भी कार्यवाही करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर उसके विचारार्थ भेजे जाएंगे।

आयोग मन्त्रिमण्डल सचिवालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में रहेगा। वर्ष 1981-82 के लिए इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें पहले ही सदन के विचाराधीन हैं। चूंकि इस 'नई सेवा" पर होने वाले व्यय का पहले से पता नहीं था, अत: 1981-82 के बजट प्रावधानों में इसे समाविष्ट नहीं किया गया है। आयोग को शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ करके रिपोर्टें प्रस्तुत करनीं होंगी। धनराशि की व्यवस्था में विलम्ब करना लोक हित में नहीं होगा। आयोग स्थापित करने में हुए व्यय को पूरा करने के लिए तथा दैनिक व्यय, अर्थात् वेतन और भत्ते, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय इत्यादि को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। तद-नुसार भारत की आकस्मिकता निधि से 20 लाख रुपए निकाल कर आयोग को सौंपने का प्रस्ताव है।

इस राशि से अगस्त, 1981 तक का आयोग का व्यय पूरा हो जाएगा। आयोग पर होने वाले व्यय को अगले सत्र में संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम अनुपूरक प्राक्कलनों में शामिल किया जायेगा और ज्यों ही आयोग से सम्बन्धित समस्त वर्ष के लिए व्यय के बारे में अनुपूरक विनियोजन अधिनियम पारित हो जाएगा, आकस्मिकता निधि से ली गई उपर्युक्त अग्रिम राशि उस निधि को वापस कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेगें। (**व्यवधान**) केवल दो अथवा तीन ही मामले हैं।

कुछ माननीय सदस्य : यह लंच का समय है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मुझे इस लिए उत्तर दायी माना जायेगा क्यों कि मैंने उन्हें बताया है कि अन्य मामलों पर बाद में विचार किया जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 20 मिनट पर म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर 25 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले ।

(एक) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार उर्वरक कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय ले रही है । उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए जिलों में से एक है, की जनता बार-बार यह मांग करती आ रही है कि उनके जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाना चाहिये ताकि वहां पर बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जा सके । केन्द्रीय विशेषज्ञ दल ने इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है । और यह निर्णय किया जाना है कि इन कारखानों की कहां पर स्थापना की जाये ।

यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक गेहूं, गन्ना और धान उगाने वाले क्षेत्रों में से एक है और उसके लिये रासायनिक खाद की बहुत आवश्यकता है और यह दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । उर्वरक कारखाने स्थापित करते समय इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि उर्वरक की ढुलाई पर तथा कारखाने के निर्माण पर न्यूनतम लागत आये । केन्द्रीय विशेषज्ञ दल द्वारा शाहजहांपुर जिले का भी सर्वेक्षण किया गया था और मुझे पता चला है कि यह आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी करता है । और यह इस प्रकार स्थित है कि यदि एक उर्वरक कारखाना यहां स्थापित कर दिया जाता है तो वह अपने चारों ओर के क्षेत्रों में उर्वरक सप्लाई कर सकेगा क्योंकि यह गेहूं, धान और गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों के केन्द्र में स्थित है ।

मैं पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि शाहजहांपुर की जनता की लम्बे अरसे से चली आ रही मांग पर विचार करें और उत्तर प्रदेश में चार प्रस्तावित उर्वरक कारखाने में से एक कारखाने की स्थापना वहां कर दें ।

(दो) ओलावृष्टि, भीषण वर्षा और तूफान आदि के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर हरियाणा में फसलों को हुई हानि के समाचार

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय हाल ही में देश के विभिन्न

भागों में भयंकर ओलावृष्टि, मूसला धार वर्षा, बिजली गिरने और चक्रवात के कारण गेहूं, चना, सरसों आदि की फसलों को बड़े पैमाने पर व्यापक क्षति हुई है। हरियाणा सरकार ने ओले से नष्ट हुई फसलों के सम्बन्ध में 4 0 रुपये प्रति रबड़ की दर से क्षतिपूर्ति करने का निर्णय किया है, तथापि बिजली गिरने, भारी वर्षा और चक्रवात आदि के कारण नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, हालांकि इनसे ओलों के मुकाबले कहीं अधिक हानि हुई है। अत: मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जिन राज्यों में फसलों को क्षति पहुंची है उन्हें वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करे, ताकि प्रभावित कृषकों की पर्याप्त रूप से क्षति पूर्ति हो सके।

(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास आजमगढ और गोरखपुर तक राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा किया जाने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक राष्ट्रीयकृत मार्ग जो गाजीपुर, आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक फैला हुआ है, स्थित है। यह मार्ग आर्थिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से तथा सैनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी मार्ग से पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के कोयले की खानों से कोयला ट्रकों द्वारा मंगाया जाता है। तथा साथ ही साथ भूपाल से केला एवं अहमदाबाद और बम्बई में स्थित कपड़े की मिलों से कपड़ा भी मंगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त मार्ग जो काफी सकरा है और गत वर्षाकाल में काफी जगहों पर धंस गया था। फलस्वरूप कई महीनों तक उक्त मार्ग बंद पड़ा रखा। अब कुछ जगहों पर कुछ कार्य हो रहा है जो सतोषजनक नहीं है।

अत: आपके माध्यम से केन्द्रीय परिवहन मन्त्री जी से सादर अनुरोध है कि अवलंब उक्त मार्ग को चौड़ा करने के लिए तथा बड़हलगंज शहर तक जो भाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, पुन: निमार्ण करने के लिए अधिक धनराशि मंजूर करने के लिए आदेश प्रदान करें, ताकि उक्त माग नए रूप में स्थान ले सके और उक्त क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सके।

(चार) अन्य उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की सहमति प्राप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों को भेजा गया कथित परिपत्र

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह समाचार है कि केन्द्रीय विधि मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया हैं कि उच्च न्यायालयों में कार्यरत अतिरिक्त न्यायाधीशों की उन्हें भारत में किसी अन्य उच्च न्यायालय में नियुक्ति किए जाने के लिए सहमति मांग ली जाये।

[प्रो० मधु दण्डवते]

अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए आपने तीन वरीयताएं बनानी हैं।

यह भी पता चला है कि मुख्य मन्त्रियों से उन व्यक्तियों की सहमति लेने के लिये भी कहा गया है जिन्हें नियुक्त किया जा चुका है अथवा जिनके नाम पर भविष्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आरम्भिक नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 222 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकेंगे। तथापि, इस अनुच्छेद में इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है कि इस प्रयोजन के लिये प्रभावित न्यायाधीशों की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है अथवा नहीं। पटना और मद्रास उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हाल में हुए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उठे विवाद में यह बात कही गई थी कि सम्बद्ध मुख्य न्यायाधीशों की सहमति नहीं ली गई थी। इस तर्क में बहुत नैतिक वैधता है।

केन्द्रीय विधि मन्त्री द्वारा भेजे गये परिपत्र में इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया है और न्यायाधीशों के स्थानान्तरणों के लिये रास्ता खोलने का प्रयास किया गया है।

पश्चिमी भारत की अधिवक्ता ऐसोसिएशन ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव किया है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय विधि मन्त्री द्वारा मुख्य मन्त्रियों को भेजे गये इस परिपत्र का विरोध किया हैं और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायधीश से अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय विधि मन्त्री की इस कार्रवाही का विरोध करें।

इस परिपत्र का विषय होता है जिसका न्यायपालिका के मुक्त और स्वतन्त्र रूप से कार्य करने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अत: केन्द्रीय विधि मन्त्री को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक वक्तव्य देना चाहिए।

(पांच) पश्चिम बंगाल में कपड़ा उद्योग को अपर्याप्त मात्रा में सूत की सप्लाई किए जाने का समाचार

श्री मुकन्द मंडल (मथुरापुर) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाता हूं।

पश्चिम बंगाल के कपड़ा उद्योग ने तीन दशक पहले तक अपनी उच्च कलात्मकता और कौशल से बहुत लाभ कमाया था, किन्तु समय के साथ उसकी स्थिति कमजोर पड़ गई जिसका प्रमुख कारण धागे की पर्याप्त सप्लाई न होना था। इसका कारण यह है कि पश्चिम और उत्तर में कपास उत्पादक क्षेत्रों से कपास लाने के भाड़े में निरन्तर वृद्धि हुई है क्योंकि कपास के भाड़े को इस्पात और कोयले आदि के भाड़े की समानता के आधार पर समेकित अथवा समान

नहीं बनाया गया । इस राज्य को संश्लिष्ट उत्पादों के सम्बन्ध में भी उपेक्षा की गई है । दूसरा कारण कपास के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का भी है । यद्यपि अच्छी किस्म की कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा उसके उत्पादन में वृद्धि को बनाये रखने के लिए कपास उत्पादकों के उचित हितों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, फिर भी उसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण रखने के लिए फसलों के सम्बन्ध में सतर्कता बरतना भी आवश्यक है ।

अत: मैं इस बात की मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में उचित मूल्यों पर प्रमुख कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित की जाए ।

(छ:) **दिल्ली और देश के अन्य भागों में पोलियो के टीके की कमी**

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सम्पूर्ण दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में किसी भी अस्पताल में पिछले कई महीनों से पोलियो रोकने की दवा (ड्राप्स) उपलब्ध नहीं है । इससे बच्चों में यह भयानक रोग होने का भारी खतरा पैदा हो गया है । एक और पिछले सप्ताह में स्वास्थ्य मन्त्रालय ने जी० आई० जी० के जरिये एक प्रेस विज्ञप्ति में पोलियो के खतरे से सावधान किया था और दूसरी ओर अस्पतालों में ड्राप्स दवा उपलब्ध नहीं है ।

कहा जाता है कि दिल्ली में पोलियो रोकने की ड्राप्स यानी दवा उपलब्ध तो है लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए बम्बई भेजा गया है और जब तक इसकी रिपोर्ट वहां से नहीं आएगी, तब तक यह दवा बच्चों को नहीं दी जा सकती है ।

पहले इस दवा को टेस्ट करने का कार्य दिल्ली में ही होता था जेकिन अब वह बन्द हो गया है । आश्चर्य की बात है कि जब देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा होगा, इसका अनुमान लगाने से आत्मा कांप जाती है ।

सरकार की लापरवाई के कारण देश और इसकी राजधानी के लाखों करोड़ों बच्चे इस भयंकर बीमारी की आशंका से ग्रस्त हैं और स्वास्थ्य मन्त्रालय कानों में रूई डाले बैठा है ।

सर्वविदित है कि बच्चों को पैदा होते ही कुछ ही समय के भीतर पोलियो रोकने की दवा दी जाती हैं लेकिन इस दवा के उपलब्ध नहीं होने से नवजात शिशु भगवान की दया पर निर्भर हैं । और इस भयानक रोग से कोई बच्चा अपंग हो गया तो विकलांग वर्ष पर सरकार क्या जवाब देगी ?

(सात) श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ और बंगभाषी कालेज समूह सम्बन्धी पश्चिम बंगाल का विधान

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन निम्न-लिखित वक्तव्य देता हूं ।

[श्री चित्त बसु]

राष्ट्रपति द्वारा श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबन्ध की अवधि को और दो वर्ष तक बढ़ाने वाले पश्चिम बंगाल के विधान को अनुमति प्रदान न करने से एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है।

यह देखने योग्य बात है कि इस संस्थान का प्रशासन एक सीमित अवधि के लिए सरकार ने अपने हाथ में लिया था जिसकी अवधि गत 5 अप्रैल को समाप्त हो गयी। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने इस प्रशासनिक नियंत्रण की अवधि को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया जिसके बारे में समाचार है उस पर अनुमति नहीं दी गई है।

इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में एक रिक्तता पैदा हो गई है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक अन्य विधेयक पारित किया है जिसके द्वारा राज्य सरकार के बंगभाषी कालेज समूह पर प्रशासनिक नियन्त्रण की अवधि को, जो 13 अप्रैल, 1980 को समाप्त हुई, बढ़ाने का प्रस्ताव है।

यह एक अविलंबनीय महत्व का मामला है जिसका सम्बन्ध राज्य के दो महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों के सुगम और अबाध कार्यकारण से है।

शिक्षा मंत्री से मेर अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

अनुदानों की मांगें—जारी

रक्षा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद बजट (सामान्य) रक्षा मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान पर आते हैं।

सभा अब रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 19 से 24 पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी जिसके लिए 6 घटे आबंटित किये गये हैं।

वे माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्ताव परचालित किये गये हैं। यदि चाहे तो अपने कटौती प्रस्ताव पेश करें और जिन प्रस्तावों को वे पेश करना चाहते हैं उनकी क्रम संख्या दर्शाने वाली पर्चियां 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जायेगा।

शीघ्र ही एक सूची सूचना पट लगा दी जायेगी जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या होगी जिन्हें पेश किया हुआ माना गया है। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई त्रुटि दिखाई दे तो वह कृपा इसे अविलम्ब टेबिल अधिकारी के ध्यान में ले आयें।

श्री अजय विश्वास आपके दल को 22 मिनट आबंटित किये गये हैं।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : रक्षा बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, रक्षा का पडोसी देशों एवं समस्त विश्व में जो राजनीतिक स्थिति है उससे संबंध होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अमरीकी साम्राज्यवाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों की आजादी और एकता के लिए प्रमुख खतरा हो गया है ये अमरीकी साम्राज्यवादी ही हैं जो अपने घृणित प्रयोजन के लिए एक देश को दूसरे देश के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इस उपमहादीप में साम्राज्यवादी ताकतें बहुत सक्रिय हैं और वे अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में बढ़ा रही हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद समाजवादी देशों को रोकने के लिए अपनी नीति के अंग के रूप में पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा है और उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता को भंग कर रहा है। वास्तव में पाकिस्तान की वर्तमान सरकार साम्राज्यवाद के एक एजेन्ट की भूमिका निभा रही है। जिया की सरकार के प्रति हमारी कोई सद्भावना नहीं हो सकती है क्योंकि वह खुद अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त की गई और वहां आतंक का साम्राज्य छाया हुआ है। वास्तव में कुछ लोगों का विचार है कि इस क्षेत्र को पाकिस्तान से कोई खतरा नही है। उद्देश्य अमेरिका को रोकने का है। अमरीकी साम्राज्यवादी फिर से विश्व को एक ओर युद्ध की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि दियागो गार्शिया में उन्होंने एक बड़ा सैनिक अड्डा पहले ही स्थापित कर लिया है और वे दक्षिण पूर्व एशिया तथा विश्व के अन्य भागों में भी गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महोदय, हम इस सम्बंध में दर्शक बने नहीं रह सकते हैं।

प्रश्न यह है कि हमारी रक्षा की क्या नीति होनी चाहिए ? आप जानते हैं कि हमारी रक्षा व्यवस्था उपनिवेशवादी शक्ति अर्थात् ब्रिटेन ने बनायी थी। आजादी के 33 वर्षों के बाद हम वही पद्धति अपना रहे हैं। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं किन्तु सर्वत्र उपनिवेशवादी दृष्टिकोण ही हैं ....

एक माननीय सदस्य : वह इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अजय बिश्वास : महोदय, सेना एक केन्द्र बिन्दु है किन्तु वस्तुतः देश के लोग ही रक्षा के आधार हैं। सेना तथा लोगों के निकट सम्पर्क के बिना प्रभावी रक्षा व्यवस्था बनाना सम्भव नहीं है। इस बारे में सेवानिवृत्त मेजर जनरल हबीबुल्ला क्या कहते हैं मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि उनकी भी यही राय है। यह मेजर जनरल सेवानिवृत हो चुके हैं और उनकी क्या राय है ?

"परिणाम यह है कि यहाँ भारत में वर्तमान तथा आने वाले सैनिक नेता और

[श्री अजय बिश्वास]

विचारक 'नारो' अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार अयथार्थवादी दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, जबकि यह सोवियत रूस था जिसने हिटलर को हराया था और फिर इससे पहले कि मांटगुमरी अथवा चर्चिल उस क्षेत्र के विरुद्ध अपनी सेनाओं को तैनात करते रूस ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया था ····

महोदय, उन्होंने यह भी कहा कि :

"यह नई सामाजिक व्यवस्था ही थी जिसने सोवियत रूस के लोगों को यह महत्व दिया। यह प्रवर सामाजिक सम्बन्धों का तर्क है।"

अतः हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार अपनी रक्षा व्यवस्था को बना पायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम भी वही रास्ता अपनाएंगे जो अंग्रेजों ने अपने देश में अपनी रक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए अपनाया है।

महोदय, हमारी सेना देश की मुख्य धारा से पूर्णतः अलग-थलग पड़ गई है। सेना····· (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : वह क्या कह रहे है ?

श्री अजय बिश्वास : यह सत्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मंत्री महोदय देंगे।

श्री अजय बिश्वास : यह शत् प्रतिशत् सत्य है। आप इसे इन्कार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसका उत्तर न दें।

श्री अजय बिश्वास : सेना में मुख्यतः किसान हैं। किन्तु जब तक वे सेना में हैं उनके कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हैं। सेना के कर्मचारियों को अपने परिवारों के कल्याण के बारे में चिन्ता होती हैं। आप इसका समाधान भूमि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किये बिना नहीं कर सकते। यदि भूमि का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते और उन्हें भूमि नहीं दे सकते तो ये सेना से कर्मचारी अपने परिवारों के कल्याण के बारे में कैसे निश्चिन्त हो सकते हैं ? वियतनाम जैसे छोटे देश को ही लीजिए। इसकी आबादी एक करोड़ पचास लाख है। उन्होंने अमरीकी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अमरीकी सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अमरीकी साम्राज्यवादियों को हराया। इसका कारण यह था कि अपनी रक्षा व्यवस्था के लिए वहां सेना और देश की जनता के बीच निकट सम्बन्ध था। (व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में फिर से उद्धृत करना चाहूंगा। यह केवल मेरा विचार नहीं है, किन्तु यह सेवानिवृत्त मेजर जनरल हबीबुल्ला का भी मत है। उद्धरण इस प्रकार है :

"ऐसी परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाएं इतनी अलग कैसे रह सकती हैं कि वे एक दूसरे से तथा देश में जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल असम्बद्ध रहें क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, स्थानीय राजनीतिक वातावरण, एकता तथा स्थानीय कर्मचारियों की निष्ठा और लोगों का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और सामाजिक मेल-जोल जैसी बातें हैं जिनका

उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ता है। ये सभी बातें हैं जिनके बारे में सैनिकों को उतनी ही चिन्ता होती है जितनी सभी नागरिकों को चिन्ता होती है। उनके समय में तथा उनके क्षेत्र में जो कुछ होता है उसके बारे में उनकी भी अवश्य ही रुचि होती है। किन्तु साम्राज्यवादी पद्धित पर संगठित सेना को इस बारे में चिन्ता नहीं हो सकती है। उसे प्रकाशित सूचना विशेष रूप से भले ही यह प्रगति सम्बन्धी क्यों न हो, नहीं दी जाती हैं जिससे वह कृषक सिपाही, किसानों से और अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। यदि उसे किसी न्याय के लिए लड़ना होता है तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति के लिए उसके पास कोई जरिया नहीं है।"

महोदय, यदि इस प्रकार की रक्षा व्यवस्था बनायी जाती है तो रक्षा सम्बंधी व्यय को कम से कम किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से चिन्ता की बात है कि अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और दुख और भुखमरी देश में आम बात हो गई है। जबकि सीमित साधनों का देश के उत्थान के लिए उपयोग किया जाना है तो दूसरी ओर हम काफी बड़ी धनराशि विकासात्मक कार्यों से हटा कर रक्षा प्रयोजनों पर लगा हैं, क्योंकि हम केवल आधुनिक हथियारों पर निर्भर कर रहे हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि वे आवश्यक हैं किन्तु हम पूरी तरह से आधुनिक हथियारों पर निर्भर हैं। इस उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से हम सेना और लोगों कि रक्षा नहीं कर सकते। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आधुनिक हथियारों के नाम पर आप जो कुछ खरीद रहे हैं वह क्या वास्तव में आधुनिक है ? आपने विक्रान्त खरीदा है जो पुराना है और आपने ब्रिटेन से पुरानी चीज खरीदी है। सेना के अपने लोकतांत्रिक अधिकार होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल से और सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं।

श्री अजय बिश्वास : सेना के अन्दर विदेशी एजेन्ट भी काम कर रहे हैं। किन्तु सरकार को इस बारे में चिन्ता नहीं है। मैं मेजर जनरल हबीबुल्ला को फिर से उद्धृत करना चाहूंगा।

"दूसरी समस्या यह है कि सैनिकों को सेवा के दौरान राजनीति से बिल्कुल अलग रखा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सैनिकों को राजनीति की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें राजनीतिक विचार धारा और चर्चा में भाग लेना चाहिए। यदि उन्हें किसी पद के लिए खड़ा होने की अनुमति नहीं हो फिर भी उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि किस के क्या विचार हैं और वे किसी का क्यों समर्थन करते हैं तथा विरोध करते हैं।"

साथ ही महोदय, उन्होंने एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है।

"यह बड़ी अजीब बात है कि यद्यपि सैनिकों पर समाजवादियों और साम्यवादियों

[श्री अजय बिश्वास]

के साथ उनके सम्बंधों के बारे में कड़ी निगरानी रखी जाती है किन्तु उनके आनन्दमार्गी होने के बारे में किसी को चिन्ता नहीं होती है।"

प्रधान मंत्री महोदय क्या, आप इस बात से इन्कार कर सकती हैं कि आनन्दमार्गी सक्रिय नहीं हैं? साम्राज्यवादियों के एजेन्ट काम कर रहे हैं किन्तु उन्हें इस बारे में कोई सरोकार नहीं है।

अन्त में मैं मांगों के बारे में तथा सशस्त्र सेनाओं में कर्मचारियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने केवल इस कारण उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस स्वीकार किया है कि रेलवे कर्मचारियों ने इसे स्वीकार किया है। किन्तु अभी तक 2.25 लाख सिविल रक्षा कर्मचारियों को यह बोनस नहीं मिला है। लगभग 1.98 लाख आयुध कारखानों के कर्मचारियों को 15 दिन तथा 24 दिन का उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस मिला है, नौसेना गोदी, स्टेटिक वर्कशाप और वायुसेना के एक भाग के लगभग 1.18 लाख कर्मचारियों को केवल 15 दिन का बोनस मिला है। उनके सामने पदोन्नतियों के अवसर न होने का भी प्रश्न है। ऐसे हजारों साधारण मजदूर हैं जिन्हें वार्षिक वेतन की वृद्धि नहीं मिल रही है क्यों कि अपने वेतन मान की अन्तिम सीमा तक पहुंच चुके हैं। वास्तव में गत 15 वर्षों से उन्हें कोई वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले की जांच करे।

विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने प्रतिवेद दिया है तथा ओवराय समिति ने भी प्रतिवेदन दिया है। महासंघ ने रेल कर्मचारियों के साथ समानता की मांग की है। इस मांग को सिद्धान्तरूप में स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध ओवराय नाम की एक समिति नियुक्त की गई थी। इससे पिछली समिति की विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति कहते हैं। उन्होंने 5 वर्ष के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मजदूर संघ अधिकारों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जनता सरकार के शासनकाल के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों को नाजुक क्षेत्र अधिसूचित करने वाला आदेश वापस ले लिया गया फिर भी कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूर किया जाना चाहिए। महोदय, रक्षा कर्मचारियों को भी लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल लोकतांत्रिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार भी?

श्री अजय बिश्वास : लोकतांत्रिक अधिकारों में राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। अब मैं अलीपुर, कलकत्ता में आर्डिनेंस ट्रांजिट डिपो के बारे में कहना चाहता हूं। यह आयुध डिपो बन्द हो गया है और मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले की जांच करे। महोदय, रक्षा कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 31 कर्मचारी हैं, दिल्ली के 2 कर्मचारी तथा अन्य स्थानों के 3 कर्मचारी हैं जिन्हें कई वर्षों के बाद नई नियुक्तियां दी गई हैं। उन्हें उनकी पिछली सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।

[थल सेना के आधुनिकीकरण में असफलता (7)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

[सेनाओं के लिए पीढ़ियों पुराने हथियार देने की नीति (8)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

[देश में अत्याधुनिक उपकरण बनाने का कार्यक्रम तैयार करने में असफलता (9)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

[रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में केवल एक ही देश पर निर्भर करना (10)]

श्री आर० के० महालगी (ठाणें) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[छावनी भूमि नीति का तुरन्त पुनरीक्षण करने की आवश्यकता (23)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए ।

[ओजर (जिला नासिक, महाराष्ट्र) में रक्षा कारखाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के दावों का तेजी से निपटाने की आवश्यकता (24)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए ।

[जी० एल० आर० एस० वाई० एल० संख्या 8 (एक्साईज्ड ऐरिया) भूमि जो छावनी के कब्जे में हैं, को अहमदनगर नगरपालिका (जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र) को स्थानान्तरित करने में विलम्ब (25)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए ।

[छावनी बोर्डों विशेषकर देहु रोड़ छावनी बोर्ड (जिला पूणे, महाराष्ट्र) द्वारा पेंशन सम्बन्धी मामलों का तेजी से निपटारा करने की आवश्यकता (26)]

[श्री आर० के० महालगी]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

[पूणे (महाराष्ट्र) के रक्षा सिविलियन पेंशन भोगियों की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता (27)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

[आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों में कुशल ग्रेडों में भूतपूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षुओं खपाने में असफलता (28)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

[अम्बरनाथ (जिला ठाणे, महाराष्ट्र) के परिसर में खाली जमीन कर्मचारियों पर के लिए रिहायशी मकान बनाने की योजना शुरू करने की आवश्यकता (29)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

[महाराष्ट्र में ठाणे जिले के लिए ठाणे में एक अलग सोलजर्स बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता (30)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

[मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अम्बरनाथ, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के विभागीय डी० एम० टी०/ओ० एफ० टी० आई० को उत्पादकता पर आधारित बोनस के नियमित भुगतान से अंतरिम सहायता के काटे के संबंध में कार्यवाही करने में असफलता (31)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाए।

[महाराष्ट्र में औरंगाबाद क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता (32)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[उन वायु सेना कार्मिकों की विधवाओं की समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता जिनकी मृत्यु युद्ध के समय अथवा शान्ति काल में सक्रिय उड़ान ड्यूटी पर हुई है (33)]

[कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।]

[डिफेंस के रिकार्ड कार्यालय में सिविलियन कर्मचारियों के लिये सलेक्शन ग्रेड बनाने की आवश्यकता (34)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[प्रतिरक्षा मजदूर संघ, एम० आई० एफ०, अम्बरनाथ द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों के संबंध सार्थक बातचीत करके समझौता करने की आवश्यकता (35)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अम्बरनाथ के कर्मचारियों की नियमित भुगतान से अन्तरिम सहायता के काटे जाने तथा उत्पादकता पर आधारित निधियों का भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने में असफलता (36)]

श्री डी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।

[सभी समर्थ युवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने में असफलता (37)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[स्कूलों तथा कालेजों में एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० सम्बन्धी गतिविधियों में ढिलाई को दूर करने में असफलता (38)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[विदेशी शत्रुओं से लड़ने के लिए सीमा क्षेत्रों के लोगों को सैनिक हथियारों के प्रयोग करने का गहन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता (39)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।

[हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों को अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता (40)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।

[भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्त होने के बाद भूमि आवास तथा रोजगार की बेहतर सुविधाये देने में असफलता (41)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[सैनिक विभागों मे अपव्यय रोकने में असफलता (42)]

[श्री डी० आर० शमन्ना]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[गैर पारम्परिक समुदायों तथा क्षेत्रों से भी सेना के लिए जवान भर्ती करने की आवश्यकता (43)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[सेना के वाहनों, उपकरणों तथा अन्य प्रयोग में न लायी जाने वाली सामग्री के निपटान पर अधिक रोक लगाने की आवश्यकता ताकि उसका उचित मूल्य मिल सके (44)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड़ तथा अन्य रक्षा कारखानों में लागत निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर वाणिज्यिक लागत प्रणाली बनाने की आवश्यकता 45]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम की योजना का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना को भी परमाणु बम से लैस करने की आवश्यकता (46)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाएं ।

[थल सेना, नौ सेना और सेना में अधिक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता (47)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[हमारे देश के समुद्री तटों की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने में असफलता (48)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कर करके 1 रुपया किया जाए ।

[आल इंडिया डिफेंस इम्पलाइज फेडरेशन द्वारा प्रेषित मांगों को स्वीकार करने में विफलता (49)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

[आल इंडिया डिफेंस इम्पलाइज फेडरेशन को ही रक्षा कर्मचारियों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन स्वीकार करने में विफलता (50)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[जवानों की भर्ती के लिए स्थापित भर्ती कार्यालयों में कदाचार को रोकने में असफलता (51)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[छावनी बोर्डों के कार्य में जनतांत्रिक और तरीका तथा परम्परा कायम करने में विफलता (52)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[फौज में हरिजनों, आदिवासियों, अल्प मतावलंबियों तथा पिछड़े लोगों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने में असफलता (53)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[फौज के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरने में विफलता (54)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[फौज से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के पेंशन आदि में वृद्धि करने में विफलता (55)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[रक्षा विभाग के उद्योगों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दूसरी बुराइयों को रोकने में विफलता (56)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[रक्षा सामग्रियों के उत्पादन और वृद्धि करने की आवश्यकता (57)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[रक्षा कर्मचारियों के आवास के लिए पर्याप्त संख्या में भवन निर्माण करने में विफलता (58)]

[श्री राम अवतार शास्त्री]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[बिना किसी भेदभाव के सभी पांच लाख रक्षा कर्मचारियों को कम से कम 8,33 प्रतिशत बोनस देने में विफलता (59)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[अमरीका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों की सप्लाई करने के फलस्वरूप भारत पर उपस्थित खतरे की पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए पूर्णतः तैयार रहने की आवश्यकता (60)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[रक्षा कर्मचारियों की सुख सुविधा में आवश्यक वृद्धि करने में विफलता (61)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[रक्षा अधिकारियों एवं जवानों के बीच चल रही भेदभाव की नीति को समाप्त करने में विफलता (62)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

डा० बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये

[थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना को आणविक हथियारों से लैस करने में असफलता (63)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया कम किया जाए।

[रक्षा विभाग का पूर्ण रूप से भारतीयकरण करने में असफलता (64)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाए।

[सशस्त्र सेनाओं के लिए दो से तीन चरण पुराने हथियार प्राप्त करने की नीति (65)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[गणतंत्र दिवस परेड़ के अवसर पर भारतीय वायु सेना के वायुयानों द्वारा पर्याप्त संख्या में भाग लेने में असफलता (66)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं ।

[सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों को उनके दर्जे के अनुसार पी० ए०/एस० पी० ए०/पी० एस० देने की व्यवस्था करने में असफलता (67)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं ।

[दिल्ली छावनी बोर्ड, सदर बाजार, दिल्ली कैंट के स्वामित्व वाली दुकानों में बरामदों के अनधिकृत कब्जे को रोकने में असफलता (68)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं ।

[सदर बाजार, दिल्ली कैंट में छावनी बार्ड की दुकानों को उप-किरायेदारों को देने तथा उनका विभाजन करने से रोकने में असफलता (69)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं ।

[सदर बाजार दिल्ली कैंट में छावनी बोर्ड की सम्पत्ति पर अप्राधिकृत निर्माण को रोकने में असफलता (70)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[रक्षा विभाग के लिए विश्व की सबसे बड़ी गोदी का निर्माण करने की आवश्यकता (71)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[सभी समर्थ युवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने में असफलता (72)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[स्कूलों तथा कालेजों में एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० सम्बन्धी गतिविधियों में ढिलाई दूर करने में असफलता (73)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[विदेशी शत्रुओं से लड़ने के लिए सीमा क्षेत्रों के लोगों को सैनिक हथियारों के प्रयोग का गहन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता (74)]

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों को अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता (75)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति होने के बाद भूमि आवास तथा रोजगार की बेहतर सुविधायें देने में असफलता (76)

[डा० बंसत कुमार पंडित]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[गैर पारम्परिक समुदायों तथा क्षेत्रों से भी सेना के लिए जवान भर्ती करने की आवश्यकता (77)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड तथा अन्य रक्षा कारखानों में लागत निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर वाणिज्यिक लागत प्रणाली बनाने की आवश्यकता (78)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता (79)]

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[हमारे देश की समुद्री सीमा की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने में असफलता (80)]

श्री आर०एस०स्पैरो (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को आरम्भ करते हुए मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह हमारे देश के लिए प्रमुख महत्ता का विषय है और मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए रक्षा बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक समस्या का संबंध है, यह बहुत जटिल है और यह केवल एक दल के हित की नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों के हित की बात है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इसे इस ढंग से देखा जाना चाहिए। आज यदि किसी देश में रक्षा क्षमता नहीं है तो उसे स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। उसे किसी का उपनिवेश कहा जा सकता है परन्तु स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं और इस लिहाज से इस विषय से संबंधित सभी समस्याओं पर धैर्य पूर्वक विचार करना होगा।

भारत एक महान देश है। यह बहुत बड़ा देश है और इसकी क्षमता तथा शक्ति स्थापित हो चुकी है। इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहां आपके तत्त्वाधान में बैठे सभी माननीय सदस्य बुद्धिमान हैं और हम सभी समझने का प्रत्यन करते हैं कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है और इसी लिए आज हम लोग यह जानने के लिए यहां एकत्र हुए हैं कि इस विशिष्ट विषय में भारत की स्थिति क्या है और हमारे आस-पास क्या हो रहा है। एक बार हमें पता चले कि हमारे आस-पास भारतीय उप महाद्वीप की सीमा के पास तथा हमसे काफी दूर क्या हो रहा है तो हम अपने के लाभ के लिए सन्तोषजनक प्रकार की कल्पना करने में समर्थ होंगे। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र होने के नाते भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं समझता हूं हमें दो प्रकार के लक्ष्यों का अनुसरण करना होगा। एक मातृभूमि की रक्षा करना और दूसरे विश्व शान्ति को प्रोत्साहन देना और उसकी स्थापना करना। जहां तक विश्व-शान्ती का संबंध है, मेरा विचार है कि हमारी प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों विदेश मंत्रालय तथा सरकार को इस विषय में बधाई देने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण हैं। हमारा देश एक प्रमुख देश है जो सभी के हितार्थ गुट निरपेक्ष आन्दोलन को प्रोत्साहन देने वाले सम्पूर्ण विश्व का नाभि केन्द्र है। इस विषय पर मैं कुछ देर बाद में आऊंगा।

हमारी मातृभूमि की रक्षा के संबंध में, मैं आपका ध्यान महाशक्तियों की ओर दिलाऊंगा और यह भी कि वे अब तक क्या थे। जहां तक महाशक्तियों में होड़ का संबंध है, जो कुछ हो रहा है, वह अत्यधिक गम्भीर बात है। इस विषय को विस्तार देने से पूर्व मैं आपका ध्यान तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। प्रथमतः, किसी भी समय ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया गया जिसे युद्ध में प्रयोग न किया गया हो। दूसरे, लड़ना मनुष्य की प्रकृति है। तीसरे, बड़े देशों या महाशक्तियों, की आदत रही है कि वे कमजोर देशों को और कमजोर बनाएं और उनका शोषण करें। हमारा देश ही ऐसा देश है जो शक्तिशाली है जो और हम नहीं चाहते कि हम किसी की जी-हजूरी करें।

तथापि, इससे पहले मैं यह बताऊं कि इस भारतीय उप महाद्वीप में हमारे आस-पास क्या हो रहा है, मैं आपको महाशक्तियों की होड़ के क्षेत्र में ले चलूंगा। महाशक्तियों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। स्थिति की वास्तविकता से इस तथ्य का पता चलता है। जिस ढंग से उनकी अणुशस्त्रों की होड़ लगी हुई है जिस ढंग से संसार भर में उनके शस्त्रों को रखा गया है जिस ढंग से उनके समुद्रीय और हवाई अड्डों को स्थापित किया गया है तथा उनका विस्तार किया गया है, जिस ढंग से उनके समुद्रीय बेड़े और अणु अस्त्रों से लैस पनडुब्बियां सामुहिक महत्व को ध्यान में रख कर घुम फिर रही है और जिस ढंग से कमजोर राष्ट्रों को बड़ी शक्तियों द्वारा अस्वास्थकर और विस्फोटक ग्रुप बाजी में जबर दस्ती फसाया जा रहा है, उससे उस खतरनाक स्थिति का स्पष्ट पता चलता है जिसमें विश्व को धकेला जा रहा है। मैं शस्त्रों की होड़ के सम्बन्ध में बहुत कम कहूंगा, क्योंकि आप सब इस बारे में पढ रहे हैं। फिर भी मैं इस स्थिति के बारे में थोड़ा स्पष्ट करुंगा कि किस प्रकार सारा काम हो रहा है। उदाहरणार्थ सब से पहले सोवियत संघ के संबंध में कहते हुए मैं यह कहूंगा। अमरीका को केवल छः वर्ष पूर्व ही जो पर्याप्त सामाजिक श्रेष्टता प्राप्त थी उसका स्थान अब आणविक समानता ने ले लिया गया है। सोवियत संघ ने अमरीका की अपेक्षा अधिक संख्या में अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र तैयार कर लिए हैं उनकी संख्या इस समय 1400 हैं जबकि अमरीका के पास 1054 प्रक्षेपास्त्र हैं। सोवियत संघ के पास पनडुब्बियां से प्रक्षेपास्त्र छोडने की ट्यूने भी अधिक हैं, अर्थात सोवियत संघ के पास 950 और अमरीका के पास 656 हैं। 1985 तक सोवियत संघ वर्तमान अमरीकी श्रेष्टता को पछाड़ सकता है। अब सारा दारोमदार अणु-अस्त्रों पर है जो कुछ घटित होने, जा रहा है, वह कम से कम हमारे लिए तो बहुत ही महत्व की बात है। इस समय अमरीका के पास 9200 युद्धास्त्र है जबकी सोवियत संघ के पास 5000 हैं। सोवियत संघ के बारे में स्थिति इस प्रकार है।

अब मैं अमरीका के बारे में कहूंगा। रीगन प्रशासन ने देश की आर्थिक अशांति से अपना ध्यान हटा कर विदेशों में सोवियत खतरे को ओर लगा करके अमरीका के इतिहास में शांति-कालीन सब से बड़ा और खर्चीला सैनिक निर्माण करने की घोषणा की। इसको समझाना हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है। पंच वर्षीय योजना में 171 अरब डालर का वर्तमान रक्षा बजट 375·5 अरब डालर हो जाएगा जो दुगने से भी अधिक है हमारी योजना के अनुसार

[श्री आर० एस० स्पैरो]

आगामी पूरे पांच वर्षों में यह सैनिक निर्माण 15 खरब डालर का हो जायेगा जैसाकि अनुमान लगाया गया है एक हजार डालर खर्च करके भंडार बनेगा जिसकी ऊंचाई 103·5 मील तक पहुंच जायेगी अर्थात एवरेस्ट की ऊंचाई का $2\frac{1}{2}$ गुना के लगभग होगी। इस संबंध में अमरीकी रक्षा मंत्री श्री के० सपर वेनबरगर का यह कहना है। यह कुछ सामरिक महत्व रखता है। वह कहते हैं कि वे सोवियत खतरे को देखते हुये अधिक समय प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब उनके सोचने का समय समाप्त हो चुका है।

अमरीकी प्रशासन ने अभी अभी चलते फिरते एम०एक्स आई सी०बी० एम० के लिए 33 अरब डालर के कार्यक्रम को स्वीकृत करके एक महत्वपूर्ण पग उठाया है यह एक नया परिवर्तन किया गया है और उसके अमरीका प्रक्षेपास्त्रों प्रविरोधक प्रक्षेपास्त्रों तथा अधिक शक्तिशाली प्रविरोधक प्रक्षेपास्त्रों तथा अणुअस्त्रों की लम्बे समय तक जारी रहने वाले युद्धों के मुकाबले में अपने आप को बचाने में समर्थ हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त अमेरीका का समुद्री-गश्त प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम भी है। इसके अतिरिक्त उसका लड़ाकू बमवर्षक-बी 1 का कार्यक्रम भी है। जिसका परिचालन व्यय अरबों डालर बैठता है। एक मामले में यह छः अरब है और दूसरे मामले में 4.4 डालर है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ अध्ययन दल के प्रतिवेदन से थोड़े उदाहरणों से सभा को पता लग जाएगा कि व्यापक संदर्भ में स्थिति क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार आज विश्व में अणु अस्त्रों की वर्तमान संख्या 40,000 से 50,000 के लगभग है। उनकी मिश्रित विस्फोटक शक्ति 10 लाख हिरोशिमा बमों के बराबर है जो कि टी० एन० टी०. के 13 अरब टन के बराबर हो जाता है और जो पृथ्वी पर प्रति पुरुष, स्त्री तथा बच्चे के लिए तीन टन होता है। इस अध्ययन दल द्वारा दिए गए कुल आंकड़ों के अनुसार आज विश्व 500 अरब डालर से अधिक की धनराशि खर्च कर रहा है। इसका मतलब शस्त्रों की होड़ पर प्रति मिनट 10 लाख डालर का खर्च होगा। इस प्रकार दलबन्दी और शस्त्रों की दौड़ की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन दल ने कहा है कि मनुष्य जाति को जिस स्वयं विलोपन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, वह आज तक कभी भी सामने नहीं आया है।

एस० ए० एल० टी० एक और एस० ए० एल० टी०-2 करार समाप्त हो गये हैं। एस० ए० एल० टी०-3 आपसी संबध बनाने के अभ्यास के रूप में भी नहीं रहा है। यह अब है ही नहीं।

मैं शस्त्रों की स्थिति के बारे में कुछ विस्तृत ब्यौर बताऊंगा जोकि मैंने इन दोनों महान शक्तियों के बारे में अनुमानतः शस्त्र स्थिति के संबंध में अपने चार्ट से तैयार किए हैं।

सबसे पहले मैं 'नाटो' और योरोपीय शक्तियों को लेता हूं। उनके अणु अस्त्रों के बारे में जो अनुमान लगाया गया है उसे योरोपीय ग्रे क्षेत्र' कहा जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि इन सभी का लक्ष्य सोवियत संघ का विरोध करना है। सबसे पहले सचेतक लड़ाकू बमवर्षक है जो अणु अस्त्रों को लाते ले जाते हैं फिर फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश आणविक हमला करने वाली वायु-सेवाएं हैं जिनके द्वारा आणविक शस्त्रों को लाया ले जाया जाता है। अब 570 अमेरीकी पार्शिंग क्रूज और मध्यम मार के आई० सी० बी० एम० एस० तैनात करने की योजना है। इसके अति-

रिक्त 50 से ऊपर पनडुब्बियां, वोलाटिस, नोटीलस आणशिक प्रेरित और आणविक शस्त्रों से लैस पनडुब्बियां है। इन खतरनाक अणु-अस्त्रों से लैस ट्यूबों को लाया तथा ले जाया रहा है।

दूसरी ओर सोवियत संघ की भी इसी प्रकार की स्थिति है। उसने भी अपने आणविक शस्त्रों के संबंध में अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है। उसके पास 200 बजर बैकफायर मध्यम बमवर्षक हैं जिनमें वायु-से-तल पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र लाये और ले जाये जाते हैं तथा उसके पास मध्यम क्षेत्र के प्रक्षेपास्त्र 450 एस० एस०-4 और एस० एस०-5 है और इसी प्रकार उसके पास 60 के लगभग पनडुब्बियां हैं जो आणविक अस्त्रो से लैस हैं। जिनके द्वारा बहुल आणविक विस्फोटक शीर्ष ट्यूबों को लाया ले जाया जाता है और संयोगवश यह बहुल ट्यूब.....

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : दीर्घाओं में कुछ शोर है। हमें सुनाई नहीं दे रहा है। **(व्यवधान)**

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं इन ट्यूबों में प्रयुक्त इस बहुल स्वतन्त्र पुन: प्रवेश करने वाले वाले प्रक्षेपास्त्रों के बारे में कुछ कह रहा था। मैं सभा को इस समझाने के लिए केवल एक उदाहरण दूंगा। जरा कल्पना कीजिए कि आतिशवाजी चल रही है। किसी प्रकार का राकेट फेंका जा रहा है। जैसा कि आप आतिशबाजी करते हैं। और एक' शाट' में से आप फिर आठ प्रकार के विभिन्न 'शाट' निकलते हुए पायेंगे जो कि अपनी दिशाओं के साथ आठ विभिन्न तथ्यों की ओर जाते हैं। यह एक दबाने वाले बटन तथा केवल एक ट्यूब से तैयार किया गया है जबकि एक प्रक्षेपास्त्र छोड़ा जाता है और इन शाटों में आणविक स्फोटक शीर्ष होंगे। और वे आणविक विस्तार किस्म की प्रक्रिया होगी अर्थात् हाइड्रोजन बम के विस्फोट जैसी प्रक्रिया होगी न कि हेरोशिमा अथवा नागासाकी में फेके गए बमों जैसी। और उनके आठ भिन्न लक्ष्य होंगे। आप उन लक्ष्यों का नाम मास्को, लेनिनग्राड, मिनस्क, कीव, कुर्सक, कुबीशोव, ताशकंध और इरकुतक तक का सीध दे सकते हैं। यह प्रत्येक ट्यूब के लिए आठ में से केवल एक प्रक्षेपास्त्र है और यदि आपके पास प्रत्येक पनडुब्बी में ऐसी 16 ट्यूबे हों और यदि आपकी 60 पनडुब्बियां काम कर रही रही हों और समुद्र में इधर-उधर सामरिक महत्व के स्थानों में घूम फिर रही हों तो आप इस प्रकार की आतिशयाजी के महत्व को समझ सकते हैं। मैंने आपको इस बारे में केवल थोड़ा सा बताया है।

मैं सभा को अन्य शस्त्रों की भारी मात्रा में जल्दी में ही बताऊंगा : वे भूमि आधारित आई० सी० बी० एम० की संख्या इस प्रकार है : सोवियत संघ 1400, अमेरिका 1054; पनडुब्बी प्रक्षेपास्त्र : सोवियत संघ 950, अमरीका 656 ; सामरिक महत्व के अणु अस्त्र : सोवियत संघ 5000, अमरीका 9200 ; आधुनिकतम लड़ाकू विमानों का वार्षिक उत्पादन : सोवियत संघ 1150, अमरीका 500। परम्परागत शस्त्रों का केवल एक उदाहरण। सशस्त्र लड़ाकू यान अर्थात् टैंक : सोवियत संघ के पास 50,000 तथा अमरीका के पास 26,000। यह आपको छोटा-मोटा अन्दाजा देने के लिए है।

[श्री आर० एस० स्परो]

अन्य प्रकार के शस्त्रों की तुलना में परम्परागत शस्त्रों तथा अन्य जानलेवा हथियारों के बारे में आप समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं। यह 'नर्व' गैस, 'मस्टर्ड' गैस आदि जैसी जानलेवा गैसों का रासायनिक युद्ध जैसा है। इसके अतिरिक्त यह एक जीवाणु युद्ध है। ऐसी भी सम्भावना है। विभिन्न पत्रिकाओं और तकनीकी तरह के लेखों आदि में लेसर किरण, न्यूट्रन बम्मों, ग्रेविटी बमों आदि के बारे में भी पढ़ने को मिलता है।

जहां तक बड़ी शक्तियों का संबंध है, यदि अवसर मिले तो वे एक दूसरे को नष्ट करने की अपनी बुरी तथा गलत स्थिति बनाए हुए हैं। यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि यह किस प्रकार, अर्थात् संयोगवश अथवा किसी प्रकार की चिंगारी भड़कने से ऐसा युद्ध भड़क उठेगा। यह किसी भी प्रकार हो सकता है। सैनिक महत्व की स्थिति के संबंध में विचार करना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सामरिक कारणों से इसका बहुत ही महत्व है।

मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊंगा। सोवियत संघ आक्रमण, रक्षा तथा संचार की आंतरिक लाइनों पर किसी प्रकार का बड़ा युद्ध करने के लिए तैयार है जबकि इसके विपरीत अमरीका आक्रमण, रक्षा और संचार के बाहरी लाइनों पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। योरोप के अपने तथाकथित सहयोगियों की सहायता करने के लिए भी उस स्थान पर अपनी सेना का जमाव करने के लिए हजारों मील आना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमरीका सोवियत संघ के इर्द-गिर्द एक इस्पात चक्र के रूप में द्वीपों और मुख्य भूमियों पर मजबूत शस्त्रों से लैस प्रतिष्ठानों और अड्डों की स्थापना करने के लिए अपना रवैया तथा कार्यों को स्थिर करने में जल्दी कर रहा है और सोवियत संघ भी आवश्यक रूप से अपनी भूमि से उन सभी क्षेत्रों को जो उसकी सीमा के साथ लगते हैं। लगातार अणु अस्त्रों की सीढ़ी को बनाने में तथा बाहरी रूप से दबाव को बढ़ाने में व्यस्त रहा है।

जहां तक इन दो महाशक्तियों का संबंध है विश्व में सामरिक स्थिति बनी हुई है। निस्संदेह मैं आपको उस सारे ब्यौरे में नहीं ले जाना चाहता कि प्रथम आणविक और दूसरे हमले के बाद क्या होगा और युद्ध के पारम्परिक हथियारों का प्रयोग कैसे होगा और किस प्रकार भूमि हथियाई जायेगी। पहल कौन करेगा कौन नहीं, मैं आपको इससे बाहर रखना चाहता हूं। मैं एक दूसरे मसले को लूंगा जिसका हमारे अपने देश से घनिष्ट संबंध है। वह यह है कि हमारे इर्द-गिर्द क्या होने वाला है और हम इस संबंध में क्या करेंते। मैं उसी पर आता हूं। मैं महाशक्तियों, नौसेना और वायु सेना की शक्ति को भी छोड़ रहा हूं। वे सब वहीं मौजूद हैं। यहां तक कि सुदूरपूर्व में उनके अड्डे हैं।

जहां तक सोवियत रूस का संबंध है पेट्रसपवेलोक (कुरील द्वीप समूह के उत्तर में); व्लाडीवोस्टक ; केमरान्ह खाड़ी (कम्बोजिया); दनांग (कम्बोदिया); तथा लाओस के तट पर आप उनके हवाई अड्डे देख सकते हैं।

इसी प्रकार अमेरीका के भी योकोसुका (जापान) ; दक्षिण कोरिया ; ओकीनावा ; सुबिक खाड़ी (फिलीपीन) तथा होनोलूलू में अड्डे हैं। आप देखेंगे कि बड़े ही खतरनाक ढंग से एक-दूसरे के सामने डटे हुए हैं।

अपने देश के निकटवर्ती क्षेत्रों के बारे में मैं आपकी और इस सभा की सूचनार्थ कुछ बातें बताना चाहता हूं। भारतीय उप-महाद्वीप में और इसके आस-पास जो सामरिक स्थिति बनी हुई है, वह वस्तुतः बहुत ही गम्भीर और बहुत तनावपूर्ण है। उदाहणार्थ सबसे पहले हम खाड़ी क्षेत्र को लेते हैं। यह आजकल गतिविधियों का केन्द्र है। इस विस्फोटक स्थिति का कारण तेल है। सब कुछ तेल के कारण हो रहा है। उदाहरणार्थ अमेरिका के रक्षा मंत्री केसफर वेनबरगर कहते हैं कि खाड़ी प्रदेश सोवियत रूस और अमेरीका के बीच संभावित युद्ध का क्षेत्र है। वह यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं। इस प्रकार यह युद्ध-क्षेत्र है। उनके अनुसार सोवियत रूस इस बात पर तुला हुआ है कि या तो वह पश्चिम के लिए इस तेल को मंहगा कर देगा या इसे उनकी पहुंच से बाहर कर देगा। वेनबरगर ने यह भी घोषणा की है, मैं उन्हें उद्धृत करता हूं कि 'हम उस प्रयास को 7000 मील दूर बैठकर नहीं रोक सकते। हमें वहां विश्वास्य ढंग से उपस्थित होना होगा।' अतः उनकी विचारधारा और भावी कार्यवाही का कुल वृतान्त यह है।

इसी कारण अमेरीका डियागो गार्शिया द्वीप में, केनिया में मोम्बासा में और सोमालिया में बारबारा में अपने सैनिक अड्डों को मजबूत कर रहा है और इसी वजह से वह सामरिक दृष्टि से और इस मुठभेड़ के अंग के रूप में अधिक से अधिक राष्ट्रों को मित्र बना रहा है। इस सामरिक क्षेत्र में कुछ तटीय देश पड़ते हैं और वहां भी स्पष्ट संकेत हैं कि तेल से उत्पन्न इस बलदल में पाकिस्तान तथा अन्य देशों को भी घसीटने का प्रयत्न किया जा रहा है।

यह सब इस प्रकार हो रहा है कि इस पर किसी को कोई सन्देह न हो। सोवियत रूस क्या कर रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा।

इसी संदर्भ में मैं अमेरीका के रक्षा मंत्री को पुनः उद्धृत करता हूं "हमें नौसैनिक दृष्टि से अपनी श्रेष्ठता कायम करनी होगी। हमारी सुरक्षा के लिए समुद्र पर नियन्त्रण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सोवियत रूस की सुरक्षा के लिए भू सीमाओं पर नियन्त्रण।" उनके दिमाग यह विचारधारा चल रही है।

अब अफगानिस्तान के बारे में कुछ शब्द। सोवियत रूस अपनी मुस्तैद सशस्त्र सेनाओं, टैंकों, शस्त्रागार, तोपवाही पोतों तथा अन्य हथियारों के साथ अफगानिस्तान में फैला हुआ है और जहां आवश्यक होता है इन हथियारों का बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है। वाखान प्रान्त में हाल ही में सोवियत रूस ने जो सैनिक हेलिकाप्टर और तोप-वाही पोत लगाए हैं उनके बारे में सब जानते हैं। वाखान प्रान्त हमारे सीमा क्षेत्र से लगभग 300 किलोमीटर तक जुड़ा हुआ है जो कि अब चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। आजाद काश्मीर जैसा कि वे कहते हैं या जो काश्मीर का एक भाग .....

डा० कर्ण सिंह : पाक अधिकृत कांश्मीर। आपको 'आजाद काश्मीर' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री आर० एस० स्पैरो : ठीक है। परन्तु यह क्षेत्र जो भारत का है और हम सब इसके बारे में सभी बातें जानते हैं कि वह कहाँ पर है, आदि, आदि; और पाकिस्तान में छाये युद्ध के बादलों के संदर्भ में इसके प्रभाव दिखाई देते है।

दूसरी ओर अमेरीका किसी न किसी ढंग से कड़ा रूख अपनाने और अपनी प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है·····एक तरफ अफगानिस्तान में रूस है और दूसरी ओर अमेरीका है।

वे पाकिस्तान के उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त के निकट बसे अफगान-शरणार्थियों की प्रतिरोधक शक्ति और प्रतिकारात्मक शक्ति कड़ा और मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ अन्य पश्चिमी ताकतें भी अफगान शरणार्थियों की प्रतिकारात्मक शक्ति को बढ़ाने का समर्थन कर रही हैं। इंगलैंड के विदेश मंत्री लार्ड कॅरिंगटन जब क्वेटा गए थे तब उन्होंने यही घोषणा की थी कि इंगलैंड अफगान शरणार्थियों के लिए 40 लाख पाऊंड देने को तैयार है। अमेरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

अफगानिस्तान के पश्चात् मैं केवल एक मिनट के लिए बलूचिस्तान को लूंगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भारत पर आइये।

श्री आर० एस० स्पैरो : बलुचिस्तान क्षेत्र पिछले काफी लम्बे समय से विभिन्न देशों के लिए झगड़े की जड़ रहा है। उदाहरण के लिए इसका 900 किलोमीटर का समुद्र तट फारस की खाड़ी से लगा हुआ है। इसके तीन बड़े बन्दरगाह हैं। सबसे प्रमुख ग्वाडर में है और गर्म पानी का यह बन्दरगाह खाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत सामरिक महत्व का है तथा महाशक्तियों की इसमें रूचि भी है। इन सभी बातों के साथ-साथ यह देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इन सभी परस्पर-विरोधी प्रभावों से ऊपर बलूचिस्तान के अत्यन्त निकट दो महाशक्तियों में टकराव की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह स्थिति चीन की ओर कराकोरम मार्ग पर इस तनाव क्षेत्र की तरफ तिरछी ओर उत्पन्न हो गई है। यह एक दूसरा बड़ा स्पैनर है जिसे इस क्षेत्र में फेंका जा रहा है। जब यहाँ युद्ध की ज्वाला भड़केगी तब इस क्षेत्र विशेष में वास्तव में बहुत ही तबाही उत्पन्न हो जायेगी। चीन की गतिविधियां हर दृष्टि से संदिग्ध रूप से खतरनाक है। भारत को छोड़कर पाकिस्तान को सहायता देने, विशेष रूप से सैनिक सहायता देने, के उनके प्रयासों को मैत्रीपूर्ण नहीं कहा जा सकता। चीन और पाकिस्तान ने भारत के जिस क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है उस पर वे बहुत-सी सड़कें और हवाई अड्डे बनाते चले जा रहे हैं। भारत के पवित्र मानसरोवर क्षेत्र के अक्साईचिन, स्कार्दु, चित्राल की तरफ बुंजी से गिलगिट तक चीन और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र पर सड़कों और हवाई अड्डों के निर्माण के उनके कार्य को विरोधी कार्यवाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक प्रमुख सैनिक शक्ति के रूप में चीन के प्रभाव को सदैव ही ध्यान में रखना होगा। उसमें कोई सन्देह नहीं है। चीन की अफगानिस्तान के वाखान प्रदेश में सक्रिय रूचि, पाकिस्तान के माध्यम से अमेरीका से उनके कपटपूर्ण सन्धि-प्रस्ताव और चीन-भारत तनाव शैथिल्य वार्ताओं में उसकी मुस्करा-

हटपूर्ण सहमति उसके कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण ढंग हैं जिसके माध्यम से वह युगों से अपनी दुमुंही अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को चलाता रहा है ; उसमें नया कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि ऐसा हो। हमारी सीमाओं के निकट स्थित इस बड़े देश द्वारा कई अकल्पनीय स्थितियां पैदा की जा सकती हैं।

अब पाकिस्तान के बारे में मुझे एक या दो शब्द कहने हैं। भारतीय उप-महाद्वीप में और उसके आस-पास के बिगड़े हुए वातावरण को और खराब करने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में आक्रामक हथियारों को बाहर से प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है। मैं मुख्य शीर्षों को यहां उद्धृत करूंगा :

पाकिस्तान अमेरीकी हथियार प्राप्त करने की कोशिश में।
संयुक्त राज्य अमेरीका पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार।
हेग पाकिस्तान को अमेरीकी सहायता देने के पक्ष में।
पाक द्वारा दो या तीन वर्षों में आणविक विस्फोट।
चीनी सहायता से पाकिस्तान में काहुटा में आणविक शस्त्र फैक्ट्री।
अमेरीका 200 करोड़ कीमत के अति-आधुनिक लड़ाकू हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करने को तैयार।

प्रो० मधु दण्डवते : अब उन्हें घर की बात पर आने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनवरत यात्रा है। मुझे घंटी बजानी पड़ेगी। उन्हें भारत आने में समय लगेगा।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं आपकी अनुमति से दो या तीन मिनट और बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही तीस मिनट बोल चुके हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : जी हां, मैं स्वीकार करता हूं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये।

श्री आर० एस० स्पैरो : मेरा उद्देश्य केवल यह है कि मैं सभा के समक्ष पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे यह भी कहने की अनुमति दी जाए कि समस्याओं का सामना कैसे किया जा रहा है और हम कैसे कार्य कर रहे हैं। किसी अन्य राष्ट्र को परामर्श देना मेरा काम नहीं है। परन्तु भारत के कनी-स्वातंत्र्य- सम्पन्न नागरिक होने के नाते, मैं यह अपना अधिकार समझता हूं कि मैं अपने मित्र राष्ट्र अर्थात् पाकिस्तान को सावधान कर दूं। जिस दिन से पाकिस्तान ने शस्त्र इकट्ठे करना, परिहार्य सैनिक गतिविधियां करना और मिलिट्री कमांड तथा अपने राष्ट्रीय कार्य को नियन्त्रित करना आरम्भ किया है तो इसका परिणाम सदैव प्राय: टकराव युद्ध और अत्यधिक नुकसान रहा है। मैं अपने मित्र जनरल जिया-उल-हक को, जो कि कभी मेरे कस्बे से संबंध रखते थे, यह परामर्श दूंगा कि वह किसी भी महाशक्ति के आदेशों का पालन करने में इतनी शीघ्रता या जल्दी न करें। कठिन समय के अपने निर्बल साथी को धोखा देने की

[श्री आर० एस० स्पैरो]

महाशक्तियों की बड़ी ही मूर्खतापूर्ण आदत है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिल जायेंगे। भारत की, जैसा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है, सदा ही पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की इच्छा रही है। यह हमारी माननीय प्रधानमंत्री ही थी जिन्होंने पिछले भारत-पाक युद्ध में भारत द्वारा जीते गए उसके लम्बे भू-भाग की प्रत्येक इंच जमीन वापस कर दी थी। यह वही थीं जिन्होंने अपने पराजित शत्रु से प्रतिपूर्ति या हरजाने के लिए नहीं कहा और हजारों कैदियों को पूर्ण प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। क्या किसी महाशक्ति या अन्य किसी द्वारा कभी ऐसी उदारता दिखाई गई है ? इतिहास इसका गवाह है और पाकिस्तान को इसे समझना चाहिए।

हमारा और पाकिस्तान का भाग्य अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा इतिहास और विरासत साक्षी है। शिमला समझौता हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने में सहायक है। हम भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश एक संयुक्त शक्ति के रूप में तथा इस उप-महाद्वीप के स्वामी के रूप में अपने भाग्य को और अधिक चमका सकते हैं। मैं अब जनरल जिया से यह पूछना चाहता हूं कि 'जनरल साहब' आपका क्या विचार है ? उसके लिए स्पष्ट निर्णय लेने हेतु स्पष्ट विचार करने का यही समय है जैसा कि एक अच्छे जनरल को कठिन परिस्थिति में सोचना चाहिए और अन्यों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। भारतीय उप-महाद्वीप और स्वयं पाकिस्तान के लिए क्या उचित और ठीक है हमें यह देखना चाहिए।

मैं अब भारत की रक्षात्मक भूमिका और तैयारी के बारे में दो एक शब्द कहूंगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सुयोग्य प्रधान मंत्री के मार्ग दर्शन में हमारी सेना ने इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारत के आसपास और इससे दूर क्या हो रहा है, इसके सभी पहलुओं की ठीक-ठीक कल्पना कर ली होगी। मुझे उसमें कोई सन्देह नहीं है। मैंने कई बैठकों में भाग लिया है और मैं इसे एक विशेषज्ञ के रूप में जानता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री के अधीन यथा संभव अच्छा कार्य किया जा रहा है। मैंने इसे पहले भी स्पष्ट किया था वास्तव में मेरे विचार में किसी की चापलूसी किये बिना मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समय विश्व में केवल वही सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय नेता हैं जो कि अपनी मिसाल के माध्यम से विश्व को सुरक्षित रख सकती है। इसमें कोई संदेह नही होना चाहिए। इस संबंध में मुझे विरोधी पक्ष से भी अनुरोध करना है कि बड़े परिप्रेक्ष्य और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से देश की सुरक्षा से संबंधित बातों को देखते हुए, हमें एक होना होगा। हमें एक समान सोचना होगा और परसे हुए व्यक्ति का समर्थन करना होगा। हमारे ऊपर आने वाली किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए हमें उसका समर्थन करना होगा। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं।

हमारी सुयोग्य प्रधान मंत्री के नेतृत्व मे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत जो भूमिका निभा रहा है वह स्वयं ही बहुत मजबूत युद्ध निवारक उपाय है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन को बढ़ावा दिये जाने का यह विशिष्ट प्रस्ताव, यह विचार अपने आप में विश्व युद्ध अथवा स्थानीय युद्ध निवारक है। इस आन्दोलन को और मजबूत बनाया

जाना चाहिये। हम सबको मिलकर चलना चाहिए। यह मेरी अपील है मैं यहां पर बैठे अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन के लिए किसी बाहय स्रोत पर निर्भर न करें। हमें स्वयं अपनी समस्यायें हल करनी है। हम अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हैं। इसी कारण मैं यह अपील कर रहा हूं। हमारा देश शक्तिशाली तथा एक स्वतंत्र शक्ति है। इसे किसी प्रकार भी गुटो का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा हम क्यों करें। हमारा अपना ही गूट होगा। भारत को बहुत से देशों का नेतृत्व करना होगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति, हमारे कार्य करने का ढग हमारा उत्पादन तथा हमारा सभी कुछ प्रथम श्रेणीं का है। हमें केवल एकरूपता का निर्माण करना है। यहां पर ही हम अपनी एकरूपता का निर्माण कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने बताया इस उप-महाद्वीप में हमारी शक्ति विशिष्ट है तथा हमें अपने इस कर्त्तव्य को निभाना है। हमें दूसरों के समक्ष इसका प्रदर्शन करने में कोई खेद नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं। हम अपना कर्त्तव्य स्वयं निभायेंगे। यदि हमें बाहर से कुछ खरीदना है तो हम पैसे देकर उसे खरीदेंगे। कोई कारण नहीं है कि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को न खरीदें।

मुझे भारत की जनशक्ति के बारे में भी कुछ शब्द कहने हैं। हमारे पास सब प्रकार की जनशक्ति उपलब्ध है। परन्तु हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं। आप जवानों के बारे में चाहते हैं। मैं आपको आशवासन देना चाहता हूं कि हमारे जवान विश्व में श्रेष्ठतम हैं। यह बात उन्होंने कई बार सिद्ध की है। आप हमारे वैज्ञानिकों, शिल्पियों किसानों, वाणिज्यिकों तथा औद्योगिक उत्पादन के बारे में जानते हैं। वे किसी से भी पीछे नहीं हैं। प्रगति करने के लिए हमें स्वयं अपने भाग्य का नेतृत्व करना है। हम अधोगति नहीं करेंगे। इस कारण हमें यह स्वीकार करना है कि हमारी कमजोरियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है। उसके लिए मुझे कुछ सुझाव देने हैं। हमें अपनी कमजोरियां दूर करने के लिए विधिवत प्रक्रिया अपनानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण लगभग 3½ बजे समाप्त करना होगा।

श्री आर० एस० स्वैरो : ठीक है, श्रीमान। यदि सैनिक अनुशासन है तो मैं समझता हूं मुझे इसे पूरा करना पड़ेगा। यदि यह इसके बाहर है तो मैं इसपर विचार करूंगा।

हम इसके अनुशासन पक्ष पर विचार करें। यह जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति है। मैं सबका सम्मान करते हुये यह बात कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हममें आत्म अनुशासन सबसे कम है। स्कूलों में अनुशासन हीनता है, कारखानों में अनुशासन नहीं है राजनीतिक दलों में अनुशासन नहीं है, राष्ट्र में अनुशासन नहीं है क्या यह सही हो रहा है ? बेशक काफी कार्य हो रहा है फिर भी मैं कुछ सुझाव, विशेषत: सैनिक दृष्टि से दूंगा। हमें

[श्री आर० एस० स्वैरो]

ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किस प्रकार हम अमरीका रूस तथा अन्य देशों की तरह राष्ट्र के स्तर पर मूलभूत सैनिक प्रशिक्षण दे कर आत्म अनुशासन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किस प्रकार हम एन० सी० सी० प्रशिक्षिक सेना तथा अन्य अर्द्ध सैनिक बलों के प्राशिक्षण का विस्तार कर उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सुरक्षा संबन्धी अध्ययन का लाभ उठाते हुए विश्व-विद्यालयों, स्कूलों में आत्म अनुशासन सिखाया जा सकता है। किस प्रकार हम सरकारी अथवा सार्वजनिक सेवा में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सैनिक प्राशिक्षण दे सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि उन्हें असैनिक पदों पर नियुक्त करने से पूर्व समानान्तर पदों पर तीन वर्ष के लिए सेना में रखा जाये। भारती की नीति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है ताकि सेना में आधुनिक साधनों की मांग पूरी की जा सके तथा कल्याण कार्यों को कैसे हाथ मे लिया जाये। और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रतिक्रिया वादी तत्वों के सेना में प्रवेश को कैसे रोका जा सकता है। किसी ने कुछ इस प्रकार की बात कही थी कि सैनिक को राजनीति में आने दीजिए। मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी देश ऐसा नहीं करता जब आपको कोई व्यवसाय मिलता है तो आप उसे ही निभायें। अन्यथा आप समाचार पत्र पढ़े आपको सभी बातों की जानकारी मिल जायेगी। परन्तु सैनिक अनुशासन की परिधि में राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह सकते। मैं अपने मित्र से जिन्होंने यह सुझाव दिये थे, यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

परम्परागत तथा आधुनिक शस्त्रों के स्वदेश में उत्पादन के बारे में यह उत्साहवर्धक बात है कि इन शस्त्रों के स्वदेश में उत्पादन को रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत अधिक बढ़ाव दिया जा रहा हैं। इस बारे में मैं केवल वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता है कि रक्षा मंत्रालय को इस कार्य के लिए अतिरिक्त धन शीघ्र दे। जहाँ तक स्वदेश में उत्पादन का प्रश्न हैं मैंने सभी पहलुओं का अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं आप धन प्राप्त करने तथा उसका सही उपयोग करने में सफल रहे हैं।

परमाणु जगत में भारत की स्थिति क्या है ? भारत को आणविक खतरे के बारे में मुझे कुछ शब्द कहने हैं रणनीति की दृष्टि से यदि शिखर शक्तियां पारस्परिक आणविक युद्ध में जुट जाती है तो भारत उनके आक्रमण का केन्द्र होगा। मुझे इसमें सन्देह है। इसकी व्याख्या मैं कुछ बाद में करूंगा। निसन्देह आणिवक गतिविधियों को बढ़ावा देना शिखर शक्तियों की रणनीति का एक भाग है, जिसके कारण हमें सभी प्रकार के प्रयत्न करने हैं। क्योंकि यह कार्य हमारी परिधि के अन्तर्गत आता है इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम इस बारे में योजनाएं बनाते न रहे।

सेना के बारे में मुझे कुछ शब्द कहने हैं। मैं आपको आशवासन देना चाहता हूं कि मुझे विश्व के देशों की सैनिक दशा की जानकारी है मैंने इस मामले पर विदेसियों, विदेशी विशेषज्ञों से बातचीत की है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना आज प्रथम श्रेणी की है, हमारी स्थल सेना तथा वायु सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। विभिन्न युद्धों में इसका प्रमाण मिल चुका है। कई बार हमने दो सैनिकों के मुकाबले में एक सैनिक के उपयोग

द्वारा भी शत्रु को हराया है। इस कारण मैं जवानों तथा अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं। जहां तक हमारी सेना प्रशिक्षण स्तर की कार्यक्षमता का प्रश्न है। इसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, तीनों प्रमुखों को मिलता है। सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण मिलता है। हमारी विश्व की श्रेष्ठतम सेना है।

हमने उन्हें सभी सुविधाएं दी है जो कि हम दे सकते थे। नये संवर्ग सुधार से 1300 मेजर लैं० कर्नल बन जायेंगे। जे०सी०ओ० के स्तर तक ऐसी ही पदोन्नतियां की गई हैं। उनमें से 50% को एक तरक्की मिल जायेगी हमने उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी हैं। इन सभी कार्यों के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता है। जिससे कि हमारी तीनों सेनाओं का मनोबल बढ़ा है।

भूतपूर्व सैनिक के मामले में मुझे प्रधान मंत्री तथा अन्य संबंद्ध व्यक्तियों उनके लिए की गई कार्यवाही के लिए धन्यवाद देना हैं। उनके लिए की गई कार्यवाही की मेरे पास पूरी सूची है। परन्तु एक दो छोटी बात बाते हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो पेंशनों के तथा रूपान्तरण नीति के बारे में है। दूसरे पेंशन रूपान्तरण नीति में सुधार किया जाना चाहिए जिसमें आजकल के मौसम जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाना जाना चाहिए क्योंकि बदली हुई अर्थव्यवस्था में यह नीति बहुत पुरानी पड़ गई है। दूसरी समस्या प्रत्येक संवर्ग के लिए पेंशन के नियमों में असंगतियों को दूर किया जाना है।

अन्त में मुझे यह बात कहते हुए संतोष है कि राष्ट्र के प्रति सेवाओं के रूप में जो भी भूतपूर्व सैनिकों को सोंपा गया चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो या प्राइवेट क्षेत्र का उसे उन्होंने प्रशंसनीय ढंग से निभाया है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में भूतपूर्व मेजर की अतुल देव से उत्तर पूर्व राज्यों में उनकी अभूतपूर्व सेवा के लिए उत्तर पूर्व राज्य के राज्यपाल का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है।

आप उन्हें अपने घरों में नौकरी दें। उन्हें कोई भी कार्य दें। परन्तु उनकी उपेक्षा न करें। वर्तमान रक्षा मंत्री की दयालुता के कारण ही हम खड़े हो पायें हैं। अन्यथा पूर्ववत हमारे हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था।

इसके साथ ही मैं अवसर दिये जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं एक बा। के विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। माननीय सदस्य एक पश्चिमी विशेषज्ञ को बड़ी प्रशंसा से उद्धृत कर रहे थे कि मानव स्वाभाविक रूप से आक्रामक होता है। वह यही बात उद्धृत कर रहे थे। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है और क्या वह इस बात से सहमत हैं? यदि हम इससे सहमत हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि युद्ध होना स्वाभाविक है और यही सिद्धान्त जर्मनी में नाजियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अतः क्या वह इसे स्वीकार करते हैं? (व्यवधान)। मुझे समझने का प्रयास करे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह झुक नहीं रहे हैं। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या वह स्पष्ट करेंगे ? यह बड़े ही महत्व की बात हैं। वह एक अनुभवी सदस्य हैं। वह तीन सिद्धान्त उद्धृत कर रहे थे। (व्यवधान) क्या यह उनकी अपनी राय है ? उन्होंने तीन सिद्धान्त उद्धृत किये थे। वे बहुत तहत्वपूर्ण है।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहती। हम सभी इस तथ्य से परिचित है कि मानवीय इतिहास युद्धों की गाथा है। साथ ही यह बात भी सच है कि जैसे ही हम अधिक सभ्य होते चले जाते हैं, हम युद्धों से बचने का प्रयास करते हैं। यह भी मानव इतिहास का ही एक अंग है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा पर लगभग चार हजार करोड़ रुपया हमारा खर्च होने वाला हैं, लेकिन लोक सभा में वहस के लिए केवल छः घंटे रखे गए हैं और मेरे हिस्से में केवल 9 मिनट आए हैं। (व्यवधान) 9 मिनट में कोई सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ न्याय नही कर सकता है।

सुरक्षा का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हमें अपनी स्वतंत्रता को अमर बनाना है। हमारी सीमाएं अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हम अपने देश में जिस जीवन-व्यवस्था का विकास कर रहे हैं, बिना विघ्न के हम उसका विकास करते रहें, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए। इसका प्रमुख दायित्व हमारी सुरक्षा सेवाओं पर आता है मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सुरक्षा सेवाएं देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करती रही हैं। सारे देश को उनकी वीरता पर गर्व है। सारा सदन इस मामले में सुरक्षा सेवाओं के पीछे है।

प्रधान मंत्री ने जब से यह पद सम्भाला है, वह देश को बाहरी खतरे के प्रति लगातार जागरूक रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ विश्वास की खाई पैदा हो गई है। यह खाई पैदा होना होना बड़ा खतरनाक है। अगर राष्ट्रीय संकटों के बारे में हमारा मतैक्य नहीं है तो उन संकटों पर विजय प्राप्त करने के उपायों के बारे में सहमति कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

यह जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा सेवाओं को राजनीति से अलग रखें। लोकतंत्र में सरकारें बदलेंगी। सुरक्षा सेवाओं की निष्ठा देश के प्रति होने चाहिए, किसी व्यक्ति या किसी दल के प्रति नहीं। इस सम्बन्ध में मुझे दो घटनाओं का उल्लेख करना है।

बम्बई में मजगांव डाकयार्ड है। किसी समारोह में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री वहां गई थीं। उस डाकयार्ड का प्रबन्ध हमारी जलसेना करती है। उस समारोह में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी निमंत्रित किया गया था। मुख्य मंत्री भी बुलाए गए थे। प्रधान मंत्री जहां जाय स्वभाविक है वहां राज्यपाल और मुख्य मंत्री उपस्थित हों। किन्तु बाद में डाक-

यार्ड के अधिकारियों से कहा गया कि राज्यपाल को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया ? क्या इसलिए कि वह राज्यपाल जनता पार्टी द्वारा नियुक्त थे ? ... (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुख्य मंत्री तो जनता पार्टी के नहीं थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, मैं उस पर भी आता हूं।

फिर डाकयार्ड के अधिकारियों ने कहा केवल राज्यपाल का निमंत्रण रद्द करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए हम मुख्य मंत्री को भी नहीं बुलाएंगे।

श्रीमती इंदिरा गांधी : क्या मैं यहां हस्तक्षेप कर सकती हूं ?

मैं आप को यह समझाती हूं। इसमें थोड़ी गलतफहमी हो गई।...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस को गलतफहमी हो गई ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : गलतफहमी हमें हुई। ऐसा हुआ था कि मुझे जब शुरू में वहां जाने को कहा तो मैं ने कहा कि समय कम है अगर वह बहुत फार्मल फंक्शन होगा तो शायद वह हो न सके। इसलिए अगर ऐसा हो कि बिना किसी शोर शार के और इन्तजाम के, बस, मैं जा के, करके आ जाऊं, यह निर्णय हुआ था। बाद में उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को बुला रहे हैं, तो मैं ने कहा कि इस के लिए तो मैं राजी हुई ही नहीं थी। अगर मुझे वह कहते कि राज्यपाल और मुख्य मंत्री को बुला चुके हैं तो उस वक्त में फौरन कह देती कि रहने दो। लेकिन यह मेरे ध्यान में नहीं लाया गया और क्यों कि मैं ने कहा कि बड़े फंक्शन में मैं नहीं आ सकती हूं, इसलिए यह थोड़ा हुआ, क्योंकि राज्यपाल हैं वह, इसलिए नहीं बल्कि मैं ने सोचा कि इन्तजाम बढ़ेगा और इसलिए जैसे जैसे अपना डिपार्टमेंटल होता है उस प्रकार से करने का सुझाव था।

एक माननीय सदस्य : अब आप एलीगेशन वापस ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री ने कह दिया, अब मैं इसको छोड़ता हूं। मगर अच्छा होता अगर ऐसी घटना न होती।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं भी यह मानती हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरी बात मैं जरा नाजूक कहना चाहता हूं।

श्री संजय गांधी हमारे बीच में नहीं हैं। हमारे मतभेद उनके साथ उसी दिन समाप्त हो गए जिस दिन वह दुर्घटना में ग्रस्त होकर हमारे बीच से उठ गए। मगर एक बात मुझे पसंद नहीं आई कि उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सुरक्षा सेनाओं के तीनों चीफ यूनिफार्म पहन कर, मेडल लगाकर क्यों गए ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर टोका टोकी होगी... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस सम्बन्ध में भावुक है। यह उनकी भावना है। यदि वह कुछ कहते है तो उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह क्या हो रहा है ?...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे अनुरोध किया है।

एक माननीय सदस्य : आप जैसे आदमी से हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसी बात कहेंगे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जायें। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई इनमें से यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि वह गए तो गलत गए, उनको नहीं जाना चाहिए था।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर गलत बात नहीं है तो मैं अपनी बात कहूंगा सदन में।...(**व्यवधान**)

फिर यह टोका टोकी क्यों हो रही है ? मैं किस भावना से बात कर रहा हूं अगर आप यह नहीं समझ सकते तो आप का दुर्भाग्य है और मेरा भी दुर्भाग्य है।...(**व्यवधान**)

अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय नहीं जोड़ा जायगा।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कह दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मानवता की बात कर रहे हैं। संजय गांधी की मृत्यु के बाद मैंने जो शोक श्रद्धांजलि दी थी वह आप में से बहुत लोग नही दे सके। लेकिन जो गलत बात हुई है उसको कहा जायेगा। आप मुझ को कहने से रोक नहीं सकते। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह क्या बात हुई ? अगर आप इनको नहीं बोलने देंगे तो हाउस कैसे चल सकेगा। (**व्यवधान**)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : हम यहां पर बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि चाहे इस ओर के सदस्य हों या उस ओर के सदस्य हों, वे ऐसी चीजों के बारे में यहां पर बात करें जिनसे हमारी सुरक्षा बढ़ सकती है, हमारी ताकत बढ़ सकती है। समय कम है और अगर हम ऐसे कोई विषयों पर चर्चा करेंगे तो उससे कुछ निकलने वाली बात नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि हमारे तीन सेनाधिकारी वहां पर गए थे और ड्रेस में गए थे—ऐसा उन्होंने कहा है। उनकी जो ड्रेस है वह रोज काम करने की ड्रेस है, उनकी वर्किंग ड्रेस है, अगर वे आफिस में भी काम करते हैं तो उसी ड्रेस में काम करते है और बाहर भी उसी में काम करते हैं। एक भारत का सुपुत्र हमें छोड़ कर चला गया था उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वे वहां पर गए हुए थे। अब इस प्रकार की कोई बात निकालकर उनकी भी कीमत कम करना और सेनाधिकारियों की कीमत भी कम करना, इस थोड़े से समय में यहां पर ऐसी बात हमारे लिए शोभाजनक नहीं होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ रही है। शीत-युद्ध हमारे दर्वाजे पर आ गया है। यह परिस्थिति हमारे लिए और सारे संसार के लिए चिन्ता का विषय है। दुनियां में तनाव शैथिल्य की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसे ठेस लगी है। घातक शस्त्रों की दौड़ तेजी के साथ आरम्भ हो गई है। निशस्त्रीकरण के जो भी प्रयत्न हुए थे, उनपर पानी फिर गया है। हम चाहते है संसार में शस्त्रों की दौड़ रुके, शस्त्र घटें, विशेषकर आणविक शस्त्रों का निरस्त्रीकरण आगे बढ़े। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, केवल उसी का प्रश्न नहीं है। दुनिया में और भी देश है जो शामिल हो रहे हैं या शामिल हो गए हैं। हमने सही फैसला किया था कि हम नान-प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वह संधि भेदभाव मूलक है। लेकिन अगर आणविक शस्त्रों की दौड़ चलती रहेगी, नये नये देश उस दौड़ में शामिल होते रहें थे तो फिर भारत जैसे लोकतन्त्रवादी देश को जहां अन्तिम फैसला जनता करती है, अपने सभी रास्ते खोलकर रखने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में जोकि 155 पेज की रिपोर्ट है, अगर इसका पहला प्रश्न आप छोड़ दें और दूसरे पृष्ठ का आधा छोड़ दें तो इस समय जो खतरे का अहसास है, यह पूरी रिपोर्ट उसको उद्घाटित नहीं करती। कितना खतरा है, कहां से खतरा है ? प्रधानमंत्री ने किसी भाषण में कहा कि जो पुराने जहां से पहले खतरा आया था, वहां से भी आ सकता है. अन्य दिशाओं से भी खतरा आ सकता है। नए गठबन्धन हो सकते हैं, जमीन से, आसमान से, समुद्र से हम खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में न संसद को विश्वास में लिया गया है और न ही देश को विश्वास में लिया गया है। यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी इस सम्बन्ध में चर्चा करना उचित नहीं समझा है। आखिर, हमें अगर देश की सुरक्षा करनी है तो सेनाओं के साथ-साथ उसमें सम्पूर्ण देशवासियों को लगना पड़ेगा और इस बारे में एक अविश्वास की खाई पैदा होती है तो देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

इस रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर कहा गया है—पिछले एक वर्ष से भारत के पास-पड़ोस का सुरक्षा परिवेश बहुत ही तनावपूर्ण होता जा रहा है और रिपोर्ट में आगे कहा गया है—अफगानिस्तान में 1979 के अन्त में जो घटनाओं की चरम परिस्थिति के रूप में थी। अफगानिस्तान में रूपी सैना के हस्तक्षेप से पहले ऐसी कौन सी घटनायें हुई जिनसे हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध होता है। क्या हस्तक्षेप, मेरा मतलब है इन्टमफियरेंस, और इन्टरवेंशन सेनाओं का प्रत्यक्ष जाना -यह एक ही स्तर पर रखने वाली चीजें हैं। रूस ने अफगानिस्तान में सेनायें भेज दो। अमरीका सैनिक अड्डों को मजबूत कर रहा है, नए सैनिक-गठबन्धन कर रहा है, हमारे पड़ोस में नए घातक हथियार देने का फैसला करने जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा नीति को हमारी विदेश नीति का सम्बल चाहिए सहारा चाहिए। मुझे कहना पड़ता है कि यह सहारा प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई अफगानिस्तान का सैनिक-हल नहीं चाहता है। अफगानों के लिए कोई अपनी जान देने वाला नही है। हमारे देखते-देखते बहादुर अफगान गुलाम हो गया। गुरुदेव रविन्द्र नाथ का काबुली वाला हमारे देखते-देखते मर गये। गुरुदेव के देश ने

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

कुछ नहीं किया। अगर रूसी सैनिक अफगानिस्तान में बने रहते हैं तो क्रिया—प्रतिक्रिया का ऐसा चक्कर चलता रहेगा, जो हमारे लिए भी कल जाकर खतरा बनेगा और आज भी खतरा बन रहा है प्रधानमंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालें --रूसी सैनिक हस्तक्षेप से पहले अफगानिस्तान में ऐसी कौन सी घटनायें हुई जिनके कारण रूसी हस्तक्षेप उचित था ?

यह सुझाव आया था कि अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप भी न हो और रूस की सेनायें भी निकल जायें, इसके लिए गुट-निरपेक्ष देश आगे आकर पहले कर सकते हैं, वहां सेना के दस्ते भेज सकते हैं, सीमा पर देखरेख का इन्तजाम कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को आगे क्यों नहीं बढ़ाया या बढ़ाया तो उस संबंध में रूस की क्या प्रतिक्रिया थी ?

उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा मंत्रालय में कोई नियोजन कमेटी है। मुझे नहीं मालूम वह कितने लम्बे काल के बारे में नियोजन कर रही है। अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन हम एडहांक फैसला करके नहीं चल सकते। दस-पन्द्रह साल के परसपैक्टिव प्लानिंग की जरूरत है। आज एक सवाल है कि हम अपना सैनिक बल कितना बढ़ायें। सेना हमारे पास है। वायुसेना को कितना और बलवान किया जाय ? समुद्र की ओर से भी संकट आ सकता है। हमारी सर्वोच्च सेनाओं की क्या आवश्यकतायें हैं ? मैं थोड़े ही दिन सरकार में रहा हूं, इस लिये मैं ज्यादा अनुभवी होने का दावा नहीं कर सकता (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलती से आ गये थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जो लोग आप को लाये, वे ही हमको लाये थे। लेकिन आप आये तो ठीक था, हम आये तो गलती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो पर्सपेक्टिव-प्लानिंग कर सके, जो तीनों सेनेओं की की शाखाओं की आवश्यकताओं और राष्ट्र के सामने चुनौतियों को समग्रता में देख सके।

उदाहरण के लिये टैंक का जवाब टैंक है, मगर रक्षा के मामलों को जो जानते हैं वे कहते हैं कि टैंक का जबाब एन्टी-टैंक-मिसाइल है। 5 साल बाद उस में क्या अन्तर आयेगा, कहा नहीं जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बदल सकतीं हैं। सोवियत संघ आज हमारा मित्र है। हम उम्मीद करते है कि वह मित्र रहेगा, मगर हमें हर तरह की सम्भावनाओं पर विचार करना है। चीन और रूस के सम्बन्ध आज अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे सम्बन्ध सुधर भी सकते हैं। चीन के आन्तरिक परिवर्तन किस सीमा तक जायेंगे कोई नहीं जानता। दस साल बाद, हम दशक की बात कर रहे है, दस साल वो किस तरह की चुनौतियां आयेंगी और उनका उत्तर देने के लिये हमारे सामने कौन से अपशन्ज होंगे, केवल एक द्वार खुले रखना काफी नहीं है इसका विचार जरूरी है। एक महान शक्ति पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहना खतरनाक है।

मेरा निवेदन है कि से सारी बातों पर विचार के लिए सरकार कमीशन आन डिफेन्स बनाने का विचार कर सकती है।

एक माननीय सदस्य : बहुत कमीशन्ज बन चुके हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज ही सबरे आप इकानामिक रिफार्म्ज कमीशन का ऐलान किया है। अरे, कुछ तो दिमाग से बोलो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार डिफेन्स के बारे में एक व्हाइट-पेपर प्रकाशित करने का विचार करे। पार्लियामेन्ट के कुछ मेम्बरों को भी बहुत बताने की जरूरत है। सिक्योरिटी अलग है सीक्रेसी अलग है। हमारे यहां हर बात, जो भी सेना से सम्बन्धित है, है, गुप्त है। खर्चा हो रहा है ? क्या सेना में अपव्यय नहीं हो रहा ? इसे देखना होगा।

रिसर्च और डवेलपमेन्ट के बारे में भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस बजट में 70 करोड़ रुपया हमने उसके लिये रखा है। अभी तक हमने करोड़ों रुपया रिसर्च और डवेलपमेन्ट पर खर्च किया है—इसका मूल्यांकन होना चाहिये कि हम रिसर्च और डवेलपमेन्ट में कितनी प्रगति की है ? हमें देश को सैनिक साज-समान के मामले में आत्म-निर्भर बनाना होगा। आवश्यकता पड़ी तो हम जगुआर लेने का निर्णय करते हैं टैंकों की आवश्यकता है तो हम दूसरे देशों में जाते हैं। विजयन्त टैंक का विकास जैसा होना चाहिये था, क्यों नहीं हुआ ?

1972 में हमने यह फैसला किया था कि "एअरक्रफ्ट डवेलपमेंन्ट प्रोजेक्ट" शुरू करें और हम उम्मीद करते थे कि उसके अन्तर्गत हमारी आवश्यकता पूरी होगी - मगर पूरी नहीं हुई। 1970 में हम भारत डायनैमिक्स लि० की स्थापना की थी, मगर उसमें क्या उत्पादन हुआ इस की जानकारी नहीं है। हम मिसाइल्ज बाहर से ला रहे हैं। सिलिकोन के बारे में तो किसी अधिकारी को "पद्मश्री" तक दे दिया गया। मगर मुझे बताया गया कि हम अभी तक सिलीकोन का आयात कर रहे हैं। अगर यह गलत हैं, मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे मुझे सही करें। राज्य सभा में एक प्रश्न हुआ था। पाटिल साहब जवाब दे रहे थे। एक ही दिन एक प्रश्न के दो उत्तर दिये गये।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : उसे समझाने की जरूरत है, वह साइंटीफिक मामला था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही तो मुश्किल है कि सारी समझ उधर इकट्ठा हो गई है, इधर तो सब नासमझ है।

मेरा निवेदन है कि रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट को हमें मजबूत करना है और ऐसी परिस्थिति पैदा करना है कि हम अपनी आवश्यकताओं का सारा साज-सामान अपने ही देश में बना सकें।

महा-शक्तियों का ढंग यह कि वे हमें उपकरण तो देती हैं मगर उसके स्पेयर्स नहीं देती हैं, स्पेयर्स देती हैं तो दो हफ्ते के, तीन हफ्ते के। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो दो-तीन हफ्तों में ही खत्म हो जाती। न उनके पास हथियार रहते हैं। और न ही हमारे पास हथियार रहते हैं।

पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए यह कसौटी का काल है, इस भूखण्ड की सुरक्षा जुड़ी हुई है। देश का विभाजन हो गया। फिर भी हम सुरक्षा को टुकड़ों में नहीं देख सकते। दुर्भाग्य की बात है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने, दोनों ने, इस भूखण्ड में परिस्थितियों में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उसकी चुनौती को नहीं समझा और एक महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से निकल जाने दिया। पाकिस्तान को हथियारों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान उन हथियारों से सोवियत संघ से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की 16 डिवीजन अफगानिस्तान की सीमाओं पर नहीं लगी हैं वे हमारी सीमाओं पर लगी हैं। पाकिस्तान को आवश्यकता है राजनीतिक स्थिरता की आर्थिक विकास की, मगर हम इस भूखंड के सारे देशों को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, इस बात को हमें मान लेना चाहिए।

मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। वह छोटी घटना बड़ी न हो जाए, इसका मुझे डर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे राष्ट्र मंडल देशों से सम्बन्धित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आल इन्डिया रेडियो और टेलीवीजन की ओर से उनका इन्टरव्यू लेने का प्रबन्ध हुआ था इन्टरव्यू रिकार्ड कर लिया गया टेलीवीजन के लिए, मगर वह इन्टरव्यू दिखाया नहीं गया।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो सूचना मंत्री बता सकते हैं या प्रधान मंत्री जी को बताना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) **:** आप बताइए ना।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थीं, जो नई दिल्ली को रुचिकर प्रतीत नहीं हुई। क्या एक पड़ोसी राष्ट्र के अध्यक्ष, पड़ोसी राष्ट्र के नेता के साथ हमारा यह व्यवहार होगा ? इस देश में विचारों की स्वतंत्रता है। हमें आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसकी लंकावासियों के मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। घटना छोटी है, मगर तनाव पैदा करती है।

हमें अपने पड़ोसियों से व्यवहार करते समय आवश्यकता से अधिक चौकन्ना रहना है। वे आकार में छोटे हैं, जन बल में छोटे हैं, शस्त्र बल में छोटे हैं और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से भी हम से पीछे हैं। उनके मनमें निराधार आशंकाएं भी हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें साथ लेकर चलें। यह ठीक है कि उन्हें साथ लेकर चलने के लिए हम राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की बलि नहीं चढ़ा सकते लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए **स्टाइल आफ फंक्शनिंग,** काम का तरीका ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी को छोटा बना कर उसका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश न कि जाये।

16.04 **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) **:** बाजपेयी जी, हम कभी ऐसा नहीं करते, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।

प्रो० मधुदण्डवते : इसका चीनी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अब अन्तिम बिन्दु पर आ गया हूं। 1973 में श्री डी० पी० धर, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चैयरमेन थे, उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र की पंक्तियां में उद्धृत करना चाहता हूं —

आप ने मित्रों और शत्रुओं की पहचान के लिये हमें उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संदर्भ में देखना होगा। क्या प्रत्येक राष्ट्र के साथ तनाव शैथिल्य की नीति अपनाना हमारी राष्ट्रीय हित में है ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले अनेक वर्षों में अमरीका हमारा सर्वाधिक शक्तिशाली दुश्मन रहेगा।"

मैं नहीं जानता कि यह प्रधान मंत्री की अनुमति से पत्र लिखा गया था या नहीं लिखा गया था। अगर उस समय हमारा दोस्तों और दुश्मनों का असेसमेंट यह था तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1981 में क्या असेसमेंट है ? हम किसी देश को स्थायी तौर पर शत्रु मान कर चलें क्या यह ठीक है ? सबके साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने में क्या बुराई है ? यह ठीक है कि जिससे हमारे हित अधिक मिलेंगे उससे अधिक मित्रता होगी।

एक बड़ी शक्ति के नाते और एक विशाल राष्ट्र के नाते हम रक्षा के सवाल को विदेश नीति से और गृह नीति से अलग नहीं कर सकते। ईरान के शाह ने सारे हथियार इकट्ठे किये, लेकिन जनता पलट गयी तो उनका तख्ता भी पलट गया। हमारे पड़ोस में भी हथियार किसी को बचाने वाले नहीं हैं।

प्रधान मंत्री ने रेली में भाषण देते हुए कहा था कि किसान का एक बेटा फौज में है। स्पष्टत: किसान और जवान दोनों जुड़े हुए हैं। हम रक्षा और विकास को अलग नहीं कर सकते। इसलिए रक्षा की दूरगामी योजना बनाते समय, देश के पूर्ण विकास और उस विकास का लाभ अधिक से अधिक लोगों को कैसे मिले, इस पहलू की भी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय मत बने। और मैं चाहता हूं कि यह मत बने। इसकी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री के ऊपर है कि वह कहां तक इस सम्बन्ध में तैयार है। धन्यवाद

मैंने पिछले वर्ष कहा था कि सुरक्षा मंत्रालय प्रधान मंत्री को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि कम से कम सुरक्षा मंत्रालय की मांगों पर तो उनके दर्शन हो जाते हैं।

श्री मोहन लाल सुखाडिया (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, जिन डिमाण्ड्स पर यह सदन इस वक्त चर्चा कर रहा है उन पर बोलते हुए मेरे पूर्व बोलने वाले वक्ता ने उनके महत्व को कुछ समझा और उसके महत्व को कुछ न समझ कर ऐसी बहुत सी बातें कहीं।

सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जहां तक हमारे देश का सवाल है, हम कुल मिला कर अपनी रक्षा के ऊपर टोटल जी० एन० पी० का 3.5 परसेंट खर्च करते हैं जबकि हमारे पड़ौस के अन्दर पाकिस्तान अपने जी० एन० पी० का 6, 5 परसेंट खर्च कर रहा है। उसके अलावा पांच सौ मिलियन डालर के शस्त्रास्त्र भी उसे देने की बात चल रही है। मैं

उम्मीद करता था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब यहां पर बोलेंगे तो विस्तार से वे स्पष्ट बात कहेंगे।

अध्यक्ष जी, मुझे क्षमा करें, मैं उनके भाषण से यह नहीं समझ पाया कि उनका किस बात पर जोर है। वे अपने भाषण में कहने लगे कि हम किसको मित्र बनाना चाहते हैं, किस को दुश्मन बनाना चाहते हैं। एक जो हमारा मित्र है वह कल को हमारा दुश्मन भी हो सकता है। मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर वे क्या कहना चाहते हैं ? चेअरमेन साहब, यह बात पहले भी वे कई बार कह चुके हैं। जब वे विदेश मंत्री थे तो उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया था कि कांग्रेस की जो नान-एलाइनमेंट की नीति थी, उसको इस प्रकार से टिल्ट किया जाए जिससे कि चीन और यू० एस० ए० को नजदीक लाने का प्रयत्न हो।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो पिछले वर्षों के अन्दर जो कुछ हुआ उसको हम अपने दिमाग से दूर करके नहीं चल सकते। आज पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिए जा रहे हैं, वे इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि वह सोवियत रूस का मुकाबला करे। कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि सोवियत रूस से लड़ने के लिए ये शस्त्रास्त्र नहीं दिए जा रहे हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि गल्फ कंट्रीज की प्रोटक्शन के लिए पाकिस्तान को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयत्न तो ईरान में भी किया गया था, दूसरी जगहों पर भी किया गया, लेकिन वे सब असफल हुए, जबकि सत्य यह है इतिहास में कि पाकिस्तान की तरफ से इस देश पर हमले हुए और हमारे देश को उनका मुकाबला करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह भी सत्य है कि कोई भी दुनियां का मुल्क यह कह कर नहीं चल सकता कि हिन्दुस्तान की नीति अग्रेशन की रही है। भारत हमेशा अग्रेशन के खिलाफ रहा है और जैसा कि अभी कहा गया, मैं समझता हूं कि बंगला देश का उदाहरण अपने आप में इस प्रकार का उदाहरण है जबकि यही प्रधान मंत्री जो कि इस समय डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, इनके जमाने में बंगला देश में बड़ी तादाद में हमारी फौजें थीं, लेकिने उनकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम वहां से लौट कर चले आए। यह उदाहरण हमारे देश ने प्रस्तुत किया है। हमारे देश की नीति कतई अग्रेशन की नहीं है। फिर पाकिस्तान के अन्दर इतने शस्त्रास्त्र इकट्ठा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिन्दुस्तान के ऊपर दबाव रखा जाए। अमेरिका कहता है कि ये शस्त्र हिन्दुस्तान के खिलाफ काम में नहीं लाए जाएंगे। पहले भी हमेशा शस्त्र देने के मौके पर उसने कहा कि ये शस्त्र हिन्दुस्तान के खिलाफ काम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी भी अमरीका की तरफ से इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और हमेशा अमरीका के शस्त्र हिन्दुस्तान के खिलाफ काम में लिए गए।

अध्यक्ष जी, आज दुनियां में कहां क्या हो रहा है, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें इस बात पर निगाह रखकर चलना होगा कि आज चाइना, यू० एस० ए० और पाकिस्तान का एक एक्सिस बना है, जो हमारे देश के लिए एक तरह से चैलेंज है, खतरा है, इसको हमें ध्यान में रखकर ही चलना होगा। चाइना के साथ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री थे, हमने काफी मित्रता की बात की लेकिन उनकी एक्सपेंशनिस्ट की नीति

थी। उसका परिणाम उस मौके पर यह हुआ कि हमने फौज पर कम खर्च किया, जिसका लाभ उठाकर उन्होंने हम पर हमला किया। कहने को तो वे आज भी कहते हैं कि हमारी इच्छा हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती की है, लेकिन दोस्ती का क्या परिणाम होता है ?

जनता पार्टी ने कहा कि हमने पड़ोसियों से मित्रता बनाने की कोशिश की। क्या चाइना ने जमीन लौटा दी, क्या पाकिस्तान ने कश्मीर का सवाल समाप्त किया ? हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं चाहते ? "ताशकंद" समझौते में, जो कि कांग्रेस सरकार के समय में हुआ, क्या उसमें हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की और हमारे देश की नीति समझौते में साथ एग्जिस्ट करने की नहीं थी ? क्या शिमला पैक्ट में हमारी प्रधान मंत्री की यह कोशिश नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ मेलजोल से रहा जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गड़बडियां होती हैं, अशांति होती हैं, वहां के शासक उस असंतोष को हमेशा हिन्दुस्तान की ओर मोड़ने की कोशिश करते रहे हैं और उन चीजों को जब हम निगाह में लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि आप 10 वर्ष बाद क्या होगा, या 20 वर्ष बाद क्या होगा, किसका किससे गठबंधन होगा, उन सवालों में जाने के बजाए आज जो कुछ हो रहा है उस बारे में हम निगाह करके चलें। आज क्या हो रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि आज हमारे पड़ोस के अन्दर इस बात की तैयारी की जा रही है कि पाकिस्तान को पूरे तोर से शस्त्रों से सुसज्जित किया जाए। इस खतरे से आंख मोड़ कर चलने की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह इस देश की आजादी के साथ खतरा मोल लेना होगा, इस देश को नुकसान में डालने वाली बात होगी। जब प्रधान मंत्री जी इसके बारे में देश को सजग करने की बात करती हैं, देश के अन्दर इस हवा को फैलाने की बात करती हैं कि यह खतरा हमारे सामने खड़ा हो रहा है, अगर उसको समझकर यू० एस० ए० आर्म्स न दे तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि खतरा पैदा करें—अगर आर्म्स नहीं देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आर्म्स देते हैं तो समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, इस देश की आजादी को पसंद करने वाला इस बात को इन्कार करके नहीं चल सकता है कि उन शस्त्रों से खतरा किसी को पैदा होगा तो वह हिन्दुस्तान के लिए पैदा होने वाला है। इस बात से आज हम इन्कार करके नहीं चल सकते और इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ध्यान दिलवाती हैं तो आप कहते हैं कि देश के अन्दर अविश्वास की भावना नहीं पैदा की जानी चाहिये। किस अविश्वास की भावना ? अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि खतरा दरवाजे पर है और हम जो यह कहते हैं इसका मतलब यह है कि देश की विल पावर को, आर्म्ड फोर्सेज की विल पावर को हम यह कह कर के मुगालते में डालना चाहते हैं कल ऐग्रेशन हो जाय तो इस मुगालते में रह जाय कि क्या ऐग्रेशन हुआ या वास्तव में हमने कोई गड़बड़ी की कि जिसकी वजह से यह नौबत पेश आयी। मैं समझता हूं किसी राजनीति कारण से या किसी और वजह से जो वास्तविकता है उसकी तरफ से ध्यान न मोड़ा जाय, नहीं तो उसका असर उल्टा होता है। आपको मालूम है, अध्यक्ष जी, जब चाइना से लड़ाई हुई तो वह शस्त्रास्त्रों से ही नहीं लड़ रहा था बल्कि दूसरी तरफ बोर्डर से बराबर यह प्रचार कर रहा था सिपाहियों के अन्दर कि भाइयों देखो नक्शे में यह जमीन हमारी है तुम इधर न आना। वैसे ही अगर आज यह

प्रचार किया जाता है कि नहीं पाकिस्तान की दोस्ती की इच्छा है हम ही कुछ अपनी समस्याओं की वजह से कोई समस्या खड़ी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं देश को यह कह करके सबसे बड़ा अहित करने की बात होगी । क्योंकि यह तो निश्चित बात है कि देश की कोई ऐग्रेसिव पौलिसी नहीं रही है । आज देश के अन्दर कोई नया प्रधान मंत्री नहीं आ गया, बल्कि वही प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने बंगला देश के अन्दर जा करके उसको आजाद कर के बांगला देश से लौट कर के फौज वापिस आ गई । तो यह कोई समझता हो कि टेरिटरी को लेने वाला कोई नया आ गया है तब भी यह कहने की गुंजाइश होती । लेकिन राजनीति के लिहाज से कभी रशिया के बारे में बात कहनी हो, रशिया से कोई नाराजगी हो तो भारत सरकार को बीच में ला कर के उलझाया जायगा । यह उचित नहीं है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज के दिन, जैसा मैंने कहा, कौन नहीं चाहता, हमारी प्रधान मंत्री जी कह चुकीं देश की स्थिति स्पष्ट है कि पड़ोसियों से हम झगड़ा नहीं चाहते । लेकिन कोई देश के अन्दर शस्त्र इतने इकट्ठे करे और हम भी न कहें कि शस्त्रों का दुरुपयोग किया जा सकता है कल जा कर के, और उसका खतरा है तो मैं समझता हुं कि वह अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करना होगा ।

अध्यक्ष जी, मेरी तो यह मान्यता है कि जैसे शस्त्रों के दबाव के नीचे पाकिस्तान दबना चाहता है, जैसे वियतनाम ने गलती की शस्त्र ले कर के उसी प्रकार पाकिस्तान भी गलती करने जा रहा है । न तो वह अपने आप कोई अफगानिस्तान में जा कर के रूस से लड़ पायेगा, न किसी और से कुछ कर पायेगा, आखिर जा करके उस देश को ही नुकसान होने वाला है, और उसी को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचने का अंदेशा पैदा होगा ।

अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं, और माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि हमें बाहर से शस्त्र मंगाने की इतनी जरूरत पड़ती है । मैं आपसे निवेदन करूं कि कई देशों ने, और आपको मालूम होगा पिछली जब लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के बाद अपनी जरूरत के बहुत से शस्त्र बनाने शुरू कर दिये है, जब कि हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है । तो कांग्रेस के राज के आने के बाद जहां पहले राइफल हमें मंगानी पड़ती थी और चीन के साथ जब लड़ाई हुई तो ऊंची हाइट पर लड़ने के लिये हमारे पास राइफल नहीं थी उस राइफल को हमें बाहर मंगाना पड़ता था, औटोमेटिक राइफल मंगानी पड़ती थी, आज हमने देश को इतना आत्मनिर्भर किया है कि उनको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं रही । तो यह भी कांग्रेस ने किया है इन पिछले सालों के अन्दर कि आज गर्व के साथ हम अपना सर ऊंचा कर के चल सकते हैं ।

शस्त्रास्त्र या अच्छे सॉफिस्टीकेटेड वैपन्स के लिये इकोनामिक बेस स्ट्रांग चाहिये, और मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, विरोध पक्ष के नेता भी इस को मानेंगे कि हिन्दुस्तान ने अपनी जनता को भूखे मार कर आर्म्स रेस में नहीं डाला । हमने इस बात पर जोर दिया है कि देशवासियों को पहले खाने पीने में आत्मनिर्भरता दें । हमने उसमें कामयाबी हासिल की, और चीजों में भी कामयाबी हासिल की । हमने अपना एक बेस बनाने की कोशिश की जिसके जरिये हम अपने आप में आत्मनिर्भरता लायें, केवल आर्म्स रेस में न पड़ करके हर चीज को बनाने में जायें । तो

वह हमारा उद्देश्य नहीं रहा आर्म्स रेस में पड़ने का, और मैं समझता हूं कि वह ठीक ही रहा है कि हम इस चीज में न पड़ करके हमने अपना इकोनामिक और सोशल डेवलपमेंट किया, और आज पोलिटिकल स्टेबिलिटी इस देश को दी। यह सारी चीजें करने में यह देश अपने आप के अन्दर दुनिया में एक अपना स्वयं उदाहरण रख कर के चलता है ।

अभी हमारे विरोधी पक्ष के सी० पी० एम० के सदस्य ने कहा कि आर्मी के अन्दर पोलिटिकली साउंड थिंकिंग नहीं है, उनमें पोलिटिक्स होनी चाहिये और इस मामले में मेन स्ट्रीम से वह दूर हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर इन 30 वर्षों में हमारी जो अलग-अलग सर्विसेज हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि अब भी देश पर संकट आकर खड़ा हुआ है, उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया को बताया है कि हमारे देश की फौजें चाहे आकाश की हों या और जगहों की हों, उन्होंने बिना किसी झिझक के देश का साथ दिया है। आज उन हालात के लिये हम उनके लिये कुछ भी कह कर चलें, यह उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री अटल बिहारी जी ने कहा कि डिफेन्स पर 4 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि हम तो अपने यहां इस खर्च को कर रहे हैं लेकिन हमारे पड़ोस में छोटा-सा देश है जिसको विदेशों से इतनी सहायता मिल रही है, यू०एस० ए० से मिल रही है, चीन से मिल रही है।

श्री आर० के० महलगी : इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : आपने कहा कि इतने कम समय के अन्दर आप इतनी बड़ी राशि को यहाँ मंजूर करवाना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह खर्चा तो कम है। मैं अपने वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खासतौर से नैवी को स्ट्रैन्थन करने के लिये जितना और ज्यादा खर्च करना पड़े, वह करें क्योंकि इस बात की बहुत आवश्यकता है। पहले तो हमारे लैन्ड बार्डर्स पर ही खतरे थे लेकिन जब कि ओशन में खतरे की काफी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, तो नैवी को जबर्दस्त तरीके से स्ट्रैन्थन करने की आवश्यकता है और उसके लिये मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा धन की जो आवश्यकता पड़े, उसको खर्च करने की कोशिश की जाये ।

आर एंड डी के लिए आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ। मै समझता हूं कि आप भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं कि कुछ हुआ है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अटल जी के भाषण से, क्योंकि वह विदेश मंत्रालय की मांगों के मौके पर बोल नहीं पाये थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज मौका है, इसलिये वह बातें भी आज इस भाषण में वह बोल लिऐ। कुछ तो इसमें रैलेवेन्ट था, और कुछ नहीं था तब भी उन्होंने सारी बातें यहां कह दीं उन्होंने यह बहुत सी बातें भी यहां कह दीं जो डिफेन्स से ताल्लुक नहीं रखती थीं, लेकिन उन्होंने मौका ठीक ढुंढा है इस बात के लिये कि आज उन बातों को कहकर चलें।

जहां तक आर्म्ड फार्सिज् की कुछ बातें हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिलाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। सभी जानते हैं कि जो लोअर रैंक के सिपाही या दूसरे होते हैं, उनकी रिटायर होने की एज कम होती है, आम तौर से 32,35 साल की ऐज में रिटायर हो जाते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रड्डी: अब तो 57 साल एज कर दी गई है।

श्रीमोहन लाल० सुखाड़िया : हो सकता है।

बी०एस०एफ० की ड्यूटि बार्डर पर लगती है, वह बार्डर को गार्ड करते हैं जैसे हमारे राजस्थान, पंजाब और दूसरी जगहों पर सी०आर०पी० और पबलिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज में भर्ती होती है उसमें रिटायर्ड फौजियों का भी काफी बड़ी बल्क संख्या में जो बी०एस०एफ०से रिटायर होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर के या और तरीके से अच्छे हों उन सारे लोगों को इन आर्गेनाइजेशन्स में रिक्रू किया जाये तो आपकी ट्रेनिंग का खर्चा भी कम हो जायेगा और ये लोग बार्डर्स की कंडीशन से भी बाकिफ मिलेगे हैं। जब कभी होस्टेलिटीज की सिचुएशन पैदा हो तो इससे आर्मी और बी०एस०एफ० के बीच ज्यादा को आर्डिनेशन आसानी से होगा। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पायेंगे इसलिये इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आशा है आप इस पर सोचेंगे।

मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेकर इन्हीं चीजों के लिए निवेदन करुगा मुझे आशा है कि यहां पर जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, अगर यह ज्यादा भी होती तो भी वह सदन एक मत से उन्हें स्वीकार करता, इन्हें स्वीकार करेगा और हमारी सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहेगी।

मुझे इस बारे में कोई खतरा नहीं है, चाहे पाकिस्तान के पास यू०एस०ए० के अस्त्र-शस्त्र आयें और चाहे किसी भी प्रकार से पाकिस्तान अपने को आर्म्ड कर के चले वह पाकिस्तान की ही हानिकारक होंगे, हमारे देश की आजादी को कोई खतरा नहीं होने वाला है। यह निश्चित तरीके से मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं कि जिस चीज के लिए हमारी प्रधान मंत्री जनमत बना रही है जिस खतरे की तरफ ध्यान दिला रही हैं, उसमें विरोधी पक्ष के लोग भी यदि सहयोग दें तो वह देश के हित में होगा और देश में जो मैतक्य स्थापित करने वाली बात कही जाती है, वह भी स्थापित करने में बल मिलेगा।

श्री के०पी०सिंह देव (धेन कनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान की मांगो का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया हो तो उनके बाद वाले वक्ता को हमेशा हानि उठानी पड़ती हैं क्यों कि वह अपनी लफफाजी भाशणकला और जादूगरी से सदन को सम्मोहित कर लेत हें किन्तु उनका भाषण काफी रूचिपूर्ण था। वास्तव में जब उन्होंने भाषण देना आरम्भ किया था तो उन्होंने कहा था कि यह बहस दलगत नीती से उपर रखी जानी चाहीये क्योंकि यह प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का है किन्तु इसके पश्चायत, जैसाकि उनकी आदत ही है, वह संकुचित दलगत दृष्टि से अपने विचार व्यक्त करने लगे। यदि जनता पार्टी के पिछले चुनाव घोषणा-पत्र की नीति को देखा जाये, जिसके टिकट पर वह चुनाव लड़ कर आये थे तो उसमें यह कहा गया है :

"एक रचनात्मक तथा कल्पनाशील विदेश नीति किसी भी देश का सब से अच्छी रक्षा का साधन होता है। तथापि,जनता पार्टी रक्षा की पूरी तैयारी बनाये रखेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि सशस्त्र सेनाओं का उत्तम प्रशिक्षण और समर निति यथा सम्भव अतिउत्तम

हथियारों और उपकरणो के अनुरूप हो जो देश में निर्मित किये जायेंगे अथवा ऐसे विभिन्न प्रकार के तथा विश्वासनी स्रोत से खरीदे जायेंगे जो संकर की घड़ी में मिलते रहें।

इसके पश्चात उसी समय उन्होंने आधुनिकरण हमारी सशस्त्रों सेनाओं के लिये आवश्यक हथियारों को प्राप्त करने की नीति की आलोचना की।

खतरे की, वह खतरा जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को है, पहचान की बात करते हुए उन्होंने प्रधान मन्त्री द्वारा भारत की जनता को तथा राष्ट्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर सचेत किये जाने के लिये प्रधान मंत्री का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। हमने 1962 में देखा था, क्यों कि तब हम मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक रूप से युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, कि हमे चिन से किस प्रकार कड़ूवा सबक सीखना पडा अतः यदि प्रधान मन्त्री देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रही हैं तो वह उस जनता की ही इच्छाओं को पूरा कर रही हैं जिन्होंने केवल 15 महीने पहले ही उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाया वह जनता और संसद को को विश्वास में लेने के लिये अत्यधिक लोक तान्त्रिक ढंग का प्रयोग कर रहीं थीं जब उन्होंने उन खतरों का उल्लेख किया जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये पैदा हो रहे हैं तो जैसे कि श्री वाजपेयी ने कहा है वह कोई प्रचार नहीं कर रही थी।

परमाणु निशस्त्रीकरण की चर्चा करते समय मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1974 तथा 1975 में उनके दल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अडवाणी ने बम निर्माण और गौ के गोबर की बात की थी मेरा विचार है कि अब उन्हें सदबुद्धि आ गई है और शायद वह अब न्यूकलीय निशस्त्रीकरण के बारे में सोच रहे हैं और वास्तव में वह विश्व की मुख्य विचारधार में आते जा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का यह सही उल्लेख किया है कि हमारी वायुसेना को अच्छे उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिये क्यों कि इस समय वातावरण अनुकुल नहीं है और समुद्र से भी खतरा है अतः नौसेना को भी ऐसी प्रतिकुल परिस्थियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यदि उन्होंने रक्षा मन्त्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने का कष्ट किया होता तो उन्हें पता चलता कि उसमें रक्षा अयोजना के सम्बन्ध में बिल्कुल उन्हीं बातों का उल्लेख है।

भूतपूर्व विदेश-मन्त्री होने के नाते उन्हें भली-भांति पता है कि विदेशी सम्बन्धों के मामले में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते। स्थायी हित ही होते हैं। वे स्वयं उस समय इसके भुक्त भोगी हो चुके हैं जब निमन्त्रण पर उन्होंने चीन का दौरा किया था। चीन ने हमारे एक मित्र देश पर आक्रमण करने का फैसला किया था। आज भी जबकि उनके पूर्वकालिक सहकर्मी, प्रो० स्वामी चीन के दौरे पर हैं तो चीन सैनिक शिष्टमण्डल पाकिस्तान का भ्रमण कर रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि वे वहां आर्थिक विकास की बात करने के लिए नहीं गये हैं, वे तो सैन्य-समस्याओं को लेकर वहां का दौरा कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अद्भुत संयोग है।

श्री के० पी० सिंह देव (टेंकनाल) : सी० पी० एम० के प्रवक्ता श्री विश्वास ने इस बात का उल्लेख किया था कि सैन्य-बलों को मुख्यधारा से विलग किया जा रहा है। मैं उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि जहां के वे रहने वाले हैं उसके कारण इसके महत्व को समझना उनके लिए बहुत ही कठिन है ; यदि वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या राजस्थान के रहने वाले होते तो उन्हें पता होता कि किस प्रकार प्रत्येक परिवार, हरेक पुरुष और स्त्री तथा बच्चा आत्मीय रूप से शस्त्रबल कर्मिकों के कल्याण में रूचि रखता है तथा देश की सेनाओं में किस प्रकार प्रत्येक परिवार एक खम्भे की भूमिका निभाता है। असैनिक जनसंख्या के साथ केवल पारस्परिक क्रिया और अन्तरंग सम्बन्धों के कारण ही शस्त्र सेनाएं सीमाओं पर अपनी सतर्कता रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि असैनिक जनसंख्या पूर्णतया हमारे साथ है।

महोदय, इस वार्षिक प्रतिवेदन पर मैं अपनी टिप्पणियां देना चाहता हूं। सर्वप्रथम में इस वर्ष के रक्षा बजट को तैयार करने में बड़ा ही कुशल सन्तुलन बनाए रखने के लिए मैं प्रधान मन्त्री महोदया, वित्त मन्त्री महोदय, रक्षा मन्त्री महोदय और रक्षा मन्त्रालय की बधाई देता हूं। यद्यपि गत वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपये की वृद्धि को मुद्रास्फीति, वेतन और पेंशन तथा तेल, पेट्रोल और स्नेहनों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कुछ भी नहीं समझा जा रहा है फिर भी उन्होंने यह तो देखा है कि आधुनिकीकरण, अर्जन तथा गतिशीलता में वृद्धि, आग्नेय-शक्ति तथा संचार में सुधार जोकि अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा इनके साथ-साथ कल्याणकारी उपायों को नजर अन्दाज नहीं किया गया है। मेरे विचार से उपस्कर, प्रशिक्षण तथा कल्याणकारी उपाय बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और वास्तव में, किसी भी देश की किसी भी शस्त्र सेना के लिए देश के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए आवश्यक मनोबल और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए ये एकल विशालतम कारण हैं।

रक्षा योजना तथा उन अनुबोधकों ने जिनको आवेदन में पहचाना गया है, उन्होंने भू-राजनैतिक तथा भू-सामरिक स्थिति जो कि उप-महाद्वीप में पनप रही है, पर भी विचार किया है। न केवल इस उप-महाद्वीप में, अपितु हिन्दमहासागर के तटीय क्षेत्रों में भी यह पनप रही है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा तैयारी को तेज किया जाना चाहिये।

मैं आंकड़ों के उस विस्तार में नहीं जाऊंगा जिन्हें जनरल स्पैरो ने बड़े ही जोरदार शब्दों में तथा बहुलता में अपने भाषण के आरम्भ में दिया है। मैं तो केवल कुछेक प्रश्न रखना चाहूंगा कि अन्तिम दशक में महाशक्तियों ने इस उप-महाद्वीप में लगभग साढ़े चार बिलियन डालर के शस्त्र झोंक दिए हैं और अब चीन तथा अमरीका दोनों ने ही पाकिस्तान को सौ लाख डालर के शस्त्रों, उपस्कर, आपूर्ति और फालतू कल-पूर्जों की एक अन्य खेप देने की तैयारियां कर रखी हैं। सरकार की क्या विचारधारा है या सरकार इस प्रश्न को कैसे हल करना चाहेगी तथा जल, थल और वायु के निवारक शस्त्र प्राप्त करने के लिए क्या कर रही हैं। जो कुछ समाचार-पत्रों की खबरों में आया था तथा संसद सदस्यों के मन में घुमड़ता रहा था उसके आधार पर, पाकिस्तान को भारी शस्त्र सहायता देने के बारे में, गत सप्ताह इस सदन में एक ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, क्योंकि जो कुछ उपस्कर हमारे पास है, उसके प्रयोग से, मेरे विचार पाकिस्तान जो शस्त्र और उपस्कर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, सम्भवत: उनके विरुद्ध वे पर्याप्त या उपयुक्त निवारक सिद्ध न हो सकें। इसीके साथ-साथ अरब देशों ने अपने साज-सामान में पाकिस्तानी वायूयान चालकों को और लोगों को स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा इसके साथ ही साथ इस उपस्कर पर अरब देशों को भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दे दी है। यदि यह साजसामान पकिस्तान में पहुंच जाता है तो हमारी सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी ? यदि इस सम्बन्ध में सरकार हमें भी विश्वास में ले लेती है तो हम उसके बहुत आभारी होंगे।

विदेश कार्य तथा सुरक्षा दोनों ही एक दूसरे के सम्पूरक हैं। यह मेरा कहना नहीं है, अपितु श्रीमान बोसिय लिडले हान्ट और कार्ल वान क्लाजेविज जैसे सैन्य-नीति विशेषज्ञों का जो कि सैन्य-दार्शनिक, विचारक तथा सैन्य-विज्ञान के छात्रों का कहना है। सैन्य और आर्थिक रूप में शक्तिशाली होने पर ही भारत महाशक्तियों की प्रतिस्पधों से बच सकते हैं, सही गुट-निरपेक्षता की नीति को जारी रख सकते हैं तथा स्वतन्त्र नीति का पालन भी कर सकते हैं। जहां तक हमारे देश के पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा तैयारी या सैना जुटाने का सम्बन्ध है, उस पर हमने ध्यान दिया है। मेरे मतानुसार, दक्षिण-भारत में हिन्द महासागर और अरब सागर पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में मैं उन अमरीकी या रूसी विशेषज्ञों का उद्धरण देना या उल्लेख करना नहीं चाहूंगा जिनके लिए दूसरी ओर बैठे मेरे मित्रों में व्युत्साह है, परन्तु मैं अपने एक सेवारत एडमिरल, एडमिरल एम० के० राय जो कि आजकल नौसेना कमान के पूर्वी बेड़े की कमान सम्भाले हुए हैं, का उल्लेख करना चाहूंगा। युनाइटेड सर्विसीज इन्सटीच्यूट जर्नल में उन्होंने ठीक ही कहा है कि सागर और राज्य के बदलते सम्बन्धों के कारण ही महाशक्तियों का हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति जताने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके पीछे केवल सैनिक या राजनीतिक कारण ही सहीं हैं, परन्तु मुख्यरूप से आर्थिक कारण भी हैं।

एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते समय आज सबेरे भी विज्ञान तथा औद्योगिकी मन्त्री महोदय ने इस बात का उल्लेख किया था तथा नियम 377 के अधीन गत सप्ताह जब उन्होंने मेरे प्रस्ताव का उत्तर दिया था तो उन्होंने बताया था कि एकमात्र रूप में हमारे आर्थिक क्षेत्र में भारी पोलिमेलेथिक पिण्डों का जाल बिछा पाया गया था। यह न केवल भारत की अपितु समस्त विश्व की आर्थिक सम्पन्नता की कुंजी है। विकसित राष्ट्रों के पास उनको विकसित करने की विशेषज्ञता, साधन, तकनीक और औद्योगिकी है। हम उन्हें विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये वे कुछेक कारण है जिनसे महाशक्तियों को—आप उन्हें कुछ भी कहिए—हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति और शक्ति बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला है। हमारी सरकार नें गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में इस मामले को ठीक से उठाया है। उन्होंने हिन्द महासागर में अस्थिरता के खतरे की ओर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में हर किसी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया था। परन्तु इस खतरे के प्रति सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सचेत करने के

[श्री के० पी० सिंह देव]

प्रयत्नों के बावजूद महाशक्तियों ने बड़े ही बद्यमीपन से तथा बड़े ही व्यंग्यात्मक और तिरस्कार-पूर्ण ढंग से न केवल गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के संकल्प या उनके प्रयास की अवहेलना की, अपितु उसी के साथ ही साथ हिन्द महासागर में उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। उस दिन हमने प्रतिक्रिया जाननी चाही थी, मुझे नहीं मालूम कि हम महाशक्तियों द्वारा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के इस रवैये की कि हिन्द महासागर शक्तिपूर्ण क्षेत्र होना चाहिये, शोर पूर्ण ढंग से अस्वीकृति की इस सदन में निन्दा क्यों नहीं करते।

यह भी बात कही गई थी कि हम रक्षा पर बहुत खर्च कर रहे और रक्षा के कारण विकास का कार्य रूका पड़ा है इस सन्दर्भ में, कोलम्बिया विश्व-विद्यालय के प्रो० एमाइल बेरोइट द्वारा किए गए अध्ययन का पारामण करना वढ़ा ही मनोरंजक होगा जिन्होंने अपनी पुस्तक 'रक्षा तथा आर्थिक द्रगति' में 45 देशों का अध्ययन करके विकासशील देशों के बारे में यह बताया था कि रक्षा और व्यय, रक्षा व्यय और अर्थव्यवस्था की प्रगति की दर के बीच सम्बन्धों के अखण्ड साक्ष्य को स्पष्ट किया था। केवल यही नहीं, उन्होंने यह भी पता लगाया था कि रक्षा व्यय से चार प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। प्रथमत: उन्होंने जन-शक्ति के प्रशिक्षण को पहचाना, दूसरे, औद्योगिक उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी, तीसरे, आधुनिक औद्योगिकी का और अधिक विकास, चौथे सुरक्षा की भावना भरने का मनोवैज्ञानिक लाभ। जनशक्ति के प्रशिक्षण के दौरान, जब कोई व्यक्ति चाहे यहां का हो या बाहर का, शस्त्र सेनाओं में भर्ती होता है तो जन-शक्ति का प्रशिक्षण बड़े ही क्रमिक ढंग से होता है। प्रशिक्षण आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से दिया जाता है और उसे सामाजिक शिक्षा दी जाती है। उसे मशीनरी, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, ड्राइंग तथा अन्य चीजों, जैसे विभिन्न औद्योगिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। जब वह सेवा मुक्त होता है तो वह एक निपुल नागरिक होता है जो देश तथा राष्ट्र की सम्पत्ति है जिसके साक्ष्य हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों में देखते हैं।

जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है आयुध कारखाने में उत्पादन 583 करोड़ रुपये तक हो गया है जिससे 1.71 लाख लोगों को रोजगार मिला। केवल रक्षा उत्पादन या आयुध कारखाने रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, अपितु ये नागरिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं; जैसे एच० ए० एल० कृषि के कार्यों के लिए वसन्त वायुयान और अन्य वायुयानों, हेलीकाप्टरों का उत्पादन करता है। भंडारा स्थित आयुध कारखाना लगभग 5000 टन विस्फोटक उत्पादन करता है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स एक्स-रे, टी० वी० तथा डायोड्स का उत्पादन करता है। प्राग टूल्स ड्रिलिंग औजारों के साथ-साथ खनन उपकरणों, कटर्स तथा ग्राइंडर्स का निर्माण करता है। इसलिए रक्षा 'व्यय केवल रक्षा आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं है या केवल रक्षा आवश्यकताओं के लिये ही नहीं है बल्कि यह नागरिक आव- श्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

इसलिए महोदय, हमारे स्व० प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि रक्षा आपके रक्षा

बलों और आपकी औद्योगिक तथा तकनी पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की आत्मा का समीकरण है। चीनी आक्रमण के समय, 1962 के दौरान इसमें बहुत कमियां थीं। इसलिए समय की पुकार है कि वैज्ञानिक और सैनिक योजनाकार और सैनिक, शिक्षाविद् तथा सैनिक को एक साथ आगे लाना होगा। हमारे भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल जे० एन० चौधरी ने कहा था, म उनका उधरण देना चाहूंगा, जब उन्होंने सैनिक और वैज्ञानिक के संबंध में कहा था। उन्होंने कहा था :

> सांग्रामिक अनुसंधान का विकास प्रमुख उद्देश्य हैं और सांग्रामिक अनुसंधान का सार इस सिद्धान्त में है कि सावधानीपूर्वक अवलोकन द्वारा समर्थित तर्क संगत विचार और सतर्क विश्लेषण निर्णय लेने का आवश्यक आधार है।

दूसरे, उन्होंने कहा था, उपकरण शस्त्रास्त्र शराब की तरह समय के साथ नहीं सुधरते, तीसरे उन्होंने कहा था कि यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि हम स्वयं विचार करके भारतीय उप महाद्वीप की रक्षा करने के अनुरूप अपनी सशस्त्र सेनाओं में सैन्य संगठन तथा यूनिटों को आदर्श रूपप्रदान करने में सफल हो सकते हैं और किसी दूसरे देश के युद्ध में भाग लेने के लिए समुद्र पार जाकर नहीं जैसाकि औपनिवेशिक दिनों में होता था। और सबसे महत्वपूर्व बात जो उन्होंने कही थी, वह थी कि रक्षा वैज्ञानिक का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि युद्ध करने वाले सैनिक के काम को आसान बनाए और युद्ध करने वाले सैनिक का काम यह है कि जहां भी कहीं शत्रु मिले, उसे पराजित करे। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र श्री सुखाड़िया से सहमत हूं कि अनुसंधान और विकास के प्रयास और तेज किए जाने चाहिएं और ये प्रयास भारत में सभी क्षेत्रों में तेज किए जाने चाहिएं, रक्षामंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले वाले अनुसंधान और विकास संगठन तथा सरकारी क्षेत्र उद्यमों में भी इन प्रयासों में भी तेजी लायी जानी चाहिए। कृत्रिम ईंधन और हाइड्रोजन बचत पर अनुसंधान तथा विकास किया जाना चाहिए, जैसाकि अन्य देश कर रहे हैं, जिससे हमारी पी० ओ० एल० आवश्यकताओं पर हो रहे खर्च में बचत होगी जिसके लिए हमें ऊंचे मूल्य अर्थात् 6,0 0 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करने पड़ते हैं। टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान में आगे और अनुसंधान किया जाना चाहिए तथा भारतीय तकनीकी संस्थानों, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् तथा विश्वविद्यालयों को रक्षा योजना और रक्षा अनुसंधान से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। एक समेकित योजना होनी चाहिए। सड़क प्रणाली, नहर प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, सड़कों, रेल तथा विमान पत्तन और हवाई क्षेत्रों की योजना बनाते समय आवासीय सैनिक पक्ष तथा आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष विभाग, समुद्र विज्ञान संस्थान तथा इस समय देश में चल रहे विभिन्न उद्योगों के विषय में वही बात है।

यह प्रोत्साहित करने वाली तथा प्रशंसनीय बात है कि सरकार प्रबंध तथा प्रबंध तकनीक के आदर्श तरीकों का उपयोग कर रही है। जो प्रतिदेदन में देखे जा सकते हैं, जहां संभार-तंत्र,

[श्री के० पी० सिंह देव]

प्रबंध, वस्तुपरक प्रबन्ध, परियोजना प्रबन्ध, स्रोत प्रबन्ध, कार्य अध्ययन, मूल्य इंजीनियरी कम्प्यूटरीकरण तथा प्रणाली विश्लेषण को कार्यान्वित किया जा रहा है, न केवल कार्यान्वित ही किया जा रहा है बल्कि इसे धीरे-धीरे सेना के तीनों स्कंधों में तथा आयुध कारखानों में बढ़ाया जा रहा है।

इस समय इस देश में 40 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जिनमें सैनिक शिक्षा या सैनिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। परन्तु उन्हें रक्षा मंत्रालय से कोई सम्पर्क रखे बिना पृथक रूप से पढ़ाया जा रहा है और इसलिए हमें उन्हें संयुक्त सेना संस्थान की तरह संगठित कर देना चाहिए, जो सैनिक शिक्षा के प्राचीनतम संस्थानों में से एक है, जो सशस्त्र सेनाओं के तीनों स्कंधों के हमारे अधिकारियों को उच्च प्रशिक्षण, उनके स्टाफ कालेज, राष्ट्री रक्षा महाविद्यालय तथा अन्य परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, जिसके लिए उनकी व्यावसायिक योग्यता की जांच की जाती है।

किसी समाचार पत्र के समाचार से प्रेरित होने की बजाय देश में अनुप्राणित रक्षा विचार होने चाहिएं, क्योंकि यह हमारे देश के लिए अनर्थकारी होंगे। मैं केवल इस बात का उद्धरण दूंगा कि संयुक्त राज्य अमरीका में इस समय क्या हो रहा है। यह दिनांक 1-15 अगस्त, 1980 का इंडिया टूडे का एक लेख है। इसका लेखक एक भारतीय है।

अमरीका-सोवियत सैनिक मामलों की चर्चा केवल शब्दाडम्बर है और औसत अमरीकी को गलत सूचनाएं ही मिलती हैं। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस द्वार शस्त्रों पर अमरीका से अधिक व्यय करने की बात पूरी तरह से निर्थक है क्योंकि नाटो और वारसा संधि के बीच तुलना अधिक सम्बद्ध होगी। शान्ति के लिए निधि तथा रक्षा सूचनार्थ केन्द्र, सेवामुक्त रियर एडमिरल जनरल आर० लारोक और ब्रिग्रेडियर जनरल बी० के० गोरवित्ज के निर्देशाधीन एक स्वतन्त्र अनुसंधान तथा विश्लेषण संगठन ने यह पाया है कि जब अमरीका और सोवियत रूस के पास अपनी सीमा की रक्षा के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक सेना है तो अमरीकी सेना द्वारा भारी मात्रा में व्यय अमरीका की रक्षार्थ नहीं है बल्कि विदेशों में अमरीकी सैन्य शक्ति का प्रभाव जमाने के लिए है।

अग्रणी रक्षा विचारशालाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा एकत्रित आंकड़ों और कांग्रेस को प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनों से सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करके इन स्वतंत्र रक्षा विश्लेषकों ने कहा है कि अमरीकी रक्षा विभाग तथा प्रेस अमरीका की रक्षा के क्षेत्र में कमजोरी का जो प्रचार कर रहे हैं वह बिलकुल झूठा है।

अतः आप पश्चिमी देशों के सैनिक औद्योगिक समूहों की चतुराई देख सकते हैं जो अपनी अग्रणी विक्रयकला द्वारा हर जगह, विशेषकर अफगानिस्तान तथा अन्य क्षेत्रों में, युद्धोन्माद पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना है। आप अपने दल के अन्य माननीय सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं जितनी जल्दी संभव होगा, अपना, भाषण समाप्त करूंगा।

इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि इतिहास हमें याद दिलाता है कि विदेशी अधीनता युद्ध विज्ञान के अध्ययन की अवहेलना के कारण थी ना कि स्रोतों, साज-समान और मानवीय कमी के कारण। इसलिए, मैं डा० नोबल फ्रेंकलेंड, इम्पीरीयल वर म्यूजियम के निदेशक, को उद्धृत करना चाहुंगा जो सभी पहलुओं से युद्ध के अध्ययन रत हैं। उन्होंने कहा था कि युद्ध जैसे रोग का तीन मुख्य पहलुओं से अध्ययन किया जाना चाहिए—पहला, इसे टालने की आशा से; दूसर, फिर अगर यह होता है तो इससे बचने का प्रयास करने से और तीसरे, उस समाज को समझने के उद्देश्य से, जिसमें हम रहते है, जो, हम चाहें वह पिछले युद्ध और युद्धप्रिय से लोगों से प्रभावित होती है।

महोदय, यह कह कर मैं आपकी कृपा की अभिलाषा करूंगा और इतनी अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंत्री तथा मंत्रालय की धन्यवाद दूंगा। तीनों सेनाओं के संबंध में – थल सेना, नौसेना और वायुसेना – चाहे वह उपकरणों का आधुनिकीकरण हो, चाहे वह उपकरणों के नये उत्पादन की प्राप्ति ही, चाहे वह शस्त्रों, आर्टिलरी, सिग्नल, इंजीनियरी इन्फेन्टरी या मिसाइलों के मामले में हों उन्होंने आर्थिक संकट की परीस्थितियों में भरसक प्रयत्न किए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शस्त्रों के मामले रिपोर्ट में में हम देखते हैं कि हम और शस्त्रक्रय करना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा अन्य देश कर रहे हैं क्या हम भी अपने पुराने सेन्चुरियन में सुधार या मरम्मत नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है और जो पांच से छह वर्ष तक भली प्रकार कार्य कर सकते हैं, जबकि हमें नए टैंकों और नए शस्त्रों को प्राप्त करने में होने वाले खर्च का के ल 50% ही खर्च करना पड़ेगा। यही बात सैनिक युद्ध वाहन या शस्त्र सैनिक वाहक के मामले में है। आज हमारे बेस वर्कशापों में यह कार्य करने के लिए हमारे पास तकनीकी जानकारी है, विजेषज्ञ हैं तो फिर हम इस विशेषज्ञता और जनशक्ति का उपयोग करने का प्रयास क्यों नहीं करते ?

जैसाकि मैंने कहा, इस बजट में सरकार ने सशस्त्र सेनाओं का प्रसार किए बिना नए शस्त्र प्राप्त करने तथा आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया है। जब सरकार आधुनिक शस्त्र प्राप्त करने का प्रयास कर रही है तो ऐसे शस्त्रों को निर्माण के लिए योजना बनाना भी आवश्यक है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बात की तकलीफ की है कि अन्य देशों की तरह हमारे पूरे देश को प्रादेशिक सेना के रूप में सैनिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है जो आज सशस्त्र सेनाओं की अप्रत्यक्ष सहयोगी है। पिछले सत्र में श्री शिवराज पाटिल एक विधान लाए थे जिसने संसद को प्रावधान करने का अधिकार दे दिया था। अर्थात्, प्रादेशिक सेना के किसी भी नियम या अधिनियम में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। जब 1949 में प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी तो इसकी प्राधिकृत संख्या 1.3 लाख थी

[श्री के० पी० सिंह देव]

और सशस्त्र सेना में संख्या 3 लाख थी। सशस्त्र सेना में संख्या 11 लाख तक हो गई है और प्रादेशिक सेना की संख्या 45,000 रह गई है। इससे पता लगता है कि हमने प्रादेशिक सेना, नागरिकों की सेना, को बनाने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए और जिसमें यह व्यवस्था है कि 18 और 35 वर्ष के बीच की आयु का प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सैनिक प्रशिक्षण ले और देश की रक्षा में अपना योगदान दे।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? इसलिए कि विभिन्न देशों में, राष्ट्र का स्वास्थ्य सुधारने तथा चरित्र का विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा दी जाती है। हमारे देश में केवल एन० सी० सी० है जो चरित्र तथा अनुशासन के विकास के लिए विद्यार्थियों तक ही सीमित है। है। परन्तु यहां पर प्रादेशिक सेना है जहां इसकी एक बटालियन पर नियमित सेना की एक बटालियन की लागत का छठवां भाग लगता है और जो सैनिक प्रशिक्षण ले सकती है तथा सुदृढ़ शरीर, अनुशासित और प्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण कर सकती है जो केवल देश की ही नहीं अपितु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभिन्न अन्य उद्योगों की सम्पत्ति होगी तथा देश के विकास में सहायक होगी।

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के समूचे क्षेत्र की जटिलताओं के सम्बन्ध में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों में रक्षा व्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी ने वर्तमान युग को संघर्ष का युग कहा है और हमारी सीमाओं पर डेमोवलीस की तलवार की तरह युद्ध के काले बादल भंडरा रहे हैं। अतः आज रक्षा की समस्या बहु-आयामी समस्या है। रक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को मैंने ध्यान से पढ़ा है। यदि कहीं कोई विषय है जहां पर हमारा समूचा देश लगभग सहमत हो सकता है तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के वातातावरण के बारे में प्रतिवेदन में मूल्यांकन किया गया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। भारत की भौगोलिक राजीतिक तथा सामरिक स्थिति ने हमें विशेष परिस्थिति में डाल दिया है। एक विलक्षण स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे देश के इर्द गिर्द एक स्पष्ट दृश्य उभर रहा है। वह दृश्य क्या है ? हमारे पड़ोस में तनावों में विस्तार हुआ है। अफगानिस्तान में बड़ी चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। हिन्द महासागर तथा खाड़ी में महाशक्तियों ने भी अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार कर लिया है। ईरान-ईराक युद्ध से भी स्थिति बिगड़ी है। हमारी उत्तरी सीमाओं पर होने नाली हलचलों पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। महाशक्तियों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा तथा तीसरे विश्व में षडयन्त्रों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में विघ्न पड़ा है, इसमें सन्देह नहीं है। हमारी इर्द-गिर्द होने वाली इन घटनाओं को मद्दे नजर रखते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शकुन अनिष्ट-सूचक हैं।

मैं उन लोगों में से हूं जो पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्धों का समर्थन करते चले आ रहे हैं। हो सकता है मुझे गलत समझा जाये, किन्तु मैं विदेश मन्त्री महोदय से अथवा रक्षा मन्त्री महोदय

से पाकिस्तान के साथ हमारे मैत्री सम्बन्धों के बारे में रोज ही प्रश्न पूछता रहता हूं, चूंकि रूस की सेनाएं अफगानिस्तान में हैं, पूरा सन्दर्भ ही बदल गया है अतः हमें पाकिस्तान के साथ मित्रता के लिये प्रयास करने चाहिये ताकि वह हथियार जमा करने की पागल होड़ में न लग जाये।

एक माननीय सदस्य : श्री मोरारजी देसाई के मंत्र के माध्यम से ।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की बात भी कहने वाला हूं। उन्होंने हमें यह बताया कि एक सशक्त पाकिस्तान भारत के हित में अच्छा होगा और उनका यह विचार बिल्कुल सही है। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान में स्थायित्व भारत के हित में है।···(व्यवधान) मुझे इस बात का पता नहीं है कि मेरे मित्र उस समय राजनीतिक किसान के छात्र थे अथवा नहीं, वह एकदम शून्य से पैदा हो गये लगते हैं; वह इस देश की राजनीति को नहीं समझते। मैं एक स्वतन्त्रता सेनानी हूं और मुझे मालूम है कि राजनीति क्या होती है।

आरम्भ से ही अर्थात् 1947 से ही हमारे सभी नेतागण, श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी नेतागण पाकिस्तान का हित चाहते रहे हैं और हमने कभी भी उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान हमेशा महाशक्तियों के हाथों में ही खेलता रहा है। (व्यवधान) मैं उस बात पर आ रहा हूं। आप व्यर्थ में डर रहे हैं। जो दो युद्ध हुए हैं उनमें पाकिस्तान निश्चित रूप से कुछ महाशक्तियों के हाथों में खेला है।

किन्तु साथ ही परिवर्तित सन्दर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अफगानिस्तान में रूस द्वारा सैनिक हस्तक्षेप से हमारे देश के हाथ में एक स्वर्णिम अवसर आया है और मेरे विचार से पाकिस्तान को विश्वास दिलाने के लिये हमें इस अवसर का प्रयोग करना चाहिये कि हम इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। यदि सभी देश उसी प्रकार की रचनात्मक मित्रता का विकास करते हैं तो श्री मोराजी देसाई के वक्तव्य का यही अर्थ निकलता है जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हथियार में जमा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यदि उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो भारत उसकी सहायता करेगा और उसकी रक्षा के लिये दौड़ा-दौड़ा आयेगा। इसी सन्दर्भ में मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

मेरे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि पाकिस्तान को इस प्रकार हथियार जमा करने चाहिये कि वे उनका उपयोग हमारे विरुद्ध करे। कोई भी देश भक्त इस प्रकार की बात नहीं कह सकता और मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे विचारों को यहां बैठे आपके कुछ मित्रों ने गलत समझा है।

पाकिस्तान में इस घटना के कारण तनाव में और अधिक विस्तार हुआ है, जबकि अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह पाकिस्तान को और हथियार देने जा रहा है, वह उसे आधुनिक हथियार देगी और पाकिस्तान भी उन्हें करने को तत्पर है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों और न्यूकलीय क्षमता प्राप्त करने के लिये पागलों की सी छोर लगी हुई है, इस बात के बारे में कोई सन्देह नहीं है।

[श्री रतन सिंह राजवा]

जहां तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है इस बारे में हमारा देश यह भी भूमिका निभा सकता है। प्रधान मन्त्री अभी अभी गई हैं, महोदय, मैंने उनसे यह अपील की होती कि वह एक रचनात्मक भूमिका निभा सकती हैं। वह सोवियत रूस के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकती हैं और उन्हें यह बता सकती हैं कि हमारा देश क्षेत्रीय अखंडता में विश्वास करता है, हम सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, और इसलिए ही हमने कभी भी दूसरे देशों की धरती पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति का समर्थन नहीं किया। यदि वह ऐसा करती हैं और यदि हम रूस को इस बात के लिए मनवा लें कि वह अपने सैनिक हटाले तो उससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र के तनावों में कमी आयेगी, अफगानिस्तान के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं। आज हमें एक विचलित करने वाला समाचार प्राप्त हुआ है कि रूस अफगानिस्तान में न केवल हथियारों के अम्बार लगा रहा है बल्कि वह वहां के स्वतन्त्रता सेनानियों को भी कुचल रहा है। आज हमने समाचार पत्रों में यह समाचार पढा है कि रूस के सैनिकों ने स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध जहरीली गैस का प्रयोग करके उन्हें खतम कर दिया है। अफगानिस्तान अपना रक्त दे रहा है वहां के देशभक्त देश की स्वतन्त्रता के लिये अपना बलिदान दे रहे हैं और भारत को इस सब का मूल दर्शक बनकर ही नहीं रह जाना चाहिए और वर्तमान सरकार के सामने यही मेरा यह तर्क हैं, एक सशक्त सुझाव है। मेरा विचार से सरकार यदि उन्हें नहीं बचाती तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होगी।

प्रतिवेदन में दिआगो गार्सिया का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु अफगानिस्तान में रूसी सैनिक हस्तक्षेप के मामले पर हम पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं।

प्रतिवेदन में दिआगो गार्शिया में महाशक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख किया और हमने इस प्रतिवेदन में इस क्षेत्र में चीनी-अमरीकी नीतियों का भी उल्लेख नहीं किया-दुर्भाग्य की बात यह है कि महाशक्तियां ऐशिया को संघर्ष का केन्द्र बनाने में सफल हो गई हैं और इससे ही हमारे क्षेत्र को सब से बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है जो सैनिक दृष्टि से स्थिति को गम्भीर बनाता है।

इसके अतिक्ति, हाल में कुछ खतरनाक घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री महोदय ने भी समूचे विश्व में युद्ध भड़कने की बात कही थी। मुझे यह तो नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या है किन्तु जब वह उत्तर दें तो उन्हें देश को विश्वास में लेकर हमें बताना चाहिये कि उनके दिमाग में कौनसी बात है तथा उनका स्थिति का मूल्य कन क्या है और उनके मूल्यांकन के अनुसार वह कौनसी घटनाएं हैं जो विश्व युद्ध में परिणित होने वाली हैं। मेरे विचार से सदन के माध्यम से इस देश को यह जानने का अधिकार है कि वह कौन-से कारण हैं तथा उस स्थिति का प्रधान मन्त्री का मूल्यांकन क्या है जिसकी परिणति विश्व-युद्ध में हो सकती है। हमे भी मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों में अमरीकी-चीनी-ब्रिटेनी गठबंधन को भी ध्यान में रखना होगा, इस सम्बन्ध में मैं 3 अप्रैल 1981

के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार का उल्लेख करना चहूगा जो 'अमरीका और खाडी देशों के बीच गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर" शीर्षक के अन्तर्गत निकला था। यह समाचार सत्य हो सकता है क्योंकि लंदन के समाचार पत्र "डेज" में यह समाचार उस के बाद प्रकाशित हुआ जब ब्रिटेन के रक्षा मन्त्री जोन नॉट खाड़ी देशों की अपनी 10-दिवसीय यात्रा से लौटे ही थे। यह एक नई घटना है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिये। हमें इसके अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिये कि क्या यह लाभकारी अथवा विनाशक घटना है-- हमें इसका इसी सन्दर्भ में मूल्यांकन करना होगा और तब हमें यह निर्णय करना होगा कि हमारा रवैया क्या होना चाहिये इससे हमारे दिलों में सन्देह उत्पन्न हो गया है क्योंकि आज के ब्रिटेन में टोरी प्रशासन है। यह सन्देह ब्रिटेन की विचारधारा तथा श्रीमती मार्ग्रेट थेचर के कार्य करने के ढंग से उत्पन्न हो रही है। यद्यपि ब्रिटेन के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, वहां की प्रधान मन्त्री श्रीमती मार्ग्रेट थेचर भारत आ रही हैं। किन्तु जहां तक इस बात का सम्बन्ध है ब्रिटेन एक इसरा खेल खेल रहा है। वह अमरीका, पाकिस्तान, चीन आदि के बीच एक ईमानदार दलाल की भूमिका निभा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आप यह कैसे जानते हैं कि वह एक ईमानदार दलाल की भूमिका निभा रहा है ?

श्री रतनसिंह राजदा : वे ईमानदार दलाल की तरह कार्य कर रहे हैं। उनके साम्राज्यवादी इरादे हैं। वह अपना पुराना खेल ही खेलना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो हमें सतर्क रहना होगा। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये।

पाकिस्तान, चीन, अमरीकी.....और ब्रिटेन में.....(व्यवधान)

श्री चव्हाण मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यह बात कैसे जानता हूं कि वह दलाल हैं ? जो घटनाएं हो रही है, उनसे यह प्रतीत होता है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हैं। घटनाएं ऐसी हो रही है कि हमें उन पर ध्यान देना होगा। यह बात बिना महत्व की नहीं हैं कि श्रीमती थैचर की भारत-यात्रा के समय ही ब्रिटेन के विदेश मन्त्री लार्ड कारीगंटन ने चीन और पाकिस्तान की यात्रा की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसी प्रकार श्री सुब्रह्मयम स्वामी ने यात्रा की है।

श्री रतनसिंह राजदा: अब उनके पास कोई कार्यकारी पद नहीं है। आपको इस बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। वह वहां पर मित्रता के नाते जा रहे हैं।

(श्री गुलशेर अहमद—पीठासीन हुए)

श्री रतनसिंह राजदा : मुझे विश्वास है कि जब श्रीमती थैचर अगले सप्ताह यहां आयेंगी तो हमारी प्रधान मन्त्री ये मामले उनके साथ उठायेंगीं।

[श्री रतनसिंह राजदा]

कुछ दिन पहले लन्दन में टोरी सरकार भी रंगभेद की नीति का विरोध करने के लिए ट्राफालगर स्क्वायर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। उस समय एक लेबर सदस्या श्रीमती रिचर्डसन ने अपने भाषण के दौरान हमारी प्रधानमन्त्री को सुझाव दिया था कि ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री के भारत के दौरे के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी को उन्हें आड़े हाथों लेना चाहिये। उनके विचार में इस विषेयक के माध्यम से रंगभेद की नीति को संवैधानिक स्तर पर अनुमोदित किया जा रहा है। न तो मैं उस भाषा का प्रयोग करूंगा और न ही उसके साथ सहमत होऊंगा। किन्तु मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि रंगभेद आदि की समस्या पर लार्ड कारींगटन की इस गतिविधि पर ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री के साथ व्यापक रूप से चर्चा की जाये। हमारी प्रधान मन्त्री महोदया को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री महोदया की आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से झांकना चाहिये और उन्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहिये। उन्हे कुछ स्पष्ट रूप से बताना होगा एक नारी के दूसरी नारी की आंखों में झांकने में कोई बुराई नहीं है। परन्तु उन्हे यह दृढ़ता-पूर्वक बताना होगा कि हमारी ये भावनाएं, इच्छाएं, मनोभाव और विश्वास हैं। मेरे विचार से हम इस क्षेत्र में शाठित के हित में कार्य करने में सफल नहीं हों पायेंगे···

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वे संघर्ष और झगड़ेबाजी से फलते-फूलते हैं, उसी से जीवित रहते हैं

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : अपने को मिले थोड़े समय में मैंने जिस प्रकार की दृश्य-योजना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसे देखते हुए यदि यही दृश्य योजना है तो हमें अपनी सेना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना ही पड़ेगा। हमें यह देखना है कि इस दृष्टि-कोण से हम अपनी सेना को कैसे और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। ये हमारे समक्ष चुनौतियां हैं और सेना को समानुपातिक शक्ति चाहिए जिससे कि वे किसी भी आपातस्थिति का मुंहतोड़ उत्तर दे सके।

हमें यह देखना होगा कि हमारी शस्त्र सेनाओं में सम्पूर्ण अनुपात में वृद्धि हो। हमें अपनी शस्त्र सेनाओं के तीनों स्कन्धों को सर्वोत्तम आधुनिकतम शस्त्र और उनके पुर्जे उपलब्ध करानें चाहिये। मैं विस्तार में जाना पसन्द नहीं करूंगा। परन्तु मैं निश्चितरूप से सरकार को बता देना चाहता हूं कि हम इस तथ्य से आसावधान नहीं रह सकते कि कुछ महत्वपूर्ण रक्षा शस्त्रों के लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, जिसमें या तो मुख्य कच्चे माल के लिए या कुछ अन्य फालतू पूर्जों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। हमारी सेनाओं का पूर्ण आधुनिकीकरण होना चाहिए तथा पुराने उपस्कर के स्थान पर नयों की संपूर्ति होनी चाहिये हमें अधिक मारक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और हमारी सेना में अधिक गतिशीलता होनी चाहिए तथा उसके पास संचार के आधुनिक साधन होने चाहिएं। इससे पता चलता है कि हमारी सेना को अपने सभी स्कन्धों को शक्तिशाली बनाने के लिए एक अनवरत प्रक्रिया की आवश्यकता है जिससे जब भी कभी कोई चुनौती हमारे सामने आये तब सेना हमारी सीमाओं की बड़ी ही

सफलतापूर्वक रक्षा कर सके और बड़ी ही विश्वसनीयता से अपना कर्त्तव्यपालन कर सके। जब कभी चुनौतियां आई हैं उन्होंने बड़ी ही विश्वसनीयता से अपना कर्त्तव्यपालन किया है। सारा देश सेना के पीछे एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

इस कमी को अतीव शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। हमारे अनुसंधान और विकास संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारे वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं तथा तकनीशियनों को उपयुक्त अवसर दिया जाए तो वे चमत्कार करके दिखा सकते हैं। हम अपने राजस्व का लगभग 30% शस्त्र सेनाओं पर व्यय करते है। देश को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि खर्च होने वाला प्रत्येक रुपया सही ढंग से खर्च होता है और वह नेक कामों के लिए खर्च किया जाता है।

महोदय, मशीन से अधिक महत्वपूर्ण मशीन के पीछे काम करने वाला व्यक्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सेना के कल्याण आदि सेवा की शर्तों के बारे में समस्त सदन को एक स्वर में बोलना चाहिए।

महोदय, चूंकि मेरे पास कम समय है, अत: मैं कुछ मुद्दों पर सरसरी निगाह डालकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सारा देश चाहता है कि हमारे पास एक ऐसी आधुनिक सेना हो जो सर्वोत्तम आधुनिकतम शस्त्रों से सज्जित हो और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा हो जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके। देश को एक ऐसी सेना की आवश्यकता है जिसकी सांग्रामिक तैयारी पूर्ण हो तथा कार्यकरण में भरपूर दक्षता हो। देश को संपूर्ण अनुपात में सुधार चाहिए। देश को इस बात की आवश्यकता है कि सेना से आए हुए लोगों को संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जाए जिससे कि उन क्षेत्रों में उनकी सेवाओं को रचनात्मक में उपयोग में लाया जा सके।

ये सब बातें कहने के बाद, मैं कहूंगा कि जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, समस्त संसद, सारा देश एकजुट होकर माननीय प्रधान मन्त्री महोदया, देश के नेताओं तथा अपनी राष्ट्रीय शस्त्र सेनाओं के पीछे सदैव खड़ा रहेगा।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सभापति महोदय, मैं वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल बहस के अन्त में प्रधानमंत्री महोदया उत्तर देंगी। वे सभी प्रमुख बातों पर बोलेंगी। वे रक्षा नीति और दर्शन पर अपने विचार प्रकट करेंगी। उन मुद्दों पर बोलना मेरे लिए आवश्यक नहीं है।

जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने हमारी सुरक्षा सेनाओं और रक्षा मन्त्रालय के कार्य की सराहना की है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

द्वारा अपनाई गई नीतियों का समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने कुछ उचित सुझाव दिए हैं और कुछ सदस्यों ने आलोचना भी की है। परन्तु इससे पता चलता है कि रक्षा-दर्शन, रक्षा नीति तथा रक्षा मन्त्रालय और सेनाओं द्वारा देश में किए गए कार्य के प्रति उनकी कितनी रूचि है। यह तो बड़ी ही स्वागत योग्य बात है।

जहां तक रक्षा नीति का सम्बन्ध है उसके बारे में मतभेद नहीं है।

अपना भाषण समाप्त करते समय माननीय सदस्य श्री राजदा ने कहा था कि हम अपनी प्रधानमन्त्री महोदया और देश की सुरक्षा सेनाओं के पीछे दृढ़ता से खड़े हुए हैं।

श्री वाजपेयी जी भी यहां बोले हैं। वे एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं और उनमें किसी भी गलत बात की आलोचना करने तथा उसकी धज्जियां उड़ाने की क्षमता है। परन्तु इस प्रकार बोलने के लिए उनका मन नहीं माना क्योंकि हमारी नीति और दर्शन उन्हें स्वीकार्य हैं। सम्भवतः इसीलिए वे यहां कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठा सके। वे अपने भाषण को कुछ-कुछ मसालेदार, चरपरा बनाना चाहते थे परन्तु दुर्भाग्य से यह कटु हो गया। परन्तु जो कुछ उनके मानस में घुमड़ रहा था वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। परन्तु महत्वपूर्ण मामलों, समस्याओं की आलोचना न करके उन्होंने दर्शा दिया है कि वे उनसे सहमत हैं तथा यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

विपक्ष के कुछ सदस्यगण भी आज बोले हैं और कुछ संभवतः कल भी बोलना चाहेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि मंत्रालय की ओर से उन मुद्दों का सदन में उत्तर दे दिया जायेगा। फिर मैं सदन में निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन पर बोलते समय वे जो मुद्दे उठाएंगे उन सबका उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। परन्तु मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे मंत्रालय से जो कुछ कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से उन बातों पर विचार किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, हम उनका उत्तर लिखित रूप में देंगे और यदि उनके सुझाव स्वीकार्य हुए तो हम जो बात सम्भव होगी, अवश्य करेंगे।

माननीय सदस्य यहां पर जो मुद्दे उठाते हैं वे कठिन मुद्दे नहीं हैं। इस ओर बैठे हुए हम लोग जो मन्त्रालय की ओर से बोलते हैं, बड़ी ही उत्तम स्थिति में हैं, क्योंकि इस सभा के अधिकांश सदस्य उन मुद्दों से सहमत हैं। कुछ मुद्दे विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं और सत्तासीन दल की ओर से इस ओर बैठे हुए सदस्यों ने उनके उत्तर दिए हैं और वे उनका उत्तर कल भी अपने भाषणों के दौरान देंगे।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, मैं मोटी-मोटी बातें कहना चाहूंगा। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा सकता हूं। उन मुद्दों के प्रत्येक पहलू पर विचार करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा।

माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया है कि विश्व-स्थिति बड़ी ही जोखिमपूर्ण एवं खतरनाक हो गई है। इस बारे में दो मत नहीं हो सकते है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि दक्षिण-पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। इस बात पर भी दो मत नहीं हो सकते कि हिन्द महासागर में हथियारों का अम्बार लगाया जा रहा है। हम सभी मानते हैं कि पाकिस्तान विभिन्न देशों से शस्त्र एकत्रित कर रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ये आसार अच्छे नही हैं। हमने इस सदन में और बाहर भी यह बताया है, प्रधानमन्त्री महोदया और हमारे देश के सभी महत्वपूर्ण लोगों ने बताया है कि पाकिस्तान के प्रति मारा कोई द्वेषभाव नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि पाकिस्तान स्थायी रहे और समृद्धिशाली बने। परन्तु इतिहास हमें कुछ और ही बताता है जिसे हम सरलता से भुला नहीं सकते हैं। पश्चिम के इस हमारे निकटतम पड़ौसी ने हम पर कई युद्ध थोपे हैं और यह बात हम भूल नहीं सकते हैं। और यदि वहां हथियार एकत्रित किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश को कुछ न कुछ खतरा है। इस बात पर भी हमारे बीच मतभेद नहीं है। अतः महोदय, खतरे की मात्रा और दिशा की सम्भावना के प्रश्न पर सम्भवतः कोई मतभेद नहीं है और मेरे विचार से, इस मुद्दे पर हमारा राष्ट्र, हमारा यह सदन सब एक हैं।

अपने भाषण के दौरान माननीय सदस्यों ने एक दूसरा सुझाव यह दिया था कि हमें किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रक्षा मन्त्रालय और सशस्त्र सेनाओं की ओर से बड़ी जिम्मेवारी से मैं कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने को तैयार है। सम्भावित खतरे का सामना करने के लिए हम कैसे तैयारी करते हैं ? हम किसी भी सम्भाव्य स्थिति का सामना करने के लिए उसमें निहित दर्शन तथा नीति पर विचार करके, संभावित खतरे का सामना करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, अपेक्षित उपकरण देकर तथा प्रशिक्षित करके तैयारी करते हैं। जहां तक रक्षा सेनाओं का संबंध है ये कुछ काम हैं जिन्हें हम करना चाहेंगे। इसके साथ ही, किसी भी सम्भावित खतरे का सामना करने के लिए हम कृषि क्षेत्र में तथा कारखानों में अधिक उत्पादन करके, अन्तर्राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय नीति में सही नीति का पालन करके, सही तरीके से कुटनीति का निर्माण करके, विश्व में—विश्व के इस भाग तथा हमारी सीमाओं पर भी कभी भी उठ खड़े होने वाले खतरे के सम्बन्ध में शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशान्ति को कायम रखने और युद्ध को टालने के साधनों और तरीकों में सामन्जस्य स्थापित करके अपने देश को तैयार करना चाहते हैं। इस बात पर भी कोई मतभेद नहीं है।

यह कहा गया था कि हमें सेनाओं को आधुनिक बनाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है और यह बात हमारे लिए बहुत सन्तोषजनक है कि इस पर कोई मतभेद नहीं है। हम सेनाओं को आधुनिक बनाने का प्रयत्न करते हैं, हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए आधुनिकतम शस्त्र प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम ऐसा कैसे करते हैं ? हम देश में उपलब्ध तकनीक का प्रयोग करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का काम आरम्भ किया था और अब हम अपने महान नेता, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशाल दृष्टिकोण का लाभ उठा रहे हैं···

श्री ज्योतिर्मय : यह दिखावा मात्र बन कर रह गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करने की स्थिति में हैं। परन्तु आज विश्व में, सभी देश एक-दूसरे से होड़ लगा रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत तेजी से विकास हो रहा है ? हमारे देश जैसे देश के लिए जिसके सामने कई समस्या सुलझाने के लिए शेष है, जिसे कई समस्याओं का सामना करना है, यह सम्भव नहीं है कि वह विश्व के सभी विकसित देशों के साथ-साथ चल सके। अब कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ पहलू हैं और वे उन्हीं का विकास कर रहे हैं। हमारा विचार यह है कि उन सबका आयात किया जा सकता है, उन्हें अपने देश में लाया जा सकता है। उनके साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी प्राप्त की जाए और उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। भविष्य में हमारे लिए आवश्यक सभी चीजों और हमारे उपकरणों और उपस्करों को आधुनिक बनाने के लिए उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उसकी क्षमता का विकास किया जाए। यही वह नीति और दर्शन है जिसका हम पालन कर रहे हैं। हम अपने कारखानों और अपने सरकारी उद्यमों की सहायता से गैर-सरकारी कारखानों तथा उद्योगों और हमारे देश के वैज्ञानिकों की सहायता से अपने उपस्करों को आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ ही हम विदेशों से भी सहायता लेने के प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इस बात पर भी कोई मतभेद नहीं है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हम विदेशों से शस्त्र आयात कर रहे हैं। श्रीमान्, यह आवश्यक है।

रक्षा एक ऐसा विषय है जिसके लिए केवल अपने ही देश पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। यदि हमें खतरे का सामना करना है तो हमें यह पता लगाना होगा कि खतरा कहां से है, यह किस प्रकार का है, यह किस प्रकार के अस्त्रों से हमें नुकसान पहुंचाएगा। तभी हम प्रभावशाली रूप से खतरे का सामना कर सकते हैं। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम विदेशों से भी कुछ शस्त्र लें और स्वयं को साज्जित करें। यह कहना ठीक नहीं है कि हम विदेशों से कुछ भी नहीं लेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते। हम शान्ति चाहते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते। हम किसी के भी प्रदेश को हड़पना नहीं चाहते। परन्तु केवल शान्ति की कामना करने मात्र से ही तो हमें शन्ति मिल नहीं सकती। कभी-कभी अपने विरोधी को यह बताने के लिए भी सख्ती बरतनी पड़ती है कि हमारे देश के साथ युद्ध की बात सोचना ठीक नहीं है। और तभी हम शान्ति और सुरक्षा कायम रखने में समर्थ हो सकेंगे। तभी विश्व में या विश्व के इस भाग में हम शान्ति कायम करने में समर्थ होंगे। हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कल अपनी प्रधान मंत्री के कहने के लिए कोई भी बात नहीं छोड़ रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक आर० एण्ड डी० का संबध है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : निरन्तर आयात पर निर्भरता बस यही बात है। पुराने अस्त्रों और शस्त्रों का कूड़ा घर।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे माननीय मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु का विचार है कि हमें किसी दूसरे देश पर लगातार निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। यह एक अच्छा प्रस्ताव है जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता। मैं उस पर विवाद नहीं करूंगा। हम ऐसा ही कर रहे हैं। इस समस्या को हम कैसे सुलझा रहे हैं? हमारे पास अपने अनुसंधान तथा विकास स्कंध हैं। हमारे पास अपनी प्रयोगशालाएं हैं हमारे अपने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं और क्या उत्पादन कर रहे हैं वह इस देश तथा विश्व को भी पता है चूंकि हमारे वैज्ञानिक कुछ करने में सफल रहे हैं। इसलिए अन्य देशों में हमारी इज्जत बढ़ी है। उदाहरण देना आवश्यक नहीं है हमने यह किया और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अनुसंधान तथा विकास ने उन्नति की है। महोदय, ऐसी कई बातें हैं जिनकी सभी लोगों को जानकारी है। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी जटिल बातें हैं जिनके बारे में सम्भवतः सभा के सभी-सदस्य जानना नहीं चाहेंगे।

जहां तक उत्पादन का संबंध है, हमने एक दर्शन विकसित किया है। जहां तक हमारी रक्षा के लिए अपेक्षित उपकरणों और उपस्करों के उत्पादन का संबंध है, हमारे पास अपने रक्षा कारखाने हैं, हमारे पास सरकारी उद्यम हैं और हम अपनी प्रयोगशालाओं की सहायता से अपने कारखानों और सरकारी उद्यमों में अपनी रक्षार्थ आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों का उत्पादन करेंगे। हम उपलब्ध क्षमता का उपयोग करना चाहेंगे और ऐसा करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे। कभी-कभी कुछ कारखानों में स्थापित क्षमता का उपयोग करना सम्भव नहीं होता है, परन्तु हमारा विचार उस क्षमता का उपयोग करने का है। हमारा विचार सज्जित होना है और इसके लिये उन कारखानों तथा सरकारी उद्यमों से उपस्कर प्राप्त करना है। परन्तु उपस्कर देना यदि इन कारखानों और सरकारी उद्यमों के लिए सम्भव नहीं हुआ, तो हम निश्चय ही ये उपस्कर लोगों से, उद्योगपतियों से और देश में अन्यों से लेना चाहेंगे जो उनका उत्पादन कर रहे हैं और यदि उनसे भी प्राप्त करना सम्भव न हुआ तो चाहे हमें पसन्द हो या न हो, जबरदस्ती विदेशों से प्राप्त करने को वरीयता देंगे। यही हमारी नीति होगी, यही हमारा दर्शन होगा। थलसेना, नौसेना और वायु सेना तथा अन्य चीजों के आधुनिकीकरण के विषय में बोलना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। हम इन सभी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं और हमने एक रूप रेखा तैयार की है और इस रूपरेखा में हमने बहुत संक्षेप में कहा है कि थलसेना के लिए क्या किया जाएगा, नौसेना के लिए हमारा क्या करने का विचार है और वायुसेना के लिए हमारा क्या करने का विचार है।

अभी-अभी एक सुझाव दिया गया था कि हमें अपनी नौसेना में सुधार करना चाहिए। ठीक है, यह एक मान्य सुझाव है ; हम इस पर विवाद नहीं कर सकते। परन्तु इस समय हमें

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

अपनी थलसेना में सुधार करना है । हमारी थलसेना बहुत महत्वपूर्ण होगी । परन्तु, जिस प्रकार महासागर में स्थिति बन रही है उससे महासागर अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है । महासागरीय स्रोतों का आज मानव द्वारा शोषण किया जा सकता है और हम इस पहलू की भी उपेक्षा नहीं कर सकते । नौसेना को भी विकसित करना आवश्यक होगा । परन्तु नौसेना के विकास का काम थोड़ी सी अवधि, एक वर्ष या पांच वर्ष, में नहीं किया जा सकता । यह सम्भव नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि उपलब्ध समुद्री स्त्रोतों का उपयोग करने हेतु अपनी नौसेना के विकास के लिए हमारी योजना नहीं हैं । हमें अपने समुद्र तट की रक्षा करनी होगी ; हमें अपने समुद्री मार्ग की रक्षा करनी होगी और हम समुद्री क्षेत्र में उन सभी चीजों की रक्षा करना चाहेंगे जिनका हम उपयोग कर सकते हैं । मैं एक बहुत सतर्क वक्तव्य दे रहा हूं इन योजनाओं पर हमने निश्चित तौर पर विचार किया है । विश्व में कोई भी देश ऐसा ही करना चाहेगा और फिर अन्तरिक्ष भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है । वायु मंडल भी अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है । वास्तव में वायुसेना भी महत्वपूर्ण है और हमें निश्चित रूप से वायुसेना को सुदृढ़ करना है । यदि हम अपने देश में ही वायुसेना के लिए आवश्यक उपस्करों का उत्पादन कर सकें तो हम ऐसा करके निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे । परन्तु यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो, उस मामले में, हमें विदेशों से उपस्कर लेने होंगे । हमें अपनी वायुसेना को भी सुदृढ़ करना होगा । यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल होंगे । ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल पांच वर्ष के लिए ही योजना है ; हम पच्चीस वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं । कुछ सझाव दिए गए थे कि हमारे पास सामरिक महत्व की योजना होनी चाहिए और केवल छोटी-छोटी योजनाएं नहीं होनी चाहिए । सदस्यों में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास कोई योजना नहीं है ; हमने भविष्य की योजना पर विचार नहीं किया है । हम निरूद्देश्य ढंग से खर्च नहीं कर रहे हैं ; हम उस ढंग से खर्च कर रहे हैं, जिस ढंग से खर्च करना चाहिए । हमारे पास योजनाएं है ; हमने इसके विषय में विचार किया है । जब भी आवश्यक हो हमें अपने विचारों को भी बदलना चाहिए । कृपया यह धारणा न बनाए कि हम निरूद्देश्य और लापरवाही से खर्च कर कर रहे हैं । ये सारे काम हम कर रहे हैं । हम जानते हैं क्या आवश्यक है या क्या अनावश्यक है । यह वह सरकार है जो काम कर रही है और जो योजना के प्रति दृढ़ है । पंडित नेहरू ने जो योजना आरम्भ की थी ; पंडित नेहरू ने यहां योजना की स्थापना की थी और यह सरकार योजना के विचार का अनुसरण कर रही है । कृपया यह विचार न बनाएं कि हमारा रक्षा मंत्रालय बिना किसी योजना के कार्य कर रहा है ।

महोदय, हम समुद्र-तट रक्षक संगठन के विकास का भी प्रयत्न कर रहे हैं । हम अपने समुद्र-तट की रक्षा का प्रयत्न करेंगे, और प्रादेशिक सेना तथा एन० सी० सी० के विषय में मेरे विद्वान मित्र श्री के० पी० सिंह देव ने कुछ मुद्दे उठाए थे । महोदय, प्रादेशिक सेना और एन० सी० सी० तथा ऐसे ही अन्य संगठनों, जो सही मायने में सशस्त्र सेना नहीं हैं, को रखने में हमारा विचार यह है कि लोगों को शस्त्रों की जानकारी हो जाए और लोगों को पता लगे कि सशस्त्र सेनाओं में क्या कुछ होता है ।

जहां तक एन० सी० सी० का संबंध है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने और अनुशासित करने के लिए, उनके मन में अनुशासन की भावना बैठाने और उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाने का हमारा इरादा हैं। इसी विचार से ये संस्थाएं चल रही हैं हमारी आकांक्षा है कि ये संगठन महत्वपूर्ण संगठन हैं। लड़ने की क्षमता की दृष्टि से सम्भवत: ये संगठन थलसेना के समान नहीं हैं। परन्तु, इनके विषय में अलग धारणाएं हैं और वे अलग नमूने के हैं और इनके विषय में और अन्य लक्ष्य हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम निश्चित ही उन्हें प्राप्त करेंगे और हमें निरन्तर प्राप्त करते रहना चाहिए।

कल्याण के उपायों के विषय में एक सुझाव दिया गया था कि कल्याण के उपाय होने चाहिएं। हम रक्षा मंत्रालय में तथा सशस्त्र सेनाओं में भी, यह विश्वास करते हैं कि शस्त्र महत्वपूर्ण हैं। परन्तु, शस्त्रों से अधिक आदमी महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शस्त्रों का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। शस्त्रों का उपयोग करने वाले आदमियों को हम आवश्यक प्रशिक्षण देते हैं। हम उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करते हैं और साथ ही उनके कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। हम जिन वित्तीय सीमाओं, के अन्तर्गत काम कर रहे हैं उन सीमाओं में दी जा सकने वाली सभी सुविधाएं उन्हें देते हैं। हमारी प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा पूरी सभा उनकी देख-रेख करती है। इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कहे कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि बड़े पैमाने पर कल्याण के उपाय उपलब्ध कराये जायें ताकि हमारे बहादुर और पराक्रमी सिपाही, नाविक और वायुसेना अधिकारी आनन्द से अपना जीवन जी सकें। इस मुद्दे पर दो राय नहीं हैं। हमने कुछ उपाय किए हैं और हम निश्चय ही भविष्य में आवश्यक और अधिक उपाय करेंगे।

महोदय, इस समय चल रहे कल्याण संबंधी कार्यों के विषय में सारे ब्यौरे देना मेरे लिए संभव नहीं हैं। पिछले वर्ष के भाषण के दौरान श्री सी० पी० एन० सिंह जी ने इन कार्यों के विषय में सभा को विस्तार से बताया था। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था। यही काम हमने प्रतिवेदन में भी किया है। यदि इस विषय में माननीय सदस्यों के मन में कोई सन्देह है तो वे हमसे पूछ सकते हैं और हम स्पष्ट करेंगे। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी उपायों का संबंध है, इस विषय में हमारी प्रधान मंत्री बहुत सर्तक हैं। हमारी प्रधान मंत्री यह देखने का विशेष प्रयास करती हैं कि कुछ काम जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवश्यक हैं, वे निश्चित रूप से किये जाये। राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बोर्ड हैं। (व्यवधान)

मैं इस बात से सहमत हूं कि एक भी सैनिक बोर्ड नहीं है। हमने एक मानदंड निर्धारित किया है। यदि किसी जिले में एक निश्चित संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं तो बोर्ड गठित किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा जिला है जिसमें उस निश्चित संख्या में सैनिक हैं और कोई बोर्ड नहीं है तो आप ध्यान में लाइए और हम निश्चय ही कदम उठाएंगे।

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

महोदय, हमने कई कदम उठाए हैं। हमारा इरादा भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करना है। हम यह सहायता किस प्रकार करते हैं—हम उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। हमने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत उपक्रमों को कहा है कि वे उनके लिए स्थान सुरक्षित रखें। केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ऐसा कर रही हैं। हम फैक्ट्री लगाने के लिए उन्हें ऋण देते हैं। हम उन्हें कृषि आदि कार्य करने के लिए अपेक्षित धन देते है। हम उन्हें ट्रैक्टर और अन्य चीजें खरीदने के लिए लाइसेंस देते हैं। ऐसी कई चीजें है। सीमित समय के कारण इन सब बातों के ब्यौरे में जाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि भूतपूर्व-सैनिकों का कल्याण एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार इसे अनुभव करती है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है और कार्य करने की क्षमता रखते हैं उनकी सेवाओं का उनके अपने कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए उपयोग करने के लिये जो भी उपाय संभव और आवश्यक हैं उन्हें हम करें।

महोदय, जहां तक युद्ध और शान्ति का प्रश्न है मैंने अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं। मैं उन्हें पुनः दोहराना चाहता हूं। यह देश किसी अन्य देश की भूमि नहीं हड़पना चाहता। इतिहास इसका प्रमाण है। हमारे अतीत के कार्य इसका प्रमाण हैं। हम किसी भी अन्य देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु महोदय, हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम अवश्य ही वह कर्तव्य निभायेंगे। हम उस कर्तव्य में असफल नही रहेंगे। हम सदा शान्ति के लिए कार्य करते रहेंगे और समय आने पर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हम जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय पर व्यय करने के लिए धन हमारे पास है, परन्तु हम रक्षा पर उतना धन व्यय नहीं कर रहे हैं जितना हमारे पड़ोसी कर रहे हैं। सीमा पार क्या-क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है तथा हमारे समुद्र में पोतों के परिभ्रमण आदि सभी बातों को देखते हुए हम उतना व्यय नहीं कर रहे हैं जितना कि अन्य देश कर रहे हैं। विश्व में बहुत कुछ हो रहा है। हम अपनी रक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते और मुझे विश्वास है कि रक्षा मंत्रालय ने जितनी राशि की मांग की है उसे यह सदन स्वीकार कर लेगा। इसके विपरीत मैं सभी सदस्यों का व्यापक रूप से धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से उन सदस्यों का जिन्होंने यह कहा है कि आपको इतना धन चाहिए इतना लीजिए और अगर इससे अधिक चाहिए अधिक लीजिए। परन्तु महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इतनी राशि से काम चला लेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो आप यहाँ हैं ही और मुझे आशा है कि आप अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत अधिक व्यय किया है। पहले वक्ता ने बोलते हुए कहा 'आप उससे अधिक खर्च कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए था।" मेरे विचार से सभा के बहुमत का यह विचार नहीं है और सभा के बाहर भी लोगों का यह विचार नहीं है। सभा और सभा के बाहर बहुत ही कम लोगों का यह विचार है मेरे विचार में इस बात पर मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं सभा से निवेदन करता हूं कि युद्ध की तैयारी निश्चय ही मंहगी है। युद्ध की तैयारी युद्ध से भी मंहगी है। यदि आपको एक युद्ध लड़ना है तो हमें अवश्य ही उसे जीतना होगा। हमें

अवश्य ही अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान प्रभुसत्ता तथा एकता की रक्षा करनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं या इनकी रक्षा करने में असफल रहते हैं तो न केवल हम युद्ध हारेंगे। बल्कि हम बहुत महत्वपूर्ण चीज अर्थात विश्वास खो बैठेंगे। जिसकी यहां अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए भी बहुत आवश्यकता है। अतः हम कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा ही तैयार और तत्पर रहेंगे। हम हमेशा सतर्क रहेंगे। हम शान्ति के लिए काम करेंगे। परन्तु इसके साथ ही हम अपनी सेना युद्ध भूमि तथा फैक्ट्रियों और कार्यालयों में काम करने वाले अपने लोगों एवम् सम्पूर्ण जनसंख्या और देश के सम्पूर्ण लोगों के साथ किसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। मैं उनके द्वारा उठाई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों का उत्तर देना चाहता हूं।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रथम वक्ता द्वारा उठाया गया था वह प्रेरणा के बारे में था। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई प्रेरणा न होगी तब तक युद्ध लड़ना संभव नहीं होगा। महोदय मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह कहता हूं कि हमारा देश कोई ऐसा देश नही हैं जो इन तमाम वर्षों में बिना किसी प्रेरणा के जीवित रहा हो। क्या हमने यह सब बिना किसी प्रेरणा के किया है? क्या इस सभा में ऐसा कोई सदस्य है जो यह कहता हो कि हमने वह युद्ध बिना अपेक्षित प्रेरणा के बिना लड़ा था। हमने सभी प्रकार का अपमान और कष्ट सहे। क्या व सब बिना किसी प्रेरणा के था? जब हमने स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया तब केरल, अण्डमान, निकोबार, कश्मीर और असम में रहने वाले सभी लोग एक हो गए और एक आवाज में वे युद्ध लड़े। इसके पीछे प्रेरणा थी और यह प्रेरणा महान नेता महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू द्वारा दी गई थी। हम इस देश में प्रजातन्त्र चाहते थे। अतः हमने संघर्ष किया। हम स्वतन्त्रता चाहते थे। अतः हमने इसके लिए संघर्ष किया। हम एक ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना चाहते थे जिसमें सभी एक समान समझे जाएं। सब में आपस में भाई-चारा हो, किसी के साथ इसलिए भेदभाव न किया जाए कि वह नीच जाति का है न ही किसी के साथ इसलिए भेदभाव किया जाए कि उसका धर्म भिन्न है। अतः हमें इस प्रकार की विचारधारा या दर्शन दिया गया। हमें महात्मा गांधी ने धर्म निर्पेक्षता का दर्शन दिया और इसके लिए लड़े। हम एक भिन्न प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते थे। हमने संघर्ष किया और युद्ध में विजयी हुए। हम चाहते थे कि समानता आए और यदि समानता सम्भव न हो तो कम से कम समाज की सम्पत्ति का शीघ्र समान वितरण होना चाहिए। हम एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मिले और किसी एक व्यक्ति को सभी कुछ विलास के सारे साधन न मिलें। हम इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते थे, समाजवादी समाज का और हम इसके लिए लड़े। हमारे संविधान के ये मूलभूत सिद्धान्त हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना के ये मूलभूत विचार हैं। हमारी प्रेरणा के यही स्रोत हैं। यह अलग बात है यदि हम इनके बारे में बात न करें। यह अलग मामला है कि कोई इसकी आलोचना करता रहे और यह कहता रहे कि यह ठीक नहीं है, वह नहीं है। अतः यह एक बिल्कुल भिन्न मामला

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

है। हमारे देश का एक लम्बा इतिहास है। हमें अपनी भौतिक सम्पदा पर गर्व है और हमें अपने दर्शन पर अपनी विचाराधारा पर भी गर्व है। जिसने इन सभी युगों में हमारे देश के गौरव को बनाये रखा है अतः यह कहना कि हमारी कोई प्रेरणा नहीं थी, गलत है। हमारी प्रेरणा के स्रोत थे। इसी कारण हम इकट्ठे रहे। इसी कारण हम सभी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसी कारण हम विकास कर सके हैं।

एक भिन्न प्रकार के देश की प्रेरणा भी भिन्न होगी। यह एक अलग मामला है। परन्तु यह कहना कि हमारी कोई प्रेरणा नहीं है बिल्कुल गलत है।

माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने आयोजना की बात कही थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम शून्य में कार्य नहीं कर रहे। वे बच्चे नहीं है जो एक या दूसरे प्रकार के खिलौने की मांग कर रहे हो। अब उन्होंने प्रत्येक चीज के बारे में सोच लिया है, खतरे की मात्रा और दिशा के बारे में और इस बारे में भी कि 5 वर्षों, 10 वर्षों या आगामी 20 वर्षों में क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि इसका विकास कैसे करना है। हमने आयोजना और विकास की धारणा को स्वीकार किया है। इस सारे कार्य की देखभाल जो संगठन करता है उससे शायद हम सारे हैं। बाकिफ पर नहीं हैं। संभवतया हम से कुछ जानते हों। परन्तु जानते हुए भी हो सकता है आलोचना करना चाहते हों। मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि। हमारा भी एक संगठन है। सेनाध्यक्षों की समिति है। वे साथ बैठकर थल सेना, जल सेना और वायु सेना की आवश्यकताओं के बारे में सोचते है। वे रक्षा मंत्रालय को परामर्श देते है और अधिकांशतया मैं कहूंगा कि इनकी लगभग 99% सलाह मान ली जाती है। इसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह विशेषज्ञों की सलाह होती है।

हमारी आयोजना समिति में सचिव भी होते हैं और ये सचिव विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के हैं। वे साथ बैठकर विचार करते हैं और जोजनाएं बनाते हैं। यह बात नहीं है कि वे योजना नहीं बनाते है। इसके साथ ही हमारी राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति भी है। जिन मामलों पर निर्णय लिया जाना होता है उन सभी राजनैतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेजा जाता है और वे विचार करते हैं कि कौन-सा कार्य किया जाना है और कौन-सा नहीं। यह व्यवस्था पहले से ही है। जब कभी आवश्यकता होती है हम विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं और उनसे सलाह मंगाते हैं और उनकी सलाह का हम अनुसरण करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम बिना योजना बनाएं काम कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था मौजूद है। यह हो सकता है कि हम इस व्यवस्था को यहां वहां पसन्द करें और यदि आवश्यक हो तो उसे मजबूत बनायें। यह बिल्कुल भिन्न बात है। परन्तु यह कहना कि व्यवस्था है ही नहीं, गलत है।

महोदय, मैं नहीं जानता कि अयोजनाआदि के बारे में श्वेत पत्र प्रकाशित किया जा सकता है या नहीं। अब हमारे यहां समितियां है संसदीय समितियां हैं। वे इन सभी बातों को ध्यान में रखती हैं और यह सम्मानीय सभा सब से बड़ा मंच है और जो सदस्य अपने विचार प्रगट करना चाहें यहां आकर कर सकते हैं। वे मंत्रालय को परामर्श दे सकते हैं। छोटे-मोटे मसलों पर बोलने की बजाए, व्यक्तियों विशेष की आलोचना करने की बजाए, इधर उधर की छोटी-मोटी घटनाओं पर बोलने की बजाए यदि हम प्रगति कैसे करें, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आदि बड़े मसलों पर बोलें और यदि हम महत्वपूर्ण बातें पूछें तो इससे निश्चय ही हमें सहायता मिलेगी। यह मंच मौजूद है और इससे हमें सहायता भी मिलेगी।

कुछ लोगों और कुछ चीजों के बारे में कतिपय बातें कही गई थीं। मेरे विचार में इस बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगा। इस ढंग से बोलना हमारे देश के हित में नहीं है। यदि हमारे हृदयों में राष्ट्रहित की बात है तो हम उन चीजों के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे जो यहां नहीं है। एक बात श्री राजदा ने बोलते हुए कही थी। उन्होंने कहा था 'आओ हम दांतों को मजबूत और पूंछ को कम करें।' हम ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृपया इस बारे में कोई गलत धारणा न रखें। हम संख्या में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। गुणात्मक वृद्धि कर रहे हैं। हम आधुनिक हथियारों पर बल दे रहे हैं। हम विचारधारा और दर्शन पर जोर दे रहे हैं। ऐसा करके वस्तुतः हम दांतों को मजबूत और पूंछ को कम कर रहे हैं। महोदय, मेरे लिए बहुत लम्बा भाषण देना आवश्यक नहीं है। कल प्रधान मन्त्री जी उत्तर देंगी। परन्तु अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। महोदय, हम अपने जवानों और अफसरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ हम नेतृत्व के गुणों का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नेतृत्व की गुणवत्ता कोई मूर्त या ठोस चीज नहीं है और इसका निर्माण आसानी से भी नहीं किया जा सकता। आप मशीनों का निर्माण कर सकते हैं परन्तु इस उद्देश्य के लिए व्यक्तियों का निर्माण और महान व्यक्तियों का निर्माण बहुत कठिन है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे सिपाही है जो नेतृत्व की गुणवत्ता पर खरे उतरे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे जनरल और अफसर हैं जिन्होंने एक अच्छे नेता के महत्व को समझा है, एक ऐसे नेता के महत्व को जिसकी दूर दृष्टि है और सभी चीजों को समझ सकता है। मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि यह हमारा सौभाग्य ही हैं कि हमारे रक्षा मंत्री हमारी प्रधान मंत्री हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ सुझावों के प्रति एलर्जिक हैं, परन्तु क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि विश्व में कितने सिकन्दर बनते हैं, कितने सीजर है, कितने नेपोलियन बनते है। मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने कितने शिवाजी, अकबर, महात्मागांधी तथा जेसस क्राइस्ट देखें हैं। ये सब ऐसे व्यक्ति थे ···· (व्यवधान) जिन्होंने विश्व को नई दिशा दी। कुछ लोगों ने एक भिन्न प्रकार का दर्शन दिया, कुछ लोगों ने एक भिन्न प्रकार का प्रशासन दिया और कुछ लोगों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व को मजबूत बनाया। इन गुणों का सृजन नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति नेता बनना चाहे तो वह नेता नहीं बन सकता ये वे शक्तियां

[श्री शिव राज वी० पाटिल]

हैं जो सभी परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, ये मनुष्य के अन्दरूनी गुण हैं, यह वह प्रेरणा है जिसे कोई मनुष्य या स्त्री अन्दर से प्राप्त करता है और जो कि इस प्रकार के नेता का सृजन करती है। मेरे विचार से विपक्षी सदस्य इस विवाद में नहीं पड़ेंगे क्योंकि उनके पास इस प्रकार का नेता नहीं है।

श्री वाजपेयी ने जो कुछ कहा उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में उन्होंने जब यह कहा कि प्रधान मन्त्री रक्षा मन्त्री भी हैं इसलिए प्रधान मंत्री को रक्षा मन्त्रालय को देखने का समय नहीं मिलेगा तो उन्होंने तथ्य को तोड़ा मरोड़ा। परन्तु बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया और यह कहा ···(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परूलेकर : मंत्री महोदय मजाक को सहन नहीं कर सकते। सदस्य महोदय ने कुछ और कहा था। मंत्री महोदय मजाक को सहन नहीं कर सकते और मजाक तथा गम्भीर बात में भेद नहीं कर सकते ··· (व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, उन्होंने यह परिपाटी बनाली है कि प्रत्येक भाषण में वे छः बार प्रधान मंत्री का नाम लेंगे परन्तु इन्होंने केवल दो बार लिया है। यह नियम भंग ·· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : एक व्यक्ति विशेष में धातु और रेशे का होना महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति विशेष को शक्ति मिलती है। परन्तु इसके साथ ही आप विचारधारा और दर्शन-शास्त्र को नहीं भूल सकते जो कि किसी देश के मनन का परिणाम होता है और जो नेता इस दर्शन को मानता है, वही वास्तविक नेता है। वह नेता जो उस दर्शन को सुस्पष्ट करता है, वह नेता जो उस दर्शन को कार्यान्वित करता है, वह नेता जो भविष्य को देख सकता है और भूतकाल को समझ सकता है तथा उचित कार्यवाही करता है, वह वास्तविक नेता है जो हमें और इतिहास को स्वीकार्य है। यही मुद्दा उन्हें ज्यादा आघात पहुंचाता है ··· (व्यवधान)

मैं बहुत प्रसन्न हूं और यह हम सबके लिए सन्तोषप्रद बात है कि इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति के पास हमारी सशस्त्र सेनाओं के विषय में कुछ न कुछ अच्छा ही कहने के लिये है। हमारी सशस्त्र सेनाएं बड़े जोरदार ढंग से अपना कर्त्तव्य निभा रही है। उन्होंने भूतकाल में भली-भांति कार्य किया हैं और मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी भली-भाँति कार्य करेंगी। हम उनकी भूरि-भूरि प्रसंशा करते हैं। महोदय, इस प्रकार उन्हें अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए

प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता के लिए, भारत के लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए तथा मातृभूमि के गौरव को बनाये रखने के लिए उनमें जो हर वस्तु का त्याग करने की भावना विद्यमान है। उसका हमें सम्मान करना चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

बम्बई में परित्यक्त पड़ा विदेशी विमान

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा करेंगे।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : बम्बई एयरपोर्ट पर परित्यक्त पड़े विदेशी विमान सम्बंधी दिनांक 27 मार्च, 1981 के मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर से मैं आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे योग्य मंत्री ने एक अराजनैतिक प्रश्न का ऐसा गोलमोल उत्तर क्यों दिया। प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया गया है तथा इतना टालू उत्तर दिया गया है कि उससे जितनी जानकारी मिली उसमे अधिक छिपायी गयी है इस प्रश्न को पूछने के पीछे कोई गलत प्रयोजन नहीं था। यह प्रश्न राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा से सम्बन्धित था। इस लिए आप से मेरे प्रमुख प्रश्न ये हैं : भारतीय विमान पत्तन अधिकरण ने ढाई वर्ष से इस विमान पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया ? इतने लम्बे समय तक विमान की एयरपोर्ट के संचालन क्षेत्र में पड़े रहने की अनुमति क्यों दी गई ? ऐसा कैसे हुआ कि इस विमान की उपस्थिति के विषय में आपकी आंखें तब खुलीं जबकि विमान से ईंधन ठपकने लगा ? सुरक्षा की दृष्टि से विमान में से ईंधन क्यों नहीं निकाला गया ? आपने विमान के मालिक का नाम दिया था। आपने यह पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस विमान का संचालन कौन कर रहा था ? आपकी विमान के उतरने की तथा राडार रिपोर्ट क्या हैं ? विमान किस समय उतरा था ? चालक तथा कर्मीदल के विषय में आपके पास क्या सूचना है ? यह सब आवश्यक जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई है। उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए आपने क्या किया, जिसने विमान को उतारा था ? इसकी उपस्थिति के ढाई वर्ष बाद सीमा-शुल्क विभाग कैसे हरकत में आया ? महोदय, यदि हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र में एक साइकिल भी पड़ी होती है तो उसे भी उठा लिया गया होता। यह दो पंखों वाला छोटा सा विमान नहीं है। यह एक बोइंग विभान जो वहां पर अनछुआ पड़ा रहा। इसलिए क्या कुछ

[डा० वसन्त कुमार पंडित]

कर्मचारियों पर कर्त्तव्य की भारी उपेक्षा का आरोप लगाया गया है ? अन्यथा, मंत्री महोदय को कुछ उचित कारण बताने होंगे कि इस बोइंग को क्यों नहीं हटाया गया। क्या कोई पंचनामा किया गया था ? विमान में क्या रखा था ? क्या आपको सन्देह हुआ था कि यह विमान किसी तस्कर का है ? मैं राडार रिकार्ड तथा विमान उतरने के रिकार्ड का ब्यौरा जानना चाहूंगा। विमान को किसी कार्यक्रम के बिना क्यों उतरने दिया गया ? किसके आदेश द्वारा ? यू० एस० ए० की फर्म मैसर्स जेट पावर के माध्यम से यह पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए कि इस गलत कार्य के समय इस विमान को कौन उड़ा रहा था ?

विमान को आज तक संचालन क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। इसका क्या कारण है ? इसे जब्त करने के बाद भी आपने क्यों नहीं हटाया और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है ? विमान में से ईंधन क्यों नहीं निकाला गया ? सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट अधिकरण को ऐसा करना चाहिए था। आपके विभाग को इस विमान के विषय में कब पता लगा ?

मुझे बहुत सन्देह है कि इस विमान को किसी तस्कर या किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंट ने इस्तेमाल किया था। यदि इससे किसी और ने उड़ान के लिए भाड़े पर लिया होता तो उसके विषय में बताया जा सकता था। परन्तु सरकार इसके मालिक तथा पहरेदार के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं बता रही है। इसे कौन उड़ा रहा था ? इसके बाद क्या हुआ ? पहली जांच कब आरम्भ की गयी, पहली जांच के परिणम क्या थे ? क्या उन्होंने यह कहा था कि विमान पिछले दो वर्ष से पड़ा है ? इसे क्यों नहीं हटाया गया ? क्या आपने किसी पर पार्किंग चार्ज या क्षति पूर्ति का दावा किया है उत्तर में इन तथ्यों का उद्घाटन किया जाना चाहिए था। तभी हम सन्तुष्ट होते।

इसमें कोई भी राजनैतिक बाधाएं नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य उत्तर हैं जो आप जैसे किसी भी योग्य मंत्री द्वारा दिये जा सकते हैं। अंत: में चाहता हूं कि यदि कोई त्रुटि है तो सरकार उत्तरदायित्व का निर्धारण करे। इसमें कोई न कोई त्रुटि अवश्य ही होगी। अन्यथा बोइंग जैसी बड़ी चीज को वहां 2 नम्बर, 1978 से पिछले सत्र में मेरे द्वारा प्रश्न पूछे जाने तक न पड़े रहने दिया गया होता। मैंने अनुवर्ती कार्यवाही और जांच किये जाने के लिए प्रश्न को पुन: दोहराया है। अब मैं चर्चा करूंगा। तभी सूचना दी जायेगी।

मेरा अनुरोध है, "कृपया कोई भी बात न छिपायें। हमें इसके विषय में सभी तथ्य जानने दें।" आप क्या करने जा रहे हैं ? केवल सीमा शुल्क के या किसी अन्य अधिकारी का का निलम्बन हमें सन्तुष्ट नहीं करेगा। परन्तु यह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी ? ऐसे कौन से कारण थे जिनकी बजह से इतना विलम्ब हुआ ?

आप हवाई अड्डों के प्रभारी हैं। अतः, यह सुनिश्चित करना आपका भारी कर्त्तव्य है कि हवाई अड्डा सुरिक्षित है। इसलिए, आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए : "इस विमान को एक अन्तर्राष्टीय हवाई अड्डे पर इतने लम्बे समय के लिए क्यों खड़ा रहने दिया गया ? आपने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जो इसके लिए उत्तरदायी हैं ?"

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : सर्वप्रथम, मैं अपने माननीय मित्र को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह आधे घण्टे की चर्चा उठाई और दो वर्ष से अधिक समय से वहां पर पड़े हुए विमान के सम्बन्ध में मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया। ऐसा करने से पूर्व मैं सम्माननीय सभा तथा मेरे माननीय मित्र, श्री पंडित, जिन्होंने आधे घण्टे की चर्चा उठाई है, को भी यह बताना चाहूंगा कि यदि वह अपने प्रश्न-तारांकित प्रश्न संख्या 5301—को देखें, तो वह पाएंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से जो कुछ सूचना मांगी गई थी, मुद्देवार सूचना दी जा चुकी है।

महोदय, प्रारम्भिक स्थिति में, जब यह प्रश्न पूछा गया था, कुछ मुद्दे उठाए गए थे, विशिष्ट मुद्दे उठाए गए थे, एक सुस्पष्ट उत्तर दिया गया था। इसलिए, उस समय इन बातों को स्पष्ट करने का अवसर नहीं था जो इस समय चर्चा के दौरान उठाई गई हैं। बाद में, निर्देश संख्या 115 के अधीन माननीय सदस्य ने कर्मीदल तथा चालक आदि का प्रश्न उठाया था, जो प्रारम्भ में नहीं उठाया गया था।

आप पाएंगे कि प्रश्नाधीन विमान, अर्थात् बी-720 जिसकी पंजीकरण संख्या एन/419/-एम० ए० है, मैसर्स एम० सी० ए० लीजिंग निगम, मियामी फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमरीका से सम्बन्धित है तथा संयुक्त राज्य अमरीका में पंजीकृत है। इस विमान का संचालन मैसर्स एयर एक्सप्रैस बम्बई के माध्यम से एयर इण्डिया उड़ान संख्याओं की अन्तर्गत जेट पावर द्वारा मार्च, 1978 से अगस्त, 1978 तक बम्बई से खाड़ी के देशों तक नाशवान वस्तुएं तथा पशुधन को लाने ले जाने के लिए किया गया था। उन्होंने इस विमान का संचालन महानिदेशक, नागर विमान की अनुमति से उड़ान से उड़ान के आधार पर किया था। ऐसा प्रबन्ध करना आवश्यक समझा गया क्योंकि खाड़ी के देशों को नाशवान वस्तुएं तथा पशुधन लाने ले जाने की अत्यधिक मांग थी और इस मांग से निबटने के लिए एयर-इण्डिया के पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी और न ही, एयर इण्डिया द्वारा चार्टर करने के लिए, किसी भारतीय गैर-अनुसूचित संचालकों के पास उपयुक्त मालवाहक विमान थे। यही वह परिस्थिति है जिसके कारण इस विमान को एयर-इण्डिया की उड़ान-संख्याओं के अन्तर्गत प्रयोग किया गया था। इसके लिए एक और विशिष्ट स्थिति थी ; और मैं मानीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि मार्च, 1978 से अक्तूबर, 1979 तक की अवधि में इस विमान ने कुल 104 उड़ानें कीं। ये संचालन एयर-इण्डिया के साथ निम्नलिखित सुस्पष्ट समझौते के अन्तर्गत आयोजित किए गए :—

(1) उड़ानें एयर-इण्डिया की उड़ान संख्याओं के अन्तर्गत संचालित होंगी।

[श्री अनन्त प्रसाद शर्मा]

(2) संचालन उत्तरदायित्व संचालक का होगा ।

(3) एयर-इण्डिया डी० जी० सी० ए० से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करेगी ।

(4) सम्बन्धित प्राधिकरणों को देय उतरने, पार्किंग, विमान-संचालन ईंधन, रख-रखाव तथा अन्य देयताओं का उत्तरदायित्व सभी समय संचालक का होगा ।

(5) संचालक चार्टर-मूल्य का 5 प्रतिशत एयर-इण्डिया को बुकिंग कमीशन के रूप में देगा ।

एयर-इण्डिया को दी गई कर्मीदल की सूची निम्नलिखित है :

(1) कैप्टन सी० आर० बेनेगर

(2) कैप्टन जे० पी० बरचाल

(3) फ्लाइट इन्जीनियर पी० ए० हगेन

इस परिस्थिति के कारण एयर-इण्डिया की उड़ान संख्याओं के अन्तर्गत इस विमान का उपयोग किया गया था । 2-11-1978 को इस विमान को संचालन योग्य नहीं समझा गया । और इसे खड़ा कर दिया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जो सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमान के उतरने और खड़े होने का प्रभार वसूल करता है, को 2-11-78 से विमान खड़ा करने के लिए कोई भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है, उसने इस विमान के मालिकों/पहरेदार से राशि वसूल करने की कार्यवाही की । सभी प्रयासों के बावजूद मालिक/पहरेदार ने देय राशि नहीं दी और हवाई अड्डा प्राधिकरण ने मामला 25-7-1980 को सम्पदा अधिकारी को सौंप दिया । सम्पदा अधिकारी ने, मालिकों को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजने की औपचारिकता निपटाने के बाद, 30-12-1980 को एक तरफा आदेश जारी कर दिए ।

ये जो विभिन्न कार्यवाहियां की गईं उनमें इतना समय लग गया और प्राप्य राशि विमान को बेचने के बाद वसूल की जानी है । अब, जहां तक एयरपोर्ट प्राधिकरण का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति यह है कि विमान को जब्त किया जा चुका है क्योंकि इसी बीच सीमा-शुल्क अधिकारी भी इस मामले में आ गए और उन्होंने पाया कि विमान यहां पर छः महीने से ज्यादा समय से पड़ा हुआ है, उन्होंने इसे जब्त कर लिया क्योंकि यह समझा गया कि यह विमान बिना अनुमति के आयात किया गया है और इसलिए सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई तथा उन्होंने इस विमान को जब्त कर लिया । अब, नवीनतम स्थिति यह है कि इस विमान का डी० जी० सी० ए० द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और फिर इसे बेच दिया जाएगा । यह नवीनतम स्थिति है ।

अन्त में मैं अपने माननीय मित्र को केवल एक बात बताना चाहूंगा । और वह यह है कि ये सभी बातें 1978-79 की अवधि के दौरान हुई थीं । मैं उन्हें 1979-80 के विषय में याद नहीं दिलाऊँगा, वह स्वयं समझ सकते हैं, यह इस सरकार के समय में नहीं हुआ और इस मामले में इस सरकार द्वारा कार्यवाही करने में पहल की गई और इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह सारा मामला समाप्ति पर है और नियमानुसार इस विमान को बेच दिया जाएगा ।

डा० वसन्तकुमार पंडित : जब तक इसे बेचा जाएगा तब तक क्या इसे एयरपोर्ट के संचालन क्षेत्र से हटा दिया जाएगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी नहीं । मैं एक बात का उत्तर देना भूल गया, जिसका पंडित जी ने अभी-अभी उल्लेख किया है । उन्होंने एयरपोर्ट की सुरक्षा के खतरे का प्रश्न उठाया है । ऐसा कुछ नहीं है । यह एक ऐसे क्षेत्र में पड़ा हुआ है जिससे एयरपोर्ट को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता तथा यह तब तक वहां पर पड़ा रहेगा जब तक इसे बेच नहीं दिया जाता ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : ईंधन से भरा हुआ या खाली ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है । इसमें से ईंधन टपक रहा था और उसे ठीक कर दिया गया है ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय मंत्री ने वह पृष्ठभूमि देने की कृपा की है जिसके अन्तर्गत इस विशेष विमान को भारत और खाड़ी के देशों के बीच उड़ानों के लिये प्रयोग किया गया । क्या मैं आगे और स्पष्टीकरण के लिए यह जान सकता हूं कि विमान को उस उद्देश्य के लिए चार्टर करने का विशेष कारण क्या था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य कम्पनियों से भी सम्पर्क स्थापित किया गया था, क्या इस तरह के अन्य विमानों को भी ठेके पर लिया गया था ।

सभापति महोदय : यह सब दूसरी सरकार के समय में हुआ था ।

श्री चित्त बसु : कृपया एक बार फिर बताएं ।

सभापति महोदय : यह तब हुआ जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी ।

श्री चित्त बसु : प्रश्न यह नहीं है । सरकार निरन्तर बनी रहती है । (व्यवधान) प्रश्न यह नहीं है । मुझे नहीं मालूम कि आप यहां बैठकर ऐसा कैसे कह सकते हैं । मैं सरकार से पूछ रहा हूं, चाहे कोई भी दल सरकार में हो, यह उसका कर्त्तव्य है कि वह हमें बताएं कि विशेष उद्देश्य के लिए इस विशेष विमान को पट्टे पर देने के ठेके का लाभ उठाने के लिए इस विशेष कम्पनी को किन परिस्थितियों में ठेका दिया गया ? क्या किसी दूसरी कम्पनी के साथ सम्पर्क

[श्री चित्त बसु]

किया गया था, क्या निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, क्या इस पर इसकी सम्पूर्णता पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और इस सब पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया था, या यह निर्णय मात्र संयोग था ? विशेष कम्पनी के विशेष विमान को किराये पर लेने के पीछे कौन-सी परिस्थितियां थीं ?

सभापती महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपके पास यह सूचना है ?

श्री चित्त बसु : यह एक प्रश्न है मेरा दूसरा प्रश्न है कि विमान 2-11-1978 को उड़ान के योग्य नहीं था। वह इसे स्वीकार करते हैं। और ईंधन के रिसने की ओर 7-9-1980 को ध्यान गया विमान कब उतरा था कब उसे उड़ान के अयोग्य पाया गया ? क्या पोर्ट प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह देखे कि क्या उस विशेष विमान में ईंधन है या उससे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है अथवा नहीं, विशेष कारण क्या है ? यह पता लगाने के लिए जांच क्यों नहीं गठित की गयी कि एयरपोर्ट पर पड़े इस विमान से कोई खतरा तो पैदा नहीं होगा ?

अब इसे जब्त कर लिया गया है। सरकार इसे किस प्रकार बेचने का विचार रखती है ? क्या वे इसे रद्दी माल की तरह बेचना चाहते हैं या इसे इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में कम्पनी उपयोग के लिए शामिल करना चाहते हैं ?

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा था कि यदि इस प्रश्न के जवाब को देखा जाए तो ऐसा लगता है—इसमें किसी हाफ-एन-आवर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं थीं। मंत्री जी ने अपने जवाब में जो दो बातें कहीं हैं उस से एक समस्या हमारे जैसे लोगों के दिमाग में उत्पन्न हो गयी है कि इसके पीछे राज क्या है। सरकार किसी की हो, इधर की हो या उधर की हो, लेकिन जनप्रतिनिधि की हैसियत से किसी चीज के सम्बन्ध में डाउट हो तो उसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है। मंत्री जी ने जवाब में दो चीजें कही हैं एक तो यह है कि कुछ औपचारिकताएं निभाने के बाद सीमा-शुल्क अधिकारियों ने इस विमान को दिनांक 18-10-80 के सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जब्त कर लिया।

दूसरे यह है कि ईंधन के रिसाव पर 7-9-1980 को ध्यान गया और इसे तुरन्त ठीक कर दिया गया हालांकि इस के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछा गया था।, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उस से ये प्रश्न उत्पन्न होने शुरू हो गये। हम लोग बैलगाड़ी की कीमत तो लगा सकते हैं, लेकिन यह तो बोइंग जहाज है, जिस की कीमत तो मन्त्री जी ही बता सकते हैं कि कितनी होगी। कम से कम एक करोड़ से ज्यादा तो होगी ही। किसी का 10 रुपया खो जाता है तो

उसके लिए एफ० आइ० आर० दर्ज कराई जाती है, चक्कर लगाते हैं लेकिन यहां तो एक करोड़ रुपये से ज्यादा सम्पत्ति का प्रश्न है। बल्कि दो करोड़ की सम्पत्ति है, जिस को छोड़ कर वह गायब हो गया। इस का मतलब है कि वह आदमी जरूर दो नम्बर का करोबार करने वाला होगा या कुछ इस तरह का काम करने वाला होगा जिसकी नजर में एक करोड़ रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई आदमी बोइंग जहाज को छोड़ कर क्यों चला जाएगा ? इस लिए इसके पीछे बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। इस लिए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह आदमी क्या करता है ? कहीं हिन्दुस्तान में आने का कोई दूसरा परपज तो नहीं था—स्मगलिंग या स्पाइंग का परपज तो नहीं था ?

मन्त्री महोदय ने कहा है कि उसके बिना अनुमति यहां आने के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने एक-एक प्रश्न का जवाब दिया लेकिन अभी तक यह मामला साफ नहीं हो रहा है, क्यों कि यह दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति का मामला है जिस को छोड़ कर वह भागा हुआ है। प्रश्न यह है कि वह किस लिए गायब है ? वह क्या करता है ? चित्तबसु जी ने और पडित जी ने इस सारे मामले को उठाया है, इसलिए हम पर तोहमत कर रहे हैं कि हमारी सरकार थी। लेकिन हम इन्नोसेन्टली मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदारी है। जो इसके लिए दोषी हों चाहे आपकी एयर-पोर्ट अथारिटी हो, उसको सजा दी जानी चाहिए। इसमें एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है जिससे सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसलिए में सिम्पल सवाल करना चाहता हूं—करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का वह बोइंग विमान वहां छोड़ने का तात्पर्य क्या है ? क्यों छोड़ गया है ? कौन उसका मालिक है ? इस सम्बन्ध में पूरी जांच कराये तथा जो तथ्य हों उनको सामने लाये।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : कई महत्वपूर्ण सवाल हमारे सम्मानित सदस्यों ने पूछे हैं। मैं भी मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि जो "जैट-पावर" कम्पनी है, इसको 1977-78 में एक से अधिक बार भारत में अपने बोइंग विमान लाने की इजाजत दी गयी या नहीं दी गयी ? यदि दी गयी, तो किस की इजाजत से दी गयी ?

दूसरे-क्या एयरपोर्ट अथारिटी ने, जैसा मुझे ज्ञात है जब इसका फयूअल लीकेज हुआ था तो यह कहा था कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क है इसलिए इसको किसी तरह से डिस्पोज-आफ कर दिया जाय। वह रिपोर्ट किसके इनीशियेशन से आई थी तथा उसको क्यों दबा दिया गया ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री चित्त बसु द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा। मैं उस समय यह कह रहा था कि यदि उन्होंने माननीय श्री पडित द्वारा

[श्री अनन्त प्रसाद शर्मा]

उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मेरे उत्तर को सुना होता तो, सम्भवतः, उन्होंने कुछ प्रश्न नहीं उठाए होते।

उन्होंने सुरक्षा को खतरे का प्रश्न उठाया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विमान एक ऐसे क्षेत्र में पड़ा हुआ है जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालता है। ईंधन के रिसाव के संबंध में स्थिति यह है कि जब यह वहां पर पड़ा था तो 7-9-80 को ईंधन के रिसने पर ध्यान गया था। इसे तत्काल ठीक कर दिया गया था। अतः इस मामले में भी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

इस विमान को 2-11-78 को उड़ान के अयोग्य पाया गया था और रिसाव 7-9-80 को हुआ था। उन्होंने कारण जानने चाहे थे कि ऐसा क्यों हुआ था। यह विमान एयरपोर्ट के क्षेत्र में पड़ा था। यदि यह वहां पर नहीं भी पड़ा होता तो भी यह नहीं समझा जा सकता था कि ईंधन का रिसाव नहीं हो सकता था। परन्तु मैं तकनीशियन नहीं हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने ईंधन के रिसने के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया। यदि मेरे मित्र इस पर जोर देंगे तो मैं इसकी निश्चय ही जांच करूंगा और इस सम्बन्ध में सूचना, उन्हें दूंगा या सभा-पटल पर रखूंगा। परन्तु इसकी जांच नही की गई है। रिसाव को देखते ही ठीक कर दिया गया था।

श्री चित्त बसु : उस समय पर सरकार ने इस विमान को किराए पर क्यों लिया था ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इसीलिए मैंने कहा था कि यदि उन्होने मेरे उत्तर को सुना होता तो सम्भवतः उन्होंने कुछ मुद्दे नहीं उठाये होते।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा प्रबंध इसलिए किया गया था क्यों कि उस समय नाशवान वस्तुओं तथा पशुधन को खाड़ी के देशों तक ले जाने की एयर इंडिया के पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी। उस समय, यह व्यक्ति प्रस्ताव लेकर आया था। इसलिए, सामान्य स्थिति में इसे स्वीकार कर लिया गया। उस समय कोई और व्यक्ति नहीं था। स्थिति पर नजर डालिए। स्थिति यह है कि सारा व्यय एयर लाइन या ऐजेंट द्वारा वहन किया जायेगा और एयर इंडिया को केवल 5 प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के मन में क्या बात है। यदि वह यह जानना चाहते थे कि क्या किसी को इससे भी अधिक धन दिया गया था, तो सम्भवतः मैं समझ सकता था। परन्तु दोबारा कहता हूं कि केवल यही एक पार्टी इस उद्देश्य के लिए आगे आई थी ऐसा 1978-79 में हुआ था जब हम सरकार में नहीं थे। परन्तु आज भी, मैं इस व्यवस्था में कोई गलत बात नहीं देखता हूं।

श्री चित्त बसु : अब इसे जब्त किया जा चुका है। सरकार इसे किस प्रकार बेचना चाहती है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस बात को मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री पासवान ने इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने कहा था कि वह किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहते कई बातों का उल्लेख किया। मैं चाहता हूं कि वे लांछन लगाते। सम्भवत: इससे उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। अत: ऐसा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से किया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि कोई और उद्देश्य नहीं था, यह एयर लाइन का सामान्य व्यापारिक लेन-देन है और इसमें कोई अन्य मंशा नहीं है। मैं यही कुछ कह सकता हूं।

फिर उन्होंने कहा कि विमान जैसी मूल्यवान वस्तु वहां पर पड़ी हुई है, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, इस सबके पीछे कारण क्या हैं। मैंने इस विषय में पूछताछ नहीं की हैं। यदि वह चाहते हैं, तो मैं पूछताछ करूंगा। परन्तु उससे कोई बात नहीं बनेगी।

श्री राम विलास पासवान : आप पूछताछ अवश्य कीजिए।

डा० वसन्त कुमार पंडित : जब ठेका समाप्त हो गया, तब विमान को वापस लौटा देना चाहिए था। इसमें कुछ गोलमाल था। हम जाँच करवाना चाहते हैं।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : विमान को इसलिए नहीं लौटाया गया क्यों कि वह उड़ान के योग्य नहीं था। और कोई कारण नहीं था। यदि हम इसकी कोई बड़ी जांच करते हैं तो कोई परिणाम नहीं निकालेगा। मैं अपने मित्रों को इस आश्वासन से सन्तुष्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही डी० जी० सी० ए० द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, वैसे ही इसे बेच दिया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : हमने यह कहा था कि आप इसकी इन्क्वायरी करवाएं। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी इन्क्वायरी करें और इन्क्वायरी करा कर उसे टेबिल पर रख दीजिए या हमारे पास भेज दीजिए।

सभापति महोदय : किस बात की इन्क्वायरी ?

श्री राम विलास पासवान : हमने पूछा था कि इस का मालिक कौन है, जहाज को क्यों छोड़ा गया और उसकी कीमत क्या थी। मंत्री जी ने कहा था कि अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो हम इंक्वायरी कराएंगे। तो हम इंक्वायरी चाह रहे हैं।

सभापति महोदय : इन्होंने सब बोल तो दिया है उन्होंने उत्तर दे दिया है कि कौन इसका मालिक है और इस विमान को क्यों छोड़ा गया है।

श्री राम विलास पासवान : और क्यों छोड़े हुए हैं ?

सभापति महोदय : क्योंकि वे इसे उड़ा नहीं सकते हैं । वह इसे कैसे ले सकते हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह अब नहीं उड़ नहीं सकता । इसीलिए वे इसे नहीं ले रहे हैं । उन्हें एयरपोर्ट और सीमा-शुल्क प्राधिकरण को धन देना पड़ेगा । परन्तु वे धन देने के लिए नहीं आ रहे हैं ।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

6.33 म० प० **तत्पश्चात लोक सभा, गुरूवार, 9 अप्रैल, 1981/19 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2